



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082023-247892  
CG-DL-E-07082023-247892

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3358]  
No. 3358]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 7, 2023/श्रावण 16, 1945  
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 7, 2023/SHRAVANA 16, 1945

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2023

का.आ. 3509(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 (2022 का 13) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 7 अगस्त, 2023 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. एम.ओ. इ. एस. /43-पार/06/2023]

डी सेंथिल पांडियन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2023

S.O. 3509(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Indian Antarctic Act, 2022 (13 of 2022), the Central Government hereby appoints the 7<sup>th</sup> day of August, 2023, as the date on which the provisions of said Act shall come into force.

[F. No. MOES/43-Par/06/2023]

D SENTHIL PANDIYAN, Jt. Secy.

5051 GI/2023

(1)



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082023-247926  
CG-DL-E-08082023-247926

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 463]  
No. 463]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त, 7, 2023/श्रावण 16, 1945  
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST, 7, 2023/SHRAVANA 16, 1945

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 592(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 (2022 का 13) की धारा 55 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

अध्याय - 1

प्रारंभिक

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय अंटार्कटिक पर्यावरण संरक्षण नियम, 2023 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
  - “अधिनियम” से भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 (2022 का 13) अभिप्रेत है;
  - “अध्यक्ष” से धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन गठित समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
  - “आयोग” से अंटार्कटिक समुद्री जीव संपदा संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय द्वारा गठित अंटार्कटिक समुद्री जीव संपदा संरक्षण आयोग अभिप्रेत है;
  - “पर्यावरण संरक्षा समिति” से अंटार्कटिक पर्यावरण की संरक्षा संबंधी प्रोटोकाल के अनुच्छेद 11 के अधीन गठित पक्षकारों के प्रतिनिधियों की समिति अभिप्रेत है;
  - “प्ररूप” से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

- (च) “सरकार” से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;
- (छ) “मार्गदर्शी सिद्धांत” से प्रोटोकाल के अनुच्छेद 11 के अधीन स्थापित पर्यावरण संरक्षा समिति द्वारा जारी किए गए अंटार्कटिका में पर्यावरणीय समाघात निर्धारण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत अभिप्रेत है,
- (ज) “हानिप्रद हस्तक्षेप” से –
- (i) हेलीकाप्टरों या अन्य वायुयान का उड़ाया जाना या उनका उतारा जाना, या
  - (ii) यानों या जलयानों, जिनमें होवरक्राफ्ट और लघु-नौकाएं भी सम्मिलित हैं, का उपयोग करना, या
  - (iii) विस्फोटकों या आग्नेयास्त्र का उपयोग ऐसी रीति में करना जो पक्षियों या सील के संकेद्रण को विक्षुब्ध करता है या पक्षियों या सील के प्रजनन या पंखों के झड़ना को विक्षुब्ध करती है या वायुयान को उतारकर स्थलीय पौधों को नुकसान पहुंचाता है, या
  - (iv) यानों को चलाकर या उन पर चलकर या कोई ऐसा क्रियाकलाप करना जिसके परिणामस्वरूप किन्हीं प्रजातियों या देशज स्तनपायी, पक्षी, पौधा या अकशेरुकी के वास का विशेष प्रतिकूल परिवर्तन होता है;
- अभिप्रेत है;
- (झ) “अनुसूची” से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।
- (ञ) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (ट) “पकड़ना” या “छूना” से देशज स्तनपायी या पक्षी का वध करना उसे क्षति पहुंचाना, उसे पकड़ना, छूना या उसके साथ छेड़छाड़ करना या देशज पौधों को हटाना या नुकसान पहुंचाना अभिप्रेत है; और
- (ठ) “पारगमन समाघात” का वही अर्थ होगा जो अंटार्कटिक पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रोटोकाल के अनुच्छेद 11 के अधीन स्थापित पर्यावरण संरक्षण समिति द्वारा जारी अंटार्कटिका में पर्यावरण समाघात निर्धारण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों में उसका है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में उनके हैं।

## अध्याय – 2

### अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन

3. कतिपय कार्यों का प्रतिषेध: अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जब तक इन नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञापत्र प्राप्त नहीं कर लिया गया हो तब तक यह विधिविरुद्ध है, –

- (क) अंटार्कटिका से देशज स्तनपायी, पक्षियों या पौधों का अभिग्रहण;
- (ख) हानिकर हस्तक्षेप में लगाया जाना;
- (ग) संरक्षित क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक स्थल और संस्मारकों में प्रवेश करना;
- (घ) देशज स्तनपायी, पक्षियों और पौधों को रखना, उनका विक्रय करना, निर्यात और आयात करना;
- (ङ) गैर-स्वदेशी पशुओं, पौधों, उपजाऊ मृदा और सूक्ष्म जीवाश्म को अंटार्कटिका में प्रवेश कराना;
- (च) अंटार्कटिका में या अभिसमय क्षेत्र में वैज्ञानिक, संभारतंत्र, वाणिज्यिक मत्स्य-ग्रहण या पर्यटन क्रियाकलापों को करना;
- (छ) अनुज्ञापत्र शर्तों का उल्लंघन करना;
- (ज) खनिज संपदा क्रियाकलापों को करना;
- (झ) किसी कचरे, प्लास्टिक, तेल या तैलीय मिश्रण, बहिःस्राव, नितलजल या किसी खान्द अपशिष्ट को समुद्र में निस्सारित करना;
- (ञ) अंटार्कटिका या भारतीय अंटार्कटिक स्टेशनों में प्रवेश करना; और

(ट) अधिनियम में निर्दिष्ट ऐसे किसी विषय में भाग लेना ।

**4. अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन –** (1) किसी व्यक्ति या किसी प्रचालक द्वारा किसी अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन समिति को, यथास्थिति, प्ररूप 1, प्ररूप 1क, प्ररूप 1ख, प्ररूप 1ग और प्ररूप 2 में या तो आनलाइन या आफलाइन किया जाएगा; दोनों मामलों में और इसे आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(2) यदि उपनियम (1) के अधीन आवेदन आफलाइन प्रस्तुत किया जाता है तो इसे दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन में, आवेदक का नाम, पूर्ण पता, पते का सबूत, जिसमें आधार कार्ड या पासपोर्ट की प्रतियां, अपेक्षित अनुज्ञापत्र की अवधि, प्रयोजन, राष्ट्रीयता भी है, और प्रस्तुत करने की तारीख भी उपदर्शित की जाएगी ।

(4) जहाँ आवेदक कोई व्यष्टि है या प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभागियों का समूह है या अभियान सदस्य है वहाँ उसके कारोबार या व्यवसाय या संस्थानिक संबद्धता का उल्लेख किया जाएगा ।

(5) जहाँ आवेदक, भारत में या भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत जलयान या वायुयान का उपयोग करने का प्रस्ताव करता है वहाँ वह ऐसे प्रचालकों और ऐसे जलयान या वायुयान का नाम, पता और उनकी अन्य विशिष्टियों का उल्लेख करेगा और उनके लिए अनुज्ञापत्र अभिप्राप्त करने के लिए उल्लेख करेगा ।

(6) नियम 9 के उपनियम (1) के परन्तुक के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उपनियम (1) के अधीन आवेदन के साथ, ऐसी राशि की फीस और प्रतिभूति, जो अनुसूची 1 में उल्लिखित है समिति को आनलाइन अन्तरण के माध्यम से संदत्त की जाएगी ।

(7) आवेदक और क्रियाकलाप करने के लिए उसके साथ प्रत्येक अन्य व्यक्ति के पासपोर्ट आकार के तीन फोटो भी आवेदन प्ररूप के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(8) जहाँ आवेदक, कंपनी, निगम, भागीदारी फर्म, संस्था, संयुक्त उद्यम, निकाय निगम, सोसाइटी या अभिकरण या व्यक्तियों का संगम या तो प्राइवेट या सार्वजनिक है, वहाँ इसके अध्यक्ष, सभापति, प्रबंधक, सचिव, प्रधान अधिकारी या निदेशक का नाम व पता, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, आवेदन में उल्लिखित किया जाएगा ।

**स्पष्टीकरण:—**इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित पद,

- (क) “अभिकरण ” पद से ऐसा विधिक अस्तित्व अभिप्रेत है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से विनिर्दिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराता है या कार्य करता है;
- (ख) “व्यक्तियों का संगम” से दो या अधिक व्यष्टियों का एकीकरण अभिप्रेत है जिनमें लाभ कमाने के आशय से, मुख्यतया सामान्य उद्देश्य के, लिए विधिक बाध्यताएं और अधिकार भी हैं;
- (ग) “निगमित निकाय” पद का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (11) में उसका है;
- (घ) “कम्पनी” पद का वही अर्थ होगा जो कम्पनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (20) में उसका है;
- (ङ) “निगम” पद से विधिक रूप से इसके स्वामियों से सुभिन्न स्थापित अस्तित्व अभिप्रेत है जो प्राधिकार धारण कर सकता है, अपनी ही आस्तियों पर दायित्व उपगत कर सकता है, संविदाएं कर सकता है और अपने स्वामियों अर्थात् बोर्ड के निदेशक, प्रबंध टीम, और शेयरधारकों के विरुद्ध पृथकतः वाद ला सकता है या उन पर वाद लाया जा सकता है;
- (च) “संस्था” पद से कोई सुविधा, स्थापन, प्रतिष्ठान या स्थापित संगठन जो विशेष रूप से सार्वजनिक स्वरूप का है जिसमें बैंक, विश्वविद्यालय या चर्च भी है, अभिप्रेत है;
- (छ) “संयुक्त उद्यम” पद से ऐसे दो या अधिक पक्षकारों का संयोजन अभिप्रेत है जो लाभ के लिए एकल उद्यम या परियोजना के विकास या परियोजना सहित आधारित और क्रियाशील आधारित वाले इसके विकास से सहयुक्त जोखिमों के भाजन की वांछा करते हैं;

- (ज) “भागीदारी फर्म” पद का वही अर्थ होगा जो भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 (1932 का 9) में उसका है और इसके अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम 2008 (2008 का 6) में यथा परिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी भी है;
- (झ) “सोसाइटी” पद से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभिप्रेत है;
- (9) जहाँ आवेदक देशज स्तनपायी, देशज पक्षियों या देशज पौधों के कुछ नमूने ले जाने के लिए प्रस्ताव शेयर करता है वहाँ ऐसे नमूनों, स्तनपायी पक्षियों या पौधों की संख्या और भाँति का उल्लेख करेगा।
- (10) क्या देशज स्तनपायी, देशज पक्षी, या देशज पौधे भारत में आयात किए जाने हैं उनके आयात का प्रयोजन और आधारभूत व्यवस्था उपदर्शित की जाए।
- (11) अवस्थान का वर्णन, समयावधि और रीति जिसमें बाधा डालना या देशज स्तनपायी, देशज पक्षियों या देशज पौधों के नमूनों को हटाए जाने का प्रस्ताव है, का आवेदन में उल्लेख किया जाएगा।
- (12) क्या आवेदक विशेषतया संरक्षित क्षेत्र या ऐतिहासिक स्थल और संस्मारक में प्रवेश करने या रुक जाने का आशय रखता है, आवेदन में उल्लेख किया जाएगा।
- (13) क्या विशेष रूप से संरक्षित प्रजातियों के साथ हस्तक्षेप करना, ऐसे हस्तक्षेप का प्रयोजन और समयावधि का आवेदन में उल्लेख किया जाएगा।
- (14) जहाँ आवेदक विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र में क्रियाकलाप करने का प्रस्ताव करता है वहाँ आवेदक प्रबंध योजना की एक प्रति उपाप्त करेगा और आवेदन में इसके बारे में उल्लेख करेगा।
- (15) जहाँ आवेदक धारा 9 में निर्दिष्ट किसी गैरदेशज पौधे या जन्तु को, धारा 10 में निर्दिष्ट सूक्ष्म जैव को प्रविष्ट करने का प्रस्ताव करता है या धारा 14 में निर्दिष्ट किसी प्रकार के नमूने को एकत्रित करने का आशय रखता है या किसी मृदा को प्रविष्ट करने का आशय रखता है, वहाँ इसको आवेदन में उल्लिखित किया जाएगा।
- (16) आवेदक, आवेदन के साथ, पर्यावरण समाघात निर्धारण, अपशिष्ट प्रबंध योजना और आपात योजना प्रस्तुत करेगा।

**5. आवेदन की संवीक्षा –** (1) समिति, आवेदन की संवीक्षा करेगी और उसकी ऐसी जांच करेगी जो वह आवश्यक समझे।

(2) उपनियम (1) के अधीन संवीक्षा और जांच के पश्चात्, यदि समिति का यह समाधान हो जाता है कि,-

- (क) आवेदन उपयुक्त है और उसमें उल्लिखित क्रियाकलापों का अंटार्कटिक पर्यावरण पर अल्प या पारगमन समाघात हो सकेगा तो नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर नियम 9 के अधीन अनुज्ञापत्र प्रदान करेगी।
- (ख) आवेदन उपयुक्त है और इसमें उल्लिखित ऐसे क्रियाकलाप से पर्यावरण पर अल्प या पारगमन समाघात होने की युक्तियुक्त आशंका है तो समिति आवेदक से यह अपेक्षा करेगी कि वह आरंभिक पर्यावरण मूल्यांकन करे और धारा 27 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार प्रस्तावित क्रियाकलाप के प्रारंभ से तीन मास पहले समिति को उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
- (3) प्रस्तावित क्रियाकलाप के आरंभिक पर्यावरण मूल्यांकन की समीक्षा किए जाने पर, यदि समिति का यह समाधान हो जाता है कि क्रियाकलापों का पर्यावरण पर अल्प या पारगमन से अधिक समाघात होगा तो यह समीक्षा के लिए व्यापक पर्यावरण मूल्यांकन प्रारूप प्रस्तुत करने के लिए आवेदक को आरंभिक पर्यावरण मूल्यांकन की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर सूचित करेगी।
- (4) व्यापक पर्यावरण मूल्यांकन प्रारूप की प्राप्ति पर, यदि समिति का यह समाधान हो जाता है कि व्यापक पर्यावरण मूल्यांकन प्रारूप सभी प्रकार से उपयुक्त है, तो समिति, इसकी समीक्षा के पश्चात्, अनुमोदन के लिए पर्यावरण संरक्षण समिति को इसे प्रस्तुत करेगी।
- (5) जहाँ पर्यावरण संरक्षण समिति, प्रारूप व्यापक पर्यावरण मूल्यांकन में अधिक सुधार की अपेक्षा करती है, वहाँ आवेदक को तदनुसार कार्य करना होगा और अनुमोदनार्थ प्रस्तावित क्रियाकलापों का अंतिम व्यापक पर्यावरण मूल्यांकन प्रस्तुत करना होगा।

- (6) जहाँ अंतिम व्यापक पर्यावरण मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाता है वहाँ आवेदक को अनुज्ञापत्र पर्यावरण संरक्षण समिति के अंतिम अनुमोदन की प्राप्ति पर ही प्रदान किया जाएगा।
- (7) जहाँ समिति ने यह संप्रेक्षण किया है कि प्रस्तावित क्रियाकलापों से अंटार्कटिक पर्यावरण पर उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या इस नियम के अधीन उपलब्ध कराई गई जानकारी समिति के समाधानप्रद रूप में पर्याप्त नहीं है वहाँ समिति ऐसी अस्वीकृति के लिए उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, आवेदन को अस्वीकार करेगी और इसकी सूचना आवेदक को देगी।

परंतु समिति, आवेदन अस्वीकार करने से पूर्व आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी।

### अध्याय - 3

#### पर्यावरण मूल्यांकन

**6. आरंभिक पर्यावरण मूल्यांकन** – समिति को प्रस्तुत किए जाने वाले आरंभिक पर्यावरण मूल्यांकन में यह निर्धारण करने के लिए पर्याप्त व्यौरें सम्मिलित होंगे कि क्या प्रस्तावित क्रियाकलाप का समाघात अल्प से अधिक या पारगमन हो सकेगा और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे –

- (क) प्रस्तावित क्रियाकलाप, जिसमें इसका प्रयोजन, अवस्थान, अवधि और गहनता भी है, का वर्णन;
- (ख) प्रस्तावित क्रियाकलाप, प्रकृति, विशेष विस्तार, प्रतिवर्तिता या लौटाव, समयांतर, प्रत्यक्ष समाघात, अपरिहार्य समाघात के विकल्प पर विचार करना, जिसमें विद्यमान और ज्ञात नियोजित क्रियाकलाप को ध्यान में रखते हुए संचयी समाघातों पर विचार करना भी सम्मिलित है; और
- (ग) “अंटार्कटिका में पर्यावरण समाघात निर्धारण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत” में यथानिर्दिष्ट कोई अन्य डाटा या जानकारी।

**7. व्यापक पर्यावरण मूल्यांकन** – नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन समिति के निदेशों पर, आवेदक, विचार किए जाने और मूल्यांकन करने के लिए व्यापक पर्यावरण मूल्यांकन प्रारूप प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्नलिखित होगा –

- (क) प्रस्तावित क्रियाकलाप, जिसमें इसका प्रयोजन, अवस्थान, अवधि और गहनता भी है, और क्रियाकलाप के संभव विकल्पों, जिनमें अग्रसर न होने का विकल्प भी है का वर्णन; और इन विकल्पों के परिणाम;
- (ख) आरंभिक पर्यावरण संबंधी निर्देश अवस्था जिसके साथ भविष्यकथित परिवर्तनों की तुलना की जानी भी है और प्रस्तावित क्रियाकलाप के अभाव में भावी पर्यावरण संबंधी निर्देश अवस्था का भविष्य कथन का वर्णन;
- (ग) प्रस्तावित क्रियाकलाप के समाघातों की भविष्यवाणी करने के लिए प्रयोग की गई पद्धतियों और आंकड़ों का वर्णन;
- (घ) प्रस्तावित क्रियाकलाप के संभाव्य प्रत्यक्ष समाघातों की प्रकृति, विस्तार, अवधि और गहनता का प्राक्कलन;
- (ङ) प्रस्तावित क्रियाकलाप के संभव अप्रत्यक्ष या द्वितीय क्रमव्यवस्था समाघातों पर विचार करना;
- (च) विद्यमान क्रियाकलापों और अन्य ज्ञात नियोजित क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित क्रियाकलाप के संचयी समाघातों पर विचार करना;
- (छ) ऐसे उपाय, जिनके अंतर्गत कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग भी है, जो प्रस्तावित क्रियाकलाप के समाघातों को न्यूनीकृत करने या उनका प्रशमन करने के लिए और अप्रकल्पित समाघातों का पता लगाने के लिए किए जा सकते हैं और जो क्रियाकलाप के किसी प्रतिकूल प्रभावों की समय पूर्व चेतावनी उपलब्ध करा सकें और साथ ही ऐसी दुर्घटनाओं से त्वरित रूप से तथा प्रभावी रूप से निपट सकें, की पहचान करना;
- (ज) प्रस्तावित क्रियाकलाप के अपरिहार्य समाघातों की पहचान;
- (झ) वैज्ञानिक अनुसंधान करने पर प्रस्तावित क्रियाकलाप के प्रभावों तथा अन्य विद्यमान उपयोगों तथा महत्वों पर विचार करना;
- (ञ) इन नियमों के अधीन अपेक्षित सूचना संकलित करने में बाधा बने ज्ञान में अंतर तथा अनिश्चितताओं की पहचान करना;
- (ट) सूचना का गैर तकनीकी सार;

- (ठ) व्यक्ति या संगठन का नाम व पता जिसने व्यापक पर्यावरण मूल्यांकन को तैयार किया था और वह पता जिस पर उसके संबंध में टीका-टिप्पणियां भेजी जाएंगी; और
- (ड़) “अंटार्कटिका में पर्यावरण संबंधी समाधात निर्धारण विषयक मार्गदर्शी सिद्धांत” में यथा निर्दिष्ट कोई ऐसा अन्य डाटा या जानकारी।

8. जनता को उपलब्ध कराए जाने वाला व्यापक पर्यावरण मूल्यांकन प्रारूप – (1) आवेदक से व्यापक पर्यावरण मूल्यांकन प्रारूप के प्राप्त हो जाने पर, समिति सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वेबसाइट पर इसे उपलब्ध कराएगी और हितबद्ध या प्रभावित व्यक्तियों से सुझाव या आक्षेप, यदि कोई हों, भेजने का अनुरोध करेगी।

(2) व्यापक पर्यावरण मूल्यांकन प्रारूप को जनता को उपलब्ध करवाते समय, समिति उस प्राधिकारी का नाम और पता स्पष्टतया उपदर्शित करेगी जिसको सुझाव या आक्षेप हितबद्ध या प्रभावित व्यक्तियों द्वारा भेजे जा सकेंगे।

(3) हितबद्ध या प्रभावित व्यक्ति इसे जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर समिति को अपने सुझाव या आक्षेप, यदि कोई हों, भेज सकेंगे।

(4) सुझावों या आक्षेपों, यदि कोई हों, के प्राप्त हो जाने पर, या जहाँ कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है वहाँ समिति आगे प्रक्रिया करने के लिए व्यापक पर्यावरण मूल्यांकन प्रारूप पर विचार करेगी।

(5) जहाँ सुझावों या आक्षेपों पर विचार करने के पश्चात् समिति की यह राय है कि प्रारूप व्यापक पर्यावरण मूल्यांकन में कतिपय उपातरणों या सुधार की आवश्यकता है, वहाँ यह आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आवेदक को सूचित करेगी।

#### अध्याय – 4

#### अनुज्ञापत्र का प्रदान किया जाना और प्रतिसंहरण

9. अनुज्ञापत्र – (1) जहाँ समिति के आवेदन का मूल्यांकन अंतर्वस्तु के बारे में पूर्णतया समाधान हो जाता है और अनुसूची-1 में यथा उल्लिखित ऐसे अनुज्ञापत्र फीस और प्रतिदेय प्रतिभूति निक्षेप की प्राप्ति हो जाती है, वहाँ, यथास्थिति, प्ररूप त-1 से प्ररूप त-4 में आवेदक को अनुज्ञापत्र जारी कर सकेगी।

परंतु जहाँ वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए अभियान, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाता है वहाँ ऐसी सरकार से आवेदन फीस और प्रतिभूति रकम जमा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन जारी अनुज्ञापत्र में –

(क) आवेदक का नाम, पता, व्यवसाय और फोटो;

(ख) अनुज्ञापत्र की अवधि जिसमें जारी करने की तारीख और समाप्ति की तारीख;

(ग) अंटार्कटिका में क्रियाकलाप करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम;

(घ) अंटार्कटिका में क्रियाकलाप करने के लिए प्राधिकृत जलयानों और/या वायुयान का नाम;

(ड़) प्राधिकृत क्रियाकलापों का वर्णन और उस स्थान का विनिर्देश जहाँ इन्हें किया जाना है;

(च) ऐसे देशज स्तनपायी, देशज पक्षियों या देशज पौधों का वर्णन जिनको अंटार्कटिका से हटाने के लिए अनुज्ञापत्र धारक को अनुज्ञात किया गया है; और

(ज) अनुज्ञापत्र की शर्तें।

10. अनुज्ञापत्र की शर्तें – (1) कोई अनुज्ञापत्र धारक–

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि वे सभी व्यक्ति, जिनको अनुज्ञापत्र लागू होता है, अंटार्कटिक पर्यावरण पर अपने क्रियाकलापों के समाधात को सीमित करने के लिए अभिकल्पित प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं;

(ख) ऐसे सभी व्यक्तियों को सूचित करेगा जिनको अधिनियम, इन नियमों के उपबंधों की अपेक्षाएं तथा अनुज्ञापत्र की शर्तें, जिनमें अपशिष्ट प्रबंध योजना और आपात योजना संबंधी अपेक्षाएं भी हैं, लागू होती हैं;

(ग) क्रियाकलाप के क्षेत्र सहित क्रियाकलापों के लिए यात्रावृत्तांत समिति को उपलब्ध कराएगा;

- (घ) यात्रावृत्तांत में किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों, जिनमें ऐसे परिवर्तन के लिए औचित्य सहित अनुसरित किए जाने वाले क्रियाकलाप के क्षेत्र में परिवर्तन भी हैं, के बारे में तथ्यों को समिति के ध्यान में अग्रिम रूप से लाएगा;
- (ङ) अनुज्ञापत्र में उल्लिखित, समय के भीतर समिति को अंटार्कटिका के भीतर किए गए क्रियाकलापों पर लिखित पश्च अभ्यागमन रिपोर्ट (प्ररूप द 1 से प्ररूप द 3) समिति को उपलब्ध कराएगा;
- (च) उक्त लिखित पश्च अभ्यागमन रिपोर्ट में घोषणा करेगा कि अनुज्ञापत्र में सभी शर्तों का पूर्णतया पालन किया गया है और देशज स्तनपायी, पौधों या प्रजातियों तथा अनुज्ञात किए गए नमूनों से भिन्न एकत्रित किसी नमूने या निर्देश के प्रति कोई हानिकर हस्तक्षेप अनुध्यात नहीं है;
- (छ) कोई ऐसी अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराएगा, जिसकी समिति अपेक्षा करे; और
- (ज) अनुज्ञापत्र उपांतरण नहीं करेगा।
- (2) किसी जलयान या वायुयान के लिए जारी किया गया अनुज्ञापत्र जलयान या वायुयान के फलक पर रखा जाएगा।
- (3) उपनियम 1 के खंड (ख) में निर्दिष्ट आपात योजना, -
- (क) ऐसे संभाव्य आपातों, जिनमें मानव स्वास्थ्य पर ऐसा संभाव्य समाधात भी है जो ऐसे क्रियाकलापों से उत्पन्न हों सके, जिनका अनुज्ञापत्र से संबंध है, की पहचान करेगी;
- (ख) संभाव्य आपातों के होने पर सापेक्ष जोखिम के निधारण को सम्मिलित करेगी;
- (ग) पर्यावरण संबंधी आपात के दौरान कार्मिकों के नामों तथा टेलीफोन नंबर का उल्लेख करेगी और उनकी भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों का वर्णन करेगी;
- (घ) आपात मोचन कार्मिकों के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण की पहचान करेगी;
- (ङ) ऐसे उपस्कर को सूचीबद्ध करेगी जो संभाव्य आपातों से निपटने के लिए उपलब्ध होगा और यह उपदर्शित करेगा कि वह वहां अवस्थित है;
- (च) ऐसी प्रक्रियाओं की पहचान करेगी जिनके द्वारा आपात संसाधनों को, जिनमें कार्मिक, उपस्कर, सुविधाएं तथा वित्तीय संसाधन भी हैं, अभिप्राप्त किए जा सकते हैं; और
- (छ) योजना को कार्यान्वित करने, उनका पुनर्विलोकन करने तथा उनको अद्यतन करने के लिए प्रक्रियाएं निर्दिष्ट करेगी।

**11. शर्तों का अनुपालन करने में असफलता -** (1) यदि ऐसा अनुज्ञापत्र धारक या कोई अन्य व्यक्ति जिसको अनुज्ञापत्र लागू होता है, अनुज्ञापत्र की किसी शर्त का अनुपालन करने में असफल रहता है तो अनुज्ञापत्र धारक समिति को -

- (क) ऐसी असफलता की और किसी भी दशा में उस दिन, जिसको अनुपालन करने की असफलता उदभूत होती है, के पश्चात् पन्द्रह दिन के भीतर अविलंब सूचना देगा; और
- (ख) उस दिन, जिसको अनुपालन करने की असफलता उदभूत होती है, के पश्चात् पैंतालीस दिन के भीतर ऐसी लिखित रिपोर्ट देगा जो शर्त को अभिज्ञात कराती हो और अनुपालन करने की असफलता को स्पष्ट करती हो।

(2) जहाँ समिति का यह समाधान हो जाता है कि असफलता तीन दिन से भी अधिक लंबे समय तक चालू रहती है या यह अनुज्ञापत्र धारक या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की ओर से साशय चूक थी, जिसको अनुज्ञापत्र लागू होता है, वहां समिति अनुज्ञापत्र को निलंबित या रद्द कर सकेगी।

(3) जहाँ असफलता, अंटार्कटिक पर्यावरण को उल्लेखनीय नुकसान पहुंचाती है वहां समिति ऐसे नुकसानों के लिए धारा 39 और धारा 49 के अनुसार वसूली का आदेश करेगी।

**12. मांग किए जाने पर अनुज्ञापत्र प्रस्तुत करना -** (1) जब ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि व्यक्ति ने कोई ऐसा क्रियाकलाप किया है या कर रहा है या करने वाला है, जिसके लिए अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अधीन अनुज्ञापत्र अपेक्षित है, तब निरीक्षक या निरीक्षण दल का कोई सदस्य या सन्धि के अनुच्छेद 7 के अधीन पदाभिहित प्रेक्षक अनुज्ञापत्र प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है।



- (2) प्रत्येक अनुज्ञापत्र धारक और प्रत्येक अन्य व्यक्ति जिसको अनुज्ञापत्र लागू होता है, अंटार्कटिका में रहने के दौरान सभी समयों पर अनुज्ञापत्र को अपने पास रखेगा और इसे उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा मांग किए जाने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा।
- (3) जलयान या किसी वायुयान के लिए जारी अनुज्ञापत्र, यथास्थिति, जलयान या वायुयान के फलक पर प्रचालक द्वारा रखा जाएगा और उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा मांग किए जाने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
- (4) (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी को अनुज्ञापत्र प्रस्तुत करने की मांग किए जाने पर, उसका निरीक्षण करने और उसकी प्रति लेने की शक्ति प्राप्त होगी।

**13. अनुज्ञापत्र, का निलंबन या रद्दकरण-(1) जहां समिति को यह प्रतीत हो कि -**

- (क) अनुज्ञापत्र कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा उपाप्त किया गया था;
- (ख) अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन में तात्विक त्रुटि या लोप अन्तर्विष्ट है;
- (ग) अनुज्ञापत्र धारक या इसमें उल्लिखित कोई व्यक्ति या इसमें दिया गया वर्णन अनुज्ञापत्र द्वारा प्राधिकृत किन्हीं क्रियाकलापों को करने के लिए उपयुक्त और उचित व्यक्ति नहीं है;
- (घ) परिस्थितियों में तात्विक परिवर्तन रहा है जिनमें क्रियाकलाप अनुज्ञापत्र द्वारा प्राधिकृत किया गया था;
- (ङ) समिति को, ऐसे क्रियाकलाप के कारण ऐसे पर्यावरण संबंधी समाघात के बारे में ऐसी सूचना प्राप्त हुई, जो अनुज्ञापत्र प्रदान करने के समय उपलब्ध नहीं थी;
- (च) क्रियाकलाप के चालू रहने पर अंटार्कटिक पर्यावरण पर अस्वीकार्य समाघात होना;
- (छ) अनुज्ञापत्र द्वारा प्राधिकृत क्रियाकलाप करना या उसे चालू रखना ऐसे आपात के कारण अवाच्छनीय होगा, जो अनुज्ञापत्र प्रदान करने के पश्चात् उदभूत हुआ है;
- (ज) ऐसा व्यक्ति जिसे अनुज्ञापत्र प्रदान किया गया था या इसमें विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति, अनुज्ञापत्र की किसी तात्विक शर्त का अनुपालन करने के लिए समर्थ नहीं होना;
- (झ) अनुज्ञापत्र की शर्त का भंग हुआ है;
- (ञ) अनुज्ञापत्र धारक का अनुज्ञापत्र या इसकी प्रति को किसी ऐसे व्यक्ति जो इसे धारण करने का हकदार नहीं है, हस्तांतरित करने का तात्पर्य था या उसने उसका कब्जा दे दिया है; या
- (ट) अनुज्ञापत्र या इसकी प्रति विरूपित हो गई है या बदल दी गई है;

वहाँ समिति, इस अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अधीन अनुदत्त किसी अनुज्ञापत्र को जब तक धारा 29 की उपधारा (i) के अधीन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती पूर्णतः या भागतः निलंबित कर सकेगी या रद्द कर सकेगी।

- (2) समिति, उपनियम (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसा करने के लिए अपने आशय की अनुज्ञापत्र धारक को तीस दिन की सूचना देगी और अनुज्ञापत्र धारक द्वारा या उसकी ओर से लिखित में किए गए किसी अभ्यावेदन पर विचार करने के उपरांत अनुज्ञापत्र को निलंबित कर सकेगी या उसे रद्द कर सकेगी।
- (3) यदि, मामले की अत्यावश्यकता के कारण, समिति को इसके लिए ऐसा करना आवश्यक प्रतीत होता है तो समिति नोटिस की तामील किए बिना अनुज्ञापत्र को अनंतिम रूप से निलंबित कर सकेगी किंतु यह किसी ऐसे मामले में उपनियम (2) की अपेक्षा तत्पश्चात् उतनी शीघ्रता से पालन करेगी जितना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो और तब -

- (क) अनुज्ञापत्र के अनंतिम निलंबन को प्रतिसंहत करेगी; या
- (ख) अनुज्ञापत्र को निलंबित या रद्द करेगी।

(4) अनुज्ञापत्र धारक या किसी ऐसे अनुज्ञापत्र को अपने कब्जे या अभिरक्षा में रखने वाला कोई व्यक्ति जिसे इस नियम के अधीन निलंबित या रद्द किया गया है उसे और उसकी किन्हीं प्रतियों को समिति को तुरंत वापस लौटाएगा।

**14. अनुज्ञापत्र का नवीकरण -** (1) जहां अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार किए जाने वाले क्रियाकलाप अभी भी पूरे किए जाने हैं और अनुज्ञापत्र द्वारा प्राधिकृत अवधि समाप्त होने जा रही है तो अनुज्ञापत्र धारक प्राधिकृत अवधि की समाप्ति की तारीख से कम से कम साठ दिन पहले समिति को आवेदन कर सकेगा।

(2) समिति, अनुसूची 1 में यथा उपबंधित नवीकरण फीस के संदाय पर अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रथम बार ऐसे अनुज्ञापत्र को नवीकृत कर सकेगी।

**15. प्रतिभूति प्रतिदाय –** (1) जहां अनुज्ञापत्र-धारक ने अपने उन क्रियाकलापों, जिनके लिए अनुज्ञापत्र अनुदत्त किया गया था, को पूरा कर लिया है और वह, अन्य व्यक्तियों के साथ, जिनको अनुज्ञापत्र लागू होता है, भारत वापस आता है, प्रतिभूति के प्रतिदाय के लिए समिति को आवेदन कर सकेगा।

(2) यदि समिति का प्ररूप द1, प्ररूप द2 या प्ररूप द3 क्रियाकलापों की पश्च अभ्यागमन रिपोर्ट और इस संबंध में प्राधिकृत व्यक्ति की रिपोर्ट के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों का और अनुज्ञापत्र की शर्तों का अतिक्रमण नहीं हुआ था, समिति प्रतिभूति रकम के प्रतिदाय को अनुज्ञापत्र कर सकेगी।

#### अध्याय – 5

#### विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र, समुद्री संरक्षित क्षेत्र, ऐतिहासिक स्थल और संस्मारक तथा संरक्षित प्रजातियां

**16. विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र और प्रजातियां–** (1) इस अधिनियम और इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, अंटार्कटिक विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र, समुद्री संरक्षित क्षेत्र, अंटार्कटिक विशेष रूप से प्रबंधित क्षेत्र और ऐतिहासिक स्थल तथा संस्मारक और संरक्षित प्रजातियां वे होंगी जो अनुसूची 2 में निर्दिष्ट हैं।

(2) कोई भी व्यक्ति समिति से अनुज्ञापत्र या प्राधिकार अभिप्राप्त किए बिना अनुसूची 2 में निर्दिष्ट किसी संरक्षित क्षेत्र, ऐतिहासिक स्थल एवं संस्मारकों में प्रवेश नहीं करेगा।

**17. संरक्षित क्षेत्र के लिए अनुज्ञापत्र –** (1) संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय, आवेदक यह घोषणा करेगा कि वह संरक्षित क्षेत्र की प्रबंध योजना के बारे में जानकारी रखता है और ऐसी प्रबंध योजना की अंतर्वस्तुओं को ध्यान में रखेगा।

(2) संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुदत्त किसी अनुज्ञापत्र में निम्नलिखित का उपबंध होगा–

- (क) विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र में प्रस्तावित क्रियाकलाप का विस्तार और अवस्थान;
- (ख) ऐसे क्रियाकलाप जिन्हें विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र के संबंध में प्राधिकृत किया गया है;
- (ग) किस समय, कहां और किसके द्वारा क्रियाकलाप किए जा सकेंगे;
- (घ) ऐसी कोई अन्य शर्त जिसे प्रबंध योजना द्वारा अधिरोपित किया जाए;
- (ङ) परियोजना संबंधी ब्यौरे;
- (च) अनुज्ञापत्र की वैद्यता; और
- (छ) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, जो अनुज्ञापत्र प्रदान करेगा का नाम, पदाभिधान और संबद्धता।

परंतु वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी समुद्री संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुज्ञापत्र, संरक्षण उपायों में उपदर्शित प्रक्रिया और अंटार्कटिक समुद्री जीव संपदा संरक्षण आयोग की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार अनुदत्त किया जाएगा ;

परंतु यह और कि विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र के लिए, अनुज्ञापत्र केवल ऐसे विवशकारी वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए अनुदत्त किया जा सकेगा जिन्हें अन्यत्र पूरा नहीं किया जा सकता है और जो उस क्षेत्र में प्राकृतिक पारिस्थिति तंत्र को जोखिम में नहीं डालेगा।

**स्पष्टीकरण:—**इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “प्रबंध योजना” से अनुसूची 2 में यथानिर्दिष्ट अंटार्कटिक विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र या समुद्री संरक्षित क्षेत्र या ऐतिहासिक स्थल और संस्मारक की प्रबंध योजना अभिप्रेत है।

**18. विशेष रूप से संरक्षित प्रजातियों के लिए अनुज्ञापत्र अनुदत्त करना –** धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (ii) के परंतुक के उपखंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, समिति, प्रोटोकाल के उपबंध-2 के परिशिष्ट-क में उपवर्णित विशेष रूप से प्रजातियों को ले जाने के लिए केवल तब अनुज्ञापत्र जारी कर सकेगा जब पकड़ा जाना -

- (क) विवशकारी वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए हो;
- (ख) उस प्रजाति की उत्तरजीविता या उसका उद्धार या उस प्रजाति की स्थानिक जनसंख्या को जोखिम में नहीं डालेगा; और
- (ग) गैर-प्राणहर तकनीकों, यदि लागू हों, का प्रयोग करके किया जाता है।

**19. देशज प्रजातियों के पकड़े जाने के लिए अनुज्ञापत्र –** समिति, देशज प्रजातियों के पकड़े जाने के लिए -

- (क) वैज्ञानिक अध्ययन या वैज्ञानिक सूचना के लिए निर्देश उपलब्ध कराने के लिए;
- (ख) संग्रहालयों, वनस्पति संग्रहालय, प्राणि या वनस्पति उद्यानों या अन्य शैक्षिक या सांस्कृतिक संस्थाओं या उनके उपयोगों के लिए निर्देश उपलब्ध कराने के लिए; या
- (ग) अन्य वैज्ञानिक क्रियाकलापों के अपरिहार्य परिणामों के लिए उपबंध करने के लिए, अनुज्ञापत्र प्रदान कर सकेगी।

**20. देशज प्रजातियों के साथ बर्ताव करने की रीति –**(1) समिति, देशज स्तनपायी या पक्षियों को पकड़े जाने के लिए इस शर्त को अनुज्ञापत्र में सम्मिलित करेगी कि इन स्तनपायी या पक्षियों का पकड़ा जाना ऐसी रीति में किया जाएगा जिसमें पीड़ा की मात्रा और उनको पहुंचाई गई व्यवहार्य यातना कम से कम अन्तर्वलित हो।

(2) समिति, नियम 20 के अधीन अनुज्ञापत्र प्रदान करते समय, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोकाल के सभी अन्य पक्षकारों द्वारा प्रदान किए गए अनुज्ञापत्रों पर विचार करेगी कि -

- (क) केवल देशज स्तनपायी या देशज पक्षियों का अल्प संख्या में वध किया जाता है ताकि स्तनपायी और पक्षियों को आने वाले मौसम के दौरान प्रसामान्य प्राकृतिक प्रजनन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सके; और
- (ख) प्रजातियों की विभिन्नता और साथ ही उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक प्राकृतिक वासों और अंटार्कटिका के भीतर विद्यमान पारिस्थितिकी के तंत्रों के संतुलन को बनाया रखा जा सके।

**21. गैर-देशज प्रजातियों के लिए अनुज्ञापत्र –** (1) समिति, प्रोटोकाल के उपाबंध-2 के अनुच्छेद 4 में प्रगणित प्रजातियों के जन्तुओं या पौधों का अंटार्कटिका में प्रवेश अनुज्ञात करने के लिए अनुज्ञापत्र प्रदान कर सकेगी।

(2) समिति, अंटार्कटिका में लाए जाने वाले किसी कुत्ते को अनुज्ञात करने के लिए अनुज्ञापत्र प्रदान नहीं करेगी।

(3) जहां उपनियम (1) के अधीन समिति द्वारा कोई अनुज्ञापत्र प्रदान किया जाता है वहां समिति उक्त अनुज्ञापत्र में निम्नलिखित उपबंध करेगी -

- (क) वे प्रजातियां जिन्हें अंटार्कटिका में प्रवेश दिलाया जा सके;
- (ख) उन प्रजातियों के सदस्यों की संख्या जिन्हें प्रवेश दिया जा सके;
- (ग) सदस्यों की आयु और लिंग जिनकी प्रजातियों को प्रवेश दिलाया जा सके;
- (घ) निम्नलिखित को रोकने के लिए पूर्व सावधानियां -
  - (i) प्रजातियों के सदस्यों का बचकर निकल जाना;
  - (ii) देशज प्राणिजात और वनस्पति वाली प्रजातियों के सदस्यों का कोई संपर्क; और
  - (iii) अंटार्कटिका के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ कोई छेड़ छाड़।

**22. प्रजातियों का हटाया जाना –** अनुज्ञापत्र की तारीख की समाप्ति से पूर्व, अनुज्ञापत्र धारक अंटार्कटिका से निम्नलिखित को हटाएगा -

- (क) कोई पौधा या जन्तु जिसके संबंध में नियम 21 के उपनियम (1) के अधीन कोई अनुज्ञापत्र प्रदान किया गया है और ऐसे पौधे या जन्तु की कोई संतान; और
- (ख) कोई अन्य पौधा या जन्तु जिसे अनुज्ञापत्र धारक ने प्रविष्ट किया है और जो अंटार्कटिका के लिए देशी नहीं है जिसके अंतर्गत किसी ऐसे पौधे या जन्तु की संतान भी है, जब तक पौधा या जन्तु देशज प्राणिजात या वनस्पति या अंटार्कटिका के पारिस्थितिकी तंत्र को कोई जोखिम उत्पन्न नहीं करता हो।

**23. प्रजातियों का निपटान –** अनुज्ञापत्र धारक, अनुज्ञापत्र की तारीख की समाप्ति से पूर्व निम्नलिखित रीति में प्रजातियों का निपटान करेगा; अर्थात:—

- (क) नियम 21 के उपनियम (3) के खंड (क) में किसी निर्दिष्ट मामले में भस्मीकरण द्वारा या समान रूप से प्रभावी साधनों द्वारा जो प्राणिजात और वनस्पति को और अंटार्कटिका के पारिस्थितिकी तंत्र के जोखिम का उन्मूलन करते हैं; और

(ख) नियम 21 उपनियम (3) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी मामले में, भस्मीकरण द्वारा या समान रूप से प्रभावी साधनों द्वारा जो पौधों या जन्तुओं को निष्प्राण बनाते हैं।

24. पौधों और जन्तुओं के अंगों तथा उत्पादों का निपटान – कोई अनुज्ञापत्र धारक ऐसे पौधों और जन्तुओं के सभी अंगों और उत्पादों को रखेगा जिन्हें अंटार्कटिका में नियंत्रित दशाओं में सावधानीपूर्वक प्रवेश कराया जाता है और अनुज्ञापत्र की समाप्ति से पूर्व अनुज्ञापत्र धारक उनका निपटान ऐसी रीति में करेगा जो देशज प्राणिजात और वनस्पति को और अंटार्कटिका के पारिस्थितिकी तंत्र को जोखिम पहुंचाने की आशंका को दूर करेगा।

### अध्याय-6

#### अपशिष्ट का निवारण और निपटान तथा पर्यावरण संबंधी आपात

25. **अपशिष्ट प्रबंधन** – अनुज्ञापत्र धारक, अंटार्कटिका से, उस देश, जिससे अपशिष्ट को उत्पन्न करने वाले क्रियाकलाप आयोजित किए गए थे या ऐसे किसी अन्य देश को जिसमें सुसंगत अन्तर्राष्ट्रीय करारों के निबंधनानुसार अपशिष्ट के निपटान के लिए इंतजाम किए गए हैं, अपशिष्ट को हटवाएगा।

26. **क्षेत्रीय शिविर अपशिष्ट निवारण** - अनुज्ञापत्र धारक निम्नलिखित के लिए क्षेत्रीय शिविर में उत्पन्न अपशिष्ट को हटाने के लिए सभी युक्ति युक्त उपाय करेगा –

(क) स्टेशन या जलयान जिससे क्षेत्रीय शिविर को सहायता मिली है; या

(ख) कोई अन्य स्टेशन या जलयान यदि अनुज्ञापत्र धारक ने निपटान किए जाने वाले अपशिष्ट के लिए व्यवस्था की है।

27. **अपशिष्ट प्रबंध योजना** - (1) स्टेशन के प्रचालन या अनुरक्षण का प्रधान, धारा 27 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार अपशिष्ट प्रबंध योजना और आपात योजना तैयार करेगा।

(2) अधिनियम और तदधीन बनाए गए इन नियमों के उपबंधों के अधीन अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करने कोई व्यक्ति समिति को अपने आवेदन के साथ अपशिष्ट प्रबंध योजना प्रस्तुत करेगा।

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अपशिष्ट प्रबंध योजना, ऐसे क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न सभी अपशिष्ट को लागू होगी जिससे अनुज्ञापत्र का संबंध है, जिसमें जलयानों, वायुयान, स्टेशनों और क्षेत्रीय शिविरों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट भी है।

(4) उक्त अपशिष्ट प्रबंध योजना में –

(क) कमी, पुनः उपयोग में लाना, सुरक्षित भंडारण, उन क्रियाकलापों जिनसे अनुज्ञापत्र संबंधित है, से उत्पन्न अपशिष्ट का निवारण और निपटान के लिए उपाय भी हैं और साथ ही इन शर्तों का अनुपालन करने के लिए अनुज्ञापत्र धारक द्वारा वचन भी सम्मिलित होंगे।

(ख) इसमें यह सम्मिलित होगा करेगा कि अनुज्ञापत्र धारक अंटार्कटिका में उत्पन्न हुए या निपटान किए गए अपशिष्ट की मात्रा को न्यूनीकृत करने के लिए युक्तियुक्त उपाय करेगा।

(ग) चालू और नियोजित अपशिष्ट प्रबंधन उपायों को, जिनमें अंतिम निपटान के लिए उपाय भी हैं, सम्मिलित करेगा।

(घ) अंटार्कटिक पर्यावरण पर अपशिष्ट और अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए चालू और नियोजित उपायों को सम्मिलित करेगा।

(ङ) अंटार्कटिक पर्यावरण पर अपशिष्ट और अपशिष्ट प्रबंधन के किन्हीं नकारात्मक प्रभावों को न्यूनीकृत करने के लिए अन्य उपायों को सम्मिलित करेगा; और

(च) अपशिष्ट के अभिलेखन के लिए प्रयुक्त पद्धति को सम्मिलित करेगा।

28. **अपशिष्ट का वार्षिक पुनर्विलोकन** – जहां एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए अनुज्ञापत्र प्रदान किया जाता है वहां, अनुज्ञापत्र के प्रदान किए जाने की एक वर्ष की अवधि के पूरा होने के पश्चात् तीस दिन के भीतर, अनुज्ञापत्र धारक अपनी अपशिष्ट प्रबंध योजना का पुनर्विलोकन करेगा और उसे अद्यतन करेगा तथा समिति को वर्गीकृत अपशिष्ट अद्यतन योजना की प्रति उपलब्ध कराएगा।

**29. अपशिष्ट का वर्गीकरण** – नियम 28 के अधीन अपशिष्ट प्रबंध योजना का पुनर्विलोकन करने और उसे अद्यतन करने के पश्चात् अनुज्ञप्ति धारक निम्नलिखित रूप में क्रियाकलापों की प्रक्रिया में उत्पन्न हुए अपशिष्ट का वर्गीकरण करेगा –

- (क) मलजल और घरेलू तरल अपशिष्ट – समूह -1;
- (ख) अन्य तरल अपशिष्ट और रसायन जिसमें ईंधन और स्नेहक भी हैं – समूह-2;
- (ग) दहन किए जाने वाले ठोस पदार्थ – समूह -3;
- (घ) अन्य ठोस अपशिष्ट- समूह -4; और
- (ङ) रेडियोधर्मी सामग्री – समूह -5 ।

**30. हटाए जाने वाले अपशिष्ट का प्रकार**– किसी अनुज्ञापत्र की समाप्ति से पूर्व, अनुज्ञापत्र धारक निम्नलिखित अपशिष्ट को अंटार्कटिका से तब हटाएगा जब उन्हें उसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है -

- (क) रेडियोधर्मी सामग्री;
- (ख) उपयोग की गई या खर्च की गई विद्युत बैटरियां;
- (ग) ठोस पदार्थ और तरल ईंधन;
- (घ) ऐसा अपशिष्ट जिसमें भारी धातु या विषैला स्थायी जैव मिश्रण भी है;
- (ङ.) पालि विनायल क्लोराइड पालियूरेथेन फोम, पालिस्टर फोम, रबड़, इलैक्ट्रॉनिक स्क्रेप, स्नेहक तेल, उपचारित काष्ठ या काष्ठ उत्पाद और अन्य उत्पाद जिनमें ऐसे योजक अन्तर्विष्ट हों जो, यदि भस्म किया जाए हानिकारक उत्सर्जन उत्पन्न कर सके;
- (च) सभी अन्य प्लास्टिक अपशिष्ट सिवाय इसके कम घनत्व पोलिथीन आधानों के जिनमें भंडारण अपशिष्ट के लिए थैले भी हैं;
- (छ) ईंधन पीपा, सिवाय यदि उनके निवारण का परिणाम उनके विद्यमान अवस्थानों में उन्हें छोड़ने की अपेक्षा अधिक प्रतिकूल पर्यावरण संबंधी समाघात होगा;
- (ज) अन्य ठोस पदार्थ, गैर ज्वलनशील अपशिष्ट सिवाय इसके यदि उनके हटाए जाने का परिणाम उनके विद्यमान अवस्थानों में उन्हें छोड़ने की अपेक्षा अधिक प्रतिकूल पर्यावरण संबंधी समाघात होगा; और
- (झ) भस्मक में जलाए गए ज्वलनशील अपशिष्ट के ठोस अवशिष्ट ।

**31. द्रव्य अपशिष्ट का हटाया जाना** – अनुज्ञापत्र धारक, धारा 35 में उपबंधित रीति में अनुज्ञापत्र की समाप्ति से पूर्व मल जल और घरेलू तरल अपशिष्ट सहित तरल का उपचार करेगा और उसका निपटान करेगा ।

**32. अन्य अपशिष्ट का हटाया जाना** – अनुज्ञापत्र की समाप्ति से पूर्व, अनुज्ञापत्र धारक अंटार्कटिका से निम्नलिखित अपशिष्ट तभी हटाएगा जब उन्हें भस्मित कर दिया जाता है, भाप विसंक्रामकित कर दिया जाता है या अन्यथा निष्प्राण किए जाने के रूप में उपचारित किया जाता है –

- (क) आयातित जन्तुओं के शवों के अवशेष;
- (ख) सूक्ष्म जीवों के प्रयोगशाला संवर्धन तथा पौधा रोगजनक; और
- (ग) प्रविष्ट किए गए पक्षी उत्पाद ।

**33. ज्वलनशील अपशिष्ट का भस्मीकरण** – (1) अनुज्ञापत्र की समाप्ति से पूर्व, अनुज्ञापत्र धारक उस ज्वलनशील अपशिष्ट से भिन्न सभी ज्वलनशील अपशिष्ट, जिसे अंटार्कटिका से हटाया जा सकता है, जलाएगा ।

(2) भस्मीकरण की प्रक्रिया में, अनुज्ञापत्र धारक ऐसे भस्मीकारकों का, जो अनुसूची तीन में निर्दिष्ट उत्सर्जन मानकों को और पर्यावरण संरक्षण और अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक संबंधी समिति द्वारा सिफारिश किए गए मैनुअल में निर्दिष्ट प्रक्रिया को पूरा करते हैं, उपयोग करेगा।

**34. मलजल और घरेलू तरल अपशिष्ट का निपटान** – मल जल और जलयान घरेलू तरल अपशिष्ट से भिन्न मल जल या घरेलू तरल अपशिष्ट का समुद्र में सीधे ही निपटान किया जाएगा यदि, -

- (क) मलजल या अपशिष्ट ऐसे स्टेशन पर उत्पन्न किया जाता है जिसमें दक्षिणी ग्रीष्म के दौरान कम से कम तीस व्यक्तियों का औसत साप्ताहिक ठहराव होता है ;

(ख) मल जल या अपशिष्ट को इसके निपटान किए जाने से पूर्व भिगोकर नरम किया जाता है ;

(ग) मलजल या अपशिष्ट को समुद्र में ऐसे स्थान पर निस्सारित करने के लिए सभी युक्तियुक्त उपाय किए जाते हैं जहां मलजल और अपशिष्ट के तनुकरण और विसर्जन की ऐसी दशाएं विद्यमान हैं;

(घ) बहिःस्राव पैरामीटर अनुसूची 3 में निर्दिष्ट मानकों के अनुसार हैं ।

**35. उपचारित मलजल** – घूर्णी जैविक मेलक या किसी वैसे ही मलजल प्रसंस्करण तंत्र और संभवतया तृतीया उपचार यूनिट द्वारा उपचारित, जलयान से निकले मलजल से भिन्न मलजल के उपोत्पाद का निपटान समुद्र में किया जा सकेगा, यदि निपटान –

(क) स्थानीय पर्यावरण पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव नहीं डालता है; और

(ख) प्रोटोकाल के उपाबंध- 3 के अनुसार है ।

**36. उत्सर्जन मानक** – अनुसूची 3 में निर्दिष्ट उत्सर्जन मानक केवल भारत में विनिर्दिष्ट मशीनरियों, उपस्करों और यानों को लागू होंगे, किंतु आयातित मशीनरियों, उपस्करों और यानों के लिए यान, मशीनरियों से उत्पन्न सभी उत्सर्जन के लिए, उदभव के देश के मानक लागू होंगे और उतना जितना व्यवहार्य रूप से संभव है, से कम होगा ।

**37. आपात योजना** – (1) स्टेशन, जलयान और वायुयान की आपात योजना इस विषय पर सन्धि के अनुसरण में स्थापित राष्ट्रीय अंटार्कटिक कार्यक्रम की प्रबंधक परिषद के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार तैयार की जाएगी ।

(2) अंटार्कटिका में क्रियाकलाप करने के दौरान आपात की दशा में, अनुज्ञापत्र धारक अविलंब, अंटार्कटिका में पर्यावरण आपात के मोचन में किए गए सभी उपायों के बारे में समिति को सूचित करेगा ।

(3) समिति, सभी पक्षकारों तथा पर्यावरण संरक्षण संबंधी समिति को उपनियम (1) के अधीन प्राप्त सूचना को परिचालित करेगी ।

**38. प्रत्येक निवारण और निपटान के अभिलेख का रखरखाव** – (1) अनुज्ञापत्र धारक अपशिष्ट, जिसमें जलयान से मलजल निस्सारण भी है, के प्रत्येक निवारण और निपटारे को अभिलिखित करेगा और उसका अभिलेख बनाए रखेगा ।

(2) जहां अनुज्ञापत्र एक वर्ष से अधिक की अवधि, जिसमें अनुज्ञापत्र के किसी नवीकरण की अवधि भी है, के लिए अनुदत्त किया जाएगा, वहां अनुज्ञापत्र धारक सभी निवारणों और निपटानों के और ऐसे अवस्थानों जहां अपशिष्ट अनुज्ञापत्र प्रदान करने के एक वर्ष पूरा होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर और अनुज्ञापत्र की समाप्ति की तारीख से तीस दिन पहले भी, अंटार्कटिका में भस्मित किया गया है या अन्यथा उसका निपटान किया गया है, के व्यौरे समिति को प्रस्तुत करेगा ।

**39. पर्यावरण आपात के लिए मोचन कार्रवाई का खर्च**—जहां प्रचालक द्वारा या किसी दल द्वारा कोई मोचन कार्रवाई नहीं की जाती है, वहां प्रचालक ऐसे खर्च और शास्ति के लिए दायी होगा जो अंटार्कटिक संधि के पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रोटोकाल के उपाबंध 6 में निर्दिष्ट है ।

**40. अन्य अन्तर्राष्ट्रीय बाध्यताएं** – (1) प्रचालक यह सुनिश्चित करने के लिए वचन देगा कि अंटार्कटिका या कन्वेशन क्षेत्र में प्रवेश के लिए प्रदान किए गए अनुज्ञापत्र वाला जलयान प्रचालक के देश का ध्वज और चार्टर्ड पक्षकार का राष्ट्रीय ध्वज लगाएगा ।

(2) अंटार्कटिक या कन्वेशन क्षेत्र में प्रवेश करने वाला प्रत्येक जलयान निम्नलिखित के प्रतिधारण के लिए फलक पर पर्याप्त क्षमता के टैंको से सज्जित होगा –

(क) गाढा कीचड़;

(ख) गन्दा कंकड वाला जल;

(ग) टैंक की धुलाई का जल;

(घ) तेल अपशिष्ट और मिश्रण;

(ङ) कूड़ा कचरा;

(च) हानिकारक तरल पदार्थ ।

उपरोक्त अपशिष्ट को निस्सारित करने या उसका निपटान करने के लिए उसमें व्यवस्था होगी ।

### अध्याय 7

#### पदावधि और नामनिर्देशित सदस्यों के भत्ते तथा समिति की बैठकों में प्रक्रिया ।

**41. अध्यक्ष और पदेन सदस्यों की पदावधि** – (1) अध्यक्ष और पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक वह उस पद को धारण करता है, जिसके आधार पर वह अध्यक्ष या पदेन सदस्य है ।

(2) नामनिर्देशित सदस्य की पदावधि उसकी अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की होगी ।

(3) नाम निर्देशित सदस्य अगली एक अवधि के लिए पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा ।

(4) नामनिर्देशित सदस्य अपने हस्ताक्षर से केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और उसका त्यागपत्र उस तारीख से, जिसको इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है या केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित संसूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, प्रभावी होगा।

(5) नामनिर्देशित सदस्य को, केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके पद से तभी हटाया जा सकेगा जब वह –

(क) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या

(ख) शोधन अक्षमता या दिवालिया हो गया है; या

(ग) नैतिक अधमता को अंतर्वर्तित करने वाले किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है; या

(घ) अध्यक्ष से अनुपस्थिति की अनुमति लिए बिना समिति की तीन लगातार बैठकों से स्वयं अनुपस्थित रहता है; या

(ङ) समिति की राय में, अपने कर्तव्यों का समाधानप्रद रूप में पालन करने में असफल रहा है या असमर्थ रहा है:

परंतु हटाए जाने का आदेश जारी करने से पूर्व, समिति ऐसे सदस्य को मामले में सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी ।

(6) धारा 23 की उपधारा (I) के खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन नामनिर्देशित सदस्यों में एक सदस्य महिला हो सकेगी।

#### 42. नामनिर्देशित सदस्य को संदेय भत्ते:

(1) किसी नामनिर्देशित सदस्य को, यदि वह सरकार या राज्य सरकार या किसी भी कानूनी निकाय की सेवा में नहीं है, समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए प्रतिदिन छह हजार रूपए के भत्ते का संदाय किया जाएगा ।

(2) नामनिर्देशित सदस्य बैठक स्थान तक अपनी आने जाने की यात्रा के लिए ऐसे भत्ते के लिए हकदार होगा जो सरकार के संयुक्त सचिव को अनुज्ञेय हो ।

#### 43. समिति की बैठकों की प्रक्रिया:

(1) समिति एक कैलेन्डर वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी।

(2) समिति की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और उसकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जाएगी।

(3) समिति की बैठक की गणपूर्ति इसकी कुल संख्या के पचास प्रतिशत से होगा ।

स्पष्टीकरण: इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, कुल संख्या में अध्यक्ष या सदस्य, जिनके स्थान रिक्त हैं, सम्मिलित नहीं होंगे ।

(4) जहां समिति की बैठक गणपूर्ति के अभाव में नहीं हो सकी थी, वहां बैठक अगले सप्ताह के लिए स्वतः उसी दिन, उसी समय पर और स्थान के लिए स्थगित हो जाएगी या यदि वह दिन राष्ट्रीय अवकाश है तो आगामी उत्तरवर्ती दिन तक, जो राष्ट्रीय अवकाश नहीं है, उसी समय पर और उसी स्थान पर आयोजित की जाएगी ।

(5) समिति की बैठक के समक्ष उठाया गया प्रत्येक प्रश्न उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा और उस बैठक में मतदान द्वारा, जिसके समक्ष मामला लाया जाता है, विनिश्चित किया जाएगा ।

(6) मत बराबर होने की दशा में, बैठक की अध्यक्षता करने वाले, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य का गौण या निर्णायक मत होगा ।

(7) सदस्य सचिव, अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से, समिति बैठक बुलाएगा ।

(8) बैठक की सूचना कार्यसूची के साथ, बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व अध्यक्ष और सदस्यों की समिति के पास रजिस्ट्रीकृत पते पर परिदत्त की जाएगी।

(9) बैठक की सूचना और कार्यसूची दस्ती परिदान या डाक द्वारा या इलैक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा भेजी जाएगी।

(10) समिति की बैठकों में किए गए कार्य का अभिलेख सदस्य सचिव द्वारा तैयार किया जाएगा और इसे ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष या सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

**44. आकस्मिक रिक्ति का भरा जाना:**(1) जहां नामनिर्देशित सदस्य का पद सामान्य अनुक्रम में उसकी पदावधि समाप्त होने से पहले रिक्त हो जाता है, वहां पारिणामिक आकस्मिक रिक्ति धारा 23 में निर्दिष्ट रीति में सरकार द्वारा भरी जाएगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन इस प्रकार नियुक्त कोई व्यक्ति अपना पद केवल उस तारीख तक धारण करेगा जिस तक वह सदस्य, जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नामनिर्देशित किया गया है, पद धारण किया होता यदि पद रिक्त नहीं हुआ होता।

## अध्याय 8

### अंटार्कटिक निधि का रखरखाव और प्रशासन।

#### 45. निधि का रखरखाव और प्रशासन —

(1) समिति की सभी प्राप्तियां अंटार्कटिक निधि में जमा की जाएंगी और समिति के सभी संदाय इसमें से किए जाएंगे।

(2) समिति को, इस अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समिति के सभी प्रशासनिक और अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों पर तथा प्रयोजनों के लिए खर्चों को पूरा करने हेतु राशि खर्च करने की शक्ति होगी और ऐसी राशि समिति की निधि में से व्यय के रूप में समझी जाएगी।

(3) समिति के खाते में जमा सभी धनराशियां जिन्हें उपनियम (2) में उपबंध किए गए अनुसार तुरंत अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, -

(क) भारतीय स्टेट बैंक या किसी अन्य अनुसूचित बैंक में जमा की जाएंगी; और

(ख) सरकार की प्रतिभूतियों में विनिधान की जाएंगी।

**स्पष्टीकरण**—इस उपनियम में, “अनुसूचित बैंक” पद का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 2 के खंड (ड) में उसका है।

46. समिति, अंटार्कटिका में भारतीय स्टेशनों, ऐतिहासिक स्थलों तथा संस्मारकों और विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्रों में विद्यमान सुविधाओं या सेवाओं का विस्तार करने या नई सुविधाएं या सेवाएं सृजित करने के प्रयोजनों के लिए ऐसी रकमों को आरक्षित निधि के रूप में अलग से रखेगी।

**47. वार्षिक वित्तीय प्राक्कलनों को तैयार करना** — (1) समिति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, आने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों के कार्यक्रम का विवरण तथा उसके संबंध में वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन तैयार किया गया विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से कम से कम तीन मास पहले सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) समिति का विवरण और वित्तीय प्राक्कलन, सरकार के अनुमोदन से, समिति द्वारा पुनरीक्षित किए जा सकेंगे।

**48. लेखाओं और अभिलेख का रखरखाव** — (1) समिति, उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख बनाए रखेगी और लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगी जिसमें लाभ और हानि लेखा तथा इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 3 में तुलनपत्र भी है।

(2) धारा 52 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार, समिति के लेखाओं की संपरीक्षा वार्षिक रूप से भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय समिति द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित समिति के लेखे, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक रूप से केन्द्रीय सरकार को भेजे जाएंगे और सरकार उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।



## अध्याय - 9

## निरीक्षण

49. निरीक्षक की अर्हताएं और अनुभव - (1) ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हैं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक के रूप में पदाभिहित किया जाएगा; अर्थात:-

- (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान या विधि में मास्टर डिग्री; या
- (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि;
- (ग) खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट उपाधि प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में सात वर्ष का नियमित अनुभव रखते हो, -
  - (i) स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षण;
  - (ii) अनुसंधान और विकास;
  - (iii) सर्वेक्षण;
  - (iv) प्रशासन; या
  - (v) पर्यवेक्षण।

## 50. निरीक्षण की रीति -

(1) समिति, निरीक्षण दल से मिलकर बने प्रेक्षकों के नाम और अन्य विशिष्टियां विदेश मंत्रालय के माध्यम से अग्रिम रूप से अन्य पक्षकार या पक्षकारों को संसूचित करेगी।

(2) निरीक्षण दल को अंटार्कटिका के किसी या सभी क्षेत्रों में किसी भी समय पहुंच की स्वतंत्रता होगी।

(3) अंटार्कटिका के सभी क्षेत्र, जिनमें उन क्षेत्रों के भीतर सभी स्टेशन, संस्थापन और उपस्कर भी हैं, अंटार्कटिका में सामान के उतराई या लदाई के स्थानों पर सभी पोत और वायुयान या कार्मिक निरीक्षण दल के प्रेक्षक द्वारा निरीक्षण के लिए सभी समय खुले होंगे।

(4) निरीक्षण दल के प्रेक्षकों के पास अंटार्कटिका के किसी या सभी क्षेत्रों में किसी भी समय हवाई संप्रेक्षण करने का प्राधिकार होगा।

(5) जलयान का निरीक्षण करने वाले निरीक्षण दल के संप्रेक्षकों को निम्नलिखित का प्राधिकार होगा -

- (क) पक्षकार के ध्वज को उड़ाने वाले जलयान का ही निरीक्षण करने;
- (ख) अंटार्कटिक संधि के अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7(3) के निबंधनानुसार निरीक्षण करने; या
- (ग) उन जलयानों का निरीक्षण करना जो पक्षकारों के अलावा, भाड़े पर लिये गये हैं, जलयान के स्वामी की सहमति से ही किया जाएगा।

(6) निरीक्षण दल उन पक्षकारों को निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिनके स्टेशनों, संस्थापनों, उपस्करों, जलयान या वायुयान का निरीक्षण किया गया है।

(7) निरीक्षण, अनुसूची 4 में दी गई अपेक्षाओं के अनुसार किया जाएगा।

51. विश्लेषक की अर्हताएं और अनुभव: इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पदाभिहित विश्लेषक के पास निम्नलिखित होगा -

- (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में मास्टर डिग्री और शोध तथा विश्लेषण और यंत्रों के प्रबंधन में सात वर्ष का अनुभव; या
- (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री और शोध तथा विश्लेषण एवं यंत्रों के प्रबंधन में सात वर्ष का नियमित अनुभव।

**अनुसूची 1**

[नियम 4 का उपनियम (6), नियम 9 का उपनियम (1) और नियम 14 का उपनियम (2) देखें]

**अनुज्ञापत्र आवेदन के लिए रकम और प्रतिभूति निक्षेप**

किसी व्यक्ति, भारतीय अंटार्कटिक अभियान, जलयान, वायुयान, कंपनी, समूह, संगम संयुक्त उद्यम, संगठन, संस्थान या वाणिज्यिक मत्स्यन आपरेटर द्वारा जमा की जाने वाली आवेदन फीस और किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप।

क्र०सं०	विशिष्टियां	अनुज्ञापत्र प्रदान करना और नवीनीकरण फीस (रु० में)	प्रतिभूति निक्षेप
1	अंटार्कटिक अभियान, समूह कंपनी, संयुक्त उद्यम, संगठन, संस्थान	प्रत्येक प्रतिभागी के लिए पांच हजार रु०	अभियान पर कुल व्यय का पांच प्रतिशत
2	जलयान	दो लाख रु० प्रति जलयान	अभियान पर कुल व्यय का दस प्रतिशत
3	वायुयान	दो लाख रु० प्रति वायुयान	अभियान पर कुल व्यय का दस प्रतिशत
4	वाणिज्यिक मत्स्य कार्य	अंटार्कटिका या कन्वेशन क्षेत्र में एक बार प्रवेश करने के लिए दो लाख रु० प्रति जलयान और अतिरिक्त फीस या संदाय जो अंटार्कटिक समुद्री जीव संपदा संरक्षण आयोग द्वारा प्रमाणित किया जाए।	अभियान पर कुल व्यय का दस प्रतिशत

\*टिप्पण – प्रतिभूति का प्रतिदाय नियम 15 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

**अनुसूची 2**

(नियम 16 का उपनियम (1) और उपनियम (2) तथा नियम 17 के उपनियम (2) का स्पष्टीकरण देखें)

अंटार्कटिक विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र, समुद्री संरक्षित क्षेत्र, विशेष रूप से संरक्षित प्रजातियां, अंटार्कटिक विशेष रूप से प्रबंधित क्षेत्र और ऐतिहासिक स्थल एवं संस्मारक

**भाग-1**

अंटार्कटिक विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र

संख्या	नाम	पूर्व संख्या	प्रस्तावक
एएसपीए 101	टेलर रूकेरी मैक राबर्टसन लैंड	एसपीए 1	आस्ट्रेलिया
एएसपीए 102	रूकरी आइसलैंड, होलमे बे, मैक राबर्टसन लैंड	एसपीए 2	आस्ट्रेलिया
एएसपीए 103	आर्डेरी आइसलैंड और ओडबर्ट द्वीप, बड कोस्ट, विल्कीज लैंड ईस्ट अंटार्कटिका	एसपीए 3	आस्ट्रेलिया
एएसपीए 104	द्वीप आइसलैंड, बलेने द्वीप	एसपीए 4	न्यूजीलैंड
एएसपीए 105	बूफोर्ट आइसलैंड मैकमरडो साउंड, रोस सी	एसपीए 5	न्यूजीलैंड
एएसपीए 106	कैप हैलेट, उत्तरी विक्टोरिया लैंड, रोस सी	एसपीए 7	यूनाइटेड स्टेट
एएसपीए 107	एम्परर द्वीप, डियान द्वीप, मारगुराईट बे, अंटार्कटिक पेनिनसुला	एसपीए 8	यूनाइटेड किंगडम
एएसपीए 108	ग्रीन द्वीप, बर्थेलाट द्वीप, अंटार्कटिक पेनिनसुला	एसपीए 9	यूनाइटेड किंगडम
एएसपीए 109	मोई द्वीप, दक्षिणी ओरकने द्वीप	एसपीए 13	यूनाइटेड किंगडम
एएसपीए 110	लिंच द्वीप दक्षिणी ओरकने द्वीप	एसपीए 14	यूनाइटेड किंगडम

संख्या	नाम	पूर्व संख्या	प्रस्तावक
एएसपीए 111	दक्षिणी पोवेल द्वीप और समीपस्थ द्वीप दक्षिणी ओरकने द्वीप	एसपीए 15	यूनाइटेड किंगडम
एएसपीए 112	कापरमाइन पेनिनसुला, राबर्टसन द्वीप, दक्षिणी सेलैंड द्वीप	एसपीए 16	चिली
एएसपीए 113	लिचफील्ड द्वीप आर्थर हाबर्, एनर्वस द्वीप पालमर, आरकीपेलागो	एसपीए 17	यूनाइटेड स्टेट
एएसपीए 114	उत्तरी कोरोनेशन द्वीप, दक्षिणी ओरकने द्वीप	एसपीए 18	यूनाइटेड किंगडम
एएसपीए 115	लेगोटेलेरी द्वीप, बे मार्गुअरीट, ग्राहम लैंड	एसपीए 19	यूनाइटेड किंगडम
एएसपीए 116	न्यू कालेज वेली, केफले बीच, कैप बंड, रोस द्वीप	एसएसएसआई 10 एसपीए 20	न्यूजीलैंड
एएसपीए 117	एवियन द्वीप, बे, अंटार्कटिक पेनिनसुला	एसएसएसआई 30 एसपीए 21	यूनाइटेड किंगडम
एएसपीए 118	माउंट मेलबर्न चोटी, विक्टोरिया लैंड	एसएसएसआई 24 एसपीए 22	न्यूजीलैंड
एएसपीए 119	डेविस वेली और फोर्लिडासपोंड, डूफेक मैसीफ पेनसाकोला पर्वत	एसपीए 23	यूनाइटेड स्टेट
एएसपीए 120	प्वान्ट जियोलोजी, आरकी पेलागो, टेरे अडेली	एसपीए 24	फ्रांस
एएसपीए 121	केप रोयडस, रोस द्वीप	एसएसएसआई 1	यूनाइटेड स्टेट
एएसपीए 122	एराइवल चिन्ह पेनिनसुला, रोस द्वीप	एसएसएसआई 2	यूनाइटेड स्टेट
एएसपीए 123	बार्विक और बालहम वेली, दक्षिणी विक्टोरिया लैंड	एसएसएसआई 3	यूनाइटेड स्टेट
एएसपीए 124	कैप करोजीर, रोस वैली	एसपीए 6 – एसएसएसआई 4	यूनाइटेड स्टेट
एएसपीए 125	फिल्डेस पेनिनसुला, किंग जार्ज द्वीप 25 डी मायो	एसपीए 12 – एसएसएसआई 5	चिली
एएसपीए 126	वायर्स पेनिनसुला, दक्षिणी सेटलैंड द्वीप	एसपीए 10 – एसएसएसआई 6	चिली स्पेन, यूनाइटेड किंगडम
एएसपीए 127	हासवेल द्वीप	एसएसएसआई 7	रूसी परिसंघ
एएसपीए 128	पश्चिमी नावाधिकरण बे, किंग जार्ज द्वीप दक्षिणी शेटलैंड द्वीप	एसएसएसआई 8	पोलैंड
एएसपीए 129	रोठेरा प्वान्ट, एडीलेड द्वीप	एसएसएसआई 9	यूनाइटेड किंगडम
एएसपीए 130	ट्रामवे रिजमाउंट, एरेबस पर्वत, रोस द्वीप	एसएसएसआई 11	न्यूजीलैंड
एएसपीए 131	कनाडा ग्लेसियर, लेक फ्राइक्सेल, टेलर वेली, विक्टोरिया लैंड	एसएसएसआई 12	न्यूजीलैंड
एएसपीए 132	पोटर पेनिनसुला, किंग जार्ज द्वीप (इस्ला 25 डी मायो) दक्षिणी शेटलैंड द्वीप	एसएसएसआई 13	अर्जेंटीना
एएसपीए 133	हारमोनी प्वान्ट, नेलसन द्वीप, दक्षिणी शेटलैंड द्वीप	एसएसएसआई 14	अर्जेंटीना, चिली
एएसपीए 134	सीरवा प्वान्ट और आफशोर द्वीप डानको कोस्ट, अंटार्कटिक पेनिनसुला	एसएसएसआई 15	अर्जेंटीना
एएसपीए 135	उत्तरी-पश्चिमी पूर्वी बैली पेनिनसुला बड्ड कास्ट, बिल्केस लैंड	एसएसएसआई 16	आस्ट्रेलिया
एएसपीए 136	क्लार्क पेनिनसुला, बुड कास्ट, विल्की लैंड, पूर्वी अंटार्कटिका	एसएसएसआई 17	आस्ट्रेलिया

संख्या	नाम	पूर्व संख्या	प्रस्तावक
एएसपीए 137	उत्तर-पश्चिमी श्वेत द्वीप	एसएसएसआई 18	यूनाइटेड स्टेट
एएसपीए 138	लिनुएस टेरास, एजगार्ड रेज, विक्टोरिया लैंड	एसएसएसआई 19	यूनाइटेड स्टेट
एएसपीए 139	बिसको प्वाइंट, अनवरस द्वीप, पाल्मेर आर्कोपेलागो	एसएसएसआई 20	यूनाइटेड स्टेट
एएसपीए 140	पार्टस आफ डिसेप्सन दक्षिणी शेटलैंड द्वीप	एसएसएसआई 21	यूनाइटेड किंगडम
एएसपीए 141	युकिडोरी वेली, लेंग होवडे लूतजो-होल्म बे	एसएसएसआई 22	जापान
एएसपीए 142	स्वार्तमारेन	एसएसएसआई 23	नार्वे
एएसपीए 143	मेरीन प्लेन, मुले पेनिनसुला, वेस्टफोल्ड हिल्स प्रिन्सेस एलिजाबेथ लैंड	एसएसएसआई 25	आस्ट्रेलिया
एएसपीए 144	चिली (डिस्कवरी बे) ग्रीनवीच द्वीप दक्षिणी शेटलैंड द्वीप	एसएसएसआई 26	चिली
एएसपीए 145	पोर्ट फोस्टर, डिस्पेशन द्वीप, दक्षिणी शेटलैंड द्वीप	एसएसएसआई 27	चिली
एएसपीए 146	दक्षिणी बे, डोमेर द्वीप, पालमेर आर्की पेलागो	एसएसएसआई 28	चिली
एएसपीए 147	एबलेशन वेली एंड गेनीमेडी हाईट, एलेक्जेंडर द्वीप	एसएसएसआई 29	यूनाइटेड किंगडम
एएसपीए 148	माउंट फ्लोरा, होप बे, अंटार्कटिक पेनिनसुला	एसएसएसआई 31	अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम
एएसपीए 149	केप शरीफ ओर सैन टेलमो द्वीप, लिविंगस्टोन द्वीप दक्षिणी शेटलैंड द्वीप	एसपीए 11 – एसएसएसआई 32	यूनाइटेड स्टेट
एएसपीए 150	अरडले द्वीप मैक्सवैल बे, किंग जार्ज द्वीप, (25डीमायो)	एसएसएसआई 33	चिली
एएसपीए 151	लायन्स रम्प, किंग जार्ज द्वीप, दक्षिणी शेटलैंड द्वीप	एसएसएसआई 34	पोलैंड
एएसपीए 152	पश्चिमी ब्रान्सफील्ड स्ट्रेट	एसएसएसआई 35	यूनाइटेड स्टेट
एएसपीए 153	पूर्वी डालमान बे	एसएसएसआई 36	यूनाइटेड स्टेट
एएसपीए 154	वनस्पति विज्ञान खाडी, केप जियोलोजी, विक्टोरिया लैंड	एसएसएसआई 37	न्यूजीलैंड
एएसपीए 155	केप इवान्स, रोस द्वीप	एसपीए 25	न्यूजीलैंड
एएसपीए 156	लेविस बे, माउंट इरेबस, रोस द्वीप	एसपीए 26	न्यूजीलैंड
एएसपीए 157	बेकडोर बे, केप रोयडस, रोस द्वीप	एसपीए 27	न्यूजीलैंड
एएसपीए 159	केप अडारे, बोरचगरेविक तट	एसपीए 29	न्यूजीलैंड
एएसपीए 160	फ्रेजियरद्वीप विंडीमिल द्वीप, विल्कीस लैंड, पूर्वी अंटार्कटिका	-	आस्ट्रेलिया
एएसपीए 161	टेरा नोवा बे, रोस सी	-	इटली
एएसपीए 162	मावसन हट, केप डेनिसन, कॉमनवैल्थ बे, जार्ज वी लैंड, अंटार्कटिका	-	आस्ट्रेलिया
एएसपीए 163	दक्षिणी गंगोत्री ग्लेशियर, ड्रोनिंग मोड लैंड	-	भारत
एएसपीए 164	स्कुलिन एंड मुरे मोनोलीथस, मेक, राबर्टसन लैंड	-	आस्ट्रेलिया
एएसपीए 165	एडमोनसन प्वाइंट, वुड बे, रोस सी	-	इटली
एएसपीए 166	पोर्ट मार्टिन, टेरा-एडेले	-	फ्रांस
एएसपीए 167	हॉकर द्वीप प्रिन्सेस एलिजाबेथ लैंड	-	आस्ट्रेलिया
एएसपीए 168	माउंट हार्डिंग, ग्राव पर्वत, पूर्वी अंटार्कटिका	-	चीन
एएसपीए 169	अमंडा बे, इंग्रिड क्रिस्टेंसन तट, प्रिन्सेस एलिजाबेथलैंड, पूर्वी अंटार्कटिका	-	आस्ट्रेलिया, चीन
एएसपीए 170	मेरियन नुनाताकस, कारकोट द्वीप, अंटार्कटिक पेनिनसुला,	-	यूनाइटेड किंगडम
एएसपीए 171	नारेबसकी प्वाइंट, बार्टोन पेनिनसुला किंग जार्ज द्वीप	-	कोरिया (रोक)

संख्या	नाम	पूर्व संख्या	प्रस्तावक
एएसपीए 172	लोअर टेलर ग्लेशियर एंड ब्लडफाल्स, एमसी मुरडो शुष्क घाटी, विक्टोरिया लैंड	-	यूनाइटेड स्टेट
एएसपीए 173	केप वाशिंगटन एंड सिल्वरफिश खाड़ी, टेरानोवा खाड़ी, रोस सागर	-	इटली, यूनाइटेड स्टेट
एएसपीए 174	स्टार्नेस, लारसेमान हिल्स, प्रिन्सेस एलिजाबेथ लैंड	-	आस्ट्रेलिया, चीन, भारत, रूसी परिसंघ
एएसपीए 175	रोस सी क्षेत्र का उच्च भूतापीय स्थल	-	यूनाइटेड स्टेट
एएसपीए 176	रोशेनथल द्वीप, अनवरस द्वीप, पालमेर आर्केपेलागो	-	यूनाइटेड स्टेट
एएसपीए 177	लेइनो द्वीप और दक्षिण-पूर्वी एडेलेडे द्वीप, अंटार्कटिक पेनिनसुला	-	यूनाइटेड किंगडम
एएसपीए 178	इनएक्सप्रेसिबल द्वीप और सीव्यु बे, रोस सी	-	चीन, इटली, कोरिया (आर ओ के)

### भाग-2

#### समुद्री संरक्षित क्षेत्र

क्र. सं.	वर्णन	अभिसमय संरक्षण मापदंड	क्षेत्र
1	रोस सागर सी क्षेत्र समुद्री संरक्षित क्षेत्र	91-05(2016)	उपक्षेत्र 88.1 एसएसआरयू 88.2 ए एसएसआरयू 88.2 बी
2	दक्षिणी आर्कने द्वीप दक्षिणी शेल्फ	91-03(2009)	उपक्षेत्र 48.2

### भाग-3

#### अंटार्कटिक विशेष रूप से प्रबंधित क्षेत्र

संख्या	नाम	प्रस्ताव
एएसएमए 1	एडमायरलिटी बे, किंग जार्ज द्वीप	ब्राजील, एक्वाडोर, पेरू, पोलैंड, संयुक्त राज्य
एएसएमए 2	एमसीमुरडो शुष्क घाटी, दक्षिणी विक्टोरिया लैंड	न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य
एएसएमए 3	केप डेनिसन, कामनवेल्थ बे, जार्ज V लैंड, पूर्वी अंटार्कटिका	आस्ट्रेलिया
एएसएमए 4	डिसेप्सन द्वीप	अर्जेंटीना, चिली, नार्वे, स्पेन, युनाईटेड किंगडम, संयुक्त राज्य
एएसएमए 5	अमुंडसेन स्काट दक्षिणी ध्रुव केन्द्र-दक्षिणी ध्रुव	संयुक्त राज्य
एएसएमए 6	लारसेमान हिल्स, पूर्वी अंटार्कटिका	आस्ट्रेलिया, चीन, भारत, रोमानिया, रूसी परिसंघ
एएसएमए 7	दक्षिण पश्चिमी अनवरस द्वीप और पालमेर बेसिन	संयुक्त राज्य

## भाग 4

## ऐतिहासिक स्थल और संस्मारक

संख्या	नाम	अवस्थान	प्रबंधन करने वाला पक्षकार
1	“आपरेशन 90” ध्वज मस्तूल	90°0'0"एस, 1°0'ई	अर्जेंटीना
2	फुकुशिमा राक केयरन	69°0'0" एस, 39°35'0"ई	जापान
3	मॉसन राक केयरन- प्रोक्लेमेशन द्वीप	65°50'59.9999" एस 539°41'0" ई	आस्ट्रेलिया
4	अगम्य केंद्र निर्माण ध्रुव	82°6'42.0011" एस, 55°1'57" ई	रूसी परिसंघ
5	यावसंस राक केयरन - केप ब्रुश	67°25'0.10012" एस, 60°47'0" ई	आस्ट्रेलिया
6	विल्कीनस केयरन	68°22'0.0012" एस, 78°33'0" ई	आस्ट्रेलिया
7	इवान खम्राज स्टोन	66°32'3.9983" एस, 92°59'57" ई	रूसी परिसंघ
8	एन्टोली स्केग्लवस का संस्मारक	66°34'43" एस, 92°58'23" ई	रूसी परिसंघ
9	ब्रुमस्की द्वीप कब्रिस्तान	66°2'4" एस, 93°0'0" ई	रूसी परिसंघ
10	सोवियत मरुद्यान स्टेशन वैधशाला	66°16'30" एस, 100°45'3" ई	रूसी परिसंघ
11	वोस्तोक स्टेशन ट्रेक्टर	78°28'0" एस, 106°48'0" ई	रूसी परिसंघ
14	नार्दन पार्टी आइस केव इनएक्सप्रेसिबल द्वीप	64°54'0" एस, 163°43'0" ई	इटली, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम
15	शेक्लेटन निमराड हट केपरोएडस रोस द्वीप	77°32'59.9999"एस, 166°10'0" ई	न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम
16	स्काट टेरा नोवा हट- केप इवनस, रोस द्वीप	77°37'59.9987"एस, 166°24'0" ई	न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम
17	विंड वाने हिल क्रास - केप, रोस द्वीप	77°37'59.9987"एस, 166°24'0" ई	न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम
18	स्काट डिस्कवरी हट-हट प्वाइंट रोस द्वीप	77°49'59.9987"एस, 166°37'0" ई	न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम
19	विन्सेस क्रांस- हट -रोस द्वीप	77°49'59.9987"एस, 166°37'0" ई	न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम
20	आर्ब्सवेशन हिल्स क्रास-आर्ब्सवेशन हिल, रोस द्वीप	77°50'59.9987"एस, 166°41'0" ई	न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम
21	राक हट-केप क्रोजियर, रोस द्वीप	77°37'59.9987"एस, 166°24'0" ई	न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम
22	बोरशग्रेविक 'दक्षिणी क्रास' द्वीप हट केप रडारे	71°17'59.9999" एस, 70°12'0" ई	न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम
23	ग्रेव आफ निकोलई हैनसन - केप अदेर	71°16'59.9987"एस, 170°13'0" ई	न्यूजीलैंड, नार्वे
24	एमंडसेन केयरन	85°10'59.9988"एस, 163°45'0" ई	नार्वे
26	सैन मार्टिन बेस की आनुष्ठानिक सुविधाएं	68°7'46.9992" एस, 67°6'5" ई	अर्जेंटीना
27	कारकोट केयरन	65°10'0.0012" एस, 64°9'0" डब्ल्यू	फ्रांस, अर्जेंटीना,
28	कारकोट केयरन, 1904	65°3'0" एस, 64°1'0" डब्ल्यू	अर्जेंटीना, फ्रांस
29	दीपस्तंभ 'प्रीमेरो डी मायो'	64°17'57.9983"एस, 62°58'8" डब्ल्यू	अर्जेंटीना,
30	शेल्टर एट पराडाईस हार्बर	64°49'0.0011" एस, 62°51'0" डब्ल्यू	चिली
32	हार्डड्रोग्राफिक मोनोलिथ	64°28'0.0012" एस, 59°40'0" डब्ल्यू	चिली
33	गोन्जालेज पेशिकों शेल्टर	62°28'59.9988"एस, 59°40'0" डब्ल्यू	चिली
34	बस्ट आफ आरतरो प्रात	62°50" एस, 59°41' डब्ल्यू	चिली
35	स्टेच्यू आफ विरजन डेल कारमेन(अवर लेडी	62°28'59.9988"एस, 59°40'0" डब्ल्यू	चिली

संख्या	नाम	अवस्थान	प्रबंधन करने वाला पक्षकार
	आफ कार्मिल) एंड बुडन क्रस		
36	डालमैन अभियान पट्टिका	62°14'26.0015"एस, 58°40'45.0011" डब्ल्यू	अर्जेटीना, जर्मनी
37	ओ' हिंगिनस ऐतिहासिक स्थल	63°19'0.0012" एस, 57°57'0" डब्ल्यू	चिली
38	स्नो हिल स्विडिस हट	64°21'50.0004"एस, 56°59'32' डब्ल्यू	अर्जेटीना, स्वीडन
39	होप बे स्टोन हट	63°23'44.0015"एस, 56°59'51"डब्ल्यू	अर्जेटीना, स्वीडन
40	एस्प्राञ्जा बेस की आनुष्ठानिक सुविधाएं	63°23'48.9983"एस, 56°59'57.011" डब्ल्यू	अर्जेटीना,
41	पौलेट द्वीप में अंटार्कटिक कर्मिदल के ऐतिहासिक अवशेष	63°34'28.9992"एस, 55°47'6"डब्ल्यू	अर्जेटीना, नार्वे, स्वीडन
42	लॉरी द्वीप वैधशाला	60°44'17.9987"एस, 44°44'19"डब्ल्यू	अर्जेटीना, यूनाइटेड किंगडम
43	बेलग्रानो स्टेशन क्रॉस	77°52'33.9995"एस, 34°37'43"डब्ल्यू	अर्जेटीना,
44	दक्षिण गंगोत्री	70°45'0" एस, 11°38'0" ई	इंडिया
45	गरलाक अभियान पट्टिका	64°01'59.9987"एस, 62°34'0"डब्ल्यू	बेल्जियम
46	पोर्ट मार्टिन, टेरेऐडेली	66°49'0.0011" एस, 141°24'0" ई	फ्रांस
47	बेस मेरेट	66°40'0.0012" एस, 140°1'0" ई	फ्रांस
48	पुरुधोमेस क्रॉस	66°40'0.0012" एस, 140°1'0" ई	फ्रांस
49	बंगर हिल पिल्लर	66°16'0.0011" एस, 100°45'0" ई	पोलैंड
50	पोलिस ईगल पट्टिका	62°12'0" एस, 59°1'0" डब्ल्यू	पोलैंड
51	पुचालस्की ग्रेव	62°13'0.0012"एस, 58°28'0"डब्ल्यू	पोलैंड
52	मोनोलिथ भित्ति केन्द्र	62°13'0.0012"एस, 58°58'0"डब्ल्यू	चीन
53	लुईस पार्डों की अर्ध प्रतिमा और फलक	61°02'59.9999"एस, 54°50'0"डब्ल्यू	चिली
54	रिचर्ड ई0 ब्रायड ऐतिहासिक संस्मारक, मैक मुर्दों स्टेशन अंटार्कटिका	77°50'59.9999"एस, 166°40'0" ई	संयुक्त राज्य
55	पूर्वी बेस, अंटार्कटिक स्टोनिंग टन द्वीप	68°10'59.9988"एस, 67°0'0" डब्ल्यू	संयुक्त राज्य
56	वाटरबोट प्वाइंट	64°49'0.0011"एस, 62°51'0"डब्ल्यू	चिली, यूनाइटेड किंगडम
57	कोमेमोरेटीव प्लेक एट यांकी बे	62°31'59.9987"एस, 59°45'0"डब्ल्यू	चिली, यूनाइटेड किंगडम
59	सैन टेलमो केयरन	62°28'0.0012"एस, 60°46'0.0011" डब्ल्यू	चिली, पेरू, स्पेन
60	पेंगुइन बे मोनोलिथ, पट्टिका तथा भंडार एवं स्तूप के अवशेष	64°17'47.1983"एस, 56°41'30.6996" डब्ल्यू	अर्जेटीना, स्वीडन
61	बेस ए, पोर्ट लाकराय	64°49'0.0011"एस, 63°29'0" डब्ल्यू	यूनाइटेड किंगडम
62	बेस एफ, (बर्डडाई हाउस) विन्टर द्वीप	65°15'0" एस, 64°16'0" डब्ल्यू	यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम
63	बेस वाई, हार्सशू द्वीप	67°47'59.9999"एस, 67°18'0" डब्ल्यू	यूनाइटेड किंगडम
64	बेस ई, स्टोनिंगटोन द्वीप	68°10'59.9988"एस, 67°0'0"डब्ल्यू	यूनाइटेड किंगडम
65	मेसेज पोस्ट- स्वेड फोयन द्वीप	71°55'59.9988" एस, 171°5'0" ई	न्यूजीलैंड, नार्वे
66	प्रेस्ट्रडस केयरन स्काट नूनाटक	77°10'59.9988"एस, 154°32'0" डब्ल्यू	न्यूजीलैंड, नार्वे

संख्या	नाम	अवस्थान	प्रबंधन करने वाला पक्षकार
67	ग्रेनाइट हाऊस- रोक हट	77°0'0" एस, 162°32'0" ई	न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम
68	आपूर्ति डिपो- हेल्स गेट मोरेन	74°52'0.0012" एस, 163°50'0" ई	न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम
69	मैसेज पोस्ट- केप क्रोजीडर, रोस द्वीप	77°27'0" एस, 169°16'0" ई	न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम
70	मैसेज पोस्ट- केप वाडवर्थ, कौलमैन द्वीप	73°19'0.0011" एस, 169°47'0" ई	न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम
71	ह्वेलर बे डिसेप्सन, द्वीप, दक्षिणी शेटलैंड द्वीप	62°58'59.9988"एस, 60°37'59.9988" डब्ल्यू	चिली, नार्वे, यूनाइटेड किंगडम
72	मिककेल्सन केयरन	68°22'0.0012" एस, 78°24'0" ई	आस्ट्रेलिया, नार्वे
73	माउंट इरेबस क्रस मेमोरियल क्रस, रोस द्वीप	77°25'0.0012" एस, 167°27'0" ई	न्यूजीलैंड,
74	एलिफेन्ट द्वीप का दक्षिणी-पश्चिमी तट	61°13'59.9988" एस, 55°22'0" ई	यूनाइटेड किंगडम
75	हिलेरी टीएड/आईजीवाई हट 'ए' – स्काट बेस, रोस द्वीप	77°50'59.9999"एस, 166°46'0" ई	न्यूजीलैंड,
76	रूइनस आफ "पेड्रोअगुइरी सेरडा" स्टेशन	62°58'59.9988"एस, 60°40'0"डब्ल्यू	चिली
77	केप डेनिसन	67°0'29.9987"एस, 142°39'40" ई	आस्ट्रेलिया
78	मेमोरियल पट्टिका हमबोल्टर माउंटेन सीडीएमएल	71°45'7.9992" एस, 11°12'30" ई	इंडिया
79	लिली मारलिन हट	71°12'0" एस, 164°31'0" ई	जर्मनी
80	अमुंडसेन टेंट	90°0'0" एस, 1°0'0" ई	नार्वे
81	लेंडिंग रॉक	66°36'18" एस, 140°3'51' ई	फ्रांस
82	अंटार्कटिक संधि और पट्टिका के संस्मारक	62°12'1.0007"एस, 58°57'41"डब्ल्यू	चिली
83	बेस डब्ल्यू, डीटले द्वीप	66°52'0.0012"एस, 66°48'0" डब्ल्यू	यूनाइटेड किंगडम
84	हट एट डेमाय प्वाइंट डोरियन बे	64°49'0.0011"एस, 63°31'0" डब्ल्यू	यूनाइटेड किंगडम
85	मक मुर्डी स्टेशन पर स्थित पीएम-3ए न्युक्लियर पॉवर प्लांट की स्मारक पट्टी	77°50'59.9999"एस, 166°41'0" ई	संयुक्त राज्य
86	न0 1 भवन ग्रेट वाल स्टेशन भित्ति केन्द्र	62°13'4.0008"एस, 58°57'44"डब्ल्यू	चीन
87	पहला स्थायी अधिकृत अंटार्कटिका में जर्मन अनुसंधान केन्द्र के अवस्थान में स्मारक पट्टी	70°46'39" एस, 11°51'3" ई	जर्मनी
88	प्रो0 कुद्राईशोव काड्रिलिंग काम्पलेक्स भवन	78°28'0.0012" एस, 106°48'0" ई	रूसी परिसंघ
89	टेरा नोवा अभियान शिखर शिविर माउंट ऐरेबरस, रोस द्वीप	77°30'20.8799"एस, 167°9'14.76" ई	न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य
90	टेरा नोवा अभियान निचला शिविर, माउंट ऐरेबरस, रोस द्वीप	77°30'20.8799"एस, 167°9'14.76" ई	न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य
91	बुल्गारियन बेस सेट क्लीमेंट ओहरिडस्की लिविंगस्टोन द्वीप स्थित लेम डॉग हट	62°38'29.0003"एस, 60°21'53" डब्ल्यू	बुल्गारिया
92	ओवर स्नो हेवी ट्रैक्टर "खारक्वंशका" जिसे अंटार्कटिका में 1959 से 2010 तक प्रयोग किया गया	69°22'41.0016"एस, 76°22'59.1" ई	रूसी परिसंघ



संख्या	नाम	अवस्थान	प्रबंधन करने वाला पक्षकार
93	रेक आफ अंडयूरेंस	68°44'21.0011"एस, 52°19'46.9991" डब्ल्यू	यूनाइटेड किंगडम
94	सी0 ए0 लारसेन बहु अभियान स्तूप	64°14'13.0595"एस, 56°35'7.5" डब्ल्यू	अर्जेटीना, नार्वे, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम
95	रेक आफ सेन टेलमो	62°0'0" एस, 70°0'0" डब्ल्यू	स्पेन

टिप्पण : अंटार्कटिक विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र और ऐतिहासिक स्थल तथा संस्मारक की प्रबंध योजना वेबसाइट <http://www.ats.aq/devphBackEnd/StatusReport/pdf?lang=e> पर उपलब्ध है।

### भाग-5

अंटार्कटिक विशेष रूप से संरक्षित प्रजातियां

आमटोफोका रोस्सी, रोस सील

### अनुसूची-3

(नियम 33 का उपनियम 2, नियम 34 का खंड (घ) तथा नियम 36 देखें)

### उत्सर्जन मानक

### भाग 1

अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र से उपचारित बहिःस्राव निस्सारण मानक

पैरामीटर	सान्द्र	बहिःस्राव के भार के संबंध में कटौती का न्यूनतम प्रतिशत
नाइट्रीकरण रहित जैवरसायन आक्सीजन मांग बीओडी 5 20 सें. ग्रेट पर	25 मि.ग्रा./लि.	70-90
रसायन आक्सीजन मांग (सीओडी)	125 मि.ग्रा./लि.	75
कुल निलंबित ठोस पदार्थ	35 मि.ग्रा./लि.	90
कुल फासफोरस	2 मि.ग्रा./लि.	80
कुल नाइट्रोजन	15 मि.ग्रा./लि.	70-80
पीएच	6-9	-
तेल और ग्रीस	10 मि.ग्रा./लि.	-
क्लोराइड	1000 मि.ग्रा./लि.	-
एसओ <sub>4</sub> के रूप में सल्फेट	1000 मि.ग्रा./लि.	-
फ्लूराइड	2 मि.ग्रा./लि.	-
एस के रूप में सल्फाइड	2 मि.ग्रा./लि.	-
फेनोलिक यौगिक (सी <sub>6</sub> एच <sub>5</sub> ओएच के रूप में)	1 मि.ग्रा./लि.	-
कुल अवशिष्ट क्लोरीन	1 मि.ग्रा./लि.	-
जिंक	5 मि.ग्रा./लि.	-
लोहा	3 मि.ग्रा./लि.	-
तांबा	3 मि.ग्रा./लि.	-
ट्रिवालेन्ट क्रोरियम	2 मि.ग्रा./लि.	-
मेग्नीज	2 मि.ग्रा./लि.	-
निकेल	3 मि.ग्रा./लि.	-

आर्सेनिक	0.2 मि.ग्रा./लि.	-
सीएन के रूप में साइनाइड	0.2 मि.ग्रा./लि.	-
वेनेडियम	0.2 मि.ग्रा./लि.	-
शीशा	0.1 मि.ग्रा./लि.	-
हेक्सावैलेन्ट क्रोमीयम	0.1 मि.ग्रा./लि.	-
सेलेनियम	0.05 मि.ग्रा./लि.	-
कैडियम	0.05 मि.ग्रा./लि.	-
पारा	0.01 मि.ग्रा./लि.	-

## भाग 2

भस्मक/यानों/उपस्कर संबंधी उत्सर्जन मानक  
यानीय निःशेषण

यान का प्रकार	सीओ (ग्रा./कि०मी)	एचसी+ नोक्स (ग्रा./कि०मी)
यात्री कार	1.0	0.18

यान का प्रकार	सीओ (ग्रा./कि०मी)	एचसी (ग्रा./कि०मी)	नोक्स (ग्रा./कि०मी)	पीएम
भारी डीजल यान	1.5	0.96	3.5	0.02

भस्मक

मानक आधा घन्टा औसत मान को निर्दिष्ट करते हैं।

\*मानक नमूने लेने के 6 से 8 घन्टों को निर्दिष्ट करते हैं।

\*\*मानक 30 मिनट से 8 घन्टों को निर्दिष्ट करते हैं।

सीओ (मि.ग्रा./ ना.क्यू.मी.)	एसओ <sub>2</sub> (मि.ग्रा./ ना.क्यू.मी.)	एनओएक्स (मि.ग्रा./ ना.क्यू.मी.)	पारटिकुलेट (मि.ग्रा./ ना.क्यू.मी.)	एचसीएल (मि.ग्रा./ ना.क्यू.मी.)	सीडी+टीएच+उनके यौगिक (मि.ग्रा./ ना.क्यू.मी.)**
100	200	400	50	50	0.05

एचजी और इसके यौगिक (मि.ग्रा./ ना.क्यू.मी.)**	एसबी+एसपीबी+ सीआर+सीओ+सीयू+ एमएन+एनआई+वी+ उनके यौगिक (मि.ग्रा./ ना.क्यू.मी.)**	कुल जैव कार्बन	एचएफ (मि.ग्रा./ ना.क्यू.मी.)	कुल डायोक्सीन और फ्यूरोन (टीईक्यू/ ना.क्यू.मी.)
0.05	400	20	4	0.1

जनित्र

विद्युत उत्पादन सेट के लिए नए प्रयोग किए गए इंजन (जिन्हें इनमें इसके पश्चात जनित्र सेट कहा गया है) के लिए उत्सर्जन सीमाएं 800 कि० वाट सकल यांत्रिक विद्युत तक लागू हैं, अर्थात्: -

- डीजल इंजन;
- समर्पित अनुकल्प ईंधन पर आधारित इंजन;
- गैसोलीन पर या किसी भी एक अनुकल्प ईंधन पर चालित जैव ईंधन आधारित इंजन;
- डीजल और अनुकल्प ईंधन में से किसी ईंधन पर चालित दोहरे ईंधन पर आधारित इंजन;

- v. गैसोलीन ईंधन, समर्पित अनुकल्प ईंधन और जैव ईंधन पर चालित या गैसोलीन या किसी भी अनुकल्प ईंधन पर चालित वहनीय जनित्र सेट (19 कि० वाट से कम और 800 सीसी विस्थापन तक पीआई इंजन) ;

800 कि० वाट तक जनित्र सेट के लिए उत्सर्जन सीमाएं सभी सीआई इंजनों द्वारा सकल यांत्रिक विद्युत प्राप्त और पीआई इंजन > 800 सीसी इंजन विस्थापन ।

विद्युत प्रवर्ग कि० वाट	एनओएक्स	एचसी*/**	एनओएक्स+ एचसी*/**	सीओ	पीएम	धूम्र (प्रकाश अवशोषण सहदक्ष)
	सीआई/पीआई	सीआई/पीआई	सीआई/पीआई	सीआई/पीआई	सीआई पीआई	सीआई पीआई
ग्रा०/कि०वा०						
पी<8	-	-	7.5	3.5	0.30 -	0.7 -
8<पी<19	-	-	4.7	3.5	0.30 -	0.7 -
19<पी<56	-	-	4.7	3.5	0.30 -	0.7 -
56<पी<560	0.40	0.19	-	3.5	0.30 -	0.7 -
560<पी <800	0.67	0.19	-	3.5	0.30 -	0.7 -

पी आई इंजनों द्वारा विद्युत प्राप्त 19 कि०वा० तक वहनीय जनित्र सेट के लिए उत्सर्जन सीमाएं (800 सीसी इंजन विस्थापन तक)

प्रवर्ग इंजन विस्थापन (सीसी)	सीओ	एनओएक्स+एचसी*/**
	ग्रा०/कि०वा०	
99 तक	< 250	< 10
< 99 और 225 तक	< 250	< 08
< 225 और 800 तक	< 250	< 06

उपरोक्त सारणियों में प्रयुक्त संक्षेपाक्षर निम्नलिखित हैं :—

- i. एनओएक्स – नाइट्रोजन की आक्साइड;
- ii. एचसी- हाइड्रोकार्बन;
- iii. सीओ : कार्बन मोनोआक्साइड;
- iv. पीएम – पारटिकुलेट मैटर;
- v. सीआई – संपीडन ज्वलन इंजन;
- vi. पीआई – सकारात्मक ज्वलन इंजन;
- vii. \*एचसी, डीजल और गैसोलीन के लिए टीएचसी का द्योतक है;
- viii. \*\*अनुकल्प ईंधन के लिए एचसी, जनित्र सेट के लिए प्रणाली और प्रक्रिया में निर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे ।

### भाग 3

#### ध्वनि मानक

विनिर्दिष्ट पर्यावरण	समय आधार (घन्टे)	मानक सीमाएं	
		लेईक्यू (डीबी)	एलएमैक्स (डीबी)
बहिरंग रहन सहन क्षेत्र	16	50-55	-
गृह अंतरंग, शयन कक्ष के भीतर	16	35	-
	8	30	45
अस्पताल उपचार कक्ष अंतरंग	-	उनता कम जितना संभव हो	-
अनुष्ठान, उत्सव और मनोरंजन कार्यक्रम	4	100	110

1 जनवरी, 2005 को या उसके पश्चात् विनिर्मित डीजल जनित्र सेट (1000 केवीए तक) के लिए ध्वनि सीमा ।

1 जनवरी, 2005 को या उसके पश्चात् विनिर्मित 1000 केवीए तक के रेटेड क्षमता वाले नए डीजल जनित्र (डीजी) सेट के लिए अधिकतम अनुज्ञेय ध्वनि दबाव स्तर, संवेष्टन सतह से 1 मीटर पर 75 डीबी (ए) होगा ।

परंतु:

- (क) डीजल जनित्र सेट विनिर्माण प्रक्रम पर ही अभिन्न ध्वनिक संवेष्टन सहित उपलब्ध कराएं जाएंगे।
- (ख) डीजी सेट न्यूनतम 25 डीबी (ए) के निवेशन कमी के साथ उचित निःशेषण निःशब्द सहित उपलब्ध कराया जाएगा ।

#### अनुसूची 4

[नियम 50 का उपनियम (7) देखें]

#### निरीक्षण जांच सूची

#### भाग 1

स्थायी अंटार्कटिक स्टेशन और सहयुक्त संस्थापन

#### जांच सूची क

#### 1. साधारण जानकारी

- (1) निरीक्षण किए गए स्टेशन का नाम;
- (2) प्रचालन राष्ट्र
- (3) अवस्थान
- (4) नियत तारीख
- (5) स्टेशन का प्राथमिक उद्देश्य (वैज्ञानिक, संभारतंत्र इत्यादि) ;
- (6) भविष्य में प्रयोग किए जाने वाले स्टेशन की योजना
- (7) अंतर्राष्ट्रीय संभार तंत्र सहयोग
- (8) अंटार्कटिक संधि सूचना आदान प्रदान की उपलब्धता ।

#### 2. निरीक्षण ब्यौरे

- (1) तारीख
- (2) निरीक्षण की तारीख
- (3) निरीक्षण की अवधि
- (4) अंतिम निरीक्षण (राष्ट्र (ट्रों), तारीख)

#### 3. कार्मिक

- (1) भारसाधक व्यक्ति का नाम
- (2) स्टेशन पर कार्मिक की कुल संख्या
- (3) स्टेशन पर वैज्ञानिकों की संख्या
- (4) अति-शीतऋतुवन कार्मिक
- (5) स्टेशन की अधिकतम क्षमता
- (6) उत्तरदायी अभिकरण या मंत्रालय
- (7) प्रशिक्षण (उत्तरजीविता, प्राथमिक चिकित्सा सहायता, पर्यावरण संरक्षण, इत्यादि)

**4. वैज्ञानिक अनुसंधान**

- (1) स्टेशन द्वारा सहायता प्राप्त मुख्य वैज्ञानिक कार्यक्रम
- (2) स्टेशन पर समर्पित स्थायी वैज्ञानिक सुविधाएं
- (3) अन्य अंटार्कटिक कार्यक्रमों से अदला बदली वैज्ञानिकों की संख्या और राष्ट्रीयता
- (4) रेडियो समस्थानिकों की अग्रिम सूचना, उनका उपयोग और नियंत्रण

**5. स्टेशन का भौतिक वर्णन**

- (1) स्टेशन द्वारा आच्छादित क्षेत्र
- (2) भवनों की अनुमानित संख्या और प्रकार
- (3) भवनों की आयु और अवस्था
- (4) नया या हाल ही में किया गया संनिमार्ण
- (5) भवन का खाका या नक्शा
- (6) मुख्य हवाई तंत्र
- (7) अवतारण या डाक सुविधाएं
- (8) सड़कें
- (9) हवाई पट्टी
- (10) हेलीपैड
- (11) समीपस्थ सुविधाएं (आश्रय, क्षेत्रीय सैन्य कुटियां, इत्यादि)

**6. संसूचनाएं**

संसूचना सुविधाएं

**7. परिवहन**

- (1) थल वाहनों की संख्या और प्रकार
- (2) लघु नौकाओं की संख्या और प्रकार
- (3) नियत और चक्रीय विंग एयरक्राफ्ट
- (4) प्रतिवर्ष वायुयान संचलनों की संख्या
- (5) स्थोरा प्रबंधन और भू गतिमान उपस्कर
- (6) पुनःआपूर्ति की बारम्बारता और पद्धति

**8. स्टेशन सुविधाएं – ईंधन भंडारण/प्रयोग**

- (1) ईंधन (डीजल, पेट्रोल, विमानन ईंधन, इत्यादि) की किस्म, मात्रा और उपयोग
- (2) स्टेशन भंडारण आधानों की किस्म और क्षमता
- (3) ईंधन पम्पिंग प्रणाली और भंडारण टैंक (पद्धति) की मानिटरी
- (4) ईंधन पाइप कार्य (सामग्री, ऊपरिभूमि, गुरुत्वभरण, वाल्व आदि) पर पृष्ठभूमि सूचना
- (5) पुंज ईंधन (जिसमें अन्तरण पद्धति भी है) का अंतरण
- (6) खाली करने वाली ईंधन लाइन (गुरुत्व, संपीडित वायु, इत्यादि) की पद्धतियां
- (7) क्षेत्रीय ईंधन डिपो (मात्रा और प्रकार)
- (8) ईंधन प्रबंधन की जिम्मेदारी
- (9) रिसाव और छलकन से बचाव

**9. स्टेशन सुविधाएं – जल प्रणाली**

- (1) जलापूर्ति और भंडारण सुविधा का प्रकार (आरओ, आसवन, हिम का पिघलना, रसायनिक उपचार इत्यादि)
- (2) जलापूर्ति की उपलब्धता और मात्रा
- (3) प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल उपयोग

**10. स्टेशन सुविधाएं – विद्युत उत्पादन**

- (1) जनित्रों की संख्या, प्रकार और क्षमता
- (2) विद्युत उत्पादन (टन) के लिए वार्षिक ईंधन उपयोग
- (3) अनुकल्पी ऊर्जा स्रोत
- (4) उत्सर्जन का फिल्टर किया जाना और उसकी मानीटरी

**11. स्टेशन सुविधाएं – चिकित्सा**

- (1) चिकित्सा सुविधाएं और कार्मिक और
- (2) रोगी पलंगों की संख्या

**12. स्टेशन सुविधाएं – परिसंकटमय रसायन**

- (1) रसायन की प्रकार और मात्रा
- (2) भंडारण और व्यवस्थाओं की मानीटरी
- (3) रिसाव और छलकाव से बचाव

**13. आग्नेयास्त्र/विस्फोटक**

- (1) आग्नेयास्त्र तथा गोला बारूद की संख्या, प्रकार और प्रयोजन
- (2) विस्फोटक की मात्रा, प्रकार और उपयोग
- (3) विस्फोटक का भंडारण और निपटान की पद्धति

**14. सैन्य सहायता क्रियाकलाप**

- (1) स्टेशन के लिए किसी सैन्य सहायता का वर्णन करें
- (2) स्टेशन में धारित सैन्य उपस्कर के ब्यौरे

**15. अंटार्कटिक संधि विधान**

- (1) अंटार्कटिक संधि और संबद्ध करारों के उपबंधों का बोध
- (2) स्टेशन पर अंटार्कटिक संधि प्रलेखीकरण की उपलभ्यता

**16. आपात मोचन क्षमता**

- (1) साधारण
  - (i) अनुसंधान और बचाव क्षमता
  - (ii) गतवर्ष में घटनाएं जिनका परिणाम स्टेशन सुविधाएं या पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण विशेष नुकसान है
  - (iii) रिपोर्टिंग घटनाओं की पद्धति
- (2) चिकित्सा
  - (i) मोबाइल चिकित्सा आपात मोचन क्षमता
  - (ii) चिकित्सा आपात के लिए निष्क्रमण योजना

- (3) अग्नि
  - (i) अग्नि आपात योजना
  - (ii) अग्निशमन उपस्कर
  - (iii) अग्निशमन के लिए कार्मिकों का प्रशिक्षण
  - (iv) अग्निशमन अभ्यास (आवृत्ति)
- (4) प्रदूषण (तेल और रसायन छलकन)
  - (i) छलकन का जोखिम मूल्यांकन
  - (ii) छलकन मोचन योजना
  - (iii) छलकन से निपटने के लिए कार्मिकों का प्रशिक्षण
  - (iv) छलकन मोचन अभ्यास (वारम्बारता)
  - (v) गतिशील छलकन मोचन क्षमता

#### 17. पर्यावरण समाधान निर्धारण (ईआईए)

- (1) सभी नए क्रियाकलापों के लिए पर्यावरण समाघात निर्धारण संचालित करने के लिए स्टेशन प्रबंधन कार्मिकों की अपेक्षा के बारे में जागरूकता
- (2) वर्तमान में किए जा रहे क्रियाकलापों के लिए तैयार किया गया पर्यावरण समाघात निर्धारण
- (3) स्टेशन या सहयुक्त क्रियाकलापों के संभव पर्यावरण समाघातों के उपदर्शकों की पर्यावरणीय मानीटरी

#### 18. प्राणिजात एवं वनस्पति का संरक्षण

- (1) अंटार्कटिक प्राणिजात एवं वनस्पति के संरक्षण के संबंधित नियमों के बारे में स्टेशन कार्मिकों को जागरूक करने के ढंग
- (2) गत वर्ष के दौरान किसी देशज स्तनपायी, पक्षी या अकशेरुकी जिनका वध कर दिया गया है, जिन्हें क्षति पहुंचाई गई है, कैद कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है, के ब्यौरे; जन्तुओं का वध करने, उन्हें कैद करने और या पकड़ने के ढंग ; अनुज्ञा पत्र जारी करने तथा उनके जारी करने के कारण
- (3) आस्थान के सामीप्य हानिकारक जंतु एवं पौधे ; अनुज्ञापत्रों का जारी करना तथा उनके जारी करने के कारण
- (4) विद्यमान गैर-देशी जन्तुओं या पौधा प्रजातियां; अनुज्ञापत्र जारी करने तथा उनके जारी करने के कारण
- (5) गैर-देशी प्रजातियों के आकस्मिक समावेश से बचने के लिए की गई कार्रवाई
- (6) समीपस्थ, महत्वपूर्ण वन्यजीव या पौधा स्थल
- (7) वन्य जीव के संकेन्द्रण के समीप वायुयान और यानों के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले स्थानीय मार्गदर्शी सिद्धांत

#### 19. अपशिष्ट प्रबंध

- (1) अपशिष्ट के पृथक्करण, उसकी कमी, संग्रहण, भंडारण और निपटारे के लिए अपशिष्ट प्रबंध योजना
- (2) स्टेशन पर अपशिष्ट प्रबंध का उत्तरदायित्व
- (3) वार्षिक अपशिष्ट प्रबंध रिपोर्ट को प्रस्तुत करना
- (4) अपशिष्ट प्रबंध में कार्मिकों का प्रशिक्षण और पर्यावरण पर अपशिष्ट के समाघात को न्यूनीकृत करने की आवश्यकता
- (5) अपशिष्ट प्रबंध से संबंधित सार्वजनिक रूप से संप्रदर्शित नोटिस

(6) वर्तमान अपशिष्ट निपटान के ढंग –

- (i) रेडियोधर्मी सामग्री
- (ii) वैद्युत बैटरियां
- (iii) ईंधन (तरल और ठोस दोनों) और स्नेहक
- (iv) ऐसे अपशिष्ट, जिनमें भारी धातु या अत्यन्त विषैला या हानिकर विद्यमान यौगिक का हानिकारक स्तर अंतर्विष्ट है
- (v) पालि- विनायल क्लोराइड (पीवीसी) पालीयूरेथेन, फोम, पालिस्टरेने फोम, रबड़
- (vi) अन्य प्लास्टिक
- (vii) उपचारित काष्ठ
- (viii) ईंधन ड्रम
- (ix) अन्य ठोस गैर-ज्वलनशील अपशिष्ट
- (x) जैव अपशिष्ट
  - (क) आयातित जन्तुओं के मृतशरीर के अवशेष
  - (ख) सूक्ष्म जीवाश्म और पादप रोगजनक के प्रयोगशाला संवर्ध
  - (ग) समाविष्ट पक्षीय उत्पाद
  - (घ) अन्य अपशिष्ट (खाद्य अपशिष्ट इत्यादि)
- (xi) मलजल और घरेलु तरल अपशिष्ट
- (xii) क्षेत्रीय पक्षकारों द्वारा उत्पादित अपशिष्ट

(7) प्रतिव्यक्ति/प्रतिदिन अपशिष्ट का उत्पादन

(8) खुले में जलानें ; राख का निपटान ; 1998/99 के लिए नियोजित विकल्पों का उपयोग

(9) भस्मीकरण का प्रयोग, राख का निपटान, उत्सर्जन का नियंत्रण और मानीटरी

(10) मलजल और घरेलु तरल अपशिष्ट का उपचार, बहिःस्राव की मानीटरी

(11) भूमिभराव या हिम गर्त

(12) अपशिष्ट का पुनचक्रण

(13) ऐसे अपशिष्टों को रोकने के लिए किए गए उपाय जिन्हें सन्धि क्षेत्र से हवा द्वारा छितरित किया जा रहा है या अपमार्जक द्वारा अभिगम्यित किया जा रहा है

(14) गत क्रियाकलापों (परित्यक्त आस्थान, पुराना ईंधन डिपो आदि) के अवस्थानों का तालिका

(15) गत क्रियाकलाप और भावी योजनाओं की व्यवस्था

## 20. संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन

(1) स्टेशन (प्रकार, नाम, स्थल संख्यांक) के समीप्य में या उसमें अंतर्विष्ट संरक्षित क्षेत्र

(2) सुसंगत प्रबंध योजना और स्टेशन पर धारित संरक्षित क्षेत्रों के मानचित्र

(3) गतवर्ष में संरक्षित क्षेत्रों में स्टेशन कार्मिकों द्वारा प्रवेश, अनुज्ञापत्रों का जारी किया जाना और उनके जारी किए जाने के कारण

(4) संरक्षित क्षेत्रों के निबंधनों का पालन न करने वाले स्टेशन कार्मिकों या आगन्तुकों की समस्याएं

(5) स्टेशन के समीप्य में या उसमें अन्तर्विष्ट संरक्षित क्षेत्र (त्रों) को चिन्हित करना



- (6) संरक्षित क्षेत्रों की मानीटरी या प्रबंधन
- (7) क्या संरक्षित क्षेत्र उस प्रयोजन को पूरा कर रहे हैं जिनके लिए उनको पदाभिहित किया गया है, के बारे में जानकारी
- (8) अतिरिक्त उपाय, जो क्षेत्रों की संरक्षा करने के लिए किए जाएं।

## 21. पर्यटक और गैर-सरकारी क्रियाकलाप

- (1) गत वर्ष के दौरान पर्यटकों या गैर सरकारी अभियानों द्वारा स्टेशन का दौरा:
  - (i) लोगों की कुल संख्या
  - (ii) किसी भी समय अपतट संख्या
  - (iii) समुद्र यात्रा पोतों की संख्या
  - (iv) नौकाओं की संख्या
  - (v) वायुयान की संख्या
- (2) पर्यटक और गैर सरकारी क्रियाकलापों को सुकर बनाने या नियंत्रित करने के लिए विकसित की गई प्रक्रियाएं
- (3) स्टेशन के निरीक्षण के लिए अपेक्षित अग्रिम अनुज्ञा
- (4) स्टेशन के लिए आगन्तुकों (उदघोषित निरीक्षण आदि) द्वारा उत्पन्न प्रचालनात्मक समस्याएं
- (5) स्टेशन पर या उसके निकट आगन्तुकों का पर्यावरण समाधात

## जांच सूची ख

अंटार्कटिक सन्धि क्षेत्र के भीतर जलयान

### 1. साधारण जानकारी

- (1) पोत जिसका निरीक्षण किया गया है, का नाम
- (2) रेडियो काल संकेत
- (3) रजिस्ट्रीकरण का राज्य और/या पत्तन
- (4) जलयान का स्वामी, प्रबंधक और/या अवक्रेता
- (5) पोत का प्रकार (साधारण स्थोरा, वैज्ञानिक अनुसंधान, इत्यादि)
- (6) शुभारंभ की तारीख, यदि ज्ञात हो
- (7) निरीक्षण के समय जलयान के प्रारंभिक क्रियाकलाप (वैज्ञानिक अनुसंधान, संभारतंत्र सहायता, पर्यटन आदि)
- (8) नियोजित यात्रा-वृतांत
- (9) अंटार्कटिका में वार्षिक कार्रवाई करने की अवधि का प्रत्याशित विस्तार
- (10) गत वर्ष में अंटार्कटिका में कार्रवाई का क्षेत्र
- (11) अन्तर्राष्ट्रीय संभारतंत्र सहयोग
- (12) अनिवार्य प्रेलेखीकरण (उदाहरणार्थ, आईएमओ निरीक्षण रिपोर्ट) की विद्यमानता

### 2. निरीक्षण ब्यौरे

- (1) तारीख
- (2) निरीक्षण का समय

- (3) निरीक्षण का अवस्थान
- (4) निरीक्षण की अवधि
- (5) अंतिम निरीक्षण (राष्ट्र (राष्ट्रों) तारीख)
- (6) निरीक्षण करने वाले व्यक्ति

### 3. कार्मिक

- (1) कप्तान का नाम
- (2) अभियान का लीडर या भार साधक व्यक्ति का नाम
- (3) फलक पर कार्मिकों की कुल संख्या
  - (i) कर्मिदल (उदाहरणार्थ, कप्तान, अधिकारी, कर्मिदल और खानपान कर्मचारिवृन्द)
  - (ii) कर्मचारिवृन्द (उदाहरणार्थ, वैज्ञानिक, अभियान या यात्रा कर्मचारिवृन्द, हेलीकाप्टर पायलट)
  - (iii) यात्री (उदाहरणार्थ, अभियान के सदस्य जो कर्मिदल या कर्मचारिवृन्द नहीं हैं)
- (4) जलयान के अधिकतम आवासन क्षमता
- (5) कप्तान और डेक अधिकारियों का पूर्व अंटार्कटिक अनुभव
- (6) अन्य कर्मिदल और कर्मचारिवृन्द का पूर्व अंटार्कटिक अनुभव साथ
- (7) कर्मिदल, कर्मचारिवृन्द और यात्रियों का प्रशिक्षण (सुरक्षा, जीवन रक्षक नोका ड्रिल, आपात मोचन, आदि)

### 4. वैज्ञानिक अनुसंधान

- (1) जलयान द्वारा आरंभ किए गए प्रधान वैज्ञानिक कार्यक्रम
- (2) जलयान पर समर्पित वैज्ञानिक सुविधाएं
- (3) सीजन के दौरान नियोजित अनुसंधान समुद्री यात्राओं की संख्या
- (4) वैज्ञानिकों की संख्या और उनकी राष्ट्रीयता
- (5) रेडियो समस्थानिकों की अग्रिम सूचना, उपयोग और नियंत्रण

### 5. जलयान का भौतिक वर्णन

- (1) मूलभूत परिमाण (सकल टनभार लम्बाई, बीम, डुबाव, आदि)
- (2) समुद्री वर्गीकरण जिसमें हिम दृढीकरण वर्गीकरण भी है

### 6. नौचालन सहायता

- (1) नौचालन सहायता और उपस्कर (राडार, सोनार, जल गुंजायमान उपस्कर, मौसम अनुकृति रसीवर, मौसम/हिम सेटलाइट चित्र सुविधाएं, ग्लोबल पोजिसनिंग सिस्टम (जीपीएस) या वैसे ही चीजें)
- (2) वहन किए गए बैकअप या आपात अभियान
- (3) जलराशिक चार्ट की उपलब्धता और चालू रहना
- (4) अंटार्कटिक पायलट संदर्भ सामग्री की उपलब्धता और उसका चालू रहना

### 7. संसूचना

- (1) संचार सुविधाएं
- (2) आपात बीकन (ईपीआई आरबीएस आदि) की उपस्थिति

### 8. परिवहन

- (1) लघु क्राफ्ट (उतरनेवाला क्राफ्ट, फुलाया हुआ, सर्वेक्षण शुभारंभ, और वैसे ही चीजें) का प्रकार और कुल संख्या

- (2) जीवन रक्षक नौका और जीवन रक्षक तरापा की कुल क्षमता चाहे जीवन रक्षक नौका मोटरकृत, खुली या बंद हो और सुसंगत सर्वेक्षण प्रमाणपत्र के अंतर्गत आती हो
- (3) हेलीकाप्टरों की प्रकार और संख्या
- (4) प्रति अंटार्कटिक सीजन हेलीकाप्टरों के संचलन की संख्या

9. जलयान सुविधाएं - साधारण जहाजी माल

- (1) साधारण जहाजी माल- प्रकार, परिमाण
- (2) जहाजी माल अभिलेख बही की विद्यमानता तथा उपयोग
- (3) जहाजी माल की उतराई चढ़ाई उपस्कर
- (4) तट स्टेशनों तक पुनः प्रदाय की बारम्बारता और ढंग

10. जलयान सुविधाएं – ईंधन बंकर और स्थोरा

- (1) ईंधन बंकर-ईंधन (समुद्री गैस तेल, पेट्रोल इत्यादि) का प्रकार, परिमाण और उपयोग
- (2) ईंधन स्थोरा-प्रकार, परिमाण (विमानन ईंधन इत्यादि)
- (3) ईंधन टैंकों का प्रकार और क्षमता, दोहरे तल वाले टैंको का उपयोग
- (4) ईंधन का डेक भंडारण
- (5) रिसाव और छलकन का निवारण और संरक्षण
- (6) ईंधन पम्पिंग प्रणाली और भंडारण टैंकों की मानीटरी (ढंग)
- (7) अधिकांश ईंधन का अंतरण (जिसमें अंतरण ढंग भी है )
- (8) ईंधन प्रबंधन का उत्तरदायित्व
- (9) तैलीय जल का प्रसंस्करण (तैलीय जल, पृथक्कर्ता, सीधा भंडारण टैंकों इत्यादि)
- (10) जब सभी तैलीय अपशिष्ट अंटार्कटिक संधि क्षेत्र में हो, फलक पर प्रतिधारण करने की क्षमता
- (11) तैलीय अभिलेख पुस्तक की विद्यमानता और उपयोग

11. जलयान सुविधाएं – इंजन और विद्युत उत्पादन

- (1) इंजनों और जनित्रों की संख्या, प्रकार और क्षमता
- (2) सहायिका प्रणोदन (बो और/या स्टर्न थ्रस्टर इत्यादि)
- (3) इंजनों का दैनिक ईंधन उपयोग और विद्युत उत्पादन (टन में)
- (4) इंजन उत्सर्जन का फिल्टर किया जाना तथा उसे मानीटर करना (ढंग)

12. जलयान सुविधाएं – चिकित्सा

- (1) चिकित्सा सुविधाएं (उदाहरणार्थ-रोगी पलंगों की संख्या)
- (2) चिकित्सा कार्मिक

13. जलयान सुविधाएं – परिसंकटमय पदार्थ

- (1) परिसंकटमय पदार्थों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी
- (2) पोत के फलक पर परिवहन किए जा रहे या प्रयोग किए जा रहे परिसंकटमय पदार्थों का प्रकार और मात्राएं
- (3) भंडारण और मानीटरी व्यवस्थाएं
- (4) रिसाव और छलकाव से संरक्षण

**14. आग्नेयास्त्र/विस्फोटक**

- (1) आग्नेयास्त्र और गोलाबारूद की संख्या, प्रकार और प्रयोजन
- (2) विस्फोटक की मात्रा, प्रकार और प्रयोजन
- (3) विस्फोटक का भंडारण और भंडारण का ढंग

**15. सैन्य सहायता क्रियाकलाप**

- (1) जलयान के लिए कोई सैन्य सहायता (उदाहरणार्थ कार्मिक) का वर्णन करें
- (2) जलयान पर धारित सैन्य उपस्कर के व्यौरे

**16. अंटार्कटिक संधि प्रणाली विधान**

- (1) जलयान पर अंटार्कटिक संधि प्रणाली प्रेलिखीकरण की उपलभ्यता
- (2) अंटार्कटिक संधि और संबद्ध करारों के उपबंधों का बोध और लागू होना

**17. आपात मोचन क्षमता**

- (1) साधारण
  - (i) अनुसंधान और बचाव क्षमता
  - (ii) चालू अंटार्कटिक सीजन में घटनाएं जिनका परिणाम जलयान को नुकसान या अंटार्कटिक पर्यावरण पर समाघात हैं
  - (iii) घटनाओं को रिपोर्ट करने का ढंग
- (2) चिकित्सा
  - (i) चिकित्सा आपातों के लिए निष्क्रमण योजना
  - (ii) अन्यत्र चिकित्सा आपातों की सहायता में संचालित करने के लिए पोत की क्षमता
- (3) अग्नि
  - (i) अग्नि आपात योजना
  - (ii) अग्नि शमन उपस्कर
  - (iii) अग्निशमन के लिए कार्मिकों का प्रशिक्षण
  - (iv) अग्निशमन अभ्यास (आवृत्ति)
- (4) प्रदूषण (तेल और रासायनिक छलकन)
  - (i) पोतफलक तेल प्रदूषण आकस्मिकता योजना
  - (ii) फलक पर उपलब्ध छलकन मोचन सामग्री और उपस्कर
  - (iii) छलकाव से निपटने के लिए कार्मिकों का प्रशिक्षण
  - (iv) छलकन मोचन अभ्यास (आवृत्ति)
  - (v) अन्यत्र छलकन मोचन की सहायता में संचालन करने के लिए पोत की क्षमता

**18. पर्यावरण समाघात निर्धारण**

- (1) कप्तान (और डेक अधिकारी) और मुख्य वैज्ञानिक और/या ईआईए के अभियान लीडर की जागरूकता
- (2) वर्तमान में किए जा रहे क्रियाकलापों (उदाहरणार्थ, अनुसंधान समुद्री यात्रा) के लिए तैयार की गई ईआईए

- (3) जलयान द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों (उदाहरणार्थ, भूकंपी सर्वेक्षण की मानीटरी) की पर्यावरण मानीटरी

### 19. प्राणिजात और वनस्पति का संरक्षण

- (1) प्रतिस्द्ध क्रियाकलापों के बारे में कर्मिदल कर्मचारिवृंद और यात्रियों को जागरूक करने का ढंग और अंटार्कटिक प्राणिजात तथा वनस्पति के संरक्षण से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांत
- (2) वन्यजीव के संकेन्द्रण के समीप वायुयान, लघु नौकाओं और पोत कार्मिकों के प्रयोग के संबंध में जलयान मार्गदर्शी सिद्धांत
- (3) गतवर्ष के दौरान किसी देशज स्तनपायी, पक्षी या अकशेरुकी, जिनका वध कर दिया गया है, जिन्हें क्षति पहुंचाई गई है, कैद कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है या तंग किया गया है; जन्तुओं का वध करने, उन्हें कैद करने और या पकड़ने के ढंग, अनुज्ञापत्र जारी करने तथा उसके जारी करने का कारण।
- (4) जलयान क्रियाकलापों के कारण जन्तुओं और पौधों के साथ हानिकारक हस्तक्षेप, अनुज्ञापत्रों का जारी किया जाना और उनके जारी किए जाने के कारण
- (5) क्या जलयान के फलक पर गैर-देशी जन्तु या पौधे लाए गए (कुत्ता, पक्षी, सजावटी पौधे इत्यादि)
- (6) गैर-देशी प्रजातियों (जन्तुओं, पौधे सूक्ष्म जीवाश्म) के अचानक समावेशन से बचने के लिए की गई कार्रवाई

### 20. अपशिष्ट प्रबंध

- (1) अपशिष्ट के पृथक्करण, कमी, संग्रहण, भंडारण और निपटान के लिए अपशिष्ट प्रबंध योजना
  - (2) जलयान पर अपशिष्ट प्रबंध की जिम्मेदारी
  - (3) अद्यतन अपशिष्ट प्रबंध रिपोर्ट की उपलब्धता
  - (4) अपशिष्ट न्यूनीकरण तथा प्रबंध में कर्मिदल, कर्मचारिवृंद और यात्रियों का प्रशिक्षण तथा पर्यावरण पर पोतफलक अपशिष्ट के समाधात को न्यूनीकृत करने की आवश्यकता
  - (5) फलक पर अपशिष्ट प्रबंध पद्धतियों से संबंधित सार्वजनिकतः संप्रदर्शित सूचनाएं
  - (6) वर्तमान अपशिष्ट निपटान के ढंग: –
    - (i) रेडियोधर्मी सामग्री
    - (ii) वैद्युत बैटरियां
    - (iii) ईंधन (तरल और ठोस पदार्थ दोनों) और स्नेहक
    - (iv) ऐसे अपशिष्ट जिनमें भारी धातु या अत्यन्त विषैला या हानिकर विद्यमान यौगिक का हानिकारक स्तर अंतर्विष्ट है।
    - (v) यौगिक
    - (vi) पालि- विनायल क्लोराइड (पीवीसी) पालीयूरेथेन, फोम, पालिस्टरेने फोम, रबड़
    - (vii) अन्य प्लास्टिक
    - (viii) उपचारित काष्ठ
    - (ix) ईंधन ड्रम
    - (x) अन्य ठोस पदार्थ, गैर ज्वलनशील अपशिष्ट
    - (xi) जैव अपशिष्ट
- (क) आयातित जन्तुओं के मृतशरीर के अवशेष

- (ख) सूक्ष्म जीवाश्म और पादप रोगजनक के प्रयोगशाला संवर्ध
- (ग) समाविष्ट पक्षीय उत्पाद
- (घ) अन्य अपशिष्ट (खाद्य अपशिष्ट आदि)
- (xii) मलजल और घरेलु तरल अपशिष्ट
- (xiii) क्षेत्रीय पक्षकारों द्वारा उत्पादित अपशिष्ट
- (7) फलक पर सभी अपशिष्टों को जव वे संधि क्षेत्र में होते हुए प्रतिधारित करने के लिए फलक पर पर्याप्त भंडारण का स्थान
- (8) अपशिष्ट प्रबंध (सहंतकार, श्रेडर विखंडनकारक, आदि) के लिए उपस्कर
- (9) भस्मीकरण के प्रकार ; राख का निपटान; उत्सर्जन का नियंत्रण और मानीटरी
- (10) जलमल उपचार का प्रकार ; कीचड़ का निपटारा; जलमल अभिलेख पुस्तिका का बनाए रखना
- (11) अपशिष्ट का पुनः उपयोग में लाना
- (12) क्या संविदात्मक व्यवस्थाओं को पत्तन स्वागत सुविधाओं के उपयोग के लिए बनाया गया है ।

## 21. संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंध

- (1) संरक्षित क्षेत्रों के लिए प्रबंध योजनाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी
- (2) जलयान पर धारित वर्तमान प्रबंध योजनाएं और सुसंगत क्षेत्रों के मानचित्र
- (3) चालू अंटार्कटिक मौसम के दौरान संरक्षित क्षेत्रों में कर्मिदल, कर्मचारिवृंद या यात्रियों का प्रवेश, अनुज्ञापत्र जारी करना और उनके जारी करने के लिए कारण ।
- (4) संरक्षित क्षेत्रों के निर्बंधनों का पालन नहीं करने वाले कर्मिदल, कर्मचारिवृंद या यात्रियों के की समस्याएं (उदाहरणार्थ पर्यवेक्षण की कमी)
- (5) संरक्षित क्षेत्रों की मानीटरी या प्रबंधन

## 22. पर्यटक और गैर-सरकारी क्रियाकलाप

- (1) अंटार्कटिक संधि की अपेक्षानुसार उपबंधित अग्रिम अधिसूचना
- (2) चालू अंटार्कटिक सीजन में जलयान द्वारा पहले से किए गए या नियोजित पर्यटक या गैर सरकारी अभियान संबंधी समुद्रयात्राओं की संख्या
- (3) निरीक्षण किए गए अनुसंधान स्टेशनों का अवस्थान, तारीख, संख्या और राष्ट्रीयता
- (4) वन्यजीव या निरीक्षण किए गए अन्य स्थलों का अवस्थान, तारीख और उनकी संख्या
- (5) वहन किए गए पर्यटकों या अभियान कार्मिकों की कुल संख्या
- (6) किसी एक बार में तट पर पर्यटकों की संख्या
- (7) तट पर निरीक्षणों के दौरान पर्यटकों के लिए कर्मचारिवृंद का सामान्य अनुपात
- (8) सिफारिश 18-1 के कार्यान्वयन में पर्यटक और गैर सरकारी क्रियाकलापों को सुकर बनाने तथा नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त पद्धतियां
- (9) तट पर निरीक्षणों के दौरान कर्मिदल, कर्मचारिवृंद और यात्रियों के पर्यावरण समाधात के उपदर्शन
- (10) किसी पर्यटन संगम (उदाहरणार्थ, अंटार्कटिक टुअर आपरेटरों का अन्तर्राष्ट्रीय संगम) से टुअर आयोजक, पोतस्वामी या प्रचालक की संबद्धता ।

### जांच सूची ग

परित्यक्त अंटार्कटिक स्टेशन और सहयुक्त संस्थापन

यह जांच सूची ऐसे परित्यक्त अंटार्कटिक स्टेशनों और सहयुक्त संस्थापनों के लिए अभिकल्पित की गई है जिन पर स्टेशनों के रूप में विचार किया जाना है और जिन्हें बिल्कुल परित्यक्त कर दिया गया है तथा जो अब प्रयोग में नहीं हैं। जांच सूची के अन्तर्गत ऐसे स्टेशन नहीं आते हैं जिन्हें प्रत्येक ग्रीष्म-कालीन मौसम में चलाया जाता है या यदाकदा कई वर्षों में प्रयोग किया जाता है ।

**1. साधारण जानकारी**

- (1) निरीक्षण किए गए स्टेशन का नाम
- (2) अवस्थान
- (3) उत्तरदायी राष्ट्र, यदि ज्ञात हो
- (4) नियत तारीख, यदि ज्ञात हो
- (5) परित्यक्त किए जाने की तारीख, यदि ज्ञात हो
- (6) परित्याग के कारण, यदि ज्ञात हो
- (7) स्टेशन के भावी उपयोग के लिए योजनाएं, यदि ज्ञात हो
- (8) स्टेशन स्वच्छ रखने के लिए योजनाएं, यदि ज्ञात हो।

**2. निरीक्षण ब्यौरे**

- (1) तारीख
- (2) निरीक्षण का समय
- (3) निरीक्षण की अवधि
- (4) अंतिम निरीक्षण (राष्ट्र (राष्ट्रों)) तारीख
- (5) निरीक्षण करने वाले व्यक्ति, यदि ज्ञात हो।

**3. स्टेशन का भौतिक वर्णन**

- (1) स्टेशन के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र
- (2) भवनों की संख्या और प्रकार
- (3) भवनों का खाका या मानचित्र
- (4) भवनों की आयु और अवस्था (संरचनात्मक नुकसान, छत की अवस्था, फिटिंग और फिक्सचरों की अवस्था, आन्तरिक दीवारों तथा फर्शों की दशा, बर्फ, हिम का आन्तरिक संचयन और वैसी ही चीजें)
- (5) आगन्तुकों के परिसंकट (खतरनाक भवन, सामग्री या अपशिष्ट)
- (6) प्रसिद्ध ऐतिहासिक भवन, सुविधाएं या प्रागैतिहासिक कला
- (7) प्रसिद्ध ऐतिहासिक भवन, सुविधाएं या प्रागैतिहासिक कला को संरक्षित करने के लिए उपायों का साक्ष्य
- (8) चोरी या कला विध्वंसक, जिसमें भित्ति लेखन भी है, के निशान
- (9) सूचना चिन्ह (निर्वचन, असुरक्षित भवन, विषैला अपशिष्ट इत्यादि) का उपयोग
- (10) मुख्य हवाई/एन्टेना प्रणाली (संरचनात्मक नुकसान इत्यादि)
- (11) अवतारण या डॉक सुविधाएं
- (12) सड़क
- (13) हवाईपट्टी और सहयुक्त सुविधाएं (चिन्हक, विन्डसॉक्स, विमानशाला, टाईडाउन, इत्यादि)
- (14) हैलीपैड और सहयुक्त सुविधाएं (चिन्हक, विन्डसॉक्स, विमानशाला, टाईडाउन, और वैसी ही चीजें)
- (15) निकटम सुविधाएं (आश्रय, फील्डहट, इत्यादि)

**4. स्टेशन सुविधाएं - ईंधन**

- (1) ईंधन के प्रकार, मात्रा और अवस्थान (डीजल, पेट्रोल, विमानन ईंधन इत्यादि)

- (2) भंडारण आधानों के प्रकार और दशा (ड्रम, टैंक इत्यादि)
  - (3) बांध तथा अन्य छलकन आवेष्टन सुविधाओं की विद्यमानता और दशा
  - (4) रिसाव और छलकाव का साक्ष्य और उनका पर्यावरण समाधात ।
- 5. स्टेशन सुविधाएं – परिसंकटमय पदार्थ**
- (1) परिसंकटमय पदार्थ (उदाहरणार्थ, रसायन) का प्रकार मात्रा और अवस्थान
  - (2) भंडारण सुविधाओं (भवन ड्रम, टैंक इत्यादि) की प्रकार और अवस्था
  - (3) रिसाव और छलकन का साक्ष्य और उनका पर्यावरण समाधात
- 6. स्टेशन सुविधाएं – आपात आपूर्ति (आपूर्तियों को न खोलें, यदि वे सील बन्द हों, राष्ट्रीय कार्यक्रम से संपर्क करें)**
- (1) आपात आपूर्तियों की सूची और अवस्थान
  - (2) आपात आवास की क्षमता और अवस्थान
  - (3) खाद्य आपूर्ति का प्रकार, मात्रा और दशा
  - (4) रसोई उपस्कर
  - (5) जलापूर्ति की उपलब्धता और क्वालिटी
  - (6) तापन और उत्पादन संयंत्र (तापित्र, स्टोव आदि)
  - (7) शयन बैग और कंबल
  - (8) संचार (आपात रेडियो आदि)
  - (9) चिकित्सा आपूर्ति
  - (10) वस्त्रधारण
- 7. पर्यावरण समाधात निर्धारण (ईआईए)**
- (1) स्टेशन (स्वच्छता क्रियाकलाप, फालतू संरचनाओं को हटाना, आदि) के लिए तैयार की गई ईआईए
  - (2) स्टेशन पर आरंभ किए गए उपचारी क्रियाकलाप (उदाहरणार्थ, मिट्टी का हाइड्रोकार्बन संदूषण) की पर्यावरण संबंधी मानीटरी
- 8. प्राणिजात और वनस्पति का संरक्षण ।**
- 9. अपशिष्ट**
- (1) अपशिष्ट (खाली ईंधन ड्रम इत्यादि) की प्रकार, मात्राएं, दशा और अवस्थान; यदि अपशिष्ट निपटान स्थल पाया जाता है तो अपशिष्ट निपटान स्थल निरीक्षण जांच सूची का प्रयोग करें ।
  - (2) बिखरे हुए मलबे की प्रकार और मात्राएं
  - (3) स्थल को बनाए रखने तथा अपशिष्टों के छितराने को रोकने के लिए उपायों का साक्ष्य
  - (4) स्वच्छता क्रियाकलाप या संरचनाओं का हटाए जाने का साक्ष्य
- 10. संरक्षित क्षेत्र**
- (1) संरक्षित क्षेत्र जिनमें निकटतम स्टेशन भी है (प्रकार, नाम, स्थल संख्यांक)
  - (2) स्टेशन के आसपास या उसमें अंतर्विष्ट संरक्षित क्षेत्र (क्षेत्रों) का चिन्हांकन
  - (3) संरक्षित क्षेत्रों की मानीटरी या प्रबंधन का साक्ष्य
  - (4) संरक्षित क्षेत्रों पर स्टेशन का समाधात
- 11. पर्यटक और गैर सरकारी क्रियाकलाप**
- (1) गत वर्ष के दौरान स्टेशन के निरीक्षणों और इन निरीक्षणों के संभाव्य उद्भव का साक्ष्य
  - (2) निकटम स्टेशन पर आगन्तुकों के पर्यावरण समाधात के उपदर्शन



**जांच सूची घ**

अपशिष्ट निपटान स्थल

**1. साधारण जानकारी**

- (1) स्थल का नाम (यदि कोई हो)
- (2) अवस्थान (भौगोलिक समवन्त्यक)
- (3) निकट चिन्ह के संबंध में स्थल का मानचित्र या रूपरेखा
- (4) अपशिष्ट स्थल का वर्णन (साधारण स्थलाकृति और आच्छादित क्षेत्र सहित)
- (5) कुल क्षेत्र का प्राक्कलन और अपशिष्ट निपटान स्थल का आयतन
- (6) अपशिष्ट निपटान स्थल के अधःस्तर का वर्णन
- (7) स्थल के लिए उत्तरदायित्व राष्ट्र, यदि ज्ञात हो।

**2. निरीक्षण के ब्यौरे**

- (1) तारीख
- (2) निरीक्षण का समय
- (3) निरीक्षण की अवधि
- (4) निरीक्षण करने वाले व्यक्ति
- (5) गत निरीक्षण (राष्ट्र (राष्ट्रों)), तारीख

**3. अपशिष्ट निपटान स्थल का भौतिक वर्णन**

- (1) क्या स्थल को चिन्हित किया गया है ? किस प्रकार किया गया ?
- (2) क्या अपशिष्ट को मिट्टी या चट्टान से आच्छादित किया गया है ?
- (3) क्या स्थल पर कोई बेकार या अनुपयोगी भवन है ?
- (4) अपशिष्ट निपटान स्थल के इर्दगिर्द जल का क्षेत्र, जिसमें समुद्र और नए जलाशयों तथा इनमें संभाव्य जल निकासी से दूरी भी है।
- (5) अपशिष्ट निपटान स्थल के निकट वनस्पति का विवरण और वर्णन
- (6) अपशिष्ट निपटान स्थल के निकट वनस्पति का वितरण और वर्णन (समुद्री पक्षीओं की बस्तियां, स्कुआ और अन्य मुरदाखोर के घोंसलें, सील मछली कर्षण स्थल)
- (7) अपशिष्ट निपटान स्थल के निकट किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान
- (8) आवेष्टन के साधन, जिनमें हवा और बहाव से हुए छितरण से बचाव के साधन भी हैं।

**4. अपशिष्ट निपटान स्थल की अंतर्वस्तु**

- (1) अंतर्वस्तु का प्राक्कलन
- (2) अंतर्वस्तु की आयु और अवस्था
- (3) निम्नलिखित के प्रकार और उनकी मात्राएं :—
  - (i) रेडियोधर्मी सामग्री
  - (ii) विद्युत बैटरी
  - (iii) ईंधन (तरल और ठोस दोनों) और स्नेहक
  - (iv) ईंधन के ड्रम

- (v) गैस सिलेन्डर
- (vi) अपशिष्ट, जिनमें भारी धातु या विषैले पदार्थ भी हैं
- (vii) पोलिविनायल क्लोराइड फोम, पालिस्टरेने रबड़, प्लास्टिक
- (viii) उपचारित काष्ठ
- (ix) अन्य परिसंकटमय सामग्री (चिकित्सा, अपशिष्ट, टूटे हुए कांच, तार इत्यादि)
- (x) अन्य ठोस पदार्थ अज्वलनशील अपशिष्ट
- (xi) जैविक अपशिष्ट (अस्थियां, अदेशज पौधा सामग्री, इत्यादि)
- (xii) मल जल और घरेलु तरल अपशिष्ट
- (xiii) बाह्य अंटार्कटिक से मिट्टी के उपदर्शन ।

#### 5. अपशिष्ट निपटान स्थल का पर्यावरण संबंधी समाधात का कोई साक्ष्य

- (1) वर्तमान समाधात, उदाहरणार्थ :
  - (i) अपमार्जन पक्षी
  - (ii) मृदा का संदूषण
  - (iii) हवा से छितरित मलबा
  - (iv) बहाव, रिसाव, तेल चिकनाना
  - (v) गंध
  - (vi) मृत वनस्पति
  - (vii) मृत, क्षतिग्रस्त, बीमार या संदूषित देशज पक्षी या अन्य जन्तु
  - (viii) सूक्ष्म संदूषण के लिए संभावना

संभाव्य भावी समाधात, उदाहरणार्थ, भूमि में तेल रिसाव

- (2) क्या निकट कोई संवेदनशील स्थल है, जो समाधातों के प्रति संवेदनशील हो ? उदाहरणार्थ वन्य जीव आवास

#### 6. पर्यावरण निर्धारण और/या सुधारात्मक तथा निवारक उपायों का साक्ष्य

- (1) क्या स्थल को अपशिष्ट प्रबंध योजना में शामिल किया गया है ?
- (2) स्थल को पुनर्वसित करने या अपशिष्टों के छितराव को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?
- (3) क्या अपशिष्ट निपटान स्थल पर संदूषित स्थल निर्धारण किया गया है, क्या रिपोर्ट उपलब्ध है ?
- (4) क्या ईआईए या ईआईए को अपशिष्ट निपटान स्थल (स्वच्छता, विषैली सामग्रियों को हटाना इत्यादि) को हटाने के संबंध तैयार किया गया है
- (5) क्या अपशिष्ट निपटान स्थल और निकटतम क्षेत्रों की यह सत्यापन करने के लिए मानीटरी की जा रही है कि किसी भी परिसंकटमय पदार्थों को छितरित नहीं किया जा रहा है और इसकी अंतर्वस्तु मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण (उदाहरणार्थ, हाइड्रोकार्बन, भारी धातु या मिट्टी का संदूषण, भूजल या गलन जल) के लिए खतरा पैदा नहीं करती है ?

#### 7. भावी योजनाएं

- (1) स्थल के लिए, स्वच्छता के लिए, पर्यावरण प्रभावों का विश्लेषण करने तथा पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनीकृत करने के लिए भावी योजना
- (2) हेरिटेज/ऐतिहासिक बातें जिन पर निवारण से पूर्व ध्यान देने की आवश्यकता होगी ।

- (3) कार्रवाई की पूर्विक्ता अर्थात् स्वच्छता कार्रवाई की अत्यावश्यकता
- (4) ऐसे अतिरिक्त उपायों के लिए सिफारिश जो अपशिष्ट निपटान स्थल के समाघातों का प्रबंध करने और पार्श्वस्थ क्षेत्रों की संरक्षा करने के लिए किए जाने चाहिए।

## भाग 2

अंटार्कटिक विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्रों और अंटार्कटिक विशेष रूप से प्रबंधित क्षेत्रों के निरीक्षण में सहायता करने के लिए जांच सूची।

### 1. साधारण जानकारी

- (1) संरक्षित या प्रबंधित क्षेत्र का नाम और संख्या
- (2) निरीक्षण की तारीख
- (3) क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रेक्षकों के नाम
- (4) क्षेत्र में/क्षेत्र से परिवहन का ढंग
- (5) क्षेत्र में प्रेक्षकों द्वारा संचालित क्रियाकलाप
- (6) क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रेक्षकों को अनुज्ञापत्र जारी करने का प्राधिकार।

### 2. निकटम स्टेशन और निरीक्षण किए जाने वाला जलयान (यदि कोई हो)

- (1) निकटम स्टेशन बेस और जलयान
- (2) क्या स्टेशन या जलयान में क्षेत्र प्रबंध योजना की प्रतियां रखी गई हैं ?
- (3) किसी निकटतम स्टेशन या जलयान में प्रबंध योजनाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है ?
- (4) गत वर्ष के भीतर स्टेशन या जलयान कार्मिकों द्वारा प्रवेश (अनुज्ञापत्र जारी करने और उनके जारी करने के कारण)
- (5) क्या क्षेत्र के निबंधनों का पालन न करने वाले स्टेशन या जलयान कार्मिकों या आगन्तुकों की कोई समस्या है ?
- (6) क्या निकट सामीप्य में अन्य संरक्षित या प्रबंधित क्षेत्र हैं ?

### 3. क्षेत्र प्रबंध योजना का निर्धारण

- (1) क्या वे महत्व जिनके लिए क्षेत्र को पदाभिहित किया गया था, अभी भी सुंसगत है ?
- (2) क्या क्षेत्र के महत्व की संरक्षा प्रभावी ढंग से की जा रही है ?
- (3) क्या प्रबंधन के उद्देश्य और लक्ष्य समुचित है ?
- (4) क्या पदाभिधान की अवधि समुचित है ?
- (5) क्या मानचित्र और फोटोग्राफ, क्षेत्र की सीमा को और उन मुख्य विशेषताओं को, जो इसमें अंतर्विष्ट हैं, स्पष्टतः दर्शाते हैं ?
- (6) क्या सीमाओं का पता लगाना सरल है ?
- (7) क्या मानचित्र और फोटोग्राफों का प्रयोग करना सरल है और वे अद्यतन हैं ?
- (8) क्षेत्र के भौगोलिक समन्वयक क्या हैं ? क्या वे सही हैं (इसकी क्षेत्र में किस प्रकार जांच की थी, स्पष्टतः उल्लेख करें) ?

### 4. प्रबंध क्रियाकलाप

- (1) क्या क्षेत्र के महत्वों की संरक्षा करने के लिए उचित प्रबंध क्रियाकलाप किए जा रहे हैं ?

- (2) क्या क्षेत्र की कोई मानीटरी की जा रही है ?
- (3) यह सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से उपाय किए जा रहे हैं कि प्रबंध योजना के उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा किया जा रहा है ? क्या उन्हें पुनरीक्षित करने की आवश्यकता ?

### भाग 3

#### अंटार्कटिक संधि के अनुच्छेद 6 और मैड्रिड प्रोटोकाल के अनुच्छेद 14 के अधीन पर्यटक क्रियाकलापों का निरीक्षण

##### अनुभाग क - निरीक्षण व्यौरे

- (1) अवस्थान (निरीक्षण किए गए स्थल का नाम)
- (2) निरीक्षण की तारीख और समय
- (3) स्थल तक परिवहन का ढंग (समुद्री मार्ग से/हवाई मार्ग से/थल मार्ग से)
- (4) जलयान का नाम और ध्वज (यदि कोई हो)
- (5) क्या जलयान प्रश्नगत स्थल के फलक पर वहन किए गए यात्रियों की संख्या पर सहमत निबंधनों का अनुपालन करता है (उपाय 15,2009 के संबंध में और आगन्तुकों के लिए लागू स्थल मार्गदर्शी सिद्धांत)
- (6) टुअर/गैर सरकारी संगठन/अन्य आपरेटर (नाम, राष्ट्रीयता)
- (7) प्रचालन में अंतर्वर्तित कोई अन्य कंपनी (उदाहरणार्थ, जलयान आपरेटर, टुअर आपरेटर, उप चार्टरर, अन्य सेवाओं के प्रदाता)
- (8) आईएसटीओ से संबद्धता (हां/नहीं)
- (9) अभियान लीडर का नाम (या उतरने वाले आगन्तुकों का भारसाधक व्यक्ति)
- (10) निरीक्षण की अवधि
- (11) निरीक्षण करने वाले व्यक्ति (नाम, राष्ट्रीयता)

##### अनुभाग ख - अग्रिम अधिसूचना और अन्य विधान अपेक्षाएं

- (1) क्रियाकलाप प्राधिकार/अनुज्ञापत्र/पर्यावरण निर्धारण प्रक्रियाओं से होकर गुजरा है और क्या ईआईए की प्रति उपलब्ध है ?
- (2) पहचान करे क्या यह एकल वर्षीय या बहुवर्षीय रहा है और क्या इसके अंतर्गत एकल पोत या कंपनी या बहुपोत और कंपनियों के क्रियाकलाप आते हैं
- (3) किस पक्षकार ने प्राधिकार/अनुज्ञापत्र प्रदान किया गया है या पर्यावरण निर्धारण प्रक्रियाओं का प्रशासन किया है ?
- (4) क्या समुचित संधि पक्षकार के लिए अग्रिम रूप में क्रियाकलाप अधिसूचित किया गया था ?

##### अनुभाग ग - स्थल प्रबंध

- (1) क्या क्षेत्र विशिष्ट प्रबंध अपेक्षाएं जैसे आगन्तुकों के लिए स्थल मार्गदर्शी सिद्धांत, एएसपीए/एएसएमए प्रबंध योजना/आचार संहिता, सुविधाओं की आन्तरिक नीतियां या वैसी ही बातों के अध्याधीन है ?

यह जानकारी स्थल बाह्य स्रोतों जैसे एटीएस, आईएएटीओ और राष्ट्रीय कार्यक्रम वेबसाइटो से निरीक्षण के विनियोजन से पूर्व एकत्रित की जानी चाहिए ।

##### अनुभाग घ - सूचना प्रबंधन

- (1) क्या अभियान दल (समुद्रयात्रा पोत/वायुयान/अन्य) ने निरीक्षण को समन्यवित करने के उद्देश्य से आगमन से पूर्व सुविधा (स्टेशन,आश्रय, कुटीर, क्षेत्रीय शिविर) से संपर्क किया था ? (यदि समुचित हो)
- (2) क्या अभियान लीडर को (या उतरने वाले आगन्तुकों का भारसाधक व्यक्ति) अंटार्कटिक संधि के साधारण उपबंधों तथा इसके पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रोटोकाल की जानकारी थी ?

(3) क्या आगन्तुकों को स्थल पर उनके पहुंचने से पूर्व, निम्नलिखित संबंधी जानकारी प्राप्त हुई :—

- (i) क्षेत्र में विद्यमान महत्व, और उनके अवक्रमण से बचाव के ढंग ? और
- (ii) अंटार्कटिक पर्यटन पर सुसंगत मार्गदर्शी सिद्धांतों और प्रबंध लिखतों की अंतर्वस्तु (उदाहरणार्थ, आगन्तुकों के लिए स्थल मार्गदर्शक सिद्धांत अंटार्कटिका के आगन्तुकों के लिए साधारण मार्गदर्शक सिद्धांत, सिफारिश - 18-1 या एएसपीए/एएसएमए-प्रबंध योजना के व्यवहार नियम और प्रतिबद्धताएं)

उन साधनों का वर्णन करें जिन पर यह सूचना पारेषित की गई थी (बोर्ड पर प्रस्तुति, उतरने से पूर्व ब्रीफिंग, उतरने के ठीक पश्चात् ब्रीफिंग)

अनुभाग ड - निरीक्षण विषयक वर्णन

- (1) निरीक्षण के दौरान उतरे आगन्तुकों की कुल संख्या
- (2) क्या किसी एक समय में उतरते समय एक पर्यटक जलयान से अधिक पर्यटक जलयान थे ?
- (3) जलयान के अवतारणों के लिए, किसी एक समय में तट पर उतरे यात्रियों की अधिकतम संख्या कितनी थी ? (यह ध्यान रखते हुए कि यह सीमा 100 होनी चाहिए, जब तक कम संख्या लागू एटीसीएम उपायों या स्थल मार्गदर्शी सिद्धांतों में अन्यथा न दी गई हो)
- (4) क्या निरीक्षण के दौरान बनाया रखा गया कर्मचारिवृंद न्यूनतम अनुपात: 1:20 यात्री (जब तक लागू एटीसीएम उपायों या स्थल मार्गदर्शी सिद्धांतों में अन्यथा न दी गई हो) था ?
- (5) स्थल पर उनके निरीक्षण के दौरान आगन्तुकों द्वारा किस प्रकार के क्रियाकलाप किए गए थे ? (उदाहरणार्थ, तट पर चलना, समुद्र स्नान, तैराकी, कायाकिंग, गोताखोरी, ट्रेकिंग, हाइकिंग, चढना, शिविर लगाना, मैराथन, दौड़, हिम बोर्ड, स्काइंग, हैंडग्लाइडिंग, वन्यजीव दर्शन आदि)
- (6) निरीक्षण के दौरान कार्यान्वित किसी भूमि-पर आगन्तुक प्रबंध या पर्यावरण संरक्षण उपायों के ब्यौरे उपलब्ध कराएं (उदाहरणार्थ, आगन्तुकों का मार्गदर्शन करने के लिए अस्थायी क्षेत्र चिन्हक, अतिरिक्त मार्गदर्शक)
- (7) निरीक्षण के दौरान कार्यान्वित स्वस्थाने सुरक्षा उपायों का वर्णन करें (उदाहरणार्थ, उस दशा में जब जलयान/वायुयान प्रत्याशित समय पर आगन्तुकों को एकत्रित करने में समर्थ नहीं हैं) ?
- (8) क्या किसी लागू एएसपीए/एएसएमए प्रबंध योजना/ आचार संहिता, सुविधाएं, आन्तरिक नीतियां या वैसी बातों में उपवर्णित उपबंधों का पूर्णतया पालन किया जाता है ?
- (9) क्या आगन्तुकों के लिए किन्हीं लागू स्थल मार्गदर्शी सिद्धांतों में उपवर्णित उपबंधों (उदाहरणार्थ अधिमानित अवतारण स्थल, अंचलीकरण स्कीम, व्यवहार तट, पूर्वसावधानियां टिप्पण, आदि) का पूर्णतया पालन किया गया था ?

अनुभाग च - निरीक्षण का स्थल समाधात/संचालन

- (1) क्या पहचान किए गए प्रत्यक्ष समाघातों की कोई घटना/साक्ष्य, जो निम्नलिखित पर आगन्तुकों द्वारा कारित किया गया था :
  - (i) स्थल की प्राणिजात और वनस्पति ?
  - (ii) स्थल में विद्यमान स्थलाकृति और उजाड़ का मान ? (उदाहरणार्थ, पूर्व सतह पर रोदाई, स्नान खड्डों की खुदाई, स्तूप निर्माण, चट्टानों पर भित्ति लेखन, आदि)
- (2) निरीक्षण के दौरान कार्यान्वित स्वस्थाने अपशिष्ट प्रबंध प्रक्रियाओं का वर्णन करें ।
- (3) जहां उचित हो और स्थल विनिर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों या प्रबंध योजनाओं के अंतर्गत अन्यथा नहीं आते हों, वहां स्थल पर ऐतिहासिक
- (4) स्थलों और संस्मारकों (जिनमें अचल और चल ऐतिहासिक विशेषताएं भी हैं) पर विद्यमान समाघातों से बचाव के लिए निरीक्षण का किस
- (5) प्रकार प्रबंध किया गया था, का वर्णन करें ?

- (6) विज्ञान और/या संभारतंत्र संक्रियाओं (केवल, अन्य बातों के साथ साथ, स्टेशन, आश्रय, कुटीर, क्षेत्रीय शिविरों में निरीक्षणों को लागू) में किसी विशोभ को कारित किए जाने से बचने के लिए निरीक्षण के दौरान कार्यान्वित प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

अनुभाग छ - सुरक्षा और/या पर्यावरण संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पद्धतियों और प्रक्रिया संबंधी अतिरिक्त जानकारी

- (1) क्या उद्योग मानक पद्धतियों या प्रचालन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया था, (यदि ऐसा है, तो विनिर्दिष्ट करें) ?
- (2) क्या किसी विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण मानकों के अनुसार मार्गदर्शक/अभियान कार्मिक प्रत्यायित किए गए थे ? (कृपया बताएं)

### प्ररूप - 1

(नियम 4 का उपनियम (1) देखें)

रतीय स्टेशनों पर प्रवेश करने/ठहरने के लिए अंटार्कटिका के भारतीय अभियान के लिए अनुज्ञापत्र का आवेदन।

<p>कृपया दिए गए स्थान पर पासपोर्ट आकार के फोटो की प्रति लगाएं</p>
---

1. आवेदक का नाम और पदाभिधान: \_\_\_\_\_
2. क्या आवेदक केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/कानूनी निकाय/सोसाइटी/संगठन/कंपनी/किसी अन्य निकाय का भाग है :—  
हां/नहीं
- (यदि हां तो, इस प्ररूप के उपाबंध के अनुसार अभियान के सभी सदस्यों की विशिष्टियां संलग्न करें)
3. राष्ट्रीयता: \_\_\_\_\_
4. पहचान का सबूत (पासपोर्ट/आधारकार्ड/मतदाता पहचानपत्र): \_\_\_\_\_
5. जन्म की तारीख: \_\_\_\_\_
6. डाक का पता: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
7. निवास का पता: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
8. ई-मेल पता: \_\_\_\_\_
9. टेलिफोन/मोबाइल नंबर एसटीडी सहित/देश का कोड: \_\_\_\_\_
10. किसी आपात की दशा में संपर्क किए जाने वाले व्यक्तियों के नाम और टेलीफोन/मोबाइल नम्बर: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
11. अंटार्कटिका में क्रियाकलापों के बारे में विशिष्टियां :
- अंटार्कटिका के लिए वह प्रस्तावित अभियान जिसके लिए अनुज्ञापत्र का अनुरोध किया जा रहा है: \_\_\_\_\_
- प्रयोजन (वैज्ञानिक/संभारतंत्र/दोनों/अन्य): \_\_\_\_\_
- क्रियाकलाप की विधा\*: \_\_\_\_\_

क्रियाकलाप\*\* का स्थान और अवस्थान: \_\_\_\_\_

(जानकारी के लिए पृथक सारणी संलग्न करें)

12. अंटार्कटिका में ठहरने का सीजन (ग्रीष्म/शीत): \_\_\_\_\_

13. ठहरने की संभाव्य तारीखें और वह अवधि जिसके लिए अनुज्ञापत्र अपेक्षित है:

14. क्या आवेदक भारतीय स्टेशन में ठहरने का आशय रखता है: हां/नहीं

(यहां हां, तो स्टेशन के नाम का उल्लेख करें): \_\_\_\_\_

15. भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन में प्रवेश करने का प्रयोजन (अभियान/वैज्ञानिक अनुसंधान/पर्यावरण प्रबंध या मॉनिटरिंग/संभार तंत्र/पर्यटन/आश्रय/आपात/चिकित्सीय/शैक्षिक दौरा/अन्य): \_\_\_\_\_

16. क्या क्षेत्रीय शिविर में ठहरने का आशय रखता है: हां/नहीं

(यदि हां, क्या आवेदक ने भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 की धारा 27 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार तथा नियम 27 से नियम 37 में निर्दिष्ट अपशिष्ट प्रबंध योजना और आपात योजना प्रस्तुत कर दी है)

17. क्या स्तावित क्रियाकलाप का अंटार्कटिक पर्यावरण पर अल्पतर या पारगमन समाधात होगा: हां/नहीं

18. क्या आवेदक ने आरंभिक पर्यावरण मूल्यांकन या व्यापक पर्यावरण संबंधी मूल्यांकन (यथा स्थिति) प्रस्तुत किया है: हां/नहीं

19. अंटार्कटिका में की जाने वाली यात्रा के लिए प्रस्तावित जलयान/वायुयान का नाम (यदि ज्ञात हो):

20. क्या प्रस्तावित क्रियाकलाप निम्नलिखित से संबंधित है ?

क. अंटार्कटिक विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र/समुद्री संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश: हां/नहीं

(यदि हां, क्या प्ररूप 1क भर दिया गया है और संलग्न किया गया है): हां/नहीं

ख. ऐतिहासिक स्थल और संस्मारकों में प्रवेश: हां/नहीं

(यदि हां, स्थल का नाम और प्रवेश का प्रयोजन लिखें): \_\_\_\_\_

ग. खनिज संसाधनों से संबंधित क्रियाकलाप करने का आशय रखते हैं\*\*\*: हां/नहीं

(यदि हां, क्या प्ररूप 1ख भर दिया गया है और संलग्न किया गया है): हां/नहीं

घ. अधिनियम की धारा 8 और धारा 14 में यथानिर्दिष्ट नमूने/निदर्श, संग्रहण/निवारण से संबंधित क्रियाकलापों को

निष्पादित करने का आशय रखता है\*\*\*\*: हां/नहीं

(यदि हां, क्या प्ररूप 1ग भर दिया गया है और संलग्न किया गया है): हां/नहीं

21. अंटार्कटिक क्षेत्र में या किसी अन्य ठंडे या उँचे क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान/संचार तंत्र का अनुभव: हां/नहीं

(यदि हां, तो ब्यौरे दें): \_\_\_\_\_

22. नियम 9 के अनुसार प्रतिभूति निक्षेप की विशिष्टियां(आनलाइन संदाय): \_\_\_\_\_

23. नियम 9 के अनुसार आवेदन फीस की विशिष्टियां(आनलाइन संदाय): \_\_\_\_\_

24. क्या कोई अभियान सदस्य सूदूरत: पायलट चालित वायुयान प्रणाली/मानवरहित वायुयान का प्रयोग करने का आशय रखता है: हां/नहीं

यदि हाँ तो निम्नलिखित ब्यौरे दें -

क. सूदूरत: पायलट चालित वायुयान प्रणाली/मानवरहित वायुयान का मेक और माडल: \_\_\_\_\_

ग. पायलट का नाम: \_\_\_\_\_

घ. प्रयोजन के ब्यौरे: \_\_\_\_\_

ड. इस प्रभाव की पुष्टि है कि मानक प्रचालन पद्धतियां लागू की गई हैं: \_\_\_\_\_

25. प्रस्तावित वैज्ञानिक/संचार तंत्र क्रियाकलाप का सार संलग्न करें (अधिकतम 250 शब्द)

### घोषणा

मैं \_\_\_\_\_ सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से घोषणा करता हूँ कि अनुज्ञापत्र आवेदन प्ररूप में दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। मैं समझता हूँ कि यह विधिक बाध्यता है जिसके न किए जाने पर भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 तथा तदधीन बनाए गए नियमों में यथा उल्लिखित प्रशासनिक कार्रवाई, विधिक दंड और शास्ति लागू हो सकेगी।

मैं, धारा 27 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार स्टेशन के लिए तैयार की गई और नियम 27 से नियम 37 में निर्दिष्ट अपशिष्ट योजना और आपात योजना का पालन करूंगा।

मैं पुष्टि करता हूँ कि मैंने भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 और तदधीन बनाए गए नियमों, अंटार्कटिक संधि के पर्यावरण संबंधी संरक्षण पर प्रोटोकॉल और इसके उपाबंध को पढ़ लिया है और मैं इनके उपाबंधों का पालन करूंगा।

तारीख: \_\_\_\_\_

आवेदक के हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

आवेदक का नाम: \_\_\_\_\_

संस्था/संगठन के प्रधान के मोहर सहित हस्ताक्षर

\* जीव विज्ञान इंजीनियरी, पर्यावरण, भूगर्भ विज्ञान चिकित्सा, अन्य या संभार तंत्र शाखाएं जिसमें संनिमार्ण, संक्रियाएं और अन्य भी हैं।

\*\*लासेमान हिल्स/शीरमाकर हिल्स/प्रिन्सेस एलिजाबेथ भूखंड/ड्रोनिंग मौड भूखंड या कोई अन्य विनिर्दिष्ट अंटार्कटिक क्षेत्र

\*\*\*कोई प्राकृतिक संसाधन जो न तो जीवंत है या न ही अधिनियम की धारा 7 के स्पष्टीकरण के अनुसार नवीकरणीय है

\*\*\*\*देशज पौधों/पक्षियों/स्तनपायी को हटाना या नुकसान पहुंचाना/देशज पक्षियों के आवास को तंग करना किसी अन्य मिट्टी की जैविक सामग्री या संग्रहण को हटाना/ किसी अन्य नमूने को हटाना।

### टिप्पण

(1) उसे काट दें जो लागू न हो।

(2) जहां अपेक्षित ब्यौरे देने के लिए आवेदन प्ररूप में स्थान पर्याप्त नहीं है वहां अपेक्षित जानकारी देने के लिए पृथक शीट संलग्न करें।

(3) जहां वैज्ञानिक अभियान के लिए अभियान सदस्यों के समूह के लिए किसी सरकारी/गैर सरकारी संगठन या संस्था/भारत सरकार के स्वायत्त निकायों के प्रधान द्वारा अनुज्ञापत्र अपेक्षित है वहां इस अनुज्ञापत्र आवेदन प्ररूप को प्रत्येक अभियान सदस्य द्वारा भरा जाना आवश्यक नहीं है किंतु निम्नलिखित को अंतर्विष्ट करने वाली सूची संलग्न करें:—

(क) वैज्ञानिक अभियान के लिए: पृथक शीट में – अभियान सदस्य का नाम, परियोजना संख्या, यदि कोई हो, का नाम परियोजना शीर्षक, प्रधान अन्वेषक का नाम, पदाभिधान, सहबद्धता/संगठन, कार्यालय पता/डाक पता, स्थायी पता, ईमेल, टेलिफोन, मोबाईल नम्बर, आधार कार्ड संख्यांक/पासपोर्ट संख्या और राष्ट्रीयता और परियोजना प्रस्तावों की प्रतियां संलग्न करें।

(ख) गैर वैज्ञानिक अभियान के लिए : अभियान सदस्य का नाम, पदाभिधान, सम्बद्धता/संगठन, कार्यालय पता/डाक पता, स्थायी पता, ईमेल, टेलीफोन/ मोबाइल नम्बर, आधार कार्ड संख्यांक/पासपोर्ट संख्या और राष्ट्रीयता।

(4) इस आवेदन प्ररूप को भरने से पूर्व, भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 और तदधीन बनाए गए नियमों को पढ़ लें।

(5) यह समझा जाता है कि अंटार्कटिका में भारतीय अभियान के समूह के लिए अभियान सदस्य का नाम, अनुज्ञापत्र आवेदन को प्रस्तुत करते समय यह पता न हो किन्तु इसे अंटार्कटिका की ओर प्रस्थान करने से एक मास पूर्व प्रस्तुत करना होगा।



- (6) यह भी समझा जाता है कि अनुज्ञापत्र आवेदन को प्रस्तुत करने के समय जलयान या वायुयान की किसी जानकारी के बारे में यह पता न हो किंतु इसे अंटार्कटिका की ओर प्रस्थान करने से एक मास पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
- (7) ऐसे अन्य व्यक्तियों के लिए, जो इस अनुज्ञापत्र आवेदन के अंतर्गत आते हैं, उपाबंध क भरें: पूर्ण और अंतिम सूची (जिसमें उनकी राष्ट्रियताएं और पासपोर्ट संख्या भी है) और पहचान का सबूत आवेदक के और साथ ही सभी अभियान सदस्यों के दो पासपोर्ट आकार के फोटो सहित प्रस्थान से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।
- (8) स्टेशन का प्रचालन या अनुरक्षण का प्रधान भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 की धारा 27 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार तथा तदधीन बनाए गए नियम 27 से नियम 37 में निर्दिष्ट अपशिष्ट प्रबंध योजना और आपात योजना उपलब्ध कराएगा।

**उपाबंध - क**

पूरा नाम (उनके पासपोर्ट के अनुसार)	राष्ट्रीयता	पासपोर्ट सं०	आर्कटिक, अंटार्कटिका या किसी अन्य ठंडे या उँचे क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान का पूर्व अनुभव (हां/नहीं)	यदि पूर्वतर स्तंभ के लिए 'हां' है, तो ब्यौरे दीजिए।

**प्ररूप - 1 क**

(नियम 4, का उपनियम (1) देखें)

अंटार्कटिक विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र/समुद्री संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने तथा क्रियाकलापों को निष्पादित करने के लिए अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन।

- आवेदक का नाम और पद नाम: \_\_\_\_\_
- क्या आवेदक केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/कानूनी निकाय/सोसाइटी/संगठन/कंपनी/किसी अन्य निकाय द्वारा आयोजित किसी अभियान का भाग है: \_\_\_\_\_  
(यदि हां तो इस प्ररूप के उपाबंध के अनुसार अभियान के सभी सदस्यों की विशिष्टियां संलग्न करें)

2. अभ्यागमन किए जाने के लिए आशयित विशेष रूप से अंटार्कटिक संरक्षित क्षेत्र समुद्री संरक्षित क्षेत्र का नाम एवं ब्यौरे: \_\_\_\_\_

4. क्रियाकलाप के ब्यौरे:

एक बार में अंटार्कटिक विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र/समुद्री संरक्षित क्षेत्र तक पहुंच के लिए अपेक्षित व्यक्तियों के नाम (व्यक्तियों के नाम एवं ब्यौरे): \_\_\_\_\_

5. अंटार्कटिक विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र/समुद्री संरक्षित क्षेत्र तक और उनके भीतर परिवहन (परिवहन के ढंग जैसे पैदल/हिम मोबाइल से/हेलीकाप्टर से आदि के ब्यौरे दें): \_\_\_\_\_

6. क्या क्रियाकलाप में कोई नमूना लेना, संस्थान या उपस्कर का हटाया जाना अपेक्षित है: हाँ/नहीं

यदि हां, नमूना लेने/उपस्कर के प्रकार तथा उन ढंगों के, जिनका नमूना लेने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा, के ब्यौरे दें:

7. क्या क्रियाकलाप को क्षेत्र के लिए प्रबंध योजना के अनुसार किया जा सकता है: हाँ/नहीं

यदि नहीं तो विपथन के लिए औचित्य बातएं: \_\_\_\_\_

8. क्या क्रियाकलाप से पक्षियों/सील (जैसे पर्यावरण संरक्षण समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए अंटार्कटिका में और प्रबंध योजना में यथा उल्लिखित पक्षियों के संकेन्द्रण के निकट वायुयान के प्रचालन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों में उपबंधित न्यूनतम पहुंच दूरी की तुलना में निकट पहुंच कर) को तंग करने की संभावना है:

क. व्यष्टिक प्रजाति: हाँ/नहीं

ख. प्रजातियों का संकेन्द्रण (20+): हाँ/नहीं

ग. प्रजनन या निर्मोचन जन्तु: हाँ/नहीं

यदि हां, ब्यौरे दें:

9. अंटार्कटिक विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र/समुद्री संरक्षित क्षेत्र के भीतर एकत्रित किए जाने वाले नमूनों के ब्यौरे:

भौगोलिक अवस्थान	नमूने का प्रकार	नमूने की संख्या	भार ( ग्रा./कि ग्रा0	परिमाण (मि0ली0/ लिटर)	आकार/विस्तार (एलxबीxएच)

10. क्या क्रियाकलाप में समुद्री जीवाश्म या सूक्ष्म या जननिक सामग्री के लिए जलीय/स्थलीय पर्यावरण अन्तर्वलित हैं :  
हां/नहीं

यदि हां, ब्यौरे दे :

भौगोलिक अवस्थान	नमूने का प्रकार	नमूने की संख्या	भार(ग्रा.या कि ग्रा0)	परिमाण(ग्रा. या लिटर)	आकार/(एलxबीxएच) सें.मी. में

11. क्या क्रियाकलाप, यदि अनुज्ञात किया जाए, से निम्नलिखित को कारित किया जाता है:

क. प्राणिजात मृत्यु: हां/नहीं

ख. प्राणिजात क्षति: हां/नहीं

ग. अन्य हस्तक्षेप: हां/नहीं

यदि हां, तो प्रभावित प्रजातियों के नाम और संख्या बताएं: \_\_\_\_\_

12. वैज्ञानिक/नैतिक समिति का अनुमोदन:

क. यदि क्रियाकलाप में देशज प्राणिजात पर आक्रामक तकनीकें अंतर्वलित हैं तो यह साक्ष्य दें कि प्रस्तावित ढंगों का अनुमोदन कर दिया गया है या स्वतंत्र वैज्ञानिक/जंतु नैतिक समिति से अनुमोदन की वांछा की गई है।

ख. यह सुनिश्चित करें कि क्रियाकलाप अंटार्कटिक अनुसंधान संबंधी वैज्ञानिक समिति द्वारा विनिर्दिष्ट वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए जंतुओं के उपयोग के लिए आचार संहिता के अनुसार किया जाएगा:

13. क्या निर्मोचित पंखों के नमूने एकत्रित करने का प्रस्ताव है:

हां/नहीं

यदि हां, ब्यौरे दें: \_\_\_\_\_

14. क्या अंटार्कटिक संरक्षित क्षेत्र/समुद्री संरक्षित क्षेत्र में क्रियाकलाप के अंतर्गत जैव-पूर्वक्षण के लिए जैविक सामग्री एकत्रित करना भी सम्मिलित है: हां/नहीं

यदि हां, तो भावी संभाव्य वाणिज्यिक अनुप्रयोग निकालने के प्रयोजनों के लिए अंटार्कटिक विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र/समुद्री संरक्षित क्षेत्र के भीतर अंटार्कटिक वनस्पति/ प्राणिजात से आनुवंशिक सामग्री संग्रहण सहित नमूना संग्रहण के ब्यौरे दें: \_\_\_\_\_

15. क्या अंटार्कटिक पर्यावरण पर प्रस्तावित क्रियाकलाप के समाधात (जो अल्पतर है या अल्प है या अल्पाधिक है) और आरंभिक पर्यावरण संबंधी मूल्यांकन/व्यापक पर्यावरण मूल्यांकन के उपबंधों पर विचार किया गया है :  
हां/नहीं

ब्यौरे दें: \_\_\_\_\_

16. अपशिष्ट निपटान के ब्यौरे: \_\_\_\_\_

---



---



---

### घोषणा

मैं \_\_\_\_\_ सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से घोषणा करता हूँ कि अनुज्ञापत्र आवेदन प्ररूप में दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। मैं यह भी समझता हूँ कि अधिनियम के उपबंधों का पालन करना विधिक बाध्यता है जिसके न किए जाने पर भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 तथा तदधीन बनाए गए नियमों में यथा निर्दिष्ट प्रशासनिक कार्रवाई, विधिक दंड और शास्ति लागू हो सकेंगी।

तारीख: \_\_\_\_\_

आवेदक के हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

आवेदक का नाम: \_\_\_\_\_

संस्था/संगठन के प्रधान के मोहर सहित हस्ताक्षर

### **प्ररूप – 1 ख**

(नियम 4 का उपनियम (1) देखिए)

**खनिज संसाधन क्रियाकलाप के लिए अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन।**

1. आवेदक का नाम और पदाभिधान: \_\_\_\_\_
2. क्या आवेदक केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/कानूनी निकाय/सोसाइटी/संगठन/कंपनी/किसी अन्य निकाय द्वारा आयोजित किसी अभियान का भाग है: \_\_\_\_\_  
हां/नहीं
- (यदि हां तो इस प्ररूप के उपाबंध के अनुसार अभियान के सभी सदस्यों की विशिष्टियां संलग्न करें)
3. प्रस्तावित क्रियाकलापों के प्रयोजन की संक्षिप्त रूप रेखा; वैज्ञानिक संनिमार्ण/अनुरक्षण/मरम्मत/ भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन/ कोई अन्य संरचना/सड़क/रनवे/घाट: \_\_\_\_\_
4. आरंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित खनिज संसाधन क्रियाकलापों का वर्णन और वह किस रीति में क्रियाकलाप, अध्ययन/संक्रियाओं के लिए आवश्यक हैं: \_\_\_\_\_
5. अंटार्कटिका से नमूनों/खनिज संसाधनों को हटाए जाने के लिए कौन-कौन से परिवहन, भंडारण और अंतिम उपयोग के इंतजाम किए जाएंगे, ब्यौरे दें: \_\_\_\_\_

6. अवस्थान और उस स्थान का नाम बताएं जहां से नमूने/खनिज एकत्रित किए जाएंगे या उत्खनित किए जाएंगे: \_\_\_\_\_

---



---



---

7. नमूनों/खनिज संसाधनों, जिन्हें एकत्रित किया जाना है या उत्खनित किया जाना है, का प्रकार, संख्या भार/परिमाण, आकार:

भौगोलिक अवस्थान	नमूने का प्रकार	नमूने की संख्या	भार (ग्रा०/कि ग्रा०)	परिमाण (मि०ली०/ लिटर)	आकार (एलxबीxएच)

8. संग्रहण या उत्खनन के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित उपस्कर/मशीनरी के ब्यौरे: \_\_\_\_\_

---



---

9. क्या क्रियाकलाप के कार्यान्वयन दौरान कोई स्थल शिविर स्थापित किया जाएगा: हां/नहीं  
यदि हां, अपशिष्ट प्रबंध योजना और इसके कार्यान्वयन के बारे में ब्यौरे दें: \_\_\_\_\_

---



---

10. क्या अंटार्कटिक पर्यावरण पर प्रस्तावित क्रियाकलाप का समाधात (जो अल्पतर है/ अल्प है/अल्पाधिक है) और आरंभिक पर्यावरण मूल्यांकन/व्यापक पर्यावरण संबंधी मूल्यांकन के उपबंधों पर विचार किया गया है?:

---



---

11. क्या अंटार्कटिक अधिनियम के अनुसार अपशिष्ट निपटान नियोजित किया गया है, अपशिष्ट प्रबंध योजना के ब्यौरे दें:

---



---



---

12. किसी अन्य नमूने का संग्रहण/निवारण (यदि, आशयित नहीं तो कृपया इस अनुभाग को अनुत्तरित छोड़ दें): \_\_\_\_\_ हां/नहीं

क. यदि हां, नमूना संग्रहण (वैज्ञानिक अध्ययन/संग्रहालय के लिए नमूना/शैक्षिक या सांस्कृतिक) का प्रयोजन बताएं:

---

ख. नमूना के ब्यौरे दें :

नमूना संग्रहण का स्थान	अंक्षांश देशांतर रेखांश	नमूना का प्रकार	स्थलीय नमूना संग्रहण (झील जल, समुद्र जल मिट्टी, हिम तल-छट) का स्रोत	आकार (एलxबीxएच) सें.मी.	भार (ग्रा0 या कि.ग्रा0)	परिमाण (मि.लि. या लिटर)

13. नमूना संग्रहण के लिए कौन-कौन सी पद्धतियों और उपस्कर का प्रयोग किया जाएगा, ब्यौरे दें:

---



---



---

### घोषणा

मैं \_\_\_\_\_ सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से घोषणा करता हूँ कि अनुज्ञापत्र आवेदन प्ररूप में दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। मैं यह भी समझता हूँ कि इस अधिनियम के उपबंधों का पालन करना विधिक बाध्यता है जिसके न किए जाने पर भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 तथा तदधीन बनाए गए नियमों में यथा निर्दिष्ट प्रशासनिक कार्रवाई, विधिक दंड और शास्ति लागू हो सकेंगी।

तारीख: \_\_\_\_\_ आवेदक के हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

आवेदक का नाम: \_\_\_\_\_

संस्था/संगठन के प्रधान के मोहर सहित हस्ताक्षर

### प्ररूप – 1 ग

(नियम 4 का उपनियम (1) 24 देखें)

वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए गैर-देशज जंतुओं, पौधों या सूक्ष्म जीवाश्मों के समावेशन या देशज पौधों/पक्षियों/स्तनपायी के हटाने या नुकसान पहुंचाने/देशज पक्षियों के आवास को विक्षुब्ध करने/मिट्टी या जैविक सामग्री को हटाने या किसी अन्य नमूने के संग्रहण/ हटाने को अनुज्ञात करने हेतु अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन।

1. आवेदक का नाम और पदाभिधान: \_\_\_\_\_
2. क्या आवेदक केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/कानूनी निकाय/सोसाइटी/संगठन/कंपनी/किसी अन्य निकाय द्वारा आयोजित किसी अभियान का भाग है: \_\_\_\_\_  
हां/नहीं  
(यदि हां तो इस प्ररूप के उपाबंध के अनुसार अभियान के सभी सदस्यों की विशिष्टियां संलग्न करें)
3. प्रस्तावित समावेशन/निवारण के लिए वैज्ञानिक प्रयोजनों की संक्षिप्त रूपरेखा दें: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4. कृपया उपदर्शित करें कि अंटार्कटिका में समावेशित गैर-देशज प्रजातियों को कहां-कहां रखा जाएगा और वे पूर्व सावधानियां, जो समावेशित प्रजातियों के बच निकलने या उनके फैले जाने को रोकने के लिए अपनाई जाएंगी या देशज प्राणिजात, वनस्पति और अंटार्कटिक पर्यावरण के साथ उनका संपर्क: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. समावेशित प्रजातियों को हटाने की या भस्मीकरण विसंक्रमण या अन्य साधनों द्वारा उनके निपटान के ढंग का उल्लेख करें:

6. गैर-देशज जंतु/पौधे/सूक्ष्म जीवाश्म के नाम (प्रजातियां) जिन्हें समावेशित किया जाना आशयित है:

प्रजाति (सामान्य नाम)	प्रजाति वैज्ञानिक (लेटिन नाम)	परिणाम	आयु/जीवन प्रक्रम	लिंग

7. प्रत्येक गैर-देशज प्रजाति के समावेशन का प्रत्याशित जोखिम निर्धारण, जिसमें आकस्मिक निर्मुक्ति के संभाव्य परिणाम भी हैं, क्या होगा:

8. क्या किए जाने वाले क्रियाकलाप के दौरान किसी स्थल शिविर की स्थापना की जाएगी: हां/नहीं  
यदि हां, अपशिष्ट प्रबंध योजना को कैसे कार्यान्वित किया जाएगा, ब्यौरे दें:

9. गैर-देशज जंतु/पौधे/सूक्ष्म जीवाश्म, जो क्षेत्र से हटाए जाएंगे, की प्रजातियों के अवस्थान और अन्य ब्यौरे:

वह अवस्थान जिससे प्रजातियां हटाई जाएंगी	प्रजातियां (सामान्य नाम)	प्रजातियां वैज्ञानिक (लेटिन) नाम यदि ज्ञात हो	मात्रा	आयु/जीवन प्रक्रम	लिंग

10. प्रस्तावित क्रियाकलापों के वैज्ञानिक प्रयोजन की संक्षिप्त रूपरेखा बताएं:

11. यह उपदर्शित करें कि कौन कौन से क्रियाकलाप किए जाने के लिए आशयित है जिनका परिणाम प्रजातियों का वध करना, उनको क्षति पहुंचाना, पकड़ना, उनका लाया जाना, उत्पीडित करना, तंग करना या नुकसान पहुंचाना हो सकेगा

या नहीं हो सकेगा या उनके आवास को नुकसान पहुंचाने की संभावना हो सकेगी या नहीं हो सकेगी:

---



---



---

12. यदि देशज स्तनपायी, पक्षी या अकशेरुकी अनुसंधान में अंतर्वर्तित है, तो वर्णन करें कि किस प्रकार समुचित रूप से मानवीय रीति में इनके साथ व्यवहार किया जाएगा ? यदि परियोजना वैज्ञानिक/नैतिक पुनर्विलोकन के अध्ययनीन रही है, कृपया निम्नलिखित के ब्यौरे सम्मिलित करें:

- क. पुनर्विलोकन करने वाला निकाय  
 ख. वह तारीख जिसको पुनर्विलोकन किया गया था और  
 ग. निष्कर्ष और कोई परियोजना - विनिर्दिष्ट सिफारिशें

---



---



---

13. यदि स्तनपायी, पक्षी या अकशेरुकी (जीवित या मृत) का परिवहन किया जाना है, परिवहन किया गया है, ब्यौरे दें:

---



---

14. क्या ऐसी कोई बात करने का आशय है जिससे किसी देशज स्तनपायी, पक्षी, पौधे या अकशेरुकी के आवास/विशेष रूप से संरक्षित प्रजातियों या जनसंख्या को नुकसान पहुंचाने की संभावना होगी:

---



---



---

15. देशज स्तनपायी, पक्षी, अकशेरुकी या देशज पौधे की प्रजातियों को उपदर्शित करें जो क्रियाकलाप को प्रभावित करेंगी:

प्रजातियां (सामान्य नाम)	प्रजातियां वैज्ञानिक (लेटिन) नाम	मात्रा (संख्या और कुल भार)	आयु/जीवन प्रक्रम	लिंग

16. यदि देशज पक्षियों या सील के संकेन्द्रण के निकट हेलीकाप्टर या अन्य वायुयान उड़ाने या उतारने का/विस्फोटक प्रयोग करने/यान या जलयान या होवर क्राफ्ट/लघु नौका का प्रयोग करने का प्रस्ताव करता है तो इसके ब्यौरे दें:

---



---

17. किसी अन्य नमूना का संग्रहण/हटाया जाना :

हां/नहीं

- क. नमूना संग्रहण (संग्रहालय/वनस्पति संग्रहालय/प्राणि उद्यान या वनस्पति उद्यान/शैक्षिक या सांस्कृतिक) का प्रयोजन बताएं:

---



---



ख. नमूना के ब्यौरे दें :

नमूना संग्रहण का स्थान	अंक्षांश देशांतर रेखांश	नमूना का प्रकार	स्थलीय नमूना संग्रहण (झील जल, समुद्र जल मिट्टी, हिम तल-छट) का स्रोत	आकार (एलXबीXएच) से.मी.	भार (ग्रा0 या कि ग्रा0)	परिमाण (मि.लि. या लिटर)

ग. नमूना संग्रहण के लिए कौन-कौन सी पद्धतियों और उपस्करों का प्रयोग किया जाएगा, ब्यौरे दें:

---



---



---

घ. क्या अंटार्कटिक विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र/समुद्री संरक्षित क्षेत्र या निकट ऐतिहासिक स्थल और संस्मारकों से नमूना एकत्रित करने का आशय रखता है, यदि ऐसा है तो कृपया ब्यौरे दें, क्षेत्र की जैविक, पर्यावरणीय और भौगोलिक महत्वों को किसी क्षोभ से बचाने के लिए क्या-क्या पूर्व सावधानियां बरती जाएंगी:

---



---



---

("गैर-देशज" प्रजातियां वे प्रजातियां हैं जो उनके जीवन चक्र के किसी प्रक्रम के दौरान अंटार्कटिक संधि क्षेत्र के लिए देशज नहीं हैं या जो प्राकृतिक प्रवास के माध्यम से सीजन के दौरान वहां नहीं पायी जाती हैं)

### घोषणा

#### (अनुज्ञापत्र धारक द्वारा)

मैं \_\_\_\_\_ सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से घोषणा करता हूँ कि अनुज्ञापत्र आवेदन प्ररूप में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैं यह भी समझता हूँ कि अधिनियम के उपबंधों का पालन करना विधिक बाध्यता है और जिसके न किए जाने पर भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 तथा तदधीन बनाए गए नियमों में यथा विहित प्रशासनिक कार्रवाई, विधिक दंड और शास्ति लागू हो सकेंगी।

तारीख: \_\_\_\_\_

आवेदक के हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

आवेदक का नाम: \_\_\_\_\_

संस्था/संगठन के प्रधान के मोहर सहित हस्ताक्षर

### प्ररूप - 2

(नियम 4 का उपनियम (1) देखें)

अंटार्कटिक/कन्वेंशन क्षेत्र में प्रवेश करने वाले जलयान/वायुयान के लिए अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन

लागू : जलयान/ वायुयान के ऐसे स्वामी/प्रचालक जो भारतीय अभियान (सरकारी/गैर सरकारी संगठन/प्राइवेट/पर्यटक/वाणिज्यिकी मत्स्यस्की/अन्य) जिसके अंतर्गत कोई ऐसा जलयान या वायुयान भी है जो भारत में रजिस्ट्रीकृत है किंतु अंटार्कटिक संधि/कन्वेंशन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए किसी अन्य पक्षकार द्वारा अवक्रीत नहीं है, का भाग है।

**भाग क : स्वामी/प्रचालक के ब्यौरे**

1. फोटो (नीचे दिए गए स्थान पर चिपकाएं) तथा आवेदक के पासपोर्ट के सुसंगत पृष्ठ जिसमें व्यक्तिगत पहचान और पता का उल्लेख हो, संलग्न करें।

कृपया दिए गए स्थान  
पर  
पासपोर्ट  
आकार के फोटो की प्रति  
लगाएं

2. पुष्टि करें कि किस प्राधिकार के अधीन आप अंटार्कटिका में प्रवेश करने का आशय रखते हैं (उदाहरणार्थ, अंटार्कटिक शासन और पर्यावरण संरक्षण समिति (सीएजीईपी) से प्राप्त अनुज्ञापत्र या प्रोटोकाल के किसी अन्य पक्षकार द्वारा प्रदत्त किए गए प्राधिकार के माध्यम से:

3. आवेदक (अनुज्ञापत्र धारक) की विशिष्टियां:

- क. आवेदक का नाम: \_\_\_\_\_
- ख. संगठन: \_\_\_\_\_
- ग. पहचान का सबूत (पासपोर्ट/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र): \_\_\_\_\_
- घ. पदाभिधान: \_\_\_\_\_
- ङ. डाकपता: \_\_\_\_\_
- च. ईमेल पता: \_\_\_\_\_
- छ. टेलीफोन/मोबाइल: \_\_\_\_\_
- ज. वेबसाइट: \_\_\_\_\_
- झ. राष्ट्रियता: \_\_\_\_\_

**भाग ख : जलयान/वायुयान के ब्यौरे**

4. आगमन और प्रस्थान की तारीख और स्थान

- क. अंटार्कटिका के लिए प्रस्थान का प्रथम पत्तन: \_\_\_\_\_
- ख. अंटार्कटिका संघि क्षेत्र (60° दक्षिणी अक्षांश) में आरंभिक प्रवेश की संभाव्य तारीख: \_\_\_\_\_
- ग. अंटार्कटिका (60° दक्षिणी अक्षांश) से अन्तिम निकासी की संभाव्य तारीख: \_\_\_\_\_
- घ. अंटार्कटिका से अन्तिम निकासी के पश्चात् काल का प्रथम स्थान: \_\_\_\_\_

5. रजिस्ट्रीकरण की विशिष्टियां

- क. उदगम का देश: \_\_\_\_\_
- ख. आवेदन भरने के दौरान ध्वज राज्य: \_\_\_\_\_
- ग. रजिस्ट्री का पत्तन: \_\_\_\_\_
- घ. वर्ग (हिम वर्ग/हिम सुद्वीकरण): \_\_\_\_\_

इ. निर्मित किए जाने का वर्ष और स्थान: \_\_\_\_\_

च. रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता: \_\_\_\_\_

6. जलयान/वायुयान की विशिष्टियां

क. नाम: \_\_\_\_\_

ख. कोई पूर्वतर नाम, यदि ज्ञात हो: \_\_\_\_\_

ग. टाइप: \_\_\_\_\_

घ. लंबाई: \_\_\_\_\_

इ. चौड़ाई: \_\_\_\_\_

च. ऊचाई: \_\_\_\_\_

छ. प्रारूप (जलयान के लिए): \_\_\_\_\_

ज. इंजन का मेक और एचपी: \_\_\_\_\_

झ. जलयान/वायुयान की आयु: \_\_\_\_\_

ञ. प्रचालन का आधार: \_\_\_\_\_

ट. शुष्क भार/टन भार: \_\_\_\_\_

ठ. इंजल चलाने के लिए अपेक्षित ईंधन का प्रकार: \_\_\_\_\_

ड. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संख्या, ब्राह्म चिन्हांकन (जलयान के लिए): \_\_\_\_\_

ढ. अंतर्राष्ट्रीय रेडियो काल संकेत: \_\_\_\_\_

झ. ध्रुवीय पोट प्रमाण पत्र सं० (जलयान): \_\_\_\_\_

त. जलयान संसूचना प्रकार और संख्या (उदाहरणार्थ इनमारसत क, ख और ग संख्यांक या कोई अन्य):  
\_\_\_\_\_

थ. जलयान का ढांचा और अधिसंरचना संनिर्माण सामग्री (यां): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

द. कर्मीदल की संख्या: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ध. कर्मीदल और उनकी अर्हताओं (जिनके अंतर्गत कप्तान/पायलट/आईस कप्तान/पायलट भी है) के ब्यौरे:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(यदि आवेदन करने के समय के दौरान, ब्यौरे ज्ञात नहीं हैं तो अंटार्कटिक क्षेत्र में जलयान या वायुयान में प्रवेश करने से तीस दिन पहले नाम व अर्हताओं की सूची प्रस्तुत की जाए)

न. जलयान या वायुयान में उपलब्ध जीवन रक्षक साधित्रों के ब्यौरे: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

प. संचार प्रणाली:

क्या अभियान/जलयान/वायुयान की नियमित संचार अनुसूची, नियमित आधार पर रिपोर्टिंग है: हां/नहीं

यदि हां, तो ब्यौरे जिनमें अभियान/जलयान/वायुयान कैसे संसूचित करेगा और अनुसूची की आवृत्ति भी है, प्रस्तुत करें:

फ. क्या अभियान/जलयान/वायुयान में खोज युक्ति होगी:

हां/नहीं

यदि हां, ब्यौरे, जिनमें स्थिति रिपोर्ट करने की आवृत्ति भी है, दें:

व. क्या संपर्क के अभाव के लिए कोई आकस्मिक योजनाएं बनाई गई हैं, कृपया ब्यौरे दें:

7. वायुयान की विशिष्टियां:

प्रकार (उदाहरणार्थ फिक्सड विंग, हेलिकाप्टर, वायुपोत, गुब्बारा आदि) और वर्णन:

क. वर्ग:

ख. सामर्थ्य:

ग. बैठने की क्षमता:

घ. उड़ान भरने का भार:

8. बीमा विशिष्टियां (जिनमें बीमाकर्ता, कवर का प्रकार और रकम तथा अवसान की तारीखें भी हैं (पालिसी/पालिसियों की प्रतियां संलग्न करें), क्या इसके अंतर्गत तृतीय पक्षकार, उपस्कर मैडिक्क, संप्रत्यावर्तन और अनुसंधान तथा बचाव भी आते हैं,

ब्यौरे दें:

9. अंटार्कटिक या कन्वेशन क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयोजन:

(अभियान/वैज्ञानिक अनुसंधान/पर्यावरण प्रबंध या मानीटरी/पर्यटन/आश्रय/आपात/चिकित्सा/ शैक्षिक अभ्यागमन / अन्य उपदर्शित करें):

10. क्या कोई सदस्य अंतर्राष्ट्रीय अंटार्कटिक टुअर आपरेटरों के संगम का सदस्य बनने का आशय रखता है, सदस्यता स्तर और अवधि के ब्यौरे दें या आप कब आवेदन करने का आशय रखते हैं, (केवल जलयान के लिए लागू होता है):

11. क्या अभियान किसी समुद्री संरक्षित क्षेत्र का अभ्यागमन करने का आशय रखता है :

हां/नहीं

यदि हां, ब्यौरे दें (प्ररूप 1क प्रस्तुत करें):

भाग ग : क्रियाकलाप ब्यौरे

12. यदि किसी प्राइवेट अभियान, गैर सरकारी संगठन या पर्यटन प्रचालक के लिए अनुज्ञापत्र अपेक्षित है, जलयान का नाम और कर्मी/यात्री वहन करने की क्षमता का उल्लेख करें:

13. प्रस्तावित क्रियाकलाप का अवस्थान/क्षेत्र (अंटार्कटिक अनुसंधान संबंधी वैज्ञानिक समिति द्वारा प्रकाशित अंटार्कटिक के संयुक्त राजपत्र के अनुसार समन्वयक या स्थान का नाम बताएं): \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
14. पृथक शीट में क्रियाकलापों का विस्तृत वर्णन करें (अपनी संलग्न पर्यावरण संबंधी समाधात निर्धारण रिपोर्ट, यदि लागू हो, के अनुभाग देखें): \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
15. क्रियाकलाप/क्रियाकलापों का लक्ष्य या प्रयोजन क्या है?: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
16. क्रियाकलाप का सीजन : ग्रीष्म/शीत
17. अंटार्कटिका में क्रियाकलाप करने की नियोजित तारीखें कौन-कौन सी है?: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
18. क्रियाकलापों के संभावित विकल्प कौन-कौन से हैं जिनके अंतर्गत क्रियाकलाप न करने के विकल्प भी हैं/प्रत्येक विकल्प के क्या परिणाम हैं?:
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
19. अंटार्कटिका के भीतर परिवहन के साधन (स्की/बर्फ पर चलनेवाला स्कूटर/बर्फ पर चलनेवाला यान/वायुयान/ अन्य):
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
20. क्या प्रस्तावित क्रियाकलाप का अंटार्कटिका के पर्यावरण पर समाधात होगा : हां/नहीं
- क. यदि हां और अल्प या पारगमन हैं- आरंभिक पर्यावरण मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न करें ।
- ख. यदि अल्प से अधिक या पारगमन हैं – प्रारूप व्यापक पर्यावरण मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न करें ।
- ग. यदि नहीं, तो कारण का औचित्य बताएं कि आरंभिक पर्यावरण संबंधी मूल्यांकन या व्यापक पर्यावरण संबंधी मूल्यांकन रिपोर्ट पृथक शीट में प्रस्तावित क्रियाकलाप हेतु तैयार करने के लिए क्यों अपेक्षित नहीं है, और आवेदन के साथ संलग्न करें।
21. प्रतिकूल पर्यावरण समाधात को कम करने के लिए शमनकारी उपाय: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
22. क्या अंटार्कटिका में परिसंकटमय पदार्थों को हटवाने का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, परिसंकटमय पदार्थ के व्यौरे दें (उदाहरणार्थ, रासायनिक पदार्थ) रेडियोधर्मी सामग्री, या ऐसे समस्थानिक जिनका आप प्रयोग करने के लिए प्रस्ताव करते हो । प्रत्येक पदार्थ के लिए, सूची:
- क. परिसंकट वर्ग: \_\_\_\_\_
- ख. मात्रा: \_\_\_\_\_

ग. इसकी आवश्यकता क्यों है: \_\_\_\_\_

घ. क्या पर्यावरण में इन्हें छोड़ा जाएगा या नहीं: \_\_\_\_\_

ङ. उनका किस प्रकार उपयोग किए जाने का आशय है, स्पष्ट करें: \_\_\_\_\_

23. क्या जलयान के मुख्य टैंक या अंटार्कटिक स्थलीय पर्यावरण के भीतर ईंधन को भंडारित करने का आशय है ? प्रत्येक प्रकार के ईंधन के लिए, मात्रा और भंडारण सुविधा के अवस्थान का कथन करें। यदि ईंधन अंतरण किया जाता है तो मात्रा और भंडारण सुविधा के अवस्थान का कथन करें। यदि ईंधन अंतरण किया जाना है तो ईंधन छलकन आकस्मिक योजना की प्रति सहित ब्यौरे दें: \_\_\_\_\_

---



---



---

24. अपशिष्ट उत्पादन, संग्रहण, उपचार और निपटान प्रक्रिया बताएं:

(जलयानों, वायुयानों और स्टेशनों के लिए विद्यमान अपशिष्ट प्रबंध योजनाओं पर अपशिष्ट प्रबंध योजना तैयार करते समय ध्यान दिया जाएगा)

क. जलमल

i. उत्पादित की जाने वाली प्रत्याशित मात्रा: \_\_\_\_\_

ii. पैक करना और निपटान पद्धतियां: \_\_\_\_\_

ख. धूसर जल

i. उत्पादित की जाने वाली प्रत्याशित मात्रा: \_\_\_\_\_

ii. पैक करना और निपटान पद्धतियां: \_\_\_\_\_

ग. खाद्य अपशिष्ट (मांस और कुकट पालन उत्पाद अपशिष्ट से भिन्न)

i. उत्पादित की जाने वाली प्रत्याशित मात्रा: \_\_\_\_\_

ii. पैक करना और निपटान पद्धतियां: \_\_\_\_\_

घ. मांस और कुकट पालन उत्पाद परिशिष्ट

i. उत्पादित की जाने वाली प्रत्याशित मात्रा: \_\_\_\_\_

ii. पैक करना और निपटान पद्धतियां: \_\_\_\_\_

ङ. साधारण अपशिष्ट

i. उत्पादित की जाने वाली प्रत्याशित मात्रा: \_\_\_\_\_

ii. पैक करना और निपटान पद्धतियां: \_\_\_\_\_

च. अंटार्कटिका से अपशिष्ट कैसे हटाया जाएगा, भंडारण और/या निपटान के ब्यौरे दें:

---



---



---

छ. अपशिष्ट, रसायन, ईंधन का प्रबंध करने के लिए अंटार्कटिक समुद्र में प्रति संदूषण को रोकने के लिए और पहचान किए गए किसी अन्य समाघात का प्रबंध करने के लिए कौन कौन सी पद्धतियां प्रयोग में लाई जाएंगी, जलयान/वायुयान के अपशिष्ट प्रबंध योजना की प्रति संलग्न करें:

---



---



---



---

25. क्या आपात या पर्यावरण पर प्रतिकूल समाघात की दशा में अनुसरण की जाने वाली किसी आकस्मिक योजना का पालन किया जाता है: हाँ/नहीं

यदि हां, ब्यौरे दें, और योजना की प्रति संलग्न करें: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

26. अभियान पर कुल अनुमानित व्यय –

क. भारतीय माल/सेवाएं/सामग्री/अवक्रीत करने वाले पोत/वायुयान के उपापन/व्यवस्था पर उपगत लागत आदि:

भारतीय रूपएं में: \_\_\_\_\_

शब्दों में: \_\_\_\_\_

ख. विदेशी माल/सेवाएं/सामग्री/अवक्रीत करने वाले पोत/वायुयान के विदेशी उपापन/व्यवस्था पर उपगत लागत आदि:

भारतीय रूपएं में: \_\_\_\_\_

शब्दों में: \_\_\_\_\_

27. नियम 9 के अनुसार प्रतिभूति निक्षेप की विशिष्टियां (आनलाइन संदाय): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

28. नियम 9 के अनुसार आवेदन फीस की विशिष्टियां (आनलाइन संदाय): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**भाग घ : समुद्र में अपशिष्ट निस्सारण**

29. अपशिष्ट उत्पादन, संग्रहण, उपचार और प्रस्तावित निपटान प्रक्रिया के बारे में बताएं:

क. तेल या तैलीय मिश्रण, गंदा जल अपशिष्ट

i. उत्पादन किए जाने के लिए प्रत्याशित मात्रा: \_\_\_\_\_

ii. भंडारण, उपचार और निपटान पद्धतियां: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ख. बहिःस्राव अपशिष्ट (जलमल और घरेलु अपशिष्ट)

i. उत्पादन किए जाने के लिए प्रत्याशित मात्रा: \_\_\_\_\_

ii. भंडारण, उपचार और निपटान पद्धतियां: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ग. खाद्य अपशिष्ट जिसमें ताजा मछली और उसके अंग भी हैं

i. उत्पादन किए जाने के लिए प्रत्याशित मात्रा: \_\_\_\_\_

ii. भंडारण, उपचार और निपटान पद्धतियां: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

30. आपरेटर किस प्रकार यह सुनिश्चित करेगा कि कचरा प्लास्टिक या अन्य पदार्थ को जो अंटार्कटिक समुद्री पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं, समुद्र में निस्सारित या निपटान नहीं किया जाएगा:

---



---



---



---

### घोषणा

मैं \_\_\_\_\_ सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से घोषणा करता हूँ कि अनुज्ञापत्र आवेदन प्ररूप में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैं समझता हूँ कि अधिनियम के उपबंधों का पालन करना विधिक बाध्यता है और जिसके न किए जाने पर भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 तथा तदधीन बनाए गए नियमों में यथा निर्दिष्ट प्रशासनिक कार्रवाई, विधिक दंड और शास्ति लागू हो सकेंगी।

तारीख: \_\_\_\_\_

आवेदक के हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

आवेदक का नाम: \_\_\_\_\_

संस्था/संगठन के स्वामी/आपरेटर/प्रधान के मुहर सहित हस्ताक्षर

### भाग ड.: मत्स्यन क्रियाकलाप के ब्यौरे

- यह भाग केवल ऐसे स्वामी/ आपरेटर द्वारा भरा जाए जो भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ के अतिरिक्त अंटार्कटिक या अभिसमय क्षेत्र में मत्स्यन/वाणिज्यिक मत्स्यन के लिए आवेदन करने का आशय रखते हैं। .
  - यह अंटार्कटिक समुद्री जीवन संसाधन संरक्षण आयोग को प्रस्तुत करने के लिए आवेदन पर प्रक्रिया करने हेतु समिति के लिए अपेक्षित प्राथमिक सूचना है। आवेदन फीस तथा प्रतिभूति निक्षेप अनुसूची-1 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार लागू होगी।
  - अपेक्षित सूचना, ब्यौरे, आवेदन, प्रसंस्करण फीस, प्रतिभूति निक्षेप और कोई अन्य फीस जो अंटार्कटिक समुद्री जीव संरक्षण संसाधन आयोग द्वारा अपेक्षित हो, समिति को पृथक रूप से या समिति द्वारा यथा निदेशित अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधन संरक्षण आयोग के सचिवालय को सीधे अनुज्ञापत्र धारक द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और जमा कराई जाएगी।
1. प्रचालक का नाम, पता, पासपोर्ट के ब्यौरे और राष्ट्रीयता, यदि जलयान स्वामियों से भिन्न है:

---



---



---



---

2. मास्टर का और जहां सुसंगत हो, वहां मत्स्यन मास्टर का नाम, पता, पासपोर्ट के ब्यौरे तथा राष्ट्रीयता:

---



---



---



---

3. क्षेत्र उपदर्शित करें जिसके लिए अनुज्ञापत्र अपेक्षित है:

---



---



---

4. जलयान के बारे में:



- क. धरन (मीटर): \_\_\_\_\_
- ख. सकल रजिस्ट्रीकृत टन भार: \_\_\_\_\_
- ग. सामान्य कर्मी दल पूरक: \_\_\_\_\_
- घ. मुख्य इंजन या इंजनों की शक्ति (कि.वा.): \_\_\_\_\_
- ङ. वहन क्षमता (टन) मछली धृति की संख्या और उनकी क्षमता (क्यु, मीटर): \_\_\_\_\_
- च. हिम वर्गीकरण के ब्यौरे (यदि कोई हो): \_\_\_\_\_
- छ. हिमीकरण दर क्षमता के ब्यौरे: \_\_\_\_\_
5. यदि मछली पकड़ने वाला जलयान अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधन संरक्षण आयोग के सचिवालय के पास पहले से रजिस्ट्रीकृत है तो ब्यौरे दें:
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
6. प्रचालित किए जाने के लिए प्रस्तावित मत्स्यन गियर का प्रकार और वर्णन:
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
7. अभिसमय क्षेत्र से आशयित पकड़ी गई मछली की प्रजातियां बताएं (टन में):
- क. पेटागोनायन टूथफिश (डिस्सोसटीचस एलेजीनायडेस): \_\_\_\_\_
- ख. अंटार्कटिक टूथ फिश (डिस्सोसटीचस मावसोनी): \_\_\_\_\_
- ग. मैकेरेल आईस फिश (चैम्पसोसीफालूस गुन्नारी): \_\_\_\_\_
- घ. अंटार्कटिक क्रिल (यूफोसिया सुपरबा): \_\_\_\_\_
- ङ. ड. आईस फिश/टूथफिश की अन्य प्रजातियां: \_\_\_\_\_
- च. नए और अन्वेषणात्मक मत्स्यन: \_\_\_\_\_
- छ. कोई अन्य प्रजातियां: \_\_\_\_\_
8. अंटार्कटिका से मछली पकड़कर, पकड़ी गई मछली और अन्य प्रजातियों को उतारने तथा उनका व्यापार करने के पश्चात् प्रवेश का पहला पत्तन :
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
9. यानांतरण ब्यौरे दें:
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
10. अंटार्कटिक/अभिसमय क्षेत्र में प्रचालन की संभाव्य अवधि:
- (तारीख) \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ (तारीख) तक

## 11. जलयान के फोटो

पर्याप्त रूप से उच्च विभेदन, रंग, चमक और विषमता के फोटो जिससे जलयान को उचित रूप से पहचाना जा सके और सभी सुसंगत ब्यौरे तथा इनमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

- क. एक ऐसा फोटो जो जलयान के स्टार बोर्ड के साइड को दर्शाते हुए इसकी पूर्ण कुल लंबाई और संपूर्ण संरचनात्मक विशेषताओं को प्रदर्शित करता हो, क्या आवेदन के साथ संलग्न है: हां/नहीं
- ख. एक ऐसा फोटो जो जलयान के पत्तन साइड को दर्शाते हुए इसकी पूर्ण कुल लंबाई और संपूर्ण संरचनात्मक विशेषताओं को प्रदर्शित करता हो, क्या आवेदन के साथ संलग्न है: हां/नहीं
- ग. एक फोटो जो पीछे की ओर से खींचे गए पश्च भाग को सीधा दर्शाता हो, क्या आवेदन के साथ संलग्न है: हां/नहीं

12. जलयान के फलक पर संस्थापित सभी स्वचालित अवस्थान संसूचकों के लिए हस्तक्षेपरोधी अपेक्षाओं के कार्यान्वयन के ब्यौरे:

---



---



---

13. वह अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति की वांछा की गई है:

(तारीख) \_\_\_\_\_ से (तारीख) \_\_\_\_\_ तक

14. आयोग द्वारा अपनाए गए संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक समुचित अनुज्ञप्त जलयान की बाबत कोई अन्य सूचना :

---



---



---

### घोषणा

मैं \_\_\_\_\_ सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से घोषणा करता हूँ कि अनुज्ञापत्र आवेदन प्ररूप में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैं यह भी समझता हूँ कि अधिनियम के उपबंधों का पालन करना विधिक बाध्यता है और जिसके न किए जाने पर भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 तथा तदधीन बनाए गए नियमों में यथा निर्दिष्ट प्रशासनिक कार्रवाई, विधिक दंड और शास्ति लागू हो सकेंगी।

तारीख: \_\_\_\_\_

आवेदक के हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

आवेदक का नाम: \_\_\_\_\_

स्वामी/आपरेटर/ संगठन के प्रधान के मुहर सहित हस्ताक्षर

भाग च: पर्यटन/मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप

यह भाग केवल ऐसे स्वामी/प्रचालक जो भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ के अतिरिक्त अंटार्कटिका में पर्यटन/मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप के लिए आवेदन करने का आशय रखता है।

1. क्या प्रचालक या सहयुक्त सदस्य (टुअर आपरेटर, पर्यटन अभिकर्ता, संगठनक) है:

---

2. क्या अंतरराष्ट्रीय अंटार्कटिक टुअर आपरेटर संगम के पास रजिस्ट्रीकृत है:

हां/नहीं



राष्ट्रीयता	पैक्स	कर्मचारिवृन्द	कर्मि दल	संप्रेक्षक	राष्ट्रीयता	पैक्स	कर्मचारिवृन्द	कर्मि दल	संप्रेक्षक

- पैक्स: यात्री: अभियान के ऐसे सदस्य जो कर्मचारिवृन्द, कर्मिदल, संप्रेक्षक या राष्ट्रीय प्रतिनिधि नहीं है।
- कर्मचारिवृन्द: अभियान कार्मिक, गाइड, व्याख्याता और लघु नौका चालक (इन कृत्यों को करने वाले कर्मिदल को छोड़कर)।
- कर्मिदल: जलयान कप्तान और अधिकारी, हेलीकाप्टर, पायलट और कर्मि दल तथा होटल/खान-पान कर्मचारिवृन्द (उपरोक्त को छोड़कर)।
- प्रेक्षक: प्रेक्षक या राष्ट्रीय प्रतिनिधि।

### घोषणा

मैं \_\_\_\_\_ सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से घोषणा करता हूँ कि अनुज्ञापत्र आवेदन प्ररूप में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैं यह भी समझता हूँ कि अधिनियम के उपबंधों का पालन करना विधिक बाध्यता है और जिसके न किए जाने पर भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 तथा तदधीन बनाए गए नियमों में यथा विहित प्रशासनिक कार्रवाई, विधिक दंड और शास्ति लागू हो सकेंगी।

तारीख: \_\_\_\_\_

आवेदक के हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

आवेदक का नाम: \_\_\_\_\_

स्वामी/आपरेटर/ संगठन प्रधान के मुहर सहित हस्ताक्षर

### टिप्पण:

- (1) जो लागू न हो उसे काट दें।
- (2) जहां कहीं आवेदक यह महसूस करता है कि आवेदन प्ररूप में दिया गया स्थान अपेक्षित ब्यौरे देने के लिए पर्याप्त नहीं है, वहां आवेदन के भाग तथा उसके ब्यौरे की क्रमांक संख्या निर्दिष्ट करते हुए अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पृथक शीट संलग्न करनी चाहिए।
- (3) प्रत्येक जलयान या वायुयान के लिए पृथक अनुज्ञा पत्र आवेदन सम्यकतः भरा जाए और प्रस्तुत किया जाए
- (4) भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम 2022 तथा तदधीन बनाए गए नियमों को इस आवेदन प्ररूप को भरने से पूर्व पढ़ें।
- (5) यह समझा जाता है कि कर्मिदल/कप्तान/मास्टर का नाम अनुज्ञा पत्र आवेदन के प्रस्तुत किए जाने के समय ज्ञात न हो तब अनुज्ञा पत्र आवेदन अंटार्कटिका के लिए प्रस्थान से एक मास पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।
- (6) यह समझा जाता है कि अनुज्ञा पत्र आवेदन के प्रस्तुत किए जाने के समय यान या वायुयान की कुछ सूचनाएं ज्ञात न हो तब अनुज्ञा पत्र आवेदन अंटार्कटिका के लिए प्रस्थान से एक मास पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।
- (7) ऐसे अन्य व्यक्तियों के लिए, जो अनुज्ञा पत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, उपाबंध 'क' भरें। पूर्ण और अंतिम सूची (उनकी राष्ट्रीयता और पासपोर्ट संख्या सहित) आवेदक के और साथ ही सभी अभियान सदस्यों के दो पासपोर्ट साइज फोटो सहित प्रस्थान करने से पूर्व प्रस्तुत की जानी चाहिए।

## उपाबंध क

पूरा नाम (उनके पासपोर्ट के अनुसार)	राष्ट्रीयता	पासपोर्ट सं.	आर्कटिक, अंटार्कटिका या अन्य ठंडे या ऊंचे स्थानों पर वैज्ञानिक अनुसंधान का पूर्व अनुभव (हां/नहीं)	यदि पूर्वतर स्तंभ के लिए 'हां' है तो ब्यौरे दें

## प्ररूप 3

(नियम 48 का उपनियम (1) देखें)

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार

..... को यथाविद्यमान तुलनपत्र

कार्प्स/पूंजी निधि और दायित्व	अनुसूची सं.	31-03-202..	31-03-202...
कार्प्स/पूंजी निधि			
आरक्षितियां और अधिशेष			
अभिनिश्चित निधियां			
वर्तमान दायित्व और उपबंध			
	योग		

आस्तियां	अनुसूची सं.	31-03-202...	31-03-202...
नियत आस्तियां			
वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि			
	योग		
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां			
आकस्मिक दायित्व और लेखाओं पर टिप्पण			

## प्ररूप त 1

(नियम 9 का उपनियम (1) देखें)



पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार

पृथ्वी भवन, लोधी रोड नई दिल्ली -110003, भारत

अंटार्कटिक शासन और पर्यावरण संरक्षण समिति

अंटार्कटिका में प्रवेश करने, क्रियाकलाप करने तथा ठहरने के लिए

अनुज्ञापत्र

अनुज्ञापत्र सं.....

अनुज्ञापत्र, तारीख.....से (तारीख) .....तक वैध है।

यह अनुज्ञापत्र निम्नलिखित के पक्ष में अनुदत्त किया गया:

डा./श्री./श्रीमती./सुश्री.....प

दनाम.....संब

द्धता.....

राष्ट्रीयता.....

जो आधार कार्ड सं.....पासपोर्ट सं..... धारित करता है/करती है।

जो ..... के द्वारा जारी किया गया है, स्थान.....

समिति

अंटार्कटिका में प्रवेश करने के लिए और निम्नलिखित क्रियाकलापों का निष्पादन करने के लिए, यथास्थिति, डा./श्री./श्रीमती./सुश्री.....और

र अभियान के उसके समूह के सदस्य (उपाबंध 'क' के अनुसार) अनुज्ञापत्र धारक को प्राधिकृत करती है :—

- (1) अंटार्कटिका में प्रवेश..... हां/नहीं
- (2) अंटार्कटिका में प्रवेश किए जाने वाले स्थान.....:हां/नहीं  
स्थान अंटार्कटिक /क्षेत्र/प्रदेश का नाम.....
- (3) भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन, मैत्री/भारती/दोनों में प्रवेश और रहना:.....हां/नहीं
- (4) अन्य अंटार्कटिक स्टेशन/स्टेशनों का अभ्यागमन.....: हां/नहीं
- (5) वैज्ञानिक/संभारतंत्र/पर्यटन/मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप करना.....: हां/नहीं
- (6) अंटार्कटिका में अपशिष्ट निपटान .....: हां/नहीं
- (7) अंटार्कटिका जल में अपशिष्ट निस्सारण.....: हां/नहीं
- (8) जैविक नमूने या अन्य नमूने के हटाए जाने के लिए .....: हां/नहीं  
(यदि हां, उपाबंध 'ख' में दी गई संलग्न सूची के अनुसार)
- (9) गैर-देशज प्रजातियों का समावेशन..... : हां/नहीं  
(यदि हां, उपाबंध 'ख' में दी गई संलग्न सूची के अनुसार)
- (10) खनिज संसाधन क्रियाकलाप के लिए.....: हां/नहीं  
(यदि हां, उपाबंध 'ख' में दी गई संलग्न सूची के अनुसार)
  - क. वैज्ञानिक अनुसंधान.....: हां/नहीं
  - ख. भारतीय स्टेशन या किसी अन्य संरचना का संनिर्माण/अनुरक्षण या मरम्मत:.....: हां/नहीं
  - ग. ग.भारत द्वारा या उसकी ओर से अनुरक्षित सड़क/रनवे या घाट:..... : हां/नहीं

उसे/उन्हें अंटार्कटिका में दक्षिणी गर्मी/सर्दी के दौरान क्रियाकलाप करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, जबकि यह अनुज्ञापत्र (तारीख)..... से (तारीख) .....तक वैध है।

अनुज्ञापत्र धारक अंटार्कटिका क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अनुज्ञापत्र (त.1) को धारण करेगा।

अनुज्ञापत्र धारक और अभियान के सहयुक्त सदस्य भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 और तद्विनिर्माण बनाए गए नियमों के उपबंधों तथा इस अनुज्ञापत्र में उल्लिखित शर्तों का पालन करेंगे। भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 और तद्विनिर्माण बनाए गए नियमों के किसी भी उपबंध के किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए अनुज्ञापत्र तुरंत वापिस ले लिया जाएगा और अनुज्ञापत्र धारक के विरुद्ध समुचित कार्रवाई समिति द्वारा की जाएगी।

समिति के सदस्य सचिव.....

सदस्य सचिव के मुहर सहित हस्ताक्षर :

तारीख:.....स्थान.....

**संलग्नक:**

**उपाबंध क :** अनुज्ञात अभियान सदस्यों की सूची

**उपाबंध ख :** अंटार्कटिका से किसी अन्य नमूने के जैविक अनुज्ञात नमूना संग्रहण की विशिष्टियां/ खनिज संसाधन क्रियाकलाप

**शर्तें**

1. अनुज्ञापत्र धारक भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 और तद्विनिर्माण बनाए गए नियमों, जिनके अंतर्गत संधि, अभिसमय और प्रोटोकाल की बाध्यता भी है, के उपबंधों के अनुसार प्रस्तावित क्रियाकलाप आरंभ करेगा।
2. इस अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आने वाले अभियान सदस्यों को सुनिश्चित करने के लिए अनुज्ञापत्र धारक को उनकी सभी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों, जिनके अंतर्गत वन्यजीव के प्रति हस्तक्षेप, गैर देशज प्रजातियों का समावेशन अपशिष्ट निपटान ऐतिहासिक स्थलों और संस्मारकों तथा संरक्षित क्षेत्रों के महत्व भी हैं, के बारे में पूर्णतया सूचित किया जाएगा।

3. अनुज्ञप्ति धारक यह सुनिश्चित करेगा कि अभियान के प्रतिभागी अंटार्कटिका में कोई हथियार और आग्नेयास्त्र नहीं ले जाएगा।
4. समिति आवेदक से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह आवेदन प्ररूप में दी गई जानकारी के अतिरिक्त कोई जानकारी, आंकड़ा, दस्तावेज प्रस्तुत करे, जिसे वह आवेदक के आवेदन प्ररूप की प्रक्रिया करने के लिए आवश्यक समझे।
5. अनुज्ञापत्र धारक यह सुनिश्चित करेगा कि वह वनस्पति, प्राणीजात, झील, ग्लेशियर/भूभाग को कम से कम हानि पहुंचाएगा।
6. जीवित पक्षियों या अंडों के नमूने, यदि अनुज्ञात न किया जाए, एकत्रित नहीं किए जाएंगे।
7. विहित प्रपत्र में पश्च अभ्यागमन रिपोर्ट समिति को अंटार्कटिका में क्रियाकालप पूरे होने के तीन मास के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।
8. जहां, अनुज्ञापत्र धारक अंटार्कटिका में तीन मास से अधिक ठहरता है, वहां एक मास के भीतर अंटार्कटिका से वापस लौटने के पश्चात् पश्च अभ्यागमन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

#### उपाबंध 'क'

ऐसे अभियान सदस्यों की सूची जिनको अंटार्कटिका में प्रवेश के लिए और अंटार्कटिका में क्रियाकलाप करने के लिए अनुज्ञापत्र प्रदान किया गया है।

क्र.सं.	नाम	परियोजना का शीर्षक	आधार/पासपोर्ट संख्या	संबद्धता	अनुज्ञापत्र की अवधि

#### उपाबंध 'ख'

क. जैविक नमूने का निवारण/ गैर-देशज प्रजातियों का समाविष्ट किया जाना

अनुज्ञापत्र धारक का नाम.....

प्रजातियां (सामान्य नाम)	प्रजातियों का वैज्ञानिक (लेटिन) नाम	मात्रा (संख्या और कुल भार)	आयु/जीवन प्रक्रम	लिंग

ख. किसी अन्य नमूनों का हटाया जाना/खनिज संसाधन क्रियाकलाप

अनुज्ञापत्र धारक का नाम .....



नमूना संग्रहण का स्थान	अक्षांश देशांतर	नमूने का प्रकार	स्थलीय नमूना संग्रहण का स्रोत (झील जल, समुद्री जल, मिट्टी, हिम, तलछट)	आकार (एल. x बी x एच.) से.मी.	भार (ग्राम या कि.ग्रा.)	परिमाण (मि.ली. या ली.)

**प्ररूप त 2**

(नियम 9 का उपनियम (1) देखें)



पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार

पृथ्वी भवन, लोधी रोड नई दिल्ली -110003, भारत

अंटार्कटिक शासन और पर्यावण संरक्षण समिति

अंटार्कटिक विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र (एएसपीए), समुद्र संरक्षित क्षेत्र (एमपीए) और ऐतिहासिक स्थलों तथा संस्मारकों (एचएसएम) में प्रवेश करने के लिए

**अनुज्ञापत्र**

अनुज्ञापत्र सं.....

अनुज्ञापत्र, तारीख.....से (तारीख) .....तक वैध है।

यह अनुज्ञापत्र निम्नलिखित के पक्ष में अनुदत्त किया गया:

डा./श्री./श्रीमती./सुश्री.....

पदनाम.....

संबद्धता.....

राष्ट्रीयता.....

जो आधार कार्ड सं.....पासपोर्ट सं..... धारित करता है/करती है।

जो ..... के द्वारा जारी किया गया है, स्थान.....

**समिति,**

अनुज्ञापत्र धारक डा./श्री./श्रीमती./सुश्री.....और नीचे उल्लिखित व्यक्ति को:

क्र. सं.	नाम	संबद्धता	आधार कार्ड/पासपोर्ट सं.

## 1. अंटार्कटिक विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र (एएसपीए):

सं .....  
 नाम.....  
 .....  
 .....

## 2. समुद्र संरक्षित क्षेत्र

सं.....  
 नाम  
 .....  
 .....

## 3. ऐतिहासिक स्थलों तथा संस्मारकों

.....  
 .....

में प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उसे/उन्हें अंटार्कटिका में दक्षिणी गर्मी/सर्दी के दौरान क्रियाकलाप करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, जबकि यह अनुज्ञापत्र (तारीख).....से.....(तारीख) ..... तक वैध है।

अनुज्ञापत्र धारक अंटार्कटिका क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अनुज्ञापत्र (त2) को धारण करेगा।

अनुज्ञापत्र धारक और अभियान के सहयुक्त सदस्य भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 और तद्विनिर्देश बनाए गए नियमों के उपबंधों तथा इस अनुज्ञापत्र में उल्लिखित शर्तों का पालन करेंगे। भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 और तद्विनिर्देश बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए अनुज्ञापत्र तुरंत वापिस ले लिया जाएगा और अनुज्ञापत्र धारक के विरुद्ध समुचित कार्रवाई समिति द्वारा की जाएगी।

समिति के सदस्य सचिव.....

सदस्य सचिव के मुहर सहित हस्ताक्षर :

तारीख:.....स्थान.....

## शर्तें

- (1) अनुज्ञापत्र धारक भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 और तद्विनिर्देश बनाए गए नियमों, जिनके अंतर्गत संधि, अभिसमय और प्रोटोकाल की बाध्यता भी है, के उपबंधों के अनुसार प्रस्तावित क्रियाकलाप आरंभ करेगा।
- (2) अंटार्कटिक विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र (एएसपीए), समुद्र संरक्षित क्षेत्र (एमपीए) और ऐतिहासिक स्थलों तथा संस्मारकों (एचएसएम) में हस्तक्षेप से बचने के लिए प्रवेश न्यूनतम होगा।
- (3) सभी प्राधिकृत व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रबंध योजना की एक प्रति ले जाएंगे।
- (4) सभी आशयित क्रियाकलाप संरक्षित क्षेत्र के प्रबंध योजना के अनुसार किए जाएंगे।
- (5) गैर-देशज प्रजातियों के समावेशन से बचने के लिए संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व आगंतुक अपने मोजे, कपड़े, नमूना लेने का उपस्कर, यंत्र चिह्नक को साफ करेंगे।
- (6) किसी क्षोभ से बचने के लिए क्षेत्र तक पहुंच के दौरान तटरेखा पर जलयान, नौकाओं को छोड़ा जाएगा।
- (7) मौखिक संवाद तथा किसी साधन से जनित ध्वनि स्तर को न्यूनतम रखा जाएगा।
- (8) यानों को संरक्षित क्षेत्र के भीतर प्रतिषिद्ध किया जाता है।
- (9) इस अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आने वाले अभियान सदस्यों को सुनिश्चित करने के लिए अनुज्ञापत्र धारक को उनकी

सभी पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारियों, जिनके अंतर्गत वन्यजीव के प्रति हस्तक्षेप, गैर देशज प्रजातियों का समावेशन, अपशिष्ट निपटान, ऐतिहासिक स्थलों और संस्मारकों तथा संरक्षित क्षेत्रों के महत्व भी हैं, के बारे में पूर्णतया सूचित किया जाएगा।

- (10) अनुज्ञप्ति धारक यह सुनिश्चित करेगा कि अभियान के प्रतिभागी अंटार्कटिका में कोई हथियार और आग्नेयास्त्र नहीं ले जाएंगे।
- (11) समिति आवेदक से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह आवेदन प्ररूप में दी गई जानकारी के अतिरिक्त कोई जानकारी, आंकड़ा, दस्तावेज प्रस्तुत करे, जिसे वह आवेदक से प्राप्त आवेदन पर प्रक्रिया करने के लिए आवश्यक समझे।
- (12) अनुज्ञापत्र धारक यह सुनिश्चित करेगा कि वह वनस्पति, प्राणीजात, झील, ग्लेशियर/भूभाग को कम से कम हानि पहुंचाएगा।
- (13) जीवित पक्षियों या अंडों के नमूने, यदि अनुज्ञात न किया जाए, एकत्रित नहीं किए जाएंगे।
- (14) विहित प्रपत्र में पश्च अभ्यागमन रिपोर्ट समिति को अंटार्कटिका में क्रियाकलाप पूरे होने के तीन मास के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।
- (15) जहां अनुज्ञापत्र धारक अंटार्कटिका में तीन मास से अधिक ठहरता है, वहां एक मास के भीतर अंटार्कटिका से वापस लौटने के पश्चात् पश्च अभ्यागमन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

### प्ररूप त 3

(नियम 9 का उपनियम (1) देखें)



पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार

पृथ्वी भवन, लोधी रोड नई दिल्ली -110003, भारत

अंटार्कटिक शासन और पर्यावरण संरक्षण समिति

अंटार्कटिका में गैर-देशज जंतुओं और पौधों या सूक्ष्म जीवाश्म को समाविष्ट करने के लिए

### अनुज्ञापत्र

अनुज्ञापत्र सं.....

अनुज्ञापत्र, तारीख.....से (तारीख) .....तक वैध है।

यह अनुज्ञापत्र निम्नलिखित के पक्ष में अनुदत्त किया गया:

डा./श्री./श्रीमती./सुश्री.....

पदनाम.....

संबद्धता.....

राष्ट्रीयता.....

जो आधार कार्ड सं.....पासपोर्ट सं..... धारित करता है/करती है।

जो ..... के द्वारा जारी किया गया है, स्थान.....

**समिति,**

अनुज्ञापत्र धारक डा./श्री/श्रीमती/सुश्री ..... को वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोजन के लिए ही प्राधिकृत करती है:

1. गैर-देशज जंतुओं/पौधों को समाविष्ट करना : हां/नहीं
2. सूक्ष्म जीवाश्म को समाविष्ट करना: हां/नहीं

प्रजातियां (सामान्य नाम)	प्रजातियों का वैज्ञानिक (लेटिन) नाम	मात्रा/संख्या	आयु/जीवन प्रक्रम	लिंग

उसे अंटार्कटिका में दक्षिणी गर्मी/सर्दी के दौरान क्रियाकलाप करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, जबकि अंटार्कटिका में यह अनुज्ञापत्र.....अवस्थान/स्थान में, (तारीख)..... से (तारीख)..... तक वैध है।

अनुज्ञापत्र धारक अंटार्कटिका क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अनुज्ञापत्र (त. 3) को धारण करेगा।

अनुज्ञापत्र धारक और अभियान के सहयुक्त सदस्य भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 और तद्विना बनाए गए नियमों के उपबंधों तथा इस अनुज्ञापत्र में उल्लिखित शर्तों का पालन करेंगे। भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 और तद्विना बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए अनुज्ञापत्र तुरंत वापिस ले लिया जाएगा और अनुज्ञापत्र धारक के विरुद्ध समुचित कार्रवाई समिति द्वारा की जाएगी।

समिति के सदस्य सचिव.....

सदस्य सचिव के मुहर सहित हस्ताक्षर :

तारीख:.....स्थान.....

**शर्तें**

- (1) अनुज्ञापत्र धारक भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 और तद्विना बनाए गए नियमों, जिनके अंतर्गत संधि, अभिसमय और प्रोटोकाल की बाध्यता भी है, के उपबंधों के अनुसार प्रस्तावित क्रियाकलाप आरंभ करेगा।
- (2) गैर-देशज प्रजातियों के समावेशन से बचने के लिए संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व आगंतुक अपने मोजे, कपड़े, नमूना लेने का उपस्कर, यंत्र चिह्नक को साफ करेंगे।
- (3) इस अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आने वाले अभियान सदस्यों को सुनिश्चित करने के लिए अनुज्ञापत्र धारक को उनकी सभी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों, जिनके अंतर्गत वन्यजीव के प्रति हस्तक्षेप, गैर देशज प्रजातियों का समावेशन, अपशिष्ट निपटान, ऐतिहासिक स्थल और संस्मारकों तथा संरक्षित क्षेत्रों के महत्व भी हैं, के बारे में पूर्णतया सूचित किया जाएगा।
- (4) अनुज्ञापत्र धारक यह सुनिश्चित करेगा कि वह अभियान के प्रतिभागी अंटार्कटिका में कोई हथियार और आग्नेयास्त्र नहीं ले जाएंगे।
- (5) समिति, आवेदक से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह आवेदन प्ररूप में दी गई जानकारी के अतिरिक्त कोई जानकारी, आंकड़ा, दस्तावेज प्रस्तुत करे, जिसे वह आवेदक के आवेदन प्ररूप पर प्रक्रिया करने के लिए आवश्यक समझे।
- (6) अनुज्ञापत्र धारक यह सुनिश्चित करेगा कि वह वनस्पति, प्राणीजात, झील, ग्लेशियर/भूभाग को कम से कम हानि पहुंचाएगा।

- (7) जीवित पक्षियों या अंडों के नमूने, यदि अनुज्ञात न किया जाए, एकत्रित नहीं किए जाएंगे।
- (8) विहित प्रपत्र में पशु अभ्यागमन रिपोर्ट समिति को अंटार्कटिका में क्रियाकालाप पूरे होने के तीन मास के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।
- (9) जहां अनुज्ञापत्र धारक अंटार्कटिका में तीन मास से अधिक ठहरता है, वहां एक मास के भीतर अंटार्कटिका से वापस लौटने के पश्चात् पशु अभ्यागमन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

**प्ररूप त 4**

(नियम 9 का उपनियम (1) देखें)



पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार  
पृथ्वी भवन, लोधी रोड नई दिल्ली -110003, भारत  
अंटार्कटिक शासन और पर्यावण संरक्षण समिति  
अंटार्कटिका में प्रवेश करने वाले जलयान और वायुयान के लिए  
अनुज्ञापत्र

अनुज्ञापत्र सं.....

अनुज्ञापत्र, तारीख.....से (तारीख) .....तक वैध है।

यह अनुज्ञापत्र निम्नलिखित के पक्ष में अनुदत्त किया गया:

डा./श्री./श्रीमती./सुश्री.....

...पदनाम.....

संबद्धता.....

राष्ट्रीयता.....

जो आधार कार्ड सं.....पासपोर्ट सं..... धारित करता है/करती है।

जो ..... के द्वारा जारी किया गया है, स्थान.....

जलयान/वायुयान में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी:

जलयान	वायुयान/हेलिकाप्टर
नाम: .....	नाम: .....
रजिस्ट्रीकरण का देश/पत्तन : .....	रजिस्ट्रीकरण का देश/पत्तन : .....
.....	.....

जलयान	वायुयान/हेलिकाप्टर
.....	.....
रजिस्ट्रीकरण सं.:.....	रजिस्ट्रीकरण सं.:.....
रजिस्ट्रीकरण का वर्ष :.....	रजिस्ट्रीकरण का वर्ष :.....
ध्वज राज्य:.....	प्रकार: .....
प्रकार: .....	मेक/माडल:.....
वर्ग:.....	लंबाई:.....
लंबाई:.....	कुल संख्या और इंजन का प्रकार .....
कुल संख्या और इंजन का प्रकार :.....	.....
.....	प्रचालन का आधार :.....
प्रचालन का आधार:.....	उड़ान भरते समय भार.....
शुष्क भार(टनभार) :.....	बाह्य चिह्नांकन:.....
आईएमओ सं.:.....	अंतरराष्ट्रीय रेडियो कॉल संकेत:.....
बाह्य चिह्नांकन:.....	अन्य विशिष्टियां:.....
अंतरराष्ट्रीय रेडियो कॉल संकेत:.....	.....
ध्रुवीय पोत प्रमाणपत्र सं.:.....	.....
अन्य विशिष्टियां :.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

अंटार्कटिक/अभिसमय क्षेत्र में प्रवेश के लिए.....द्वारा अवक्रीत किया गया ।

### समिति,

अनुज्ञापत्र

धारक

डा./श्री/श्रीमती/सुश्री.....जो

जलयान/वायुयान के स्वामी/ आपरेटर है, अंटार्कटिका में प्रवेश करने के लिए तथा निम्नलिखित क्रियाकलाप/क्रियाकलापों को निष्पादित करने के लिए संलग्न सूची में यथा उल्लिखित अभियान सदस्यों/कर्मिदल (उपाबंध 'क' में लागू किए गए अनुसार और सूचीबद्ध किए गए अनुसार) को प्राधिकृत करती है :

1. अंटार्कटिका में प्रवेश करना:.....हां/नहीं

2. निम्नलिखित के लिए:

क. भारतीय अभियान: .....हां/नहीं

- ख. पर्यटन/मनोरंजन क्रियाकलाप: .....हां/नहीं  
 ग. मत्स्यन क्रियाकलाप:.....हां/नहीं

3. अंटार्कटिका में प्रवेश करने के लिए स्थान

.....  
 .....

4. अंटार्कटिका में अपशिष्ट निपटान के लिए: .....हां/नहीं

5. अंटार्कटिका जल में निस्सारण के लिए:.....हां/नहीं

उसे/उन्हें अंटार्कटिका में दक्षिणी गर्मी या सर्दी के दौरान क्रियाकलाप करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, जबकि यह अनुज्ञापत्र, (तारीख)..... से (तारीख) .....तक वैध है।

अनुज्ञापत्र धारक अंटार्कटिका क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अनुज्ञापत्र (त 4) को धारण करेगा।

अनुज्ञापत्र धारक और अभियान के सहयुक्त सदस्य भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 और तद्विना बनाए गए नियमों के उपबंधों तथा इस अनुज्ञापत्र में उल्लिखित शर्तों का पालन करेंगे। भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 और तद्विना बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए अनुज्ञापत्र तुरंत वापिस ले लिया जाएगा और अनुज्ञापत्र धारक के विरुद्ध समुचित कार्रवाई समिति द्वारा की जाएगी।

समिति के सदस्य सचिव.....

सदस्य सचिव के मुहर सहित हस्ताक्षर :

तारीख:.....स्थान.....

**संलग्नक:**

**उपाबंध 'क' :** अंटार्कटिका में प्रवेश करने के लिए अभियान सदस्य/कर्मिंदल यात्री/पर्यटकों की अनुज्ञात सूची।

**शर्तें**

1. अनुज्ञापत्र धारक भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 और तद्विना बनाए गए नियमों, जिनके अंतर्गत संधि, अभिसमय और प्रोटोकाल, मार्पोल तथा ध्रुवीय संहिता की बाध्यता भी है, के उपबंधों के अनुसार प्रस्तावित क्रियाकलाप आरंभ करेगा।
2. इस अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आने वाले अभियान सदस्यों को सुनिश्चित करने के लिए अनुज्ञापत्र धारक को उनकी सभी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों, जिनके अंतर्गत वन्यजीव के प्रति हस्तक्षेप, गैर देशज प्रजातियों का समावेशन, अपशिष्ट निपटान, ऐतिहासिक स्थल और संस्मारकों तथा संरक्षित क्षेत्रों के महत्व भी हैं, के बारे में पूर्णतया सूचित किया जाएगा।
3. अनुज्ञापत्र धारक यह सुनिश्चित करेगा कि अभियान के प्रतिभागी अंटार्कटिका में कोई हथियार और आग्नेयास्त्र नहीं ले जाएंगे।
4. समिति, आवेदक से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह आवेदन प्ररूप में दी गई जानकारी के अतिरिक्त कोई जानकारी, आंकड़ा, दस्तावेज प्रस्तुत करे, जिसे वह आवेदक के आवेदन प्ररूप पर प्रक्रिया करने के लिए आवश्यक समझे।
5. अनुज्ञापत्र धारक यह सुनिश्चित करेगा कि वनस्पति, प्राणीजात, झील, ग्लेशियर/भूभाग को न्यूनतम हानि पहुंचाएगा।
6. वायुयान उड़ान समय के प्रचालन, तारीख, मार्गों और अवतारण स्थल के समन्वयकों तथा अभियान के पूरा होने के पश्चात् प्रत्येक उड़ान प्रचालन के लिए विराम की अवधि की लॉगबुक की एक प्रति समिति को प्रस्तुत करेगा।
7. जलयान, तारीख और समय सहित समन्वयकों, लंगर डालने के समन्वयक, लंगर डालने की अवधि समेत यात्रा व्यौरे, कोई सूचना या घटना, जिसे आपरेटर अंटार्कटिका पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षा के निबंधनानुसार आवश्यक समझता है, की लॉगबुक की प्रति उपलब्ध कराएगा।

8. अभियान की समाप्ति के तीन मास के भीतर अनुज्ञापत्र धारक, यथाविहित, प्रपत्र में समिति को पश्च अभ्यागमन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
9. विहित प्रपत्र में पश्च अभ्यागमन रिपोर्ट समिति को अंटार्कटिका में क्रियाकलाप के पूर्ण हो जाने के तीन मास के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।
10. जहां अनुज्ञापत्र धारक अंटार्कटिका में तीन मास से अधिक ठहरता है, वहां अंटार्कटिका से वापिस आने के पश्चात् एक मास के भीतर पश्च अभ्यागमन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

उपाबंध 'क'

अभियान सदस्यों की अनुज्ञात सूची

नाम, आधार कार्ड सं./पासपोर्ट संख्या, संबद्धता/राष्ट्रीयता

क्र. सं.	नाम	राष्ट्रीयता	आधार/पासपोर्ट संख्या	संबद्धता	अनुज्ञापत्र की अवधि

## प्ररूप-द 1

(नियम 10 के उपनियम (1) खंड (ड.) और नियम 15 का उप नियम (2) देखें)

अंटार्कटिका में प्रवेश करने के लिए, क्रियाकलाप करने के लिए तथा ठहरने के लिए जारी अनुज्ञापत्र पर  
पश्च अभ्यागमन रिपोर्ट

1. अंटार्कटिक अभियान का शीर्षक: \_\_\_\_\_
2. सहभागिता की कुल अवधि: \_\_\_\_\_
3. सीजन: दक्षिणी गर्मी/सर्दी: \_\_\_\_\_
4. परियोजना संख्या (यदि सुसंगत हो): \_\_\_\_\_
5. अनुज्ञप्तिधारक की विशिष्टियां:
  - क. आवेदक का नाम: \_\_\_\_\_
  - ख. संगठन: \_\_\_\_\_
  - ग. पदनाम: \_\_\_\_\_
  - घ. डाक पता: \_\_\_\_\_
  - ड. ई-मेल पता: \_\_\_\_\_
  - च. दूरभाष/मोबाईल सं.: \_\_\_\_\_
  - छ. वेबसाइट: \_\_\_\_\_



ज. राष्ट्रीयता: \_\_\_\_\_

6. अनुज्ञापत्र की अवधि: \_\_\_\_\_

7. वह व्यक्ति जिस के लिए अनुज्ञापत्र जारी किया गया: \_\_\_\_\_

8. अनुज्ञापत्र जारी करने और उसकी समाप्ति की तारीख: \_\_\_\_\_

9. क्या अंटार्कटिका में क्रियाकलाप करने के लिए क्रियाकलाप जारी रहने के दौरान के तत्पश्चात कोई अन्य अनुज्ञापत्र अभिप्रास किया है, यदि ऐसा है तो अनुज्ञापत्र की संख्या, जारी करने की तारीख और समाप्ति की तारीख का उल्लेख करें:

\_\_\_\_\_

10. वर्तमान अनुज्ञापत्र के अधीन क्षेत्र में अभ्यागमन का प्रयोजन:

\_\_\_\_\_

11. प्रवेश की तारीख, अभ्यागमन की अवधि, उन सभी व्यक्तियों, जिन्होंने क्रम संख्या 6 के सामने दी गई अनुज्ञापत्र संख्या तथा पश्चातवर्ती अनुज्ञापत्र के अधीन क्षेत्र में प्रवेश किया, की सूची:

अभ्यागमन की तारीख और उसकी अवधि	व्यक्तियों के नाम

12. क्या उल्लिखित अनुज्ञापत्र अवधि के भीतर क्रियाकलाप किया गया था: हां/नहीं

यदि नहीं, तो अतिरिक्त जानकारी दें, यदि अनुज्ञापत्र अवधि से परे क्रियाकलाप के किसी भाग को किया गया हो:

\_\_\_\_\_

13. क्या अनुज्ञापत्र के अनुसार नमूना एकत्रित किया गया था: हां/नहीं

यदि नहीं, अतिरिक्त जानकारी दें, यदि नमूने किसी प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति से एकत्रित किए गए हैं:

\_\_\_\_\_

14. पैदल क्षेत्र के भीतर परिवहन/पहुंच का ढंग/ यान/हिम/मोबाईल/हेलिकाप्टर/अन्य, उल्लिखित करें:

\_\_\_\_\_

15. क्षेत्र में किए गए क्रियाकलाप, जिनके अंतर्गत आवासों पर समाघात भी है, तथा की गई उपचारी कार्रवाई का, वहां वर्णन करें, जहां लागू हो:

---



---



---

16. संचालित क्रियाकलापों का नमूना लेना :

सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित का वर्णन करते हुए पर्याप्त ब्यौरे देते हैं :

- इकट्ठा होना, एकत्रित होना, क्षति पहुंचाना या अन्यथा किसी देशज वनस्पति के साथ हस्तक्षेप करना ।
- किसी देशज पक्षी या सील (किसी अप्रचलित निर्दर्शों, अस्थियों या अंडों के संग्रहण सहित) का वध करना, उन्हें ले जाना, क्षति पहुंचाना, तंग करना या अन्यथा ।
- किसी देशज अशेरुकी को पकड़ना या उसके आवास पर समाघात करना ।
- किन्हीं चट्टानों, वायुमंडल, जल, तलछट, हिम, मृदा या अन्य नमूनों को इकट्ठा करना और एकत्रित करना।

नमूने का प्रकार	प्रजातियों की संख्या/ संग्रहीत नमूनों की मात्रा	अवस्थान जहां नमूने एकत्रित किए गए थे	नमूने का भार ग्राम या किलो ग्राम	नमूने का परिमाण (मिली या लि.)	नमूने का आकार (एलxबीx एच) सेंमी.	अन्य नमूने

17. पहले और पश्चातवर्ती अनुज्ञापत्र (यथा लागू) के अधीन निष्पादित क्रियाकलापों के अवस्थान को दर्शाने वाले क्षेत्र के मानचित्र – शिविर स्थल अवस्थान(नों) भूमि /समुद्र/वायु संचलन या मार्ग, नमूना लेने के स्थल संस्थापन, सामग्री का जानबूझकर या अचानक जारी किया जाना, कोई अन्य समाघात और पूर्व में अभिलिखित न की गई विशेष महत्व की विशेषताओं की एक प्रति संलग्न करें:

---



---



---

18. चिह्नांकनकर्ताओं, यंत्रीकरण या संस्थापित उपस्कर और/या हटाए गए या किसी अन्य सामग्री की पर्यावरण में छोड़ी गई किसी सामग्री (यह देखते हुए कि यह कितनी अवधि तक उस क्षेत्र में बने रहने के लिए आशयित हैं) का वर्णन और अवस्थान बताएं। ऐसी किसी संप्रेक्षित लेवल न लगाई गई सामग्री के बारे में जानकारी जो अन्य पक्षकारों द्वारा छूट गई हो, भी सम्मिलित करें :

---



---



---

अनुज्ञप्ति धारक के हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

नाम : \_\_\_\_\_

तारीख: \_\_\_\_\_ स्थान: \_\_\_\_\_

यदि अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए आवेदन में उपलब्ध जगह अपर्याप्त है, तो पृथक शीट संलग्न करें।

**प्ररूप-द 2**

**[नियम 10 के उपनियम (1) का खंड (ड.) और नियम 15 का उप नियम (2) देखें]**

**पश्च अभ्यागमन रिपोर्ट**

**अंटार्कटिक विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र/समुद्री संरक्षित क्षेत्र/ऐतिहासिक स्थल और संस्मारकों में प्रवेश करने के लिए जारी अनुज्ञापत्र पर**

1. अंटार्कटिक अभियान का शीर्षक: \_\_\_\_\_
2. सहभागिता की कुल अवधि: \_\_\_\_\_
3. सीजन दक्षिणी गर्मी/सर्दी: \_\_\_\_\_
4. परियोजना संख्या (यदि सुसंगत हो): \_\_\_\_\_
5. अनुज्ञप्तिधारक की विशिष्टियां:
  - क. आवेदक का नाम: \_\_\_\_\_
  - ख. संगठन: \_\_\_\_\_
  - ग. पदनाम: \_\_\_\_\_
  - घ. डाक पता: \_\_\_\_\_
  - ड. ई-मेल पता: \_\_\_\_\_
  - च. दूरभाष/मोबाईल सं.: \_\_\_\_\_
  - छ. वेबसाइट: \_\_\_\_\_
  - ज. राष्ट्रीयता: \_\_\_\_\_
6. अंटार्कटिक विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र/समुद्री संरक्षित क्षेत्र के लिए अनुज्ञापत्र की अवधि: \_\_\_\_\_
7. संरक्षित क्षेत्र का नाम जिसके लिए अनुज्ञापत्र प्रदान किया गया है : \_\_\_\_\_
8. अनुज्ञापत्र की अवधि: \_\_\_\_\_
9. वर्तमान अनुज्ञापत्र के अधीन क्षेत्र का अभ्यागमन करने का प्रयोजन : \_\_\_\_\_
10. प्रवेश की तारीख, अभ्यागमन की अवधि, उन सभी व्यक्तियों, जिन्होंने वर्तमान अनुज्ञापत्र के अधीन क्षेत्र में प्रवेश किया, की सूची:

अभ्यागमन की तारीख और उसकी अवधि	व्यक्तियों के नाम


11. क्या उल्लिखित अनुज्ञापत्र अवधि के भीतर क्रियाकलाप किया गया था: हां/नहीं  
यदि नहीं, तो अतिरिक्त जानकारी दें, यदि अनुज्ञापत्र अवधि से परे क्रियाकलाप के किसी भाग को किया गया हो::
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
12. क्या अनुज्ञापत्र के अनुसार नमूना एकत्रित किया गया था: हां/नहीं  
यदि नहीं, अतिरिक्त जानकारी दें, यदि नमूने किसी प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति से एकत्रित किए गए हैं:
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
13. पैदल क्षेत्र के भीतर परिवहन/पहुंच का ढंग/ यान/हिम/मोबाईल/हेलिकाप्टर/अन्य का उल्लेख करें:
- \_\_\_\_\_
14. क्या ऐसा कोई कार्मिक जिसे अनुज्ञापत्र में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, किंतु उनसे क्रियाकलाप (या उसके भाग) को करने के लिए सहायक कर्मचारिवृन्द के रूप में सहायता की है: हां/नहीं  
यदि हां, तो कृपया परिस्थितियों को स्पष्ट करें। यदि सहायक कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञात सदस्यों के साथ एएसपीए में ले जाया गया है :
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
15. क्या अनुज्ञात क्षेत्र से भिन्न किसी अन्य निर्बंधित/प्रतिषिद्ध क्षेत्र में क्रियाकलाप निष्पादित किया गया था: हां/नहीं  
यदि हां, तो परिस्थितियों को स्पष्ट करें:
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
16. क्षेत्र में किए गए क्रियाकलापों का, जिनमें आवास पर समाघात और की गई उपचारी कार्रवाई भी है, जहां लागू हो, का उल्लेख करें:
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
17. क्षेत्र के भीतर किए गए क्रियाकलापों के नमूना लेना :  
सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित का वर्णन करने वाले पर्याप्त ब्यौरे उपलब्ध कराते हैं :
- क. किसी देशज वनस्पति को एकत्रित करना, संग्रहीत करना, उन्हें क्षति पहुंचाना या अन्यथा उनके साथ छेड़छाड़ करना।

- ख. किन्हीं देशज पक्षियों या सील का वध करना, उन्हें पकड़ना, उन्हें क्षति पहुंचाना, तंग करना या अन्यथा उनके साथ छेड़छाड़ करना (जिनमें किसी मृत नमूना, अस्थियों या अंडों का संग्रहण भी है)
- ग. किसी देशज अकशेरुकी को पकड़ना या उसके आवास पर समाघात करना ।
- घ. चट्टानों, उल्कापिंडों, जल, तलछट, हिम, मृदा नमूने एकत्रित और संग्रहीत करना ।

नमूने का प्रकार	प्रजातियों की संख्या/ संग्रहीत नमूनों की मात्रा	अवस्थान (एएसपीए के भीतर) जहां नमूने एकत्रित किए गए थे	नमूने का भार ग्राम/किलो ग्राम	नमूने का परिमाण (मिली/ लि.)	नमूने का आकार (एलxबीx एच) सेंमी.	अन्य नमूने

18. इस अभ्यागमन के दौरान, अंटार्कटिक विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र/समुद्री संरक्षित क्षेत्र/ प्रबंध योजना का अनुपालन, जो कठिन या अव्यवहारिक था, सुनिश्चित करने के लिए किए गए किन्हीं उपायों का वर्णन करें। क्या ऐसे कोई क्रियाकलाप थे, जिन्होंने प्रबंध योजना का अनुपालन नहीं किया?

---



---



---

19. उस क्षेत्र का मानचित्र, जो इस अनुज्ञापत्र (यथा लागू) के अधीन किए गए क्रियाकलापों का अवस्थान, शिविर स्थल, अवस्थान(नों), भूमि/समुद्र/वायु संचलन या मार्गों, स्थलों संस्थापनों का नमूना लेने, सामग्री की जानबूझकर या आकस्मिक निकासी, कोई अन्य समाघात तथा ऐसी विशेष महत्व की विशेषताएं, जिनको पूर्व में अभिलिखित नहीं किया गया है, की प्रति संलग्न करें:

---



---



---

20. चिह्नक, यंत्रीकरण या संस्थापित और/या हटाए गए उपस्कर या पर्यावरण में छोड़ी गई किसी सामग्री (यह ध्यान रखते हुए कि इन्हें कब तक क्षेत्र में बनाए रखने का आशय है) का वर्णन करें और अवस्थानों के बारे में बताएं: कृपया ऐसी किसी बिना लेबल लगी सामग्री, जिसे आपने देखा है कि उसे अन्य पक्षकारों द्वारा छोड़ दिया गया है, के बारे में जानकारी को भी सम्मिलित करें:

---



---



---



---

अनुज्ञप्ति धारक के हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

नाम : \_\_\_\_\_

तारीख: \_\_\_\_\_ स्थान: \_\_\_\_\_

यदि अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए आवेदन में उपलब्ध जगह अपर्याप्त है, तो पृथक शीट संलग्न करें।

### प्ररूप – द 3

(नियम 10 के उपनियम (1) का खंड (ड.) और नियम 15 का उप नियम (2) देखें)

अंटार्कटिका में मत्स्यन/पर्यटन/आमोद-प्रमोद क्रियाकलाप (पोत/जलयान आधारित क्रियाकलाप) के लिए जारी अनुज्ञापत्र के संबंध में

### पश्च अभ्यागमन रिपोर्ट

1. अंटार्कटिक अभियान का शीर्षक: \_\_\_\_\_
2. सहभागिता की कुल अवधि: \_\_\_\_\_
3. सीजन दक्षिणी गर्मी/सर्दी: \_\_\_\_\_
4. परियोजना संख्या (यदि सुसंगत हो): \_\_\_\_\_
5. अनुज्ञप्तिधारक की विशिष्टियां:
  - क. आवेदक का नाम: \_\_\_\_\_
  - ख. संगठन: \_\_\_\_\_
  - ग. पदनाम: \_\_\_\_\_
  - घ. डाक पता: \_\_\_\_\_
  - ड. ई-मेल पता: \_\_\_\_\_
  - च. दूरभाष/मोबाईल सं.: \_\_\_\_\_
  - छ. वेबसाइट: \_\_\_\_\_
  - ज. राष्ट्रियता: \_\_\_\_\_
6. अनुज्ञापत्र संख्या: \_\_\_\_\_
7. वह व्यक्ति जिसके लिए अनुज्ञापत्र जारी किया गया: \_\_\_\_\_
8. अनुज्ञापत्र जारी करने और उसकी समाप्ति की तारीख: \_\_\_\_\_
9. वर्तमान अनुज्ञापत्र के अधीन क्षेत्र में अभ्यागमन का प्रयोजन:
 

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_
10. अभ्यागमन की तारीख, अभ्यागमन की अवधि, उन सभी व्यक्तियों, जिन्होंने वर्तमान अनुज्ञापत्र के अधीन क्षेत्र में प्रवेश किया, की सूची:

अभ्यागमन की तारीख और उसकी (उनकी) अवधि	व्यक्तियों के नाम


11. क्या विनिर्दिष्ट अनुज्ञापत्र अवधि के भीतर क्रियाकलाप किया गया था: हां/नहीं  
यदि नहीं, यदि अनुज्ञापत्र अवधि से परे क्रियाकलाप के किसी भाग को किया गया हो, तो अतिरिक्त जानकारी दें :

---



---



---

12. दल क्षेत्र के भीतर परिवहन/पहुंच का ढंग/ यान/हिम/मोबाईल/हेलिकाप्टर/अन्य विनिर्दिष्ट करें:

---



---



---

अनुज्ञप्ति धारक के हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

नाम : \_\_\_\_\_

तारीख: \_\_\_\_\_ स्थान: \_\_\_\_\_

यदि अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए आवेदन में उपलब्ध जगह अपर्याप्त है, तो पृथक शीट संलग्न करें।

### अनुदेश

कृपया पर्यटन और आमोद-प्रमोद क्रियाकलाप के संबंध में भरने और प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त प्ररूप वेबसाइट [https://documents.ats.aq/recatt/att710\\_e.xlsx](https://documents.ats.aq/recatt/att710_e.xlsx) से डाउनलोड करें

इस प्ररूप को आमोद-प्रमोद या पर्यटन के प्रयोजनों के लिए अंटार्कटिक संधि क्षेत्र के भीतर, अंटार्कटिक महाद्वीप, किसी द्वीप या राज्यक्षेत्र का अभ्यागमन करने वाले किसी व्यक्ति, कंपनी, संगठन द्वारा भरा जाए। प्ररूप के दो भाग हैं : अभियान, अभिलेख (भाग-1) और स्थल अभ्यागमन अभिलेख (भाग-2), जिसे अभियान लीडर या कप्तान द्वारा पूरा किया जाए और समिति को प्रस्तुत किया जाए। अभियान, अभिलेख (भाग-1) अंटार्कटिक क्षेत्र के प्रत्येक अभियान के लिए इस बात को ध्यान में न रखते हुए भरा जाए कि क्या कोई अवतारण या अभ्यागमन स्थलों पर किया गया था। स्थल अभ्यागमन रिपोर्ट (भाग-2) केवल तभी पूरी की जाए जब अभ्यागमन या अवतारण अंटार्कटिक क्षेत्र के स्थलों पर किया गया हो। केवल समुद्री यात्रा जलयान द्वारा अनन्य रूप से किए गए स्थल अभ्यागमन में समुद्री जल मार्ग भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। पूर्ण किया गया यह प्ररूप त्रुटियों तथा हस्त अन्योन्यक्रिया को कम करने के लिए कंप्यूटर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसंस्कृत किया जाएगा। यह भी आवश्यक है कि यह दस्तावेज पूर्णरूप से और सही ढंग से पूरा किया जाए। इस संपूर्ण प्ररूप में, केवल निम्नलिखित तारीख प्रपत्र : दिन, मास, वर्ष (उदाहरणार्थ : 12 जनवरी, 02) का प्रयोग करें।

यदि अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए आवेदन में उपलब्ध स्थान अपर्याप्त है, तो पृथक शीट संलग्न करें।

[फा. सं. एम.ओ. इ. एस. /43-पार/06/2023]

डी. सेंथिल पांडियन, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF EARTH SCIENCES****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th August, 2023

**G.S.R. 592(E).**—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Indian Antarctic Act, 2022 (13 of 2022), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

**CHAPTER I****PRELIMINARY**

**1. Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Indian Antarctic Environmental Protection Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.** - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) "Act" means the Indian Antarctic Act, 2022 (13 of 2022);
- (b) "Chairperson" means the Chairperson of the Committee established under sub-section (1) of section 23;
- (c) "Commission" means the Commission for Conservation of Antarctic Marine Living Resources, established by the international Convention on Conservation for Antarctic Marine Living Resources;
- (d) "Committee for Environmental Protection" means the Committee of the representatives of the Parties, established under Article 11 of the Protocol for Protection of Antarctic environment;
- (e) "Form" means a Form annexed to these rules;
- (f) "Government" means the Central Government;
- (g) "Guidelines" means guidelines for environmental impact assessment in Antarctica issued by the Committee for Environmental Protection established under Article 11 of the Protocol;
- (h) "harmful interference" means, -
  - (i) flying or landing helicopters or other aircraft, or
  - (ii) using vehicles or vessels, including hovercraft and small boats, or
  - (iii) using explosives or firearms in a manner that disturbs concentrations of birds or seals or disturbing breeding or molting birds or seals or damaging native terrestrial plants by landing aircraft, or
  - (iv) driving vehicles or walking on them or any activity that results in the significant adverse modification of habitats of any species or population of native mammal, bird, plant or invertebrate;
- "Schedule" means a Schedule annexed to these rules;
- (j) "section" means the section of the Act;
- (k) "take" or "taking" means to kill, injure, capture, handle or molest a native mammal or bird or to remove or damage native plants; and
- (l) "transitory impact" shall have the meaning assigned to it in the Guidelines for environmental impact assessment in Antarctica, issued by the Committee for Environmental Protection, established under Article 11 of the Protocol for the Protection of the Antarctic environment.

2. Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

**CHAPTER II****APPLICATION FOR PERMIT**

**3. Prohibition of certain acts.** - Subject to the provisions of the Act, unless a permit has not been obtained in accordance with these rules, it is unlawful to,-

- (a) take of native mammals, birds or plants from Antarctica;
- (b) engage in harmful interference;



- (c) enter into Protected Areas and Historic Site and Monuments;
- (d) possess, sell, export and import of native mammals, birds and plants;
- (e) introduce non-indigenous animals, plants, non-sterile soil and microscopic organism into Antarctica;
- (f) do scientific, logistics, commercial fishing or tourism activities in Antarctica or in Convention area;
- (g) violate permit conditions;
- (h) carry out mineral resource activities;
- (i) discharge into the sea any garbage, plastic, oil or oily mixture, effluent, bilge water or any food waste;
- (j) enter into Antarctica or Indian Antarctic stations; and
- (k) engage any such matter referred to in the Act.

4. Application for permit.- (1) An application for a permit by any person or an operator shall be made to the Committee in Form 1, Form 1A, Form 1B, Form 1C and Form 2, as the case may be, either online or offline; in both the cases and it shall be signed by the applicant.

- (2) In case the application under sub-rule (1) is submitted offline, it shall be submitted in duplicate.
- (3) In the application submitted under sub-rule (1), the name of the applicant, complete address, address proof including Aadhaar Card or Passport, period of permit required, purpose, nationality and date of submission shall be indicated.
- (4) Where the applicant is an individual, or representing group of participants or expedition members his business or profession or institutional affiliation shall be indicated.
- (5) Where the applicant, proposes to make use of a vessel or an aircraft, registered in India or outside India, he shall indicate the names, addresses and other particulars of Operators and such vessel or aircraft and make a mention for obtaining a permit for them.
- (6) Subject to the provisions of the proviso to sub-rule (1) of rule 9, along with the application under sub-rule (1), a fee and security of such sum as is mentioned in Schedule 1, by way of on-line transfer payable to the Committee shall be paid.
- (7) Three passport size photographs of the applicant and each other person accompanying him to carryout activities shall also be submitted along with the application Form.
- (8) Where the applicant is a company, corporation, partnership firm, institution, joint venture, body corporate, society or agency or an association of persons, either private or public, the name and address of its president, Chairperson, manager, secretary, principal officer, or Director, by whatever name called, shall be mentioned in the application.

**Explanation.** - For the purposes of this sub-rule, the expressions,-

- (a) “agency” means the legal entity which provides specific services or work on behalf of another person;
- (b) “association of person” means the integration of two or more individuals with legal obligations and rights for a common goal primarily with the intention of making profit;
- (c) “body corporate” shall have the meaning assigned to it in clause (11) of section 2 of the Companies Act 2013 (18 of 2013);
- (d) “company” shall have the meaning assigned to it in clause (20) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (e) “corporation” means a legally established entity distinct from its owners which can hold authority, incur liability on its own assets, enter into contracts, sue and be sued separately from its owners i.e., board of directors, management team, and shareholders;
- (f) “institution” means a facility, establishment, foundation or established organisation, especially of a public character including a bank, university or church;
- (g) “joint venture” means a combination of two or more parties that seek the development of a single enterprise or project for profit, sharing of risks associated with its development including project based and functional based;
- (h) “partnership firm” shall have the meaning assigned to it in the Indian Partnership Act 1932 (9 of 1932) and shall include a limited liability partnership as defined in the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2008);
- (i) “society” means a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or any other law for the time being in force;

- (9) Where the applicant proposes to take away some specimens of native mammals, native birds or native plants, he shall mention numbers and description of such specimens, mammals, birds or plants.
- (10) Whether native mammals, native birds or native plants are to be imported into India, the purpose for their import and ultimate disposition to be indicated.
- (11) The description of location, time period and the manner in which the interference or specimen of native mammals, native birds or native plants is proposed to be removed shall be mentioned in the application.
- (12) Whether the applicant intend to enter or stopover specially protected area or Historic Site and Monument, shall be mentioned in the application.
- (13) Whether to make interference with specially protected species, the purpose and time period of such interference to be mentioned in the application.
- (14) Where the applicant proposes to carryout activities in a specially protected area, the applicant shall procure the copy of the management plan and make a mention about same in the application.
- (15) Where the applicant proposes to introduce any non-native plant or animal referred to in section 9 or microscopic organism referred to in section10 or intend to collect any kind of specimen referred to in section14 or intend to introduce any soil, shall be mentioned in the application.
- (16) The applicant shall submit along with the application, environmental impact assessment, a waste management plan and an emergency plan.

**5. Scrutiny of application.-** (1) The Committee shall scrutinise the application and make such enquiries as deemed necessary.

(2) After scrutiny and enquiry under sub-rule (1), if the Committee is satisfied that,-

- (a) the application is in order and the activities mentioned therein may have less than a minor or transitory impact on the Antarctic environment, it shall, within a period of forty-five days from the date of receipt of the application under sub-rule (1) of rule 4 grant a permit under rule 9;
- (b) the application is in order and that such activity, mentioned therein, has reasonable apprehension of causing minor or transitory impact on the environment, it shall require the applicant to conduct an Initial Environmental Evaluation and to submit a report thereon to it three months prior to the commencement of the proposed activity as required under sub-section (5) of section 27.

(3) On examination of the Initial Environmental Evaluation of proposed activity, if the Committee is satisfied that the activities shall have more than minor or transitory impact on the environment, it shall intimate within a period of thirty days from the receipt of Initial Environmental Evaluation to the applicant to submit draft Comprehensive Environmental Evaluation for examination.

(4) On receipt of draft Comprehensive Environmental Evaluation, if the Committee is satisfied that the draft Comprehensive Environmental Evaluation is in order in all respect, it shall, after examination of the same, submit it to the Committee for Environmental Protection for its approval.

(5) Where the Committee for Environmental Protection requires more improvement in the draft Comprehensive Environmental Evaluation, the applicant shall have to act accordingly and submit Final Comprehensive Environmental Evaluation of the proposed activities for approval.

(6) Where the Final Comprehensive Environmental Evaluation is submitted, the Permit shall be granted to the applicant only on receipt of final approval of the Committee for Environmental Protection.

(7) Where the Committee observed that the proposed activities are likely to cause significant adverse impact on the Antarctic environment or the clarifications made or the information provided under this rule is not sufficient to the satisfaction of the Committee, it shall reject the application for reasons to be recorded for such rejection and intimate the same to the applicant:

Provided that before rejecting the application, the Committee shall give an opportunity of being heard to the applicant.

### CHAPTER III

#### ENVIRONMENTAL EVALUATION

6. Initial Environmental Evaluation.- The Initial Environmental Evaluation to be submitted to the Committee shall include sufficient details to assess whether a proposed activity may have more than a minor or transitory impact and shall include,-

- (a) description of the proposed activity including its purpose, location, duration and intensity;

(b) consideration of alternate to the proposed activity, nature, special extent, reversibility or resilience, lag time, direct impact, unavoidable impact including consideration of cumulative impacts in the light of existing and known planned activity; and

(c) any other data or information as described in the "Guidelines for Environmental Impact Assessment in Antarctica".

**7. Comprehensive Environmental Evaluation.** - On the directions of the Committee under sub-rule (3) of rule 5, the applicant shall submit a draft Comprehensive Environmental Evaluation for consideration and evaluation which shall include,-

(a) a description of the proposed activity including its purpose, location, duration and intensity, and possible alternatives to the activity, including the alternative of not proceeding, and the consequences of those alternatives;

(b) a description of the initial environmental reference state with which predicted changes are to be compared and a prediction of the future environmental reference state in the absence of the proposed activity;

(c) a description of the methods and data used to forecast the impacts of the proposed activity;

(d) estimation of the nature, extent, duration, and intensity of the likely direct impacts of the proposed activity;

(e) consideration of possible indirect or second order impacts of the proposed activity;

(f) consideration of cumulative impacts of the proposed activity in the light of existing activities and other known planned activities;

(g) identification of measures, including monitoring programmes, that could be taken to minimise or mitigate impacts of the proposed activity and to detect unforeseen impacts and that could provide early warning of any adverse effects of the activity as well as to deal promptly and effectively with accidents;

(h) identification of unavoidable impacts of the proposed activity;

(i) consideration of the effects of the proposed activity on the conduct of scientific research and on other existing uses and values;

(j) an identification of gaps in knowledge and uncertainties encountered in compiling the information required under these rules;

(k) a non-technical summary of the information;

(l) the name and address of the person or organisation which prepared the Comprehensive Environmental Evaluation and the address to which comments thereon shall be directed; and

(m) any other such data or information as described in the "Guidelines for Environmental Impact Assessment in Antarctica".

**8. Draft Comprehensive Environmental Evaluation to be available to public.**- (1) On receipt of the draft Comprehensive Environmental Evaluation from the applicant, the Committee shall make it available on the website of the Ministry of Earth Sciences for information of the general public and soliciting the suggestions or objections, if any, from the interested or affected persons.

(2) While making public draft Comprehensive Environmental Evaluation, the Committee shall clearly indicate the name and address of the authority to which suggestions or objections may be forwarded by the interested or affected persons.

(3) The interested or affected persons may send their suggestion or objections, if any, to the Committee within a period of thirty days from the date of making it or available to public.

(4) On receipt of the suggestions or objections, if any, or where no objection has been received, the Committee shall consider the draft Comprehensive Environmental Evaluation for further processing.

(5) Where after taking into consideration the suggestions or objections, the Committee is of the opinion that the draft Comprehensive Environmental Evaluation require certain modification or improvement, it may inform the applicant accordingly to do the needful.

## CHAPTER IV

## GRANT AND REVOCATION OF PERMIT

**9. Permit.-** (1) Where the Committee is fully satisfied about the evaluation, contents of the application and on receipt of such permit fee and a refundable security deposit as mentioned in Schedule 1, it may issue a permit to the applicant in Form P 1 to P 4, as the case may be:

Provided that where an expedition for scientific purposes is sponsored by the Central Government or any State Government, such Government shall not be required to deposit application fee and security amount.

(2) The permit issued under sub-rule (1) shall contain,-

- (a) the name, address, occupation and photograph of the applicant;
- (b) period of permit with date of issue and the date of expiry;
- (c) name of persons authorised to conduct activities in Antarctica;
- (d) name of vessels and or aircraft authorised to conduct activities in Antarctic;
- (e) the description of authorised activities and the specification of the place, where these are to be carried out;
- (f) the description of native mammals, native birds or native plants, which the permit holder is allowed to remove from Antarctica; and
- (g) the conditions of the permit.

**10. Conditions of permit.-** (1) A permit holder shall,-

- (a) ensure that all persons to whom the permit applies receive training designed to limit the impact of their activities on the Antarctic environment;
- (b) inform all persons to whom the permit applies of the requirements of the provisions of the Act, these rules and conditions of permit, including the requirements relating to the waste management plan and the emergency plan;
- (c) provide the Committee an itinerary for the activities including the area of activity;
- (d) bring to the notice of the Committee in advance the facts about any significant changes to the itinerary, including changes in the area of activity followed with justification for such change;
- (e) within the time mentioned in the permit, provide to the Committee a written post visit report in Form R1, R2 or R3 on the activities conducted within Antarctica;
- (f) declare in the said written post visit report that all the conditions of the permit have been fully adhered to and no harmful interference is contemplated to native mammals, plants or species and any sample or specimen collected other than permitted;
- (g) provide any additional information that may be required by the Committee; and
- (h) not transfer the permit.

(2) The permit issued for a vessel or an aircraft shall be kept on board the vessel or the aircraft.

(3) The emergency plan referred to in clause (b) of sub-rule (1) shall,-

- (a) identify the potential emergencies, including the potential impact on human health and the environment, that could result from the activities to which the permit is to relate;
- (b) include an assessment of the relative risk of occurrence of the potential emergencies;
- (c) set out the names and telephone numbers of personnel and describe their roles and responsibilities during an environmental emergency;
- (d) identify the training required for emergency response personnel;
- (e) enlist the equipment that will be available to deal with potential emergencies and indicate where it is located;
- (f) identify the procedures by which emergency resources, including personnel, equipment, facilities and financial resources, can be obtained, and
- (g) describe the procedures for implementing, reviewing and updating the plan.

**11. Failure to comply with conditions.-** (1) If the permit-holder or any other person to whom the permit applies, fails to comply with any condition of the permit, the permit-holder shall give the Committee,-

- (a) notice of such failure without delay and in any event within fifteen days after the day on which the failure to comply occurs; and
- (b) a written report, within forty-five days, after the day on which the failure to comply occurs, that identifies the condition and explains the failure to comply.

(2) Where the Committee is satisfied that failure continues for a long time beyond three days or it was an intentional lapse on the part of the permit-holder or any other person to whom the permit applies, then the Committee may suspend or cancel the permit.

(3) Where the failure causes a significant damage to the Antarctic environment, the Committee shall order for recovery for damages as per section 39 and section 49.

**12. Production of permit on demand.-** (1) When there is reason to believe that a person has carried out or is carrying out or about to carry out any activity for which a permit is required under the provisions of the Act or these rules, the Inspector or any member of the inspection team or an observer designated under article VII of the Treaty may demand the production of the permit.

(2) Every permit holder and every other person to whom the permit applies shall keep all times in his possession the permit while in Antarctic and produce the same on demand by the authorities referred to in sub-rule (1).

(3) A permit issued for a vessel or an aircraft shall be kept by the operator on board the vessel or the aircraft, as the case may be, and produced for inspection on demand by the authorities referred to in sub-rule (1).

(4) The authorities referred to in sub-rule (1) shall have the power to demand production, inspect and take copy of the permit.

**13. Suspension or cancellation of permit.-** (1) Where it appears to the Committee that,-

- (a) the permit was procured by fraud or misrepresentation;
- (b) the application for the permit contained material error or omission;
- (c) the holder of the permit, or a person mentioned in it, or the description provided in it, are not fit and proper person to carry out any activity authorised by the permit;
- (d) there has been a material change in the circumstances under which an activity was authorised by the permit;
- (e) the Committee got information about such environmental impact due to activity which was not available at the time of grant of permit;
- (f) continuation of the activity would have an unacceptable impact on the Antarctic environment;
- (g) the carrying out or continuation of an activity authorised by the permit would be undesirable because of an emergency, which has arisen subsequent to the grant of permit;
- (h) the person to whom the permit was granted or any person mentioned in it shall not be able to comply with any material condition of the permit;
- (i) there has been a breach of condition of the permit;
- (j) the holder of the permit has purported to transfer, or has given possession of, the permit or a copy of it, to a person who is not entitled to hold it; or
- (k) the permit or a copy of it has been defaced or altered;

it may suspend, till pending the completion of an inquiry under sub-section (1) of section 29, or cancel, wholly or in part, any permit granted under the provisions of the Act and these rules.

(2) While exercising its powers under sub-rule (1), the Committee shall give thirty days' notice to the permit-holder of its intention to do so and after due consideration of any representation made in writing by or on behalf of the permit-holder may suspend or cancel the permit.

(3) If, by reason of the urgency of the matter, it appears to the Committee to be necessary for it to do so, it may provisionally suspend a permit without serving a notice, but it shall in any such case comply with the requirement of sub-rule (2) as soon thereafter as is reasonably practicable, and shall then either,-

- (a) revoke the provisional suspension of the permit; or
- (b) suspend or cancel the permit.

(4) The permit-holder or any person having possession or custody of any permit which has been suspended or canceled under this rule shall surrender it and any copies of it to the Committee immediately.

**14. Renewal of permit.-** (1) Where the activities to be carried out in accordance with the conditions of a permit are still to be accomplished and the period authorised by the permit is going to expire, the permit-holder may make an application to the Committee at least sixty days before the date of expiry of the authorised period,

(2) The Committee may renew such permit in the first instance for a maximum period of one year on payment of a renewal fee as provided in the Schedule 1.

**15. Security refund.-** (1) Where the permit-holder has completed his activities for which the permit was granted and he along with other persons to whom the permit applies, return to India, may make an application to the Committee for refund of security.

(2) If the Committee is satisfied on the basis of post visit report of the activities in Form R1, R2 or R3 and the report of the authorised person in this regard, that there was no violation of the provisions of the Act and these rules and the conditions of the permit, it may allow the refund of security amount.

## CHAPTER V

### SPECIALLY PROTECTED AREA, MARINE PROTECTED AREA, HISTORIC SITES AND MONUMENTS AND PROTECTED SPECIES

**16. Specially protected areas and species.-** (1) For the purposes of the Act and these rules the Antarctic Specially Protected Area, Marine Protected Area, Antarctic Specially Managed Area and Historic Site and Monument and Protected Species shall be such, as described in Schedule 2.

(2) No person shall enter any Protected Area, Historic sites and Monuments referred to in Schedule 2, without obtaining a Permit or authorisation from the Committee.

**17. Permit for protected area.-** (1) While submitting application for granting a permit for entering into the protected area, the applicant shall declare that he is having the knowledge about the Management Plan of protected area and shall take into account the contents of such Management Plan.

(2) Any permit granted for entry in to a protected area shall provide,-

- (a) the extent and location of the activity proposed in specially protected area;
- (b) the activities that are authorised in relation to the specially protected area;
- (c) when, where and by whom the activities may be conducted;
- (d) any other condition that may be imposed by the Management Plan;
- (e) details relating to the project;
- (f) the validity of the permit; and
- (g) the name, designation and affiliation of authorised signatory who shall grant permit:

Provided that a permit for entry into Marine Protected Area for scientific research shall be granted in accordance with the procedure indicated in the conservation measures and rules of procedure of the Commission for Conservation of Antarctic Marine Living Resources;

Provided further that for Specially Protected Area, the permit may be granted only for compelling scientific purposes which cannot be served elsewhere and which shall not jeopardise the natural ecological system in that Area.

**Explanation.-** For the purposes of this rule, the expression "Management Plan" means the Management Plan of Antarctic Specially Protected Area or Marine Protected Area or Historic Site and Monuments as referred to in Schedule 2.

**18. Grant of permit for specially protected species.-** For the purposes of sub-clause (d) of the proviso to clause (ii) of sub-section (1) of section 14, the Committee may issue a permit for taking of a specially protected species set out in Appendix-A of Annex II to the Protocol, if the taking,-

- (a) is for a compelling scientific purpose;
- (b) shall not jeopardize the survival or recovery of that species or the local population of that species; and
- (c) is done using non-lethal techniques, if applicable.

**19. Permit to take native species.-** The Committee may grant a permit for taking native species,-

- (a) to provide specimens for scientific study or scientific information;

- (b) to provide specimens for museums, herbaria, zoological or botanical gardens or other educational or cultural institutions or uses; or
- (c) to provide for unavoidable consequences of other scientific activities.

**20. Manner of tackling native species.**- (1) The Committee shall include in a permit for taking of native mammals or birds the condition that the taking of those mammals or birds shall be done in the manner that involves the least degree of pain and suffering practicable being inflicted on them.

(2) While granting a permit under rule 20, the Committee shall take in to account the permits granted by all other Parties to the Protocol to ensure that,-

- (a) only small numbers of native mammals or native birds are killed so that the mammals and birds could be replaced by normal natural reproduction during the following season; and
- (b) the diversity of species, as well as the habitats essential to their existence and the balance of the ecological systems existing within the Antarctic are maintained.

**21. Permit for non-native species.** - (1) The Committee may grant a permit to allow introduction into Antarctic of animals or plants of a species enumerated in Article 4 of Annex II to the Protocol.

(2) The Committee shall not grant a permit to allow any dog to take in the Antarctica.

(3) Where any permit is granted by the Committee under sub-rule (1), it shall provide in the said permit,-

- (a) the species which may be introduced into the Antarctica;
- (b) the number of members of that species which may be introduced;
- (c) the age and sex of the members of which species may be introduced;
- (d) the precautions to be taken to prevent,-
  - (i) any escape of the members of species,
  - (ii) any contact of the members of species with native fauna and flora, and
  - (iii) any interference with an ecosystem of the Antarctic.

**22. Removal of species.**- Before the expiry of the date of permit, the permit holder shall remove from Antarctic,-

- (a) any plant or animal in respect of which a permit is granted under sub-rule (1) of rule 21, and any progeny of such plant or animal; and
- (b) any other plant or animal that the permit holder has introduced and which is not indigenous to the Antarctic, including the progeny of any such plant or animal, unless the plant or animal poses no risk to native flora or fauna or to an ecosystem of Antarctic.

**23. Disposal of species.**- The permit holder shall dispose of species before the expiry of the date of permit, in the following manner, namely:-

- (a) in a case referred to in clause (a) of sub-rule (3) of rule 21, by incineration or an equally effective means that eliminates risk to fauna and flora and to the ecosystems of the Antarctic; and
- (b) in a case referred to in clause (b) of sub-rule (3) of 21, by incineration or an equally effective means that renders the plants or animals sterile.

**24. Disposal of parts and products of plants and animals.**- A permit holder shall keep all parts and products of plants and animals which are introduced into the Antarctica, under carefully controlled conditions and before the expiry of the permit shall dispose them of in a manner that eliminates any risk to native fauna and flora and to the ecosystem of the Antarctica.

## CHAPTER VI

### REMOVAL AND DISPOSAL OF WASTE AND ENVIRONMENTAL EMERGENCY

**25. Waste management.**- The permit holder shall remove the waste from the Antarctic to the country from which the activities generating waste were organised or to any other country in which arrangements have been made for the disposal of the waste in accordance with the terms of the relevant international agreements.

**26. Field camp waste removal.**- The permit holder shall take all reasonable steps to remove waste generated at a field camp to,-

- (a) the station or vessel from which the field camp is supported; or
- (b) another station or vessel if the permit holder has arranged for the waste to be disposed off.

**27. Waste management plan.-** (1) The head of the Station's operation or maintenance shall prepare the waste management plan and emergency plan as required under sub-section (6) of section 27.

- (2) Any person making an application for obtaining a permit under the provisions of the Act and these rules made thereunder shall submit a waste management plan along with his application to the Committee.
- (3) The waste management plan referred to in sub-rule (1) shall apply to all waste generated by the activities to which the permit is to relate, including the waste generated by vessels, aircraft, stations and field camps.
- (4) The said waste management plan shall,-
  - (a) include measures for the reduction, recycling, safe storage, removal and disposal of waste from the activities to which the permit is to relate, as well as an undertaking by the permit holder to comply with these conditions;
  - (b) include that the permit holder shall take reasonable steps to minimize the amount of waste generated or disposed of in the Antarctica;
  - (c) include current and planned waste management measures, including measures for final disposal;
  - (d) include current and planned measures for analysing the effects of waste and waste management on the Antarctic environment;
  - (e) include other measures to minimize any negative effects of waste and waste management on the Antarctic environment; and
  - (f) include the method used for recording waste.

**28. Annual review of waste.-** Where the permit is granted for a period of more than one year, than after the completion of one year's period of the grant of the permit, within thirty days, the permit holder shall review and update his waste management plan and provide a copy of the classified waste updated plan to the Committee.

**29. Classification of waste.-** After review and updating waste management plan under rule 28, the permit holder shall classify the waste produced in the process of activities as,-

- (a) sewage and domestic liquid waste - Group-1;
- (b) other liquid waste and chemicals, including fuel and lubricants - Group-2;
- (c) solids to be combusted – Group-3;
- (d) other solid waste – Group- 4; and
- (e) radioactive material- Group- 5.

**30. Kinds of wastes to be removed.-** Before the expiry of a permit, the permit holder shall remove from the Antarctica the following waste if they are generated by him,-

- (a) radioactive materials;
- (b) used or spent electrical batteries;
- (c) solid and liquid fuels;
- (d) waste containing heavy metals or toxic persistent organic compounds;
- (e) polyvinyl chloride, polyurethane foam, polystyrene foam, rubber electronics scrap, lubricating oils, treated wood or wood products and other products which contain additives that could produce harmful emissions if incinerated;
- (f) all other plastic waste, except low density polyethylene containers including bags for storing waste;
- (g) fuel drums, except if their removal would result in a greater adverse environmental impact than leaving them in their existing locations;
- (h) other solid, non-combustible waste, except if their removal would result in a greater adverse environmental impact than leaving them in their existing locations; and
- (i) the solid residue of combustible waste burned in an incinerator.

**31. Removal of liquid waste.-** The permit holder shall treat and dispose liquid waste including sewage and domestic liquid waste before the expiry of the permit in the manner referred to in section 35.

**32. Removal of other waste.-** Before the expiry of a permit, the permit holder shall also remove the following waste from the Antarctic, unless they are incinerated, autoclaved or otherwise treated to be made sterile,-



- (a) residues of carcasses of imported animals;
- (b) laboratory cultures of micro-organisms and plant pathogens; and
- (c) introduced avian products.

**33. Incineration of combustible waste.-** (1) Before the expiry of a permit, the permit holder shall burn all combustible waste, other than those which can be removed from the Antarctica.

(2) In the process of incineration, the permit holder shall make use of such incinerators which meet emission standards described in Schedule 3 and the process described in manual recommended by the Committee for Environmental Protection and Antarctica Treaty Consultative Meeting.

**34. Disposal of sewage and domestic liquid waste.-** The sewage or domestic liquid waste, other than sewage or domestic liquid waste from a vessel, may be disposed off directly into the sea if,-

- (a) the sewage or waste is generated at a station with an average weekly occupancy over the austral summer of at least thirty individuals;
- (b) the sewage or waste is macerated before it is disposed off;
- (c) all reasonable steps are taken to discharge the sewage or waste into the sea at a place where conditions exist for dilution and dispersal of the sewage or waste; and
- (d) the effluent parameters are in accordance with the standards described in the Schedule 3.

**35. Treated sewage.-** The by-product of sewage, other than sewage from a vessel, treated by rotating biological contactor or any similar sewage processing system and possibly with a tertiary treatment unit may be disposed into the sea, if the disposal,-

- (a) does not adversely affect the local environment; and
- (b) is in accordance with Annex III to the Protocol.

**36. Emission Standards.-** Emission Standards described in Schedule 3 shall be applicable only to machineries, equipment and vehicles manufactured in India, but for imported machineries, equipment and vehicles all the emissions from vehicle, machineries the standards of Country of origin shall be applicable and shall be less than as low as practically possible.

**37. Emergency Plan.-** (1) The emergency plan for station, vessel and aircraft shall be prepared according to guidelines of Council of Managers of the National Antarctic Programme established in pursuant to the Treaty on the subject.

- (2) In the event of an emergency during undertaking activities in Antarctica, the permit holder shall, without any delay inform the Committee about all measures undertaken in response to an environmental emergency in Antarctica.
- (3) The Committee shall circulate the information received under sub-rule (1) to all Parties and the Committee for Environmental Protection.

**38. Maintenance of record of each removal and disposal.-** (1) The permit holder shall record each removal and disposal of waste, including sewage discharge from vessel and maintain the record of the same.

- (2) Where the permit is granted for a period of more than one year, including the term of any renewal of the permit, the permit holder shall submit to the Committee the details of all removals and disposals and locations where waste have been incinerated or otherwise disposed off in Antarctica within a period of thirty days from the date of complication of one year of granting the permit and also before thirty days from the date of expiry of the permit.

**39. Cost of response action for environmental emergencies.-** Where no response action is taken by the Operator or by any Party, the Operator shall be liable to such cost and penalty which is described in Annex VI to the Protocol on Environmental Protection to the Antarctica Treaty.

**40. Other International obligations.-** (1) The Operator shall undertake to ensure that vessel granted Permit for entry into Antarctica or Convention area shall bear the national flag of the country of Operator and national flag of chartered Party.

(2) Every vessel entering into Antarctica or Convention area shall be fitted with tanks of sufficient capacity on board for the retention of,-

- (a) sludge;
- (b) dirty ballast water;

- (c) tank washing water;
  - (d) oil residue and mixture;
  - (e) garbage;
  - (f) noxious liquid substances,
- and shall have arrangements to discharge or dispose of above waste.

## CHAPTER VII

### TERM OF OFFICE AND ALLOWANCES TO NOMINATED MEMBERS AND PROCEDURE IN MEETINGS OF COMMITTEE

**41. (1) Term of office of Chairperson and Ex-officio members.-** (1) The term of office of the Chairperson and ex officio member shall continue so long as he holds the office by virtue of which he is a Chairperson, or an ex-officio member.

(2) The term of office of a nominated member shall be three years from the date of his notification.

(3) A nominated member shall be eligible for re-nomination for next one term.

(4) A nominated member may resign from his office by writing under his hand addressed to the Central Government and his resignation shall take effect from the date it is accepted by the Central Government or on the expiry of thirty days from the date of receipt of written communication by the Central Government, whichever is earlier.

(5) A nominated member may be removed by the Central Government from his office if he,-

- (a) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- (b) becomes bankrupt or insolvent; or
- (c) convicted of an offence involving moral turpitude; or
- (d) absents himself from three consecutive meetings of the Committee without obtaining leave of absence from the Chairperson; or
- (e) in the opinion of the Committee, has failed or is unable to carry out his duties satisfactorily:

Provided that before issuing an order for removal, the Committee shall, give such member an opportunity of being heard in the matter.

(6) One of the members nominated under clauses (c) and (d) of sub-section (1) of section 23 may be a women

**42. Allowance payable to nominated member.-** (1) A nominated member, if he is not in the service of the Government or a State Government or any statutory body, shall be paid an allowance of six thousand rupees per day for attending meetings of the Committee.

(2) A nominated member shall be entitled to such allowance for his to-and-fro journey to the place of meeting as may be admissible to a Joint Secretary to the Government.

**43. Procedure of Committee meetings.-** (1) The Committee shall meet at least twice in a calendar year.

(2) A meeting of the Committee shall be presided over by the Chairperson and in his absence by a member chosen by members present in the meeting.

(3) The quorum for the meeting of the Committee shall be fifty per cent. of its total strength.

**Explanation.-**For the purposes of this sub-rule, total strength shall not include the Chairperson or members whose places are vacant.

(4) Where a meeting of the Committee could not be held for want of quorum, then, meeting shall automatically stand adjourned to the same day at the same time and place in the next week or if that day is a national holiday, till the next succeeding day, which is not a national holiday, at the same time and place.

(5) Every question brought before any meeting of the Committee shall be decided by a majority of members present and voting at the meeting before which the matter is brought.

(6) In the case of an equality of votes, the Chairperson or the member, as the case may be, presiding over the meeting, shall have a second or casting vote.

(7) The Member Secretary, with the prior approval of the Chairperson, shall convene the meeting of the Committee.

(8) The meeting notice along with the agenda shall be delivered at the address registered with the Committee of the Chairperson and members at least seven days before the date of the meeting.

(9) The meeting notice and the agenda shall be sent by hand delivery or by post or by electronic means.

(10) The record of business transacted at every meeting of the Committee shall be prepared by the Member Secretary and signed by the Chairperson or the member, as the case may be, presiding at such meeting.

**44. Filling up of casual vacancy.-** (1) Where the office of a nominated member is vacated before his term of office expires in the normal course, the resultant casual vacancy shall be filled by the Government in the manner referred to in section 23.

(2) Any person so appointed under sub-rule (1) shall hold office only till date up to which the member in whose place he is so nominated would have held office, if it had not been vacated.

### CHAPTER VIII

#### MAINTENANCE AND ADMINISTRATION OF ANTARCTIC FUND

**45. Maintenance and administration of Fund.-** (1) All receipts of the Committee shall be credited to the Antarctic Fund and all payments of the Committee shall be made there from.

(2) The Committee shall have power, subject to the provisions of the Act and these rules, to spend such sums to cover all administrative expenses of the Committee and on objects and for purposes authorised by the Act and such sums shall be treated as expenditure out of the Fund of the Committee.

(3) All moneys standing at the credit of the Committee which cannot immediately be applied as provided in sub-rule (2), shall be,-

- (a) deposited in the State Bank of India or any other Scheduled bank; and
- (b) invested in the securities of the Government.

**Explanation.-** In this sub-rule the expression "Scheduled bank" has the same meaning as assigned to it in clause (e) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).

**46.** The Committee may set apart such amounts as a reserve fund for the purposes of expanding existing facilities or services or creating new facilities or services at Indian stations, historic sites, and monuments and specially protected areas in the Antarctica.

**47. Preparation of annual financial estimates.-** (1) The Committee shall, before the commencement of each financial year, prepare a statement of the program of its activities during the forthcoming financial year as well as financial estimate in respect thereof.

(2) The statement prepared under sub-rule (1) shall not less than three months before the commencement of each financial year be submitted for approval to the Government.

(3) The statement and the financial estimates of the Committee, may with the approval of the Government, be revised by the Committee.

**48. Maintenance of accounts and record.-** (1) The Committee shall maintain proper accounts and other relevant record and prepare an annual statement of accounts including the profit and loss account and the balance-sheet in Form 3 annexed to these rules.

(2) In accordance with the provisions of sub-section (2) of section 52, the accounts of the Committee shall be audited annually by the Comptroller and Auditor-General of India and any expenditure incurred by him in connection with such audit shall be payable by the Committee to the Comptroller and Auditor-General of India.

(3) The accounts of the Committee as certified by the Comptroller and Auditor-General of India together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Central Government and that Government shall cause the same to be laid before both Houses of Parliament.

### CHAPTER IX

#### INSPECTIONS

**49. Qualifications and experience of Inspector.-** A person having following qualifications and experience shall be designated as an Inspector for the purposes of this Act, namely:-

- (a) Masters' degree from a recognised University in science or law; or
- (b) Bachelor's degree in engineering or technology from a recognised University,
- (c) having seven years' regular experience after obtaining the degree referred to in clauses (a) and (b) in,-

- (i) teaching at graduate or post-graduate level;
- (ii) research and development;
- (iii) survey;
- (iv) administration; or
- (v) supervision.

**50. Manner of inspection -** (1) The Committee shall communicate in advance through the Ministry of External Affairs to other Party or Parties the names and other particulars of the observers consisting of the inspection team.

- (2) The inspection team shall have freedom of access at any time to any or all areas of Antarctica.
- (3) All areas of Antarctica, including all stations, installations and equipment within those areas, and all ships and aircraft at points of discharging or embarking cargoes or personnel in Antarctica, shall be open at all times for inspection by observer of inspection team.
- (4) The observers of the inspection team shall have the authority to carry out aerial observation at any time over any or all areas of Antarctica.
- (5) Observers of inspection team undertaking an inspection of a vessel shall have the authority to, -
  - (a) inspect only a vessel flying the flag of a Party;
  - (b) undertake inspection in terms of Article VI and Article VII (3) of the Antarctic Treaty;
  - (c) inspect vessels other than those chartered by Parties only with consent of the master of the vessel.
- (6) The inspection team shall submit report of inspection to the Parties whose stations, installations, equipment, vessel or aircraft are have been inspected.
- (7) The inspection shall be carried out in accordance with the requirements provided in Schedule 4.

**51. Qualifications and experience of Analyst.-** The analyst designated for the purposes of the Act shall be having,-

- (a) Masters' degree from a recognised University in science with seven years' experience in research and analysis and handling instruments; or
- (b) Bachelor's degree in engineering or technology from a recognised University with seven years' regular experience in research and analysis and handling instruments.

#### SCHEDULE 1

(See sub-rule (6) of rule 4, sub-rule (1) of rule 9 and sub-rule (2) of rule 14)

Amount for Permit Application and Security Deposit,

Application Fee and Security Deposit to be made by an Individual, Indian Antarctic Expedition, Vessel, Aircraft, Company, Group, Association, Joint venture, Organisation, Institute, or Commercial Fishing Operator.

S.No	Particulars	Grant of Permit and Renewal Fee (₹)	Security Deposit*
1	Antarctic Expedition, Group, Company, Joint Venture, Organization, Institute.	Rupees five thousand for each participant.	Five per cent. of total expenditure on an expedition.
2	Vessel.	Rupees two lacs per vessel	Ten per cent. of total expenditure on an expedition.
3	Aircraft.	Rupees two lacs per aircraft	Ten per cent. of total expenditure on an expedition.
4	Commercial Fishing Operation.	Rupees two lacs per vessel for one-time entry to Antarctic or Convention area and additional fees or payment as may be charged by the Commission for Conservation of Antarctic Marine Living Resources.	Ten per cent. of the total expenditure on an expedition.

**\*Note -**The refund of security shall be made in accordance with the provisions of rule 15.

**SCHEDULE 2**[See sub-rule (1) and sub-rule (2) of rule 16 and the *Explanation* to sub-rule (2) of rule 17]

Antarctic Specially Protected Area, Marine Protected Area, Antarctic Specially Managed Area and Historic Site and Monuments

**PART 1****Antarctic Specially Protected Area**

Number	Name	Former Number	Proponent
ASPA 101	Taylor Rookery, Mac. Robertson Land	SPA 1	Australia
ASPA 102	Rookery Islands, Holme Bay, Mac.Robertson Land	SPA 2	Australia
ASPA 103	Ardery Island and Odbert Island, Budd Coast, Wilkes Land, East Antarctica	SPA3	Australia
ASPA 104	Sabrina Island, Balleny Islands	spa4	New Zealand
ASPA 105	Beaufort Island, McMurdo Sound, Ross Sea	SPA 5	New Zealand
ASPA 106	Cape Hallett, Northern Victoria Land, Ross Sea	SPA 7	United States
ASPA 107	Emperor Island, Dion Islands, Marguerite Bay, Antarctic Peninsula	SPA 8	United Kingdom
ASPA 108	Green Island, Berthelot Islands, Antarctic Peninsula	SPA 9	United Kingdom
ASPA 109	Moe Island, South Orkney Islands	SPA 13	United Kingdom
ASPA 110	Lynch Island, South Orkney Islands	SPA 14	United Kingdom
ASPA 111	Southern Powell Island and adjacent islands, South Orkney Islands	SPA 15	United Kingdom
ASPA 112	Coppermine Peninsula, Robert Island, South Shetland Islands	SPA 16	Chile
ASPA 113	Litchfield Island, Arthur Harbor, Anvers Island, Palmer Archipelago	SPA 17	United States
ASPA 114	Northern Coronation Island, South Orkney Islands	SPA 18	United Kingdom
ASPA 115	Lagotellerie Island, Marguerite Bay, Graham Land	SPA 19	United Kingdom
ASPA 116	New College Valley, Caughley Beach, Cape Bird, Ross Island	SSSI 10 - SPA 20	New Zealand
ASPA 117	Avian Island, Marguerite Bay, Antarctic Peninsula	SSSI 30 - SPA 21	United Kingdom
ASPA 118	Summit of Mount Melbourne, Victoria Land	SSSI 24 - SPA 22	New Zealand
ASPA 119	Davis Valley and Forlidas Pond, Dufek Massif, Pensacola Mountains	SPA 23	United States
ASPA 120	Pointe-Géologie Archipelago, Terre Adélie	SPA 24	France
ASPA 121	Cape Royds, Ross Island	SSSI 1	United States
ASPA 122	Arrival Heights, Hut Point Peninsula, Ross Island	SSSI 2	United States
ASPA 123	Barwick and Balham Valleys, Southern Victoria Land	SSSI 3	United States
ASPA 124	Cape Crozier, Ross Island	SPA 6 - SSSI 4	United States
ASPA 125	Fildes Peninsula, King George Island (25 de Mayo)	SPA 12 - SSSI 5	Chile
ASPA 126	Byers Peninsula, Livingston Island, South Shetland Islands	SPA 10 - SSSI 6	Chile, Spain, United Kingdom
ASPA 127	Haswell Island	SSSI 7	Russian Federation

ASPA 128	Western shore of Admiralty Bay, King George Island, South Shetland Islands	SSSI 8	Poland
ASPA 129	Rothera Point, Adelaide Island	SSSI 9	United Kingdom
ASPA 130	Tramway Ridge, Mount Erebus, Ross Island	SSSI 11	New Zealand
ASPA 131	Canada Glacier, Lake Fryxell, Taylor Valley, Victoria Land	SSSI 12	New Zealand
ASPA 132	Potter Peninsula, King George Island (Isla 25 de Mayo), South Shetland Islands	SSSI 13	Argentina
ASPA 133	Harmony Point, Nelson Island, South Shetland Islands	SSSI 14	Argentina, Chile
ASPA 134	Cierva Point and offshore islands, Danco Coast, Antarctic Peninsula	SSSI 15	Argentina
ASPA 135	North-east Bailey Peninsula, Budd Coast, Wilkes Land	SSSI 16	Australia
ASPA 136	Clark Peninsula, Budd Coast, Wilkes Land, East Antarctica	SSSI 17	Australia
ASPA 137	North-West White Island, McMurdo Sound	SSSI 18	United States
ASPA 138	Linnaeus Terrace, Asgard Range, Victoria Land	SSSI 19	United States
ASPA 139	Biscoe Point, Anvers Island, Palmer Archipelago	SSSI 20	United States
ASPA 140	Parts of Deception Island, South Shetland Islands	SSSI 21	United Kingdom
ASPA 141	Yukidori Valley, Langhovde, Lützow-Holm Bay	SSSI 22	Japan
ASPA 142	Svarthamaren	SSSI 23	Norway
ASPA 143	Marine Plain, Mule Peninsula, Vestfold Hills, Princess Elizabeth Land	SSSI 25	Australia
ASPA 144	Chile Bay (Discovery Bay), Greenwich Island, South Shetland Islands	SSSI 26	Chile
ASPA 145	Port Foster, Deception Island, South Shetland Islands	SSSI 27	Chile
ASPA 146	South Bay, Doumer Island, Palmer Archipelago	SSSI 28	Chile
ASPA 147	Ablation Valley and Ganymede Heights, Alexander Island	SSSI 29	United Kingdom
ASPA 148	Mount Flora, Hope Bay, Antarctic Peninsula	SSSI 31	Argentina, United Kingdom
ASPA 149	Cape Shirreff and San Telmo Island, Livingston Island, South Shetland Islands	SPA 11 - SSSI 32	United States
ASPA 150	Ardley Island, Maxwell Bay, King George Island (25 de Mayo)	SSSI 33	Chile
ASPA 151	Lions Rump, King George Island, South Shetland Islands	SSSI 34	Poland
ASPA 152	Western Bransfield Strait	SSSI 35	United States
ASPA 153	Eastern Dallmann Bay	SSSI 36	United States
ASPA 154	Botany Bay, Cape Geology, Victoria Land	SSSI 37	New Zealand
ASPA 155	Cape Evans, Ross Island	SPA 25	New Zealand
ASPA 156	Lewis Bay, Mount Erebus, Ross Island	SPA 26	New Zealand
ASPA 157	Backdoor Bay, Cape Royds, Ross Island	SPA 27	New Zealand
ASPA 159	Cape Adare, Borchgrevink Coast	SPA 29	New Zealand
ASPA 160	Frazier Islands, Windmill Islands, Wilkes Land, East Antarctica		Australia
ASPA 161	Terra Nova Bay, Ross Sea		Italy
ASPA 162	Mawson's Huts, Cape Denison, Commonwealth Bay, George V Land, East Antarctica		Australia

ASPA 163	Dakshin Gangotri Glacier, Dronning Maud Land		India
ASPA 164	Scullin and Murray Monoliths, Mac.Robertson Land		Australia
ASPA 165	Edmonson Point, Wood Bay, Ross Sea		Italy
ASPA 166	Port-Martin, Terre-Adélie		France
ASPA 167	Hawker Island, Princess Elizabeth Land		Australia
ASPA 168	Mount Harding, Grove Mountains, East Antarctica		China
ASPA 169	Amanda Bay, Ingrid Christensen Coast, Princess Elizabeth Land, East Antarctica		Australia, China
ASPA 170	Marion Nunataks, Charcot Island, Antarctic Peninsula		United Kingdom
ASPA 171	Narebski Point, Barton Peninsula, King George Island		Korea (ROK)
ASPA 172	Lower Taylor Glacier and Blood Falls, McMurdo Dry Valleys, Victoria Land		United States
ASPA 173	Cape Washington and Silverfish Bay, Terra Nova Bay, Ross Sea		Italy, United States
ASPA 174	Stornes, Larsemann Hills, Princess Elizabeth Land		Australia, China, India, Russian Federation
ASPA 175	High Altitude Geothermal sites of the Ross Sea region		United States
ASPA 176	Rosenthal Islands, Anvers Island, Palmer Archipelago		United States
ASPA 177	Léonie Islands and South-East Adelaide Island, Antarctic Peninsula		United Kingdom
ASPA 178	Inexpressible Island and Seaview Bay, Ross Sea		China, Italy, Korea (ROK)

**PART 2****Marine Protected Area**

S.No	Description	Conventions' Conservation Measure	Area
1	Ross Sea region marine protected area	91-05 (2016)	Subarea 88.1 SSRU 88.2 A SSRU 88.2 B
2	South Orkney Islands' southern shelf	91-03 (2009)	Subarea 48.2

**PART 3****Antarctic Specially Managed Area**

Number	Name	Proponent
ASMA 1	Admiralty Bay, King George Island	Brazil, Ecuador, Peru, Poland, United States
ASMA 2	McMurdo Dry Valleys, Southern Victoria Land	New Zealand, United States
ASMA 3	Cape Denison, Commonwealth Bay, George V Land, East Antarctica	Australia
ASMA 4	Deception Island	Argentina, Chile, Norway, Spain, United Kingdom, United States
ASMA 5	Amundsen-Scott South Pole Station, South Pole	United States
ASMA 6	Larsemann Hills, East Antarctica	Australia, China, India, Romania,

		Russian Federation
ASMA 7	Southwest Anvers Island and Palmer Basin	United States

**PART 4****Historic Sites and Monuments**

<b>Number</b>	<b>Name</b>	<b>Location</b>	<b>Party undertaking management</b>
1	"Operation 90" flag mast	90° 0' 0" S, 1° 0' 0" E	Argentina
2	Fukushima's Rock Cairn	69° 0' 0" S, 39° 35' 0" E	Japan
3	Mawson's Rock Cairn - Proclamation Island	65° 50' 59.9999" S, 53° 41' 0" E	Australia
4	Pole of Inaccessibility Station building	82° 6' 42.0011" S, 55° 1' 57" E	Russian Federation
5	Mawson's Rock Cairn - Cape Bruce	67° 25' 0.0012" S, 60° 47' 0" E	Australia
6	Wilkins's Cairn	68° 22' 0.0012" S, 78° 33' 0" E	Australia
7	Ivan Khmara's Stone	66° 32' 3.9983" S, 92° 59' 57" E	Russian Federation
8	Anatoly Shcheglov's Monument	66° 34' 43" S, 92° 58' 23" E	Russian Federation
9	Buromsky Island Cemetery	66° 32' 4" S, 93° 0' 0" E	Russian Federation
10	Soviet Oasis Station Observatory	66° 16' 30" S, 100° 45' 3" E	Russian Federation
11	Vostok Station Tractor	78° 28' 0" S, 106° 48' 0" E	Russian Federation
14	Site of Northern Party ice cave - Inexpressible Island	74° 54' 0" S, 163° 43' 0" E	Italy, New Zealand, United Kingdom
15	Shackleton's 'Nimrod' Hut - Cape Royds, Ross Island	77° 32' 59.9999" S, 166° 10' 0" E	New Zealand, United Kingdom
16	Scott's 'Terra Nova' Hut - Cape Evans, Ross Island	77° 37' 59.9987" S, 166° 24' 0" E	New Zealand, United Kingdom
17	Wind Vane Hill Cross - Cape Evans, Ross Island	77° 37' 59.9987" S, 166° 24' 0" E	New Zealand, United Kingdom
18	Scott's 'Discovery' Hut - Hut Point, Ross Island	77° 49' 59.9987" S, 166° 37' 0" E	New Zealand, United Kingdom
19	Vince's Cross - Hut Point, Ross Island	77° 49' 59.9987" S, 166° 37' 0" E	New Zealand, United Kingdom
20	Observation Hill Cross - Observation Hill, Ross Island	77° 50' 59.9999" S, 166° 41' 0" E	New Zealand, United Kingdom
21	Rock Hut - Cape Crozier, Ross Island	77° 31' 0.0011" S, 169° 22' 0" E	New Zealand, United Kingdom
22	Borchgrevink's 'Southern Cross' Hut - Cape Adare	71° 17' 59.9999" S, 170° 12' 0" E	New Zealand, United Kingdom
23	Grave of Nicolai Hanson - Cape Adare	71° 16' 59.9987" S, 170° 13' 0" E	New Zealand, Norway
24	Amundsen's Cairn	85° 10' 59.9988" S, 163° 45' 0" W	Norway



26	Ceremonial facilities of the San Martín Base	68° 7' 46.9992" S, 67° 6' 5" W	Argentina
27	Charcot cairn	65° 10' 0.0012" S, 64° 9' 0" W	France, United Kingdom
28	Charcot's cairn 1904	65° 3' 0" S, 64° 1' 0" W	Argentina, France
29	Lighthouse 'Primero de Mayo'	64° 17' 57.9983" S, 62° 58' 8" W	Argentina
30	Shelter at Paradise Harbour	64° 49' 0.0011" S, 62° 51' 0" W	Chile
32	Hydrographic monolith	62° 28' 0.0012" S, 59° 40' 0" W	Chile
33	Shelter González-Pacheco	62° 28' 59.9988" S, 59° 40' 0" W	Chile
34	Bust of Arturo Prat	62°50'S, 59°41'W	Chile
35	Statue of Virgen del Carmen (Our Lady of Carmel) and wooden cross	62° 28' 59.9988" S, 59° 40' 0" W	Chile
36	Dallman Expedition Plaque	62° 14' 26.0015" S, 58° 40' 45.0011" W	Argentina, Germany
37	O'Higgins Historic Site	63° 19' 0.0012" S, 57° 54' 0" W	Chile
38	Snow hill Swedish hut	64° 21' 50.0004" S, 56° 59' 32" W	Argentina, Sweden
39	Hope Bay stone hut	63° 23' 44.0015" S, 56° 59' 51" W	Argentina, Sweden
40	Ceremonial facilities of the Esperanza Base.	63° 23' 48.9983" S, 56° 59' 57.0011" W	Argentina
41	Historic remains of Antarctic's crew in Paulet island	63° 34' 28.9992" S, 55° 47' 6" W	Argentina, Norway, Sweden
42	Laurie island observatories	60° 44' 17.9987" S, 44° 44' 19" W	Argentina, United Kingdom
43	Belgrano station's cross	77° 52' 33.9995" S, 34° 37' 43" W	Argentina
44	Dakshin Gangotri	70° 45' 0" S, 11° 38' 0" E	India
45	Gerlache Expedition Plaque	64° 1' 59.9987" S, 62° 34' 0" W	Belgium
46	Port-Martin, Terre-Adélie	66° 49' 0.0011" S, 141° 24' 0" E	France
47	Base Marret	66° 40' 0.0012" S, 140° 1' 0" E	France
48	Prudhomme's Cross	66° 40' 0.0012" S, 140° 1' 0" E	France
49	Bunger Hill Pillar	66° 16' 0.0011" S, 100° 45' 0" E	Poland
50	Polish Eagle Plaque	62° 12' 0" S, 59° 1' 0" W	Poland
51	Puchalski Grave	62° 13' 0.0012" S, 58° 28' 0" W	Poland
52	Monolith - Great Wall Station	62° 13' 0.0012" S, 58° 58' 0" W	China

53	Bust of Luis Pardo and plaque	61° 2' 59.9999" S, 54° 50' 0" W	Chile
54	Richard E. Byrd Historic Monument, McMurdo Station, Antarctica	77° 50' 59.9999" S, 166° 40' 0" E	United States
55	East Base, Antarctica, Stonington Island	68° 10' 59.9988" S, 67° 0' 0" W	United States
56	Waterboat Point	64° 49' 0.0011" S, 62° 51' 0" W	Chile, United Kingdom
57	Commemorative Plaque at Yankee Bay	62° 31' 59.9987" S, 59° 45' 0" W	Chile, United Kingdom
59	San Telmo Cairn	62° 28' 0.0012" S, 60° 46' 0.0011" W	Chile, Peru, Spain
60	Penguin Bay monolith, plaques, and remains of depots and cairn	64° 17' 47.1983" S, 56° 41' 30.6996" W	Argentina, Sweden
61	Base A, Port Lockroy	64° 49' 0.0011" S, 63° 29' 0" W	United Kingdom
62	Base F (Wordie House), Winter Island	65° 15' 0" S, 64° 16' 0" W	Ukraine, United Kingdom
63	Base Y, Horseshoe Island	67° 47' 59.9999" S, 67° 18' 0" W	United Kingdom
64	Base E, Stonington Island	68° 10' 59.9988" S, 67° 0' 0" W	United Kingdom
65	Message Post - Svend Foyn Island	71° 55' 59.9988" S, 171° 5' 0" E	New Zealand, Norway
66	Prestrud's Cairn - Scott Nunataks	77° 10' 59.9988" S, 154° 32' 0" W	New Zealand, Norway
67	Granite House - Rock Hut	77° 0' 0" S, 162° 32' 0" E	New Zealand, United Kingdom
68	Supply Depot - Hell's Gate Moraine	74° 52' 0.0012" S, 163° 50' 0" E	New Zealand, United Kingdom
69	Message Post - Cape Crozier, Ross Island	77° 27' 0" S, 169° 16' 0" E	New Zealand, United Kingdom
70	Message Post - Cape Wadworth, Coulman Island	73° 19' 0.0011" S, 169° 47' 0" E	New Zealand, United Kingdom
71	Whalers Bay, Deception Island, South Shetland Islands	62° 58' 59.9988" S, 60° 37' 59.9988" W	Chile, Norway, United Kingdom
72	Mikkelsen's Cairn	68° 22' 0.0012" S, 78° 24' 0" E	Australia, Norway
73	Mt Erebus Crash Memorial Cross, Ross Island	77° 25' 0.0012" S, 167° 27' 0" E	New Zealand
74	The south-west coast of Elephant Island	61° 13' 59.9988" S, 55° 22' 0" W	United Kingdom
75	Hillary's TAE/IGY Hut 'A', - Scott Base, Ross Island	77° 50' 59.9999" S, 166° 46' 0" E	New Zealand
76	Ruins of "Pedro Aguirre Cerda" Station	62° 58' 59.9988" S, 60° 40' 0" W	Chile
77	Cape Denison	67° 0' 29.9987" S, 142° 39' 40" E	Australia
78	Memorial plaque Humboldt Mountains - cDML	71° 45' 7.9992" S, 11° 12' 30" E	India
79	Lillie Marleen Hut	71° 12' 0" S, 164° 31' 0" E	Germany

80	Amundsen's Tent.	90° 0' 0" S, 1° 0' 0" E	Norway
81	Landing Rock	66° 36' 18" S, 140° 3' 51" E	France
82	Monument to the Antarctic Treaty and plaque	62° 12' 1.0007" S, 58° 57' 41" W	Chile
83	Base W, Detaille Island	66° 52' 0.0012" S, 66° 48' 0" W	United Kingdom
84	Hut at Damoy Point, Dorian Bay	64° 49' 0.0011" S, 63° 31' 0" W	United Kingdom
85	Plaque Commemorating the PM-3A Nuclear Power Plant at McMurdo Station	77° 50' 59.9999" S, 166° 41' 0" E	United States
86	No. 1 Building - Great Wall Station	62° 13' 4.0008" S, 58° 57' 44" W	China
87	Commemorative plaque at the location of the first permanently occupied German research station in Antarctica.	70° 46' 39" S, 11° 51' 3" E	Germany
88	Professor Kudryashov's Drilling Complex Building	78° 28' 0.0012" S, 106° 48' 0" E	Russian Federation
89	Terra Nova Expedition Summit Camp - Mt Erebus, Ross Island	77° 30' 20.8799" S, 167° 9' 14.76" E	New Zealand, United Kingdom, United States
90	Terra Nova Expedition Lower Camp - Mt Erebus, Ross Island	77° 30' 20.8799" S, 167° 9' 14.76" E	New Zealand, United Kingdom, United States
91	Lame Dog Hut at the Bulgarian base St. Kliment Ohridski, Livingston Island	62° 38' 29.0003" S, 60° 21' 53" W	Bulgaria
92	Oversnow heavy tractor "Kharkovchanka" that was used in Antarctica from 1959 to 2010	69° 22' 41.0016" S, 76° 22' 59.1" E	Russian Federation
93	Wreck of Endurance	68° 44' 21.0011" S, 52° 19' 46.9991" W	United Kingdom
94	C. A. Larsen Multiexpedition cairn	64° 14' 13.0595" S, 56° 35' 7.5" W	Argentina, Norway, Sweden, United Kingdom
95	Wreck of San Telmo	62° 0' 0" S, 70° 0' 0" W	Spain

**Note.**- The Management Plans of Antarctic Specially Protected Areas and Historic Sites and Monuments are available on the website- <https://www.ats.aq/devphBackEnd/StatusReport/pdf?lang=e>

## PART 5

### Antarctic Specially Protected Species

*Ommatophoca rossii*, Ross Seal

## SCHEDULE 3

(See sub-rule (2) of rule 33, clause (d) of rule 34 and rule 36)

### Emission Standards

## PART I

### Treated Effluent Discharge Standards from Wastewater Treatment Plant

Parameters	Concentration	Minimum percentage of reduction in relation to the load of the influent
Biochemical oxygen demand (BOD <sub>5</sub> at 20° C without nitrification)	25 mg/l	70-90
Chemical oxygen demand (COD)	125 mg/l	75
Total suspended solids	35 mg/l	90

Total phosphorous	2 mg/l	80
Total Nitrogen	15 mg/l	70-80
pH	6-9	-
Oil and Grease	10 mg/l	-
Chlorides	1000 mg/l	-
Sulphate as SO <sub>4</sub>	1000 mg/l	-
Fluoride	2 mg/l	-
Sulphides as S	2 mg/l	-
Phenolic compounds (as C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH)	1 mg/l	-
Total Residual Chlorine	1mg/l	-
Zinc	5mg/l	-
Iron	3mg/l	-
Copper	3mg/l	-
Trivalent Chromium	2mg/l	-
Manganese	2mg/l	-
Nickel	3mg/l	-
Arsenic	0.2mg/l	-
Cyanide as CN	0.2mg/l	-
Vanadium	0.2mg/l	-
Lead	0.1 mg/l	-
Hexavalent Chromium	0.1 mg/l	-
Selenium	0.05mg/l	-
Cadmium	0.05mg/l	-
Mercury	0.01mg/l	-

### Part 2

#### Emission standards for Incinerator/Vehicles/Equipment

##### Vehicular Exhaust

Type of Vehicle	CO (g/km)	HC+Nox (g/km)
Passenger Car	1.0	0.18

Type of Vehicle	CO (g/km)	HC (g/km)	NOx (g/km)	PM
Heavy Diesel Vehicle	1.5	0.96	3.5	0.02

##### Incinerator

standards refers to half hourly average value

\* standards refers to 6-8 hours of sampling

\*\* standards refers to 30 minutes to 8 hours

CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	SO <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	NOx (mg/Nm <sup>3</sup> )	Particulate (mg/Nm <sup>3</sup> )	HCL (mg/Nm <sup>3</sup> )	Cd + Th + their compounds (mg/Nm <sup>3</sup> )**
100	200	400	50	50	0.05

Hg and its compounds (mg/Nm <sup>3</sup> )**	Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + their compounds (mg/Nm <sup>3</sup> )**	Total Organic Carbon	HF (mg/Nm <sup>3</sup> )	Total dioxins and furans* (TEQ/Nm <sup>3</sup> )
0.05	400	20	4	0.1

**Generator**

The Emission limits for new engines used for power generating set (herein after referred to as Genset) application up to 800 kW Gross Mechanical Power, namely:

- i. Diesel engines;
- ii. Engines based on dedicated alternate fuels;
- iii. Engines based on Bi-fuels run either on Gasoline or on any one the alternate fuels;
- iv. Engines based on Dual fuel run on Diesel and any of the alternate fuels;
- v. Portable Generator sets (PI engines below 19kW and up to 800 cc displacement) run on Gasoline fuel, dedicated alternate fuels and Bi-fuel run either on Gasoline or on any one of the alternate fuels;

Emission limits for Genset engines up to 800 kW Gross Mechanical Powered by all CI engines and PI engines > 800 cc engine displacement.

Power category, kW	NOx	HC*/**	NOx +HC*/**	CO	PM		Smoke (light absorption coefficient)	
	CI/PI	CI/PI	CI/PI	CI/PI	CI	PI	CI	PI
	g/kWh						m <sup>-1</sup>	
P≤8	-	-	7.5	3.5	0.30	-	0.7	-
8<P≤19	-	-	4.7	3.5	0.30	-	0.7	-
19<P≤56	-	-	4.7	3.5	0.03	-	0.7	-
56<P≤560	0.40	0.19	-	3.5	0.02	-	0.7	-
560<P≤800	0.67	0.19	-	3.5	0.03	-	0.7	-

Emission limits for portable Genset up to 19 kW powered by PI engines (up to 800 cc engine displacement)

Category Engine Displacement(cc)	CO	NOx +HC*/**
	g/kWh	
Up to 99	<250	<10
<99 and up to 225	<250	<08
<225 and upto 800	<250	<06

The abbreviations used in above tables are as follows:

- i. NOx – Oxides of Nitrogen;
- ii. HC- Hydrocarbon;
- iii. CO- Carbon Monoxide;
- iv. PM- Particulate Matter
- v. CI- Compression Ignition engines;
- vi. PI-positive Ignition engines;
- vii. \*HC stands for THC for diesel and gasoline;
- viii. \*\*HC for alternate fuels shall be as described in system and Procedure for Generator set.

**PART 3****Noise Standards**

Specific Environment	Time Base (hours)	Standard Limits	
		Laeq (db)	Lamax (db)
Outdoor living area	16	50-55	-
Dwelling, indoors, inside bedrooms	16	35	-
	8	30	45
Hospital, treatment rooms, indoor	-	As low as possible	-

Specific Environment	Time Base (hours)	Standard Limits	
		Laeq (db)	Lamax (db)
Ceremonies, festivals and entertainment events	4	100	110

Noise limit for diesel generator sets (upto 1000 KVA) manufactured on or after the 1<sup>st</sup> January, 2005

The maximum permissible sound pressure level for new diesel generator (DG) sets with rated capacity upto 1000 KVA, manufactured on or after the 1<sup>st</sup> January, 2005 shall be 75 dB(A) at 1 metre from the enclosure surface.

Provided;

- The diesel generator sets should be provided with integral acoustic enclosure at the manufacturing stage itself.
- The DG set shall be provided with proper exhaust muffler with insertion loss of minimum 25 dB (A)

#### SCHEDULE 4

(See sub-rule (7) of rule 50)

#### Inspection Checklist

#### PART 1

Permanent Antarctic Stations and Associated Installations

#### Checklist A

- GENERAL INFORMATION
  - Name of station visited
  - Operating nation
  - Location
  - Date established
  - Primary aim of the station (scientific, logistic, and the like)
  - Plans for future use of the station
  - International logistic cooperation
  - Availability of the Antarctic Treaty Exchange of Information
- INSPECTION DETAILS
  - Date
  - Time of visit
  - Duration of visit
  - Last inspection (nation(s), date)
- PERSONNEL
  - Name of person in charge
  - Total number of personnel on station
  - Number of scientists on station
  - Number of over-wintering personnel
  - Maximum capacity of station
  - Responsible agencies or ministries
  - Training (survival, first-aid, environmental protection, and the like)
- SCIENTIFIC RESEARCH
  - Major scientific programmes supported by the station

- (2) Dedicated permanent scientific facilities on the station
- (3) Number and nationality of exchange scientists from other Antarctic programmes
- (4) Advance notice, use and control of radio-isotopes
5. PHYSICAL DESCRIPTION OF STATION
  - (1) Area covered by station
  - (2) Approximate number and type of buildings
  - (3) Age and state of buildings
  - (4) New or recent construction
  - (5) Sketch or map of buildings
  - (6) Major aerial systems
  - (7) Landing or dock facilities
  - (8) Roads
  - (9) Airstrips
  - (10) Helipads
  - (11) Nearby facilities (refuges, field huts, and the like)
6. COMMUNICATIONS

Communication facilities
7. TRANSPORT
  - (1) Number and type of ground vehicles
  - (2) Number and type of small boats
  - (3) Number and type of fixed and rotary wing aircraft
  - (4) Number of aircraft movements per year
  - (5) Cargo handling and earth moving equipment
  - (6) Frequency and method of resupply
8. STATION FACILITIES – FUEL STORAGE/USAGE
  - (1) Types, amount and use of fuel (diesel, petrol, aviation fuel, and the like)
  - (2) Types and capacity of station storage containers
  - (3) Monitoring of fuel pumping systems and storage tanks (method)
  - (4) Background information on fuel pipe-work (material, above ground, gravity feed, valves, etc.)
  - (5) Transfer of bulk fuel (include transfer method)
  - (6) Methods of emptying fuel lines (gravity, compressed air, and the like)
  - (7) Field fuel depots (quantity and type)
  - (8) Responsibility for fuel management
  - (9) Protection against leaks and spills
9. STATION FACILITIES – WATER SYSTEM
  - (1) Type of water supply and storage facility (RO, distillation, snow melt, chemical treatment, and the like)
  - (2) Availability and quality of water supply
  - (3) Consumption of water per person per day
10. STATION FACILITIES – POWER GENERATION
  - (1) Number, type and capacity of generators
  - (2) Annual fuel consumption for power generation (tonnes)

- (3) Alternative energy sources
- (4) Filtering and monitoring of emissions
- 11. STATION FACILITIES – MEDICAL
  - (1) Medical facilities and personnel
  - (2) Number of patient beds
- 12. STATION FACILITIES – HAZARDOUS CHEMICAL
  - (1) Types and quantities of chemicals
  - (2) Storage and monitoring arrangements
  - (3) Protection against leaks and spills
- 13. FIREARMS/EXPLOSIVES
  - (1) Number, type and purpose of firearms and ammunition
  - (2) Amount, type and use of explosives
  - (3) Storage of explosives and method of disposal
- 14. MILITARY SUPPORT ACTIVITIES
  - (1) Describe any military support to the station
  - (2) Details of military equipment held at station
- 15. ANTARCTIC TREATY LEGISLATION
  - (1) Understanding of the provisions of the Antarctic Treaty and related agreements
  - (2) Availability of Antarctic Treaty documentation on station
- 16. EMERGENCY RESPONSE CAPABILITY
  - (1) General
    - (i) Search and rescue capability
    - (ii) Incidents in the last year resulting in significant damage to station facilities or the environment
    - (iii) Method of reporting incidents
  - (2) Medical
    - (i) Mobile medical emergency response capability
    - (ii) Evacuation plan for medical emergencies
  - (3) Fire
    - (i) Fire emergency plan
    - (ii) Firefighting equipment
    - (iii) Training of personnel for fire fighting
    - (iv) Firefighting exercises (frequency)
  - (4) Pollution (oil and chemical spills)
    - (i) Risk assessment for spills
    - (ii) Spill response plan
    - (iii) Training of personnel to deal with spills
    - (iv) Spill response exercises (frequency)
    - (v) Mobile spill response capability
- 17. ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA)
  - (1) Awareness of station management personnel of the requirement to conduct an EIA for all new activities
  - (2) EIAs prepared for activities currently being undertaken



- (3) Environmental monitoring of indicators of possible environmental impacts of the station or associated activities

#### 18. CONSERVATION OF FLORA AND FAUNA

- (1) Methods of making station personnel aware of the rules relating to the conservation of Antarctic flora and fauna
- (2) Details of any native mammals, birds or invertebrates that have been killed, injured, captured, handled, molested or disturbed during the past year; Methods used to kill, capture and or handle animals; Issue of permits and reasons for their issue
- (3) Harmful with animals and plants in the vicinity of the base; Issue of permits and reasons for their issue
- (4) Non-indigenous animals or plant species present; Issue of permits and reasons for their issue
- (5) Actions taken to avoid accidental introduction of non-indigenous species
- (6) Nearby, important wildlife or plant sites
- (7) Local guidelines controlling the use of aircraft and vehicles close to concentrations of wildlife

#### 19. WASTE MANAGEMENT

- (1) Waste management plan for the separation, reduction, collection, storage and disposal of wastes
- (2) Responsibility for waste management on the station
- (3) Production of an annual waste management report
- (4) Training of personnel in waste management and the need to minimize the impact of wastes on the environment
- (5) Publicly displayed notices concerning waste management
- (6) Current waste disposal methods:
  - (i) Radioactive materials
  - (ii) Electrical batteries
  - (iii) Fuel (both liquid and solid) and lubricants
  - (iv) Wastes containing harmful levels of heavy metals or acutely toxic or harmful persistent compounds
  - (v) Poly-vinyl chloride (PVC), polyurethane foam, polystyrene foam, rubber
  - (vi) Other plastics
  - (vii) Treated wood
  - (viii) Fuel drums
  - (ix) Other solid, non-combustible wastes
  - (x) Organic wastes
    - (a) Residues of carcasses of imported animals
    - (b) Laboratory cultures of micro-organisms and plant pathogens
    - (c) Introduced avian products
    - (d) Other organic wastes (food waste, and the like)
  - (xi) Sewage and domestic liquid wastes
  - (xii) Waste produced by field parties
- (7) Production of waste per person per day
- (8) Use of open burning; Disposal of ash; Alternatives planned for by 1998/99
- (9) Use of incineration; Disposal of ash; Control and monitoring of emissions
- (10) Treatment of sewage and domestic liquid wastes; Monitoring of effluent

- (11) Use of landfill or ice pit
- (12) Recycling of wastes
- (13) Measures taken to prevent wastes which are to be removed from the Treaty area being dispersed by wind or accessed by scavengers
- (14) Inventory of the locations of past activities (abandoned bases, old fuel depots, and the like)
- (15) Clean-up of past activities and future plans

#### 20. MANAGEMENT OF PROTECTED AREAS

- (1) Protected area in the vicinity of, or containing, the station (type, name, site number)
- (2) Relevant management plans and maps of protected areas held on the station
- (3) Entry by station personnel to protected areas within the past year; Issue of permits and reason for their issue
- (4) Problems with station personnel or visitors not observing the restrictions of protected areas
- (5) Marking of the protected area in the vicinity of, or containing, the station
- (6) Monitoring or management of protected areas
- (7) Information as to whether the protected areas continue to serve the purpose for which they were designated
- (8) Additional steps that should be taken to protect the areas

#### 21. TOURIST AND NON-GOVERNMENTAL ACTIVITIES

- (1) Visits to the station by tourists or non-governmental expeditions during the past year:
  - (i) Total number of people
  - (ii) Numbers ashore at any one time
  - (iii) Number of cruise ships
  - (iv) Number of yachts
  - (v) Number of aircraft
- (2) Procedures developed to facilitate or control tourist and non-governmental activities
- (3) Advance permission required for visits to the station
- (4) Operational problems for the station caused by visitors (unannounced visits, and the like)
- (5) Environmental impact of visitors at the station or nearby

#### Checklist B

##### Vessels within the Antarctic Treaty Area

#### 1. GENERAL INFORMATION

- (1) Name of ship visited
- (2) Radio call sign
- (3) State and/or Port of Registration
- (4) Owner, manager and/or charterer of vessel
- (5) Ship type (general cargo, scientific research, and the like)
- (6) Date launched, if known
- (7) Primary activity of vessel at time of inspection (scientific research, logistic support, tourism, etc.)
- (8) Planned itinerary
- (9) Expected length of annual operating period in the Antarctic
- (10) Area of operation in the Antarctic in past year
- (11) International logistic cooperation

- (12) Presence of mandatory documentation (e.g., IMO inspection reports),
2. INSPECTION DETAILS
  - (1) Date
  - (2) Time of visit
  - (3) Location of visit
  - (4) Duration of visit
  - (5) Last inspection (nation(s), date)
  - (6) Persons conducting inspection
3. PERSONNEL
  - (1) Name of captain
  - (2) Name of expedition leader or person in charge
  - (3) Total number of personnel on board
    - (i) crew (e.g., captain, officers, crew and catering staff)
    - (ii) staff (e.g., scientists, expedition or tour staff, helicopter pilots)
    - (iii) passengers (e.g., members of the expedition that are not crew or staff)
  - (4) Maximum accommodation capacity of vessel
  - (5) Previous Antarctic experience of captain and deck officers
  - (6) Previous Antarctic experience of other crew and staff
  - (7) Training of crew, staff and passengers (safety, life-boat drills, emergency response, etc.)
4. SCIENTIFIC RESEARCH
  - (1) Principal scientific programmes undertaken by the vessel
  - (2) Dedicated scientific facilities on the vessel
  - (3) Number of research cruises planned during the season
  - (4) Number and nationality of scientists
  - (5) Advance notice, use and control of radio-isotopes
5. PHYSICAL DESCRIPTION OF VESSEL
  - (1) Basic dimensions (gross tonnage, length, beam, draught, and the like)
  - (2) Marine classification, including ice strengthening classification
6. NAVIGATION AIDS
  - (1) Navigation aids and equipment (radar, sonar, depth sounding equipment, weather facsimile receiver, weather/ice satellite picture facilities, Global Positioning System (GPS) or similar)
  - (2) Back-up or emergency equipment carried
  - (3) Availability and currency of hydrographic charts
  - (4) Availability and currency of Antarctic pilot reference material
7. COMMUNICATIONS
  - (1) Communication facilities
  - (2) Presence of emergency beacons (EPIRBS, and the like)
8. TRANSPORT
  - (1) Type and number of small craft (landing craft, inflatables, survey launches, and the like)
  - (2) Total capacity of lifeboats and life rafts; whether lifeboats are motorised, open or enclosed, and covered by a relevant survey certificate

- (3) Type and number of helicopters
  - (4) Number of helicopter movements per Antarctic season
9. VESSEL FACILITIES - GENERAL CARGO
- (1) General cargo - types, amount
  - (2) Presence and use of Cargo Record Book
  - (3) Cargo handling equipment
  - (4) Frequency and method of resupply to shore stations
10. VESSEL FACILITIES - FUEL BUNKERS AND CARGO
- (1) Fuel bunkers - types, amount and use of fuel (marine gas oil, petrol, and the like)
  - (2) Fuel cargo - types, amount (aviation fuel, and the like)
  - (3) Types and capacity of fuel tanks, Use of double-bottomed tanks
  - (4) Deck storage of fuel
  - (5) Prevention and protection against leaks and spills
  - (6) Monitoring of fuel pumping systems and storage tanks (method)
  - (7) Transfer of bulk fuel (include transfer method)
  - (8) Responsibility for fuel management
  - (9) Processing of oily water (oily water separator, direct to storage tanks, and the like)
  - (10) Capacity to retain on board all oily waste whilst in the Antarctic Treaty Area
  - (11) Presence and use of Oil Record Book
11. VESSEL FACILITIES - ENGINES AND POWER GENERATION
- (1) Number, type and capacity of engines and generators
  - (2) Subsidiary propulsion (bow and/or stern thrusters, and the like)
  - (3) Daily fuel consumption of engines and power generation (tones)
  - (4) Filtering and monitoring of engine emissions (method)
12. VESSEL FACILITIES - MEDICAL
- (1) Medical facilities (e.g., numbers of patient beds)
  - (2) Medical personnel
13. VESSEL FACILITIES - HAZARDOUS SUBSTANCES
- (1) Responsibility for management of hazardous substances
  - (2) Types and quantities of hazardous substances being transported or used on board ship
  - (3) Storage and monitoring arrangements
  - (4) Protection against leaks and spills
14. FIREARMS / EXPLOSIVES
- (1) Number, type and purpose of firearms and ammunition
  - (2) Amount, type and purpose of explosives
  - (3) Storage of explosives and method of disposal
15. MILITARY SUPPORT ACTIVITIES
- (1) Describe any military support to the vessel (e.g., personnel)
  - (2) Details of military equipment held on the vessel
16. ANTARCTIC TREATY SYSTEM LEGISLATION
- (1) Availability of Antarctic Treaty System documentation on the vessel

- (2) Understanding and application of the provisions of the Antarctic Treaty and related agreements

#### 17. EMERGENCY RESPONSE CAPABILITY

(1) General

- (i) Search and rescue capability
- (ii) Incidents in the current Antarctic season resulting in damage to the vessel or impact on the Antarctic environment
- (iii) Method of reporting incidents

(2) Medical

- (i) Evacuation plan for medical emergencies
- (ii) Ship's capacity to mobilise in support of medical emergencies elsewhere

(3) Fire

- (i) Fire emergency plan
- (ii) Firefighting equipment
- (iii) Training of personnel for fire fighting
- (iv) Firefighting exercises (frequency)

(4) Pollution (oil and chemical spills)

- (i) Shipboard oil pollution contingency plan
- (ii) Spill response materials and equipment available on board
- (iii) Training of personnel to deal with spills
- (iv) Spill response exercises (frequency)
- (v) Ships' capacity to mobilise in support of spill response elsewhere

#### 18. ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

- (1) Awareness of captain (and deck officers), and chief scientist and/or expedition leader of EIA
- (2) EIAs prepared for activities currently being undertaken (e.g., research cruise)
- (3) Environmental monitoring of activities undertaken by the vessel (e.g., monitoring of seismic surveys)

#### 19. CONSERVATION OF FLORA AND FAUNA

- (1) Methods of making crew, staff and passengers aware of prohibited activities and guidelines relating to the conservation of Antarctic flora and fauna
- (2) Vessel guidelines regarding the use of aircraft, small boats and ship's personnel close to concentrations of wildlife
- (3) Details of any native mammals, birds or invertebrates that have been killed, injured, captured, handled or disturbed during the past year; Methods used to kill, capture and or handle animals; Issue of permits and reasons for their issue
- (4) Harmful interference with animals and plants due to vessel activities; Issue or permits and reasons for their issue
- (5) Whether non-indigenous animals or plants carried on board the vessel (dogs, birds, ornamental plants, and the like)
- (6) Actions taken to avoid accidental introduction of non-indigenous species (animals, plants, micro-organisms)

#### 20. WASTE MANAGEMENT

- (1) Waste management plan for the separation, reduction, collection, storage and disposal of wastes
- (2) Responsibility for waste management on the vessel
- (3) Availability of an up-to-date waste management report

- (4) Training of crew, staff and passengers in waste minimisation and management and the need to minimise the impact of shipboard wastes on the environment
- (5) Publicly displayed notices concerning waste management practices on board
- (6) Current waste disposal methods:
  - (i) Radioactive materials
  - (ii) Electrical batteries
  - (iii) Fuel (both liquid and solid) and lubricants
  - (iv) Wastes containing harmful levels of heavy metals or acutely toxic or harmful persistent compounds
  - (v) Poly-vinyl chloride, polyurethane foam, polystyrene foam, rubber
  - (vi) Other plastics
  - (vii) Treated wood
  - (ix) Fuel drums
  - (x) Other solid, non-combustible wastes
  - (xi) Organic wastes
    - (a) Residues of carcasses of imported animals
    - (b) Laboratory cultures of micro-organisms and plant pathogens
    - (c) Introduced avian products
    - (d) Other organic wastes (food wastes, and the like)
  - (xii) Sewage and domestic liquid wastes
  - (xiii) Waste produced by field parties
- (7) Adequate storage space on board to retain all wastes on board whilst in the Treaty Area
- (8) Equipment for waste management (compactors, shredders, comminuters, and the like)
- (9) Type of incineration; Disposal of ash; Control and monitoring of emissions
- (10) Type of sewage treatment; Disposal of sludge; Presence and currency of sewage record book
- (11) Recycling of wastes
- (12) Whether contractual arrangements have been made for the use of Port Reception facilities

## 21. MANAGEMENT OF PROTECTED AREAS

- (1) Responsibility for ensuring compliance with management plans for protected areas
- (2) Current management plans and maps of relevant protected areas held on the vessel
- (3) Entry by crew, staff or passengers to protected areas during the current Antarctic season; Issue of permits and reasons for their issue
- (4) Problems with crew, staff or passengers not observing the restrictions of protected areas (e.g., lack of supervision)
- (5) Monitoring or management of protected areas

## 22. TOURIST AND NON-GOVERNMENTAL ACTIVITIES

- (1) Advance notification provided as required under the Antarctic Treaty
- (2) Number of tourist or non-governmental expedition cruises already undertaken or planned by the vessel in the current Antarctic season
- (3) Location, date, number and nationality of research stations visited
- (4) Location, date and number of wildlife or other sites visited

- (5) Total number of tourists or expedition personnel carried
- (6) Number of tourists ashore at any one time
- (7) Normal ratio of staff to tourists during visits ashore
- (8) Procedures used to facilitate and control tourist and non-governmental activities, in implementation of Recommendation XVIII-1
- (9) Indications of environmental impact of crew, staff and passengers during visits ashore
- (10) Affiliation of tour organiser, ship owner or operator to any tourism association (e.g., International Association of Antarctica Tour Operators )

### Checklist C

#### Abandoned Antarctic Stations and Associated Installations

This checklist is designed for abandoned Antarctic stations and associated installations which are considered to be stations which have been given up altogether and are now unused. The checklist does not cover stations which are operated each summer or infrequently used over a number of years.

#### 1. GENERAL INFORMATION

- (1) Name of station visited
- (2) Location
- (3) Nation responsible, if known
- (4) Date established, if known
- (5) Date abandoned, if known
- (6) Reason for abandonment, if known
- (7) Plans for future use of the station, if known
- (8) Plans to clean up the station, if known

#### 2. INSPECTION DETAILS

- (1) Date
- (2) Time of visit
- (3) Duration of visit
- (4) Last inspection (nation(s), date),
- (5) Persons conducting inspection if known

#### 3. PHYSICAL DESCRIPTION OF STATION

- (1) Area covered by station
- (2) Number and type of buildings
- (3) Sketch or map of buildings
- (4) Age and state of buildings (structural damage, state of roofing, state of fittings and fixtures, condition of internal walls and floors, internal accumulation of snow, ice, and the like)
- (5) Hazards to visitors (dangerous buildings, materials or wastes)
- (6) Notable historic buildings, facilities or artefacts
- (7) Evidence of measures to conserve notable historic buildings, facilities or artefacts
- (8) Signs of theft or vandalism, including graffiti
- (9) Use of information signs (interpretation, unsafe buildings, toxic waste, and the like)
- (10) Major aerial/antennae systems (structural damage, and the like)
- (11) Landing or dock facilities
- (12) Roads

- (13) Airstrips and associated facilities (markers, windsocks, hangars, tie-downs; etc.)
- (14) Helipads and associated facilities (markers, windsocks, hangars, tie-downs, etc.)
- (15) Nearby facilities (refuges, field huts, and the like)
4. STATION FACILITIES - FUEL
  - (1) Types, quantity and location of fuel (diesel, petrol, aviation fuel, and the like)
  - (2) Type and condition of storage containers (drums, tanks, and the like)
  - (3) Existence and condition of bunding and other spill containment facilities
  - (4) Evidence of leaks and spills and their environmental impact
5. STATION FACILITIES - HAZARDOUS SUBSTANCES
  - (1) Types, quantities and location of hazardous substances (e.g., chemicals)
  - (2) Type and condition of storage facilities buildings, drums, tanks, and the like)
  - (3) Evidence of leaks and spills and their environmental impact
6. STATION FACILITIES - EMERGENCY SUPPLIES (DO NOT BREAK OPEN SUPPLIES; IF SEALED CONTACT NATIONAL PROGRAMME)
  - (1) List and location of emergency supplies
  - (2) Capacity and condition of emergency accommodation
  - (3) Types, quantities and condition of food supplies
  - (4) Cooking equipment
  - (5) Availability and quality of water supply
  - (6) Heating and generating plant (heaters, stoves, and the like)
  - (7) Sleeping bags and blankets
  - (8) Communications (emergency radio, and the like)
  - (9) Medical supplies
  - (10) Clothing
7. ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA)
  - (1) EIAs prepared for station (clean-up activity, removal of redundant structures, etc.)
  - (2) Environmental monitoring of remedial activities undertaken at the station (e.g., hydrocarbon contamination of soils)
8. CONSERVATION OF FLORA AND FAUNA
9. WASTE
  - (1) Types, quantities, condition and location of wastes (empty fuel drums, and the like); If a waste disposal site is found then use the Waste Disposal Site Inspection Checklist.
  - (2) Type and quantities of scattered debris
  - (3) Evidence of measures to maintain the site and prevent dispersal of wastes
  - (4) Evidence of clean-up activities or the removal of structures
10. PROTECTED AREAS
  - (1) Protected areas including or near the station (type, name, site number)
  - (2) Marking of protected area in the vicinity of, or containing, the station
  - (3) Evidence of monitoring or management of protected areas
  - (4) Impact of station on protected areas
11. TOURIST AND NON-GOVERNMENTAL ACTIVITIES
  - (1) Evidence of visits to the station during the past year, and possible origin of those visits



- (2) Indications of environmental impact of visitors at the station or nearby

#### **Checklist D**

##### Waste Disposal Sites

#### 1. GENERAL INFORMATION

- (1) Name of site (if any)
- (2) Location (geographical coordinates)
- (3) Map or sketch of site in relation to nearby landmarks
- (4) Description of waste disposal site (include general topography and area covered)
- (5) Estimate of total area and volume of the waste disposal site
- (6) Description of substrate of the waste disposal site
- (7) Nation responsible for site, if known

#### 2. INSPECTION DETAILS

- (1) Date
- (2) Time of visit
- (3) Duration of visit
- (4) Persons conducting inspection
- (5) Last inspection (nation(s), date)

#### 3. PHYSICAL DESCRIPTION OF WASTE DISPOSAL SITE

- (1) Is the site marked? How?
- (2) Has the waste been covered by soil or rock?
- (3) Are there any unused or unusable buildings at the site?
- (4) Areas of water around waste disposal site, including distance of the site from sea and freshwater bodies and possible drainage into these
- (5) Distribution and description of flora near waste disposal Sites
- (6) Distribution and description of fauna near the waste disposal site (seabird colonies, skua and other scavengers' nests, seal haul-out sites)
- (7) Scientific research carried out near the waste disposal site
- (8) Means of containment, including means of avoiding scattering by wind and run off

#### 4. CONTENTS OF WASTE DISPOSAL SITE

- (1) Estimate of contents
- (2) Age and state of contents
- (3) Types and quantities of:
  - (i) radioactive materials
  - (ii) electrical batteries
  - (iii) fuel (both liquid and solid) and lubricants
  - (iv) fuel drums
  - (v) gas cylinders
  - (vi) wastes containing heavy metals or toxic substances
  - (vii) polyvinyl chloride , foam, polystyrene, rubber, plastics
  - (viii) treated wood
  - (ix) other hazardous materials (medical wastes, broken glass, wire, and the like)
  - (x) other solid non-combustible wastes

- (xi) organic wastes (bones, non-native plant material, and the like)
  - (xii) sewage and domestic liquid wastes
  - (xiii) indications of soil from outside Antarctica
5. ANY EVIDENCE OF ENVIRONMENTAL IMPACTS OF WASTE DISPOSAL SITE
- (1) Current impacts, e.g.:
    - (i) birds scavenging
    - (ii) contamination of soil
    - (iii) wind scattered debris
    - (iv) run-off, seepage, oils slicks
    - (v) smell
    - (vi) dead vegetation
    - (vii) dead, injured, sick or contaminated native birds or other animals
    - (viii) Potential for microbial contamination
  - (2) Possible future impacts, e.g. oil seeping into the ground
  - (3) Are there any sensitive sites nearby that may be vulnerable to impacts? e.g. wildlife habitat
6. EVIDENCE OF ENVIRONMENTAL ASSESSMENT AND/OR CORRECTIVE AND PREVENTIVE MEASURES
- (1) Is the site included in a Waste Management Plan?
  - (2) What measures have been taken to rehabilitate the site or prevent dispersal of wastes? Written or physical evidence of these measures.
  - (3) Has a contaminated site assessment been done on the waste disposal site; Is the report available?
  - (4) Has an EIA or EIAs been prepared on removal of the waste disposal site (clean-up, removal of toxic materials, and the like)
  - (5) Is the waste disposal site and nearby areas being monitored to verify that no hazardous substances are being dispersed and its contents do not pose a hazard to human health or the environment (e.g. monitoring hydrocarbon, heavy metal or microbial contamination of soil, ground water or melt water)?
7. FUTURE PLANS
- (1) Future plans for the site, for cleaning up, analysing environmental effects and minimising environmental effects
  - (2) Heritage/historic considerations which might need to be taken into account before removal
  - (3) Priority of action, that is, urgency of clean-up action
  - (4) Recommendations for additional steps that should be taken to manage the impacts of the waste disposal site and protect adjacent areas

## PART 2

Checklist to assist in the inspection of Antarctic Specially Protected Areas and Antarctic Specially Managed Areas

### 1. General information

- (1) Name and number of Protected or Managed Area
- (2) Date of inspection visit
- (3) Name(s) of observers entering the Area
- (4) Mode of transport to/from the Area
- (5) Activities conducted by the observers in the Area
- (6) Authority issuing permit to observers to enter the Area

2. Nearby stations and visiting vessels (if any)
  - (1) Nearest stations, bases and vessels
  - (2) Are copies of the Area Management Plan held on the station or vessel?
  - (3) Who is responsible for ensuring compliance with Management Plans at any nearby stations or vessels?
  - (4) Entry by station or vessel personnel to the Area within the past year (issue of permits and reason for their issue)
  - (5) Are there any problems with station or vessel personnel or visitors not observing the restrictions of the Area?
  - (6) Are other Protected or Managed Areas in close proximity?
3. Assessment of Area Management Plan
  - (1) Are the values for which the Area was designated still relevant?
  - (2) Are the values of the Area being protected effectively?
  - (3) Are the management aims and objectives appropriate?
  - (4) Is the period of designation appropriate?
  - (5) Do maps and photographs show the boundary of the Area clearly and the key features it contains?
  - (6) Are the boundaries easy to locate?
  - (7) Are maps and photographs easy to use and up to date?
  - (8) What are the geographical coordinates of the Area? Are they correct (clearly state how this was checked in the field)?
4. Management activities
  - (1) Are appropriate management activities being undertaken to protect the values of the Area?
  - (2) Is any monitoring of the Area being undertaken?
  - (3) What measures are in place to ensure that the aims and objectives of the Management Plan are being met? Do they need to be revised?

### PART 3

Inspections of the Tourist Activities, under Article VII of the Antarctic Treaty and Article 14 of the Madrid Protocol

#### **Section A . Inspections Details**

- (1) Location (name of the site inspected)
- (2) Date and time of inspection visit
- (3) Mode of transport to the site (by sea/ by air/land)
- (4) Name and flag of vessel (if appropriate)
- (5) Does the vessel comply with agreed restrictions on the number of passengers carried on-board at the site in question (in relation to Measure 15, 2009 and applicable Site guidelines for Visitors)
- (6) Tour/ Non-Governmental Organization/ other operator (name, nationality)
- (7) Any other company involved in the operation (e.g. vessel operator, tour operator, sub-charterer, providers of other services).
- (8) Affiliation to IAATO (yes/no)
- (9) Name of Expedition leader (or person in charge of disembarking visitors)
- (10) Duration of visit
- (11) Persons conducting inspection (name, nationality)

**Section B. Advance Notification and Other Legislation Requirements**

- (1) Has the activity undergone authorization / permit / environmental assessment procedures, and is a copy of the EIA available?
- (2) Identify if it has been single-year or multiyear, and if it covers the activities of a single-ship or company, or multiple ships and companies.
- (3) Which Party provided the authorization / permit / or administered the environmental assessment procedures?
- (4) Was the activity notified in advance to the appropriate Treaty Party?

**Section C. Site Management**

- (1) Is the area subject to particular management requirements, like Site Guidelines for Visitors, ASPA/ASMA Management Plan/Codes of Conduct, Facility's internal policies, or similar?

This information should be collected prior to the deployment of the inspection team, from off-site sources, such as the ATS, IAATO and National Programs' websites.

**Section D. Information Management**

- (1) Did the expedition party (cruise ship/aircraft/other) contact the facility (station, refuge, hut, field camp) prior to arrival in order to coordinate the visit? (if appropriate)
- (2) Was the Expedition leader (or person in charge of disembarking visitors) aware of the general provisions of the Antarctic Treaty and its Protocol on Environmental Protection?
- (3) Did visitors receive, prior to their arrival at the site, information on:
  - (i) the values present in the area, and on ways to avoid their degradation?; and on
  - (ii) the contents of relevant guidelines and management instruments on Antarctic tourism? (e. g. Site Guidelines for Visitors, General Guidelines for Visitors of the Antarctic, behavior rules and commitments of Rec. XVIII-I, or ASPA/ASMA-Management Plan)

Describe ways on which this information was transmitted (board presentation, a briefing prior to landing, a briefing immediately after landing)

**Section E. Visit Description**

- (1) Total number of visitors landed during the visit
- (2) Was there more than one tourist vessel at the landing site at any one time?
- (3) For vessel landings, what was the maximum number of passengers landed ashore at any one time? (Noting that the limit should be 100, unless a lower number is otherwise provided in applicable ATCM Measures or Site Guidelines)
- (4) Was the minimum ratio staff: passenger of 1:20 (unless otherwise provided in applicable ATCM Measures or Site Guidelines) maintained during visit?
- (5) What types of activities were carried out by visitors during their visit to the site? (e.g. walks ashore, sea baths, swimming, kayaking, diving, trekking, hiking, climbing, camping, marathons, races, snowboard, skiing, hand gliding, wildlife watching, etc.).
- (6) Provide details of any on-ground visitor management or environmental protection measures implemented during visit (e.g. temporary area markers to guide visitors, additional guides)
- (7) Describe in situ safety measures implemented during the visit (for example, in the event that the vessel/aircraft is not able to collect the visitors at the expected time)?
- (8) Were the provisions set out in any applicable ASPA/ASMA Management Plan/Codes of Conduct, Facilities internal policies, or similar, adhered to in full?
- (9) Were the provisions set out in any applicable Site Guidelines for Visitors (e.g. preferred landing sites, zoning schemes, behavior ashore, precautionary notes, etc.) adhered to in full?

**Section F. Site Impacts/Conduct of Visit**

- (1) Was any incident or evidence of direct impacts identified that was caused by visitors on the:
  - (i) site's flora and fauna?
  - (ii) the landscape and wilderness values present in the site? (e.g. trampling on pristine surfaces, digging bathing pits, building a cairn, graffiti on rocks, etc)
- (2) Describe in-situ waste management procedures implemented during visit.

- (3) Where appropriate, and not otherwise covered in site specific guidelines or management plans, describe how visit was managed in order to avoid impacts on historic sites and monuments (including immobile and mobile historic features) present in the site?
- (4) Describe procedures implemented during visit to avoid causing any disturbance to science and/or logistic operations (only applicable to visits to, inter alia, stations, refuges, huts, field camps).

**Section G. Additional Information on Practices and Procedures to Ensure Safety and/or Environmental Protection**

- (1) Were industry standard practices or operating procedures used (specify if so)?
- (2) Were guides / expedition personnel accredited according to any specific training standards? (Please, provide)

**FORM-1**

(See sub-rule (1) of rule 4)

**APPLICATION FOR PERMIT FOR INDIAN EXPEDITION TO ANTARCTICA/ TO ENTER TO/ STAY AT INDIAN STATIONS**

Please affix a copy of passport size photograph in the space:

1. Name and designation of applicant: \_\_\_\_\_
2. Whether the applicant is part of an expedition organised by the Central Government/State Government/Statutory Body/Society/Organisation/Company/any other body: \_\_\_\_\_ Yes/No  
(If yes, attach particulars of all members of expedition as per Annexure to this Form)
3. Nationality: \_\_\_\_\_
4. Identity proof (Passport/ Aadhaar card/Voter Identity): \_\_\_\_\_
5. Date of birth: \_\_\_\_\_
6. Postal address: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
7. Residential address: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
8. Email address \_\_\_\_\_
9. Telephone/Mobile number with STD/Country code: \_\_\_\_\_
10. Name and Telephone/Mobile number of persons to be contacted in case of any emergency: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
11. Particulars about activities in Antarctica:  
proposed Expedition to Antarctica for which permit is being sought: \_\_\_\_\_  
purpose (Scientific / Logistic/ both/other): \_\_\_\_\_  
discipline\* of activity: \_\_\_\_\_

place and location of activity\*\* : \_\_\_\_\_

(may attach a separate table for information)

12. Season of stay in Antarctica (Summer/ Winter): \_\_\_\_\_

13. Probable dates of stay and period for which the permit is required: \_\_\_\_\_

14. Whether the applicant intend to stay in Indian Station: Yes/No

(If yes then mention the name of station): \_\_\_\_\_

15. Purpose for entering Indian Antarctic Station (expedition/ scientific research/ environmental management or monitoring/logistics/tourism/shelter/emergency/ medical/educational visit/other): \_\_\_\_\_

16. Whether intend to stay in a field camp: Yes/No

(If yes, whether the applicant has submitted the waste management plan and emergency plan as required under sub-section (6) of section 27 of the Indian Antarctic Act, 2022 and referred to in the rules 27 to 37)

17. Whether the proposed activity will have less than a minor or transitory impact on the Antarctic environment: Yes/No

18. Whether the applicant submitted Initial Environmental Evaluation or Comprehensive Environmental Evaluation (as the case may be) : Yes/No

19. Names of vessel/ aircraft (if known) proposed to be undertaken journey to Antarctica: \_\_\_\_\_

20. Does proposed activity pertain to any of the following?

a. visit to Antarctic Specially Protected Area/Marine Protected Area: Yes/No

(If yes, whether Form 1A has been filled up and enclosed): Yes/No

b. visit to Historic Site and Monuments: Yes/No

(If yes, provide the name of the site and purpose of visit)

c. intends to carry out activity pertaining to mineral resources \*\*\*: Yes/No

(If yes, whether Form 1B has been filled up and enclosed): Yes/No

d. intends to perform activities pertaining to sample/specimen, collection/removal as referred to in section 8 and 14 of the Act \*\*\*\*: Yes/No

(If yes, whether Form 1C has been filled up and enclosed): Yes/No

21. Experience of scientific research/logistics in Antarctic region or in any other cold or high-altitude area Yes/No

(If yes provide details): \_\_\_\_\_

22. Particulars of Security Deposit as per rule 9 (online payment) \_\_\_\_\_

23. Particulars of Application fee as per rule 9 (online payment) \_\_\_\_\_

24. Whether any expedition member intends to use Remotely Piloted Aircraft Systems/Unmanned Ariel Vehicle:

Yes/No

If yes, provide following details

a. Remotely Piloted Aircraft Systems/Unmanned Ariel Vehicle make and model: \_\_\_\_\_

- 
- b. serial number: \_\_\_\_\_
- c. name of pilot: \_\_\_\_\_
- d. detail the purpose: \_\_\_\_\_
- e. confirmation to the effect that Standard Operating Procedures are in place:
- 

25. Attach a synopsis of proposed scientific/logistic activity (maximum 250 words)

### Declaration

I \_\_\_\_\_ hereby solemnly and sincerely declare that all the information provided in the Permit Application Form is true and correct to the best of my knowledge. I understand that this is a legal obligation and failure to which may draw administrative action, legal punishment and penalty as mentioned in the Indian Antarctic Act, 2022 and the rules made thereunder.

I shall abide by the waste management plan and emergency plan as required under sub-section (6) of 27 and referred to in rules 27 to 37, prepared for the station.

I confirm that I have read and shall abide by the provisions of Indian Antarctic Act 2022 and rules made thereunder, the Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty and its Annexes.

Date: \_\_\_\_\_

Signature of applicant: \_\_\_\_\_

Name of applicant: \_\_\_\_\_

Signature of Head of Institution/Organisation with Seal

\* biology, engineering, environment, geology, medical, others or logistics branches including construction, operations, others

\*\* Larsemann Hills / Schirmacher Hills / Princess Elizabeth Land/ Dronning Maud Land or any other specific Antarctic area.

\*\*\* any natural resource that is neither living nor renewable as per *Explanation* to section 7 of the Act.

\*\*\*\* remove or damage native plants/ birds/mammals/disturb habitat of native birds/remove soil biological material or collection/removal of any other sample

### Note

- (1) Strike which is not applicable.
- (2) Where the space in the application Form is not sufficient to provide requisite details, may attach a separate sheet to provide requisite information.
- (3) Where the Permit is required by Head of any Governmental/Non-Governmental Organisation or Institution/autonomous bodies of Government of India, for group of expedition members, for scientific expedition then this Permit application form need not to be filled by each expedition member, but attach a list containing:
  - (a) for scientific expedition: name of expedition member, project number, if any, project title, name of the principal investigator, designation, affiliation/organization, office address/postal address, permanent address, email, telephone, mobile number, Aadhaar card number/passport number, and nationality in a separate sheet and attach a copies of project proposals.
  - (b) for non-scientific expedition: name of expedition member, designation, affiliation/organization, office address/postal address, permanent address, email, telephone/mobile number, Aadhaar card number/passport number, and nationality.
- (4) Before filling this Application Form, read the Indian Antarctic Act, 2022 and thereunder rules made before filling this Application form

- (5) It is understood that the expedition member's name for a group of Indian expedition to Antarctica, may not be known at the time of submission of Permit Application, but shall have to be submitted one month prior to departure for Antarctica.
- (6) It is also understood that at the time of submission of Permit Application, some information of vessel or aircraft may not be known but shall have to be submitted one month prior to departure for Antarctica.
- (7) For other persons who are covered by this Permit Application, fill Annexure A: A full and final list (including their nationalities and passport numbers) and identity proof shall be submitted before departure along with two passport size photographs of applicant as well as all expedition members.
- (8) The head of the Station's operation or maintenance shall provide the waste management plan and emergency plan as required under sub-section (6) of section 27 of the Indian Antarctic Act, 2022 and referred to in the rules 27 to 37 made thereunder.

#### Annexure A

Full name (as per their passport)	Nationality	Passport no.	Previous experience of scientific research in the Arctic, Antarctica or in other cold or high-altitude areas? (Y/N)	'yes' for previous column, provide details

#### FORM-1A

(See sub-rule (1) of rule 4)

### APPLICATION FOR PERMIT FOR ENTERING AND PERFORMING ACTIVITIES IN ANTARCTIC SPECIALLY PROTECTED AREA/ MARINE PROTECTED AREA

1. Name and designation of applicant: \_\_\_\_\_
2. Whether the applicant is part of an expedition organised by the Central Government/State Government/Statutory Body/Society/Organisation/Company/any other body: Yes/No  
(If yes, attach particulars of all members of expedition as per Annexure to this Form)
3. Name and details of Antarctic Specially Protected Area/Marine Protected Area intended to visit:



## 4. Activity details

Number of person required to access the Antarctic Specially Protected Area/Marine Protected Area, at a time (names and details of persons):

## 5. Transportation to and within Antarctic Specially Protected Area/Marine Protected Area (provide details of modes of transportation such as on foot/ by snow mobile/ by helicopter, etc.)

## 6. Does the activity require any sampling, installation, or removal of equipment: Yes/ No

If yes, provide the details of type of sampling/ equipment and methods which may be used for sampling:

## 7. Whether activity can be conducted in accordance with the management plan for the area: Yes/ No If no, provide justification for deviation

## 8. Whether activity is likely to disturb birds or seals (such as by approaching closer than the minimum approach distance provided in guidelines for the operation of aircraft near concentration of birds in Antarctica provided by the Committee for Environmental Protection and as mentioned in management plan):

a. Individual species: Yes / No

b. Concentrations of species (20+): Yes/ No

c. Breeding or moulting animals: Yes No

If yes, provide details:

## 9. Sample details to be collected within Antarctic Specially Protected Area//Marine Protected Area:

Geographic Location	Type of Sample	Number of Sample	Weight (grams or kg)	Volume (ml or litre)	Size/dimension (LxBXH) in cm

## 10. Whether activity involves sampling aquatic/ terrestrial environments for marine organisms or microbes or genetic material: Yes/ No

If yes, provide details:

Geographic Location	Type of Sample	Number of Sample	Weight (grams or kg)	Volume (ml or litre)	Size (LxBXH) in cm

11. Whether activity, if permitted, cause:

- a. Faunal death: Yes/No
- b. Faunal injury: Yes/ No
- c. Other interference: Yes/No

If yes, then provide name and number of species affected:

---



---

12. Approval of Scientific / Ethics Committee:

- a. If the activity involves invasive techniques on native fauna, provide evidence that the proposed methods have been approved or approval has been sought from an independent Scientific/Animal Ethics Committee.
- b. Ensure that activity shall be conducted in accordance with the code of conduct for use of animals for scientific purposes provided by Scientific Committee on Antarctica Research:

---



---

13. Whether proposed to collect samples of moulted feathers: Yes/No

If yes, provide details:

---



---

14. Whether activity in the Antarctic Specially Protected Area/Marine Protected Area includes to collect biological material for bio-prospecting: Yes/No

If yes, then provide details of sample collection including collecting genetic material from Antarctic flora /fauna within Antarctic Specially Protected Area/Marine Protected Area for the purposes of extracting future potential commercial application:

---



---

15. Weather impact of proposed activities on Antarctic Environment is (less than minor or minor or more than minor) and provisions for Initial Environmental Evaluation/Comprehensive Environmental Evaluation have been considered? Yes/No

Provide details:

---



---



---

16. Details of Waste disposal:

---



---



---

**Declaration**

I hereby solemnly and sincerely declare that all the information provided in Permit Application Form is true and correct to the best of my knowledge. I also understand that this is a legal obligation to abide by the provisions of the Act and failure to which may draw administrative action, legal punishment and penalty as referred to in the Indian Antarctic Act, 2022 and the rules made thereunder.

Date: \_\_\_\_\_

Signature of applicant: \_\_\_\_\_

Name of applicant: \_\_\_\_\_

Signature of Head of Institution/Organisation with Seal

**FORM-1B**

(See sub-rule (1) of rule 4)

**APPLICATION FOR PERMIT FOR MINERAL RESOURCE ACTIVITY**

1. Name and designation of applicant: \_\_\_\_\_
2. Whether the applicant is part of an expedition organised by the Central Government/State Government/Statutory Body/Society/Organisation/Company/any other body: Yes/No  
(If yes, attach particulars of all members of expedition as per Annexure to this Form)
3. Brief outline of purpose of proposed activities; scientific/construction/maintenance/repair of Indian Antarctic station/any other structure/road/runway/jetty:

---



---

4. Description of mineral resource activities proposed to undertake and in what manner activities are essential for study/operations:

---



---

5. What transport, storage and final usages arrangements shall be made for samples/mineral resources once removed from Antarctica, provide details:

---



---

6. Provide location and name of place from where the samples/minerals shall be collected or excavated:

---



---

7. Type, number, weight/volume, size of the samples/mineral resources to be collected or excavated:

Geographic Location	Type of Sample	Number of Sample	Weight (grams or kg)	Volume (ml or litre)	Size (LxBXH) in cm

8. Details of equipment/machineries proposed to be used for collection or excavation:

---



---

9. Whether any site camp shall be established during carrying out activity:

Yes/No

If yes, provide details about the waste management plan and its implementation.

\_\_\_\_\_

10. Weather impact of proposed activity on Antarctic Environment (is less than minor/minor/more than minor) and provisions for Initial Environment Evaluation/Comprehensive Environmental Evaluation have been considered?

\_\_\_\_\_

11. Weather Waste disposal as per Antarctic Act has been planned, give details of Waste Management Plan

\_\_\_\_\_

12. Collection/Removal of any other Sample (If, not intended, please leave this section unanswered): Yes/No

a. If yes, provide the purpose of sample collection (scientific study/specimen for museum/ /educational or cultural)

b. Provide sample details:

Place of Sample Collection	Latitude Longitude	Type of Sample	Source of terrestrial sample collection (Lake water, marine water, soil, snow, sediment)	Size (LxBxH) c.m.	Weight (grams or kg)	Volume (ml or litre)

13. What method and equipment shall be used for sample collection, provide details:

\_\_\_\_\_

#### Declaration

(By Permit holder)

I hereby solemnly and sincerely declare that all the information provided in Permit Application Form is true and correct to the best of my knowledge. I also understand that this is a legal obligation to abide by the provisions of the Act and failure to which may draw administrative action, legal punishment and penalty as referred to in the Indian Antarctic Act, 2022 and the rules made thereunder.

Date: \_\_\_\_\_

Signature of applicant: \_\_\_\_\_

Name of applicant: \_\_\_\_\_

Signature of Head of Institution/Organisation with Seal

#### FORM-1C

(See sub-rule (1) of rule 4)

**APPLICATION FOR PERMIT TO ALLOW THE INTRODUCTION OF NON-NATIVE ANIMALS, PLANTS OR MICROSCOPIC ORGANISMS OR REMOVAL OR DAMAGE TO NATIVE PLANTS/ BIRDS/MAMMALS/DISTURB HABITAT OF NATIVE BIRDS/REMOVE SOIL OR BIOLOGICAL MATERIAL OR COLLECTION/REMOVAL OF ANY OTHER SAMPLE FOR THE PURPOSES OF SCIENTIFIC RESEARCH**

1. Name and designation of applicant: \_\_\_\_\_

2. Whether the applicant is part of an expedition organised by the Central Government/State Government/Statutory Body/Society/Organisation/Company/any other body: Yes/No

(If yes, attach particulars of all members of expedition as per Annexure to this Form)

3. Provide a brief outline of the scientific purposes for the proposed introduction/removal:

---



---



---

4. Indicate where will be introduced non-native\* species be kept in Antarctica and the precautions that will be taken to prevent escape or spread of the introduced species or their contact with native fauna, flora and the Antarctic environment:

---



---



---

5. Outline the methods of removal of introduced species or their disposal by incineration, sterilisation or other means, and describe how the wastes will be disposed of:

---



---



---

6. Name (species) of non-native animal/plant/microscopic organism that are intended to be introduced:

Species (common name)	Species scientific (Latin) name	Quantity	Age/life stage	Sex

7. What would be expected risk assessment of the introduction each non-native species, including potential consequences of accidental release:

---



---

8. Whether any site camp shall be established during carrying out activity: Yes/No

If yes, provide details how the waste management plan shall be implemented:

---



---

9. Location and other details of species of non-native animal/plant/microscopic organism that will be removed from the area:

Location from where species will be removed	Species (common name)	Species scientific (Latin) name if known	Quantity	Age/life stage	Sex

10. Provide a brief outline of scientific purpose of the proposed activities:

---



---

11. Indicate what activities are intend to be undertake which may or may not result in the killing, injuring, capturing, handling, molesting, disturbing, removing or damaging to species or potential to damage habitat:

---



---

12. If native mammals, birds or invertebrates are involved in research describe how they will be treated in an appropriately humane manner? If the project has been subject to an scientific/ethical review, please include details of:

- the reviewing body
- the date the review was undertaken and
- the conclusions and any project-specific recommendations:

---



---

13. If the mammals, birds or invertebrates (alive or deceased) are to be transported, done, provide details:

---



---

14. the intention is to do something which would cause potential damage to the habitat/specially protected species or population of any native mammal, bird, plant or invertebrate, provide details of activity and the habitat:

---



---

15. Indicate species of native mammal, bird, invertebrate or native plant which would be affected by the activity:

Species (common name)	Species scientific (Latin name)	Quantity (number and total weight)	Age/life stage	Sex

16. Provide details if proposes to fly or land helicopter or other aircraft/use an explosive/use vehicle or vessel or hovercraft/small boat near concentration of native birds or seals:

---



---

17. Collection/Removal of any other Sample: Yes/No

- provide purpose of sample collection (scientific study/specimen for museum/herbarium/zoological or botanical garden/educational or cultural):

---



---

- Provide the sample details:

Place of Sample Collection	Latitude Longitude	Type of Sample	Source of terrestrial sample collection (Lake water, marine water, soil, snow, sediment)	Size (LxBxH) c.m.	Weight (grams or kg)	Volume (ml or litre)

- c. What method and equipment shall be used for sample collection, provide details:

---



---



---

- d. Whether intend to collect samples from Antarctic Specially Protected Area/Marine Protected Area or near Historic Site and Monuments, if so please provide details, what precautions shall be taken to avoid any disturbance to the biological, environmental and geological values of the area:

---



---



---

(\*“Non-native” species are those that are not indigenous to the Antarctic Treaty area during any stage of their lifecycle, or which do not occur there seasonally through natural migrations)

### Declaration

(By Permit holder)

I \_ hereby solemnly and sincerely declare that all the information provided in Permit Application Form is true and correct to the best of my knowledge. I also understand that this is a legal obligation to abide by the provisions of the Act and failure to which may draw administrative action, legal punishment and penalty as prescribed in the Indian Antarctic Act, 2022 and the rules made thereunder.

Date: \_\_\_\_\_

Signature of applicant: \_\_\_\_\_

Name of applicant: \_\_\_\_\_

### FORM-2

(See sub-rule (1) of rule 4)

### APPLICATION FOR PERMIT FOR VESSEL/AIRCRAFT ENTERING INTO ANTARCTIC/ CONVENTION AREA

**Applicable to: Owner/Operator of vessel or aircraft** which is part of an Indian expedition (Governmental/Non-Governmental Organization/Private/Tourist/Commercial Fishing/Other) including any such vessel or aircraft which is registered in India but chartered by any other Party for entering Antarctic Treaty/Convention Area.

#### PART A: Owner/Operator’s Details

1. Attach a photograph (affix in the space provided below), and relevant pages of the passport of the applicant that provide personal identification and address.

<p>Please affix a copy of passport size photograph in the space:</p>
--

2. Confirm under what authorisation you intend to enter Antarctica. (e.g. via a Permit obtained from the Committee for Antarctic Governance and Environmental Protection (CAGEP) OR authorisation granted by another Party to the Protocol:

---

3. Particulars of Applicant (Permit Holder)

a. Applicant: \_\_\_\_\_

b. Organisation: \_\_\_\_\_

c. Identity proof (Passport/Aadhaar card/Voter Identity card)\_\_\_\_\_

- d. Designation: \_\_\_\_\_
- e. Postal address: \_\_\_\_\_
- f. Email address: \_\_\_\_\_
- g. Telephone/Mobile number: \_\_\_\_\_
- h. Website: \_\_\_\_\_
- i. Nationality: \_\_\_\_\_

## PART B: Vessel/Aircraft Details

4. Arrival and departure date and place
- a. First port of departure to Antarctica: \_\_\_\_\_
- b. Probable date of initial entry into Antarctic Treaty area (600 South latitude): \_\_\_\_\_
- c. Probable date of final exit from Antarctica (600 South latitude) : \_\_\_\_\_
- d. First place of call after final exit from Antarctica: \_\_\_\_\_
5. Particulars of Registration
- a. Country of Origin: \_\_\_\_\_
- b. Flag State during filing application: \_\_\_\_\_
- c. Port of registry: \_\_\_\_\_
- d. Class (Ice Class/Ice Strengthen): \_\_\_\_\_
- e. Year and Place of built: \_\_\_\_\_
- f. Validity of Registration: \_\_\_\_\_
6. Particulars of Vessel/Aircraft
- a. Name: \_\_\_\_\_
- b. Any previous name if known: \_\_\_\_\_
- c. Type: \_\_\_\_\_
- d. Length: \_\_\_\_\_
- e. Breadth: \_\_\_\_\_
- f. Height: \_\_\_\_\_
- g. Draft (for vessel): \_\_\_\_\_
- h. Make and HP of Engine: \_\_\_\_\_
- i. Age of Vessel/Aircraft: \_\_\_\_\_
- j. Base of Operation: \_\_\_\_\_
- k. Dry Weight/Tonnage: \_\_\_\_\_
- l. Type of fuel required to run engine: \_\_\_\_\_
- m. International Maritime Organisation number, external markings (for vessel):  
\_\_\_\_\_
- n. International radio call sign: \_\_\_\_\_
- o. Polar Ship Certificate number (vessel): \_\_\_\_\_
- p. Vessel communication types and numbers (e.g. INMARSAT A, B and C numbers or any other):  
\_\_\_\_\_
- q. Hull and superstructure construction material(s) of vessel:  
\_\_\_\_\_
- r. Number of Crew: \_\_\_\_\_



- s. Details of Crew and Qualifications (including Captain/ Pilot/Ice-Captain/Pilot):

\_\_\_\_\_  
 (The list of name and qualification may be submitted thirty days before entering of vessel or aircraft into Antarctic Region, if during time of making application, details are not known)

- t. Details of life saving appliances available in vessel or aircraft:

- \_\_\_\_\_  
 u. Communication System:

Whether, expedition/vessel/aircraft have a regular communication schedule, reporting on a regular basis:  
 Yes/No

If yes, provide details including how the expedition/vessel/aircraft will communicate with and frequency of schedule:

- \_\_\_\_\_  
 v. Whether, the expedition/vessel/aircraft be carrying a tracking device: Yes/No

If yes, provide details including frequency of position reporting:

- \_\_\_\_\_  
 w. Whether, any contingency plans have been made for loss of contact, provide details:

7. Particulars of Aircraft :

Type (e.g., fixed wing, helicopter, dirigible, balloon, etc.) and description:

- \_\_\_\_\_  
 a. Range: \_\_\_\_\_  
 b. Endurance: \_\_\_\_\_  
 c. Seating capacity: \_\_\_\_\_  
 d. Take-off weight: \_\_\_\_\_

8. Insurance particulars (including insurer, type and amount of cover and expiry dates (attach copy of policy/policies), whether it also Includes third party, equipment, medivac, repatriation, and search and rescue, provide details:

- \_\_\_\_\_  
 9. Purpose for entering Antarctica or Convention region:

(expedition/ scientific research/ environmental management or monitoring/tourism/shelter/emergency/ medical/educational visit/other, indicate):

- \_\_\_\_\_  
 10. Whether a member or intend to become a member of the International Association of Antarctic Tour Operators, provide details of membership level and length, or when you intend to apply (applicable for vessel only):

\_\_\_\_\_

11. Whether expedition intend to visit any Marine Protected Area : Yes/No

If yes, provide details (should submit Form 1A)

---



---

**PART C: Activity Details**

12. If Permit required for a private expedition, non-government organisation, or tourist operator, provide name of vessel and crew/passenger carrying capacity:

---



---

13. Location/Area of the proposed activity (provide coordinates or place name according to Composite Gazetteer of Antarctica published by Scientific Committee on Antarctica Research):

---



---

14. Provide detailed description of activities in a separate sheet (refer to sections of your attached environmental impact assessment report if applicable)

---



---

15. What is the objective or purpose of the activity/activities?

---



---

16. Season of activity: Summer/ Winter

17. What are the planned dates to undertake activities in Antarctica

---



---

18. What are possible alternatives to the activity, including the alternative of not carrying on the activity? What are the consequences of each alternative?

---



---

19. Means of transportation within Antarctica (Ski/Snow scooter/Snow Vehicle/Aircraft/Other):

---



---

20. Whether the proposed activity will have an impact on the environment of Antarctica: Yes/No

yes and minor or transitory - attach Initial Environmental Evaluation Report

b. If yes and more than minor or transitory – attach draft Comprehensive Environmental Evaluation Report

c. If no, then justify the reason why Initial Environmental Evaluation or Comprehensive Environmental Evaluation Report is not required to prepare for the proposed activity in a separate sheet and attach with application

21. Mitigation Measures to reduce adverse environmental impact:

---



---



---



---

22. Whether there is a proposal to take away hazardous substances into Antarctica? If yes, provide details of hazardous substances (e.g. chemical substances), radioactive material or isotopes that you propose to use. For each substance, list:

- a. the hazard class: \_\_\_\_\_
- b. the quantity: \_\_\_\_\_
- c. why it is required: \_\_\_\_\_
- d. whether or not they will be released into the environment: \_\_\_\_\_
- e. explain how they are intended to be used: \_\_\_\_\_

23. Whether there is intention to store fuel, outside the main tanks of a vessel or within the Antarctic terrestrial environment? For each fuel type, state the quantity and location of the storage facility. If a fuel transfer is to be undertaken, state the quantity and location of the storage facility. If a fuel transfer is to be undertaken, provide details including a copy of the fuel Spill Contingency Plan.

24. Provide waste generation, collection, treatment, and disposal procedure:

(The existing waste management plans for vessels, aircrafts and stations shall be taken into account in preparing the waste management plan)

a. Sewage

- i. Quantity expected to be generated: \_\_\_\_\_
- ii. Packaging and disposal practices: \_\_\_\_\_

b. Grey water

- i. Quantity expected to be generated: \_\_\_\_\_
- ii. Packaging and disposal practices: \_\_\_\_\_

c. Food waste (other than meat and poultry product waste)

- i. Quantity expected to be generated: \_\_\_\_\_
- ii. Packaging and disposal practices: \_\_\_\_\_

d. Meat and poultry product waste

- i. Quantity expected to be generated: \_\_\_\_\_
- ii. Packaging and disposal practices: \_\_\_\_\_

e. General waste

- i. Quantity expected to be generated: \_\_\_\_\_
- ii. Packaging and disposal practices: \_\_\_\_\_

f. How waste will be removed from Antarctica, provide details of storage and/or disposal:\_\_\_\_\_

g. What procedures will be put in place to handle waste, chemicals, fuel, to prevent cross contamination in Antarctic Sea and manage any other impacts identified, attach a copy of waste management plan of vessel/aircraft?

25. Whether there is any contingency plan to be followed in the case of emergency or adverse impact on the environment: Yes/No

If yes, provide details and attach a copy of the plan

26. Total estimated expenditure on expedition

a. Cost incurred in procurement/arrangement of Indian goods/services/material/ship/aircraft chartering etc.:

Indian Rupees \_\_\_\_\_

In words: \_\_\_\_\_

b. Cost incurred in foreign procurement/arrangement of foreign goods/services/material/ship/aircraft chartering etc.:

Indian Rupees \_\_\_\_\_

In words: \_\_\_\_\_

27. Particulars of Security Deposit as per rule 9 (online payment)

28. Particulars of Application fee as per rule 9 (online payment)

#### **PART D: Waste Discharge into Sea**

29. Provide waste generation, collection, treatment, and disposal procedure proposed:

a. Oil or oily mixture, bilge water waste

i. Quantity expected to be generated: \_\_\_\_\_

ii. Storage, treatment and Disposal practices: \_\_\_\_\_

b. Effluent waste (Sewage and domestic waste)

i. Quantity expected to be generated: \_\_\_\_\_

ii. Storage, treatment and Disposal practices: \_\_\_\_\_

c. Food waste including fresh fish and parts

- i. Quantity expected to be generated: \_\_\_\_\_
- ii. Storage, treatment and Disposal practices: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

30. How the operator shall ensure that garbage, plastic, or other substance that is harmful to the Antarctic marine environmental shall not be discharged or disposed into sea

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### Declaration

I \_\_\_\_\_ hereby solemnly and sincerely declare that all the information provided in Permit Application Form is true and correct to the best of my knowledge. I also understand that this is a legal obligation to abide by the provisions of the Act and failure to which may draw administrative action, legal punishment and penalty as referred to in the Indian Antarctic Act, 2022 and rules made thereunder.

Date \_\_\_\_\_

Signature of applicant \_\_\_\_\_

Name of applicant \_\_\_\_\_

Signature of Owner/Operator/Head of Institution/Organisation with Seal

#### **PART E: Fishing Activity Details**

- This part only to be filled by Owner/Operator who intent to apply for fishing/commercial fishing in Antarctic or Convention region apart from PART A, PART B, PART C and PART D.
- This is primary information required for Committee to process the application to submit to the Commission for Conservation of Antarctic Marine Living resources. The application fee and security deposit shall be applicable as described in Schedule 1.
- Requisite information, details, application, processing fee, security deposit and any other fee as required by Commission for Conservation of Antarctic Marine Living Resources shall be provided and deposited by the Permit Holder separately to the Committee or directly to Secretariat of Commission for Conservation of Antarctic Marine Living Resources as directed by the Committee.

1. Name, address, passport details and nationality of operator, if different from vessel owners:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. Name, address, passport details and nationality of master and, where relevant, of fishing master:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. Indicate Area for which Permit is required:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4. About Vessel:

- a. beam(m): \_\_\_\_\_
- b. gross registered tonnage: \_\_\_\_\_
- c. normal crew complement: \_\_\_\_\_

- d. power of main engine or engines (kW): \_\_\_\_\_
- e. carrying capacity (tonnes), number of fish holds and their capacity (m<sup>3</sup>):  
\_\_\_\_\_
- f. details of ice classification (if any): \_\_\_\_\_
- g. details of freezing rate capacity: \_\_\_\_\_

5. Provide details if fishing vessel is already registered at Commission for Conservation of Antarctic Marine Living Resources secretariat:

---



---

6. Type and description of fishing gear proposed to be operated:

---



---

7. Provide intended harvested Fish species from Convention area (in tons):

- a. Patagonian toothfish (*Dissostichus eleginoides*) \_\_\_\_\_
- b. Antarctic toothfish (*Dissostichus mawsoni*) \_\_\_\_\_
- c. Mackerel icefish (*Champsocephalus gunnari*) \_\_\_\_\_
- d. Antarctic krill (*Euphausia superba*) \_\_\_\_\_
- e. Other species of Icefish/Toothfish \_\_\_\_\_
- f. New and exploratory fisheries \_\_\_\_\_
- g. Any other species \_\_\_\_\_

8. First Port of entry after returning from fishing from Antarctica, landing and trading details of harvested fish and other species:

---



---

9. Provide transshipment details:

---



---

10. Probable period of operation in Antarctic/Convention region:

From (date) \_\_\_\_\_ to (date) \_\_\_\_\_

11. Photographs of Vessel

photographs of sufficiently high-resolution, colour, brightness and contrast so as to properly identify the vessel and all relevant details and shall consist of:

- a. photograph showing the starboard side of the vessel displaying its full overall length and complete structural features, whether attached with application: Yes/No
- b. one photograph showing the port side of the vessel displaying its full overall length and complete structural feature, whether attached with application: Yes/No
- c. one photograph showing the stern taken directly from astern, whether attached with application:

Yes/No

12. Details of the implementation of the tamper-proof requirements for all Automatic Location Communicators installed on board the vessel:

---



---

13. Period for which license is sought:

From (date) \_\_\_\_\_ to (date) \_\_\_\_\_

14. Any other information in respect of each licensed vessel appropriate for the purposes of the implementation of the conservation measures adopted by the Commission:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

#### Declaration

I \_\_\_\_\_ hereby solemnly and sincerely declare that all the information provided in Permit Application Form is true and correct to the best of my knowledge. I also understand that this is a legal obligation to abide by the provisions of the Act and failure to which may draw administrative action, legal punishment and penalty as referred to in the Indian Antarctic Act, 2022 and the rules made thereunder.

Date \_\_\_\_\_ Signature of applicant \_\_\_\_\_

Name of applicant \_\_\_\_\_

Signature of Owner/Operator/Head of Institution/Organisation with Seal

#### PART F: Permit for Tourism/Recreational Activity

This part only to be filled by Owner/Operator who intent to apply for tourist/recreational activity in Antarctic apart from PART A, PART B, PART C and PART D.

1. Whether Operator or associate member (tour operator, travel agent, organiser):

\_\_\_\_\_

2. Whether registered with International Association of Antarctic Tour Operator: Yes/No

If, yes, provide membership details:

\_\_\_\_\_

3. Whether vessel is equipped with Vessel Monitoring System, Contingency Plan: Yes/No

If yes, provide details and attach a copy of document:

\_\_\_\_\_

4. Provide the number of crew, passengers and tourist guide who will enter into Antarctica and attach a list showing details (Name, Citizenship, Passport Number, Gender, age):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

5. Expedition details

Company name:		Voyage/Flight number:	
		Voyage Name:	
Expedition Leader(s) name:		Vessel/Aircraft name:	
		Captain's/Commander's name:	
Expedition is:		based	Combined Activity:
Port of Embarkation:			Port of Disembarkation:
Date of Embarkation:			Date of Disembarkation:

#### Observers

Name:	Name:	Name:
Affiliation:	Affiliation:	Affiliation:

Record of Expedition Numbers (attach list in separate sheet if space is not sufficient)

Nationality	Pax	Staff	Crew	Observer	Nationality	Pax	Staff	Crew	Observer

Pax: Passengers: members of the expedition that are not staff, crew, observers or national representatives.  
 Staff: Expedition personnel, guides, lecturers and small boat drivers (exclude crew serving these functions).  
 Crew: Vessel captain and officers, helicopter pilots, and crew and hotel/catering staff (excluding above).  
 Observer: Observers or National Representatives

### Declaration

I \_\_\_\_\_ hereby solemnly and sincerely declare that all the information provided in Permit Application Form is true and correct to the best of my knowledge. I also understand that this is a legal obligation to abide by the provisions of the Act and failure to which may draw administrative action, legal punishment and penalty as prescribed in the Indian Antarctic Act, 2022 and the rules made thereunder.

Date \_\_\_\_\_

Signature of applicant \_\_\_\_\_

Name of applicant \_\_\_\_\_

Signature of Owner/Operator/Head of Institution/Organisation with Seal

### Note:

- (1) Strike which is not applicable.
- (2) Wherever applicant feels the space provided in the application form is not sufficient to provide requisite details, mat attach a separate sheet to provide requisite information, referring to the Part and serial number of the application detail).
- (3) For each vessel or aircraft separate Permit application should be dully filled and submitted.
- (4) Read the Indian Antarctic Act, 2022 and rules made thereunder before filling this application form.
- (5) It is understood that the crew/captain/master's name, may not be known at the time of submission of Permit application, but shall be submitted one month prior to departure for Antarctica.
- (6) It is understood that at the time of submission of Permit application, some information of vessel or aircraft may not be known, but shall be submitted one month prior to departure for Antarctica.
- (7) For other persons who are covered by Permit fill Annexure A: A full and final list (including their nationalities and passport numbers) must be submitted before departure along with two passport size photographs of applicant as well as all expedition members.



**Annexure A**

Full name (as per their passport)	Nationality	Passport no.	Previous experience of scientific research in the Arctic, Antarctica or in other cold or high-altitude areas? (Y/N)	If 'yes' for previous column, provide details

**FORM 3**

(See sub-rule (1) of rule 48)

Ministry of Earth Sciences, Government of India

Balance Sheet as on .....

Corpus/Capital Fund and Liabilities	Schedule No.	31-03-202..	31-03-202...
Corpus/Capital Fund			
Reserves and Surplus			
Earmarked Funds			
Current Liabilities and Provisions			
<b>Total</b>			

Assets	Schedule No.	31-03-202...	31-03-202...
Fixed Assets			
Current Assets, Loans, Advances etc.			

	<b>Total</b>		
Significant Accounting Policies		-	-
Contingent Liabilities and Notes on Accounts		-	-

**FORM P1**

(See sub-rule (1) of rule 9)

**MINISTRY OF EARTH SCIENCES, GOVERNMENT OF INDIA**

Prithvi Bhawan, Lodi Road, New Delhi, 110003, India

**Committee on Antarctic Governance and Environmental Protection****PERMIT**

For entry, carrying out activities and stay in Antarctica

Permit number.....

Permit Valid from.....to.....

**This Permit is granted in favour of:**

Dr./Mr./Mrs./Miss.....

Designation.....

Affiliation.....

Nationality.....

holding Aadhaar card Number ...../Passport Number.....

issued by .....at.....

**Committee authorises the Permit holder**

Dr./Mr./Mrs./Miss.....

and the members of his group of expedition (as per Annexure A), as the case may be, to enter into Antarctica and to perform following activities:-

(1) Entry into Antarctica..... : Yes/No

(2) Places to be entered in Antarctica..... : Yes/No

Name of place/area/region.....

(3) Entry and remain in Indian Antarctic station, Maitri/ Bharati/Both : Yes/No

(4) Visiting other Antarctic station/s..... : Yes/No

- (5) To carry out Scientific/Logistics/Tourism/Recreational activity... : Yes/No
- (6) Waste disposal in Antarctica ..... : Yes/No
- (7) Waste discharge into Antarctic water ..... : Yes/No
- (8) For removal of biological sample or other sample..... : Yes/No  
(If yes, according to the attached list provided in Annexure B)
- (9) Introduction of non-native species..... : Yes/No  
(If yes, according to the attached list provided Annexure B)
- (10) For Mineral Resource Activity..... : Yes/No  
(If yes, according to the attached list provided in Annexure B)
- (a) Scientific research..... : Yes/No
- (b) Construction/maintenance or repair of Indian station or any  
other structure: ..... : Yes/No
- (c) Road/runway or jetty maintained by or on behalf of India..... : Yes/No

He/She/They, are authorised to conduct activities during austral summer/winter in Antarctica, whereas this Permit is valid from:

date.....to (date).....

The Permit holder shall hold the Permit (P1) for entering Antarctic region.

The Permit holder and associated members of the expedition shall abide by the provisions of the Indian Antarctic Act, 2022 and the rules made thereunder, and conditions mentioned in this Permit. For any kind of violation of any provision of the Indian Antarctic Act, 2022 and the rules made thereunder, the Permit shall be revoked immediately and appropriate action against the Permit holder shall be taken by the Committee.

Member Secretary of the Committee.....

Signature with Seal of the Member Secretary:

Date:.....Place.....

**Enclosures:**

**Annexure A:** Permitted list of expedition members.

**Annexure B:** Particulars of Permitted sample collection of biological of any other sample, from Antarctica/Mineral Resources Activity

**Conditions**

1. Permit holder shall undertake proposed activities in accordance with provisions of the Indian Antarctic Act, 2022 and rules made thereunder, including the obligation of Treaty, Convention and the Protocol.
2. Permit holder to ensure the expedition members covered by this Permit shall be fully informed of all their environmental responsibilities, including interference to wildlife, introduction of non-native species, waste disposal, significance of historic sites and monuments and protected areas.
3. Permit holder shall ensure that participants of expedition shall not carry any weapon and firearms into Antarctica.
4. Committee may require from the applicant to submit any information, data, document apart from the information provided in the Application Form, which it may deem necessary for processing the Application From the applicant.
5. The Permit holder shall ensure that there shall be minimum disturbance to flora, fauna, lake, glacial or land.
6. Samples of live birds or eggs shall not be collected if not permitted.
7. Post-visit report in prescribed format shall be submitted to the Committee within three months of the completion of activity in Antarctica.
8. Where, Permit holder staying beyond three months in Antarctica, then after returning from Antarctica withing a month post-visit report shall be submitted.

**Annexure A**

List of Expedition Members to Whom Permit Granted for Entry in Antarctica and carrying out Activities in Antarctica

S. No.	Name	Title of Project	Aadhaar/ Passport Number	Affiliation	Duration of Permit

**Annexure B**

## A. Removal of Biological Sample/ introducing non-native Species

Name of Permit Holder.....

Species (common name)	Species scientific (Latin) name	Quantity (number and total weight)	Age/life stage	Sex

## B. Removal of any other sample/ Mineral Resource Activity

Name of Permit Holder.....

Place of Sample Collection	Latitude Longitude	Type of Sample	Source of terrestrial sample collection (Lake water, marine water, soil, snow, sediment)	Size (LxBxH) c.m.	Weight (grams or kg)	Volume (ml or litre)

**FORM P 2**

(See sub-rule (1) of rule 9)

**MINISTRY OF EARTH SCIENCES, GOVERNMENT OF INDIA**

Prithvi Bhawan, Lodi Road, New Delhi, 110003, India

**Committee on Antarctic Governance and Environmental Protection****PERMIT**

For entering into Antarctic Specially Protected Area (ASPA), Marine Protected Area (MPA) and Historic Sites and Monuments (HSM)

Permit number.....

Permit Valid from.....to.....

**This Permit is granted in favour of:**

Dr./Mr./Mrs./Miss.....

Designation.....

Affiliation.....

Nationality.....

holding Aadhaar card Number ...../Passport Number.....

issued by .....at.....

**Committee authorizes the Permit Holder,**

Dr./Mr./Mrs./Miss..... and the persons mentioned below:

S.No	Name	Affiliation	Aadhaar Card/Passport Number

to enter into:

1. Antarctic Specially Protected Area

Number.....

Name:

.....

.....

.....

## 2. Marine Protected Area.

Number.....

Name:

.....

## 3. Historical Sites and Monument

.....  
.....

He/She/They, is authorised to conduct activities during austral summer/winter in Antarctica, whereas this Permit is valid from:

date.....to (date).....

The Permit holder shall hold the Permit (P2) for entering Antarctic region.

The Permit holder and associated members of the expedition shall abide by the provisions of the Indian Antarctic Act, 2022 and the rules made thereunder, and conditions mentioned in this Permit. For any kind of violation of any provision of the Indian Antarctic Act, 2022 and the rules made thereunder, the Permit shall be revoked immediately and appropriate action against the Permit holder shall be taken by the Committee.

Member Secretary of the Committee.....

Signature with Seal of the Member Secretary:

Date:.....Place.....

**Conditions**

- (1) Permit holder shall undertake proposed activities in accordance with provisions of the Indian Antarctic Act, 2022 and rules made thereunder, including the obligation of Treaty, Convention and the Protocol.
- (2) Entry to the Antarctica Specially Protected Area/ Marine Protected Area/Historic Site and Monuments shall be minimum to avoid interference.
- (3) All authorised person shall carry a copy of the Management Plan while entering into Protected Area.
- (4) All intended activity shall be conducted according to Management Plan of the Protected Area.
- (5) To avoid introduction of non-native species visitors shall clean all footwear, cloth, sampling equipment, instrument, and markers, before entering in to Protected Area.
- (6) Vessel, boats shall be left at the shoreline during access to the area to avoid any disturbance.
- (7) Verbal communication and noise level generated from any means shall be kept minimum.
- (8) Vehicles are prohibited within the Protected Area.
- (9) Permit holder to ensure the expedition members covered by this Permit shall be fully informed of all their environmental responsibilities, including interference to wildlife, introduction of non-native species, waste disposal, significance of historic sites and monuments and protected areas.
- (10) Permit holder shall ensure that participants of expedition shall not carry any weapon and firearms into Antarctica.
- (11) Committee may require from the applicant to submit any information, data, document apart from the information provided in the Application Form, which it may deem necessary for processing the Application From the applicant.
- (12) The Permit holder shall ensure that there shall be minimum disturbance to flora, fauna, lake, glacial or land.
- (13) Samples of live birds or eggs shall not be collected if not permitted.
- (14) Post-visit report in prescribed format shall be submitted to the Committee within three months of the completion of activity in Antarctica.
- (15) Where, Permit holder staying beyond three months in Antarctica, then after returning from Antarctica within a month post-visit report shall be submitted.

**FORM P3**

(See sub-rule (1) of rule 9)

**MINISTRY OF EARTH SCIENCES, GOVERNMENT OF INDIA**

Prithvi Bhawan, Lodi Road, New Delhi, 110003, India

**Committee on Antarctic Governance and Environmental Protection****PERMIT**

For introducing non-native animals and plants or microscopic organism in Antarctica

Permit number.....

Permit Valid from.....to.....

**This Permit is granted in favour of:**

Dr./Mr./Mrs./Miss.....

Designation.....

Affiliation.....

Nationality.....

holding Aadhaar card Number ...../Passport Number.....

issued by .....at.....

**Committee authorizes the Permit holder,**

Dr./Mr./Mrs./Miss.....

for scientific research purpose only:

1. Introducing non-native animals/plants: Yes/No
2. Introducing microscopic organism: Yes/No

Species (common name)	Species scientific (Latin) name	Quantity/ Number	Age/life stage	Sex

He/She is authorised to conduct activities during austral summer/winter in Antarctica, whereas this Permit is valid from date.....to date.....

at location/place.....in Antarctica.

The Permit holder shall hold the Permit (P3) for entering Antarctic region.

The Permit holder and associated members of the expedition shall abide by the provisions of the Indian Antarctic Act, 2022 and the rules made thereunder, and conditions mentioned in this Permit. For any kind of violation of any provision of the Indian Antarctic Act, 2022 and the rules made thereunder, the Permit shall be revoked immediately and appropriate action against the Permit holder shall be taken by the Committee.

Member Secretary of the Chairman of  
Committee.....

Signature with Seal of the Member Secretary:

Date:.....Place.....

### Conditions

- (1) Permit holder shall undertake proposed activities in accordance with provisions of the Indian Antarctic Act, 2022 and rules made thereunder, including the obligation of Treaty, Convention and the Protocol.
- (2) To avoid introduction of non-native species visitors shall clean all footwear, cloth, sampling equipment, instrument, and markers, before entering in to Protected Area.
- (3) Permit holder to ensure the expedition members covered by this Permit shall be fully informed of all their environmental responsibilities, including interference to wildlife, introduction of non-native species, waste disposal, significance of historic sites and monuments and protected areas.
- (4) Permit holder shall ensure that participants of expedition shall not carry any weapon and firearms into Antarctica.
- (5) Committee may require from the applicant to submit any information, data, document apart from the information provided in the Application Form, which it may deem necessary for processing the Application From the applicant.
- (6) The Permit holder shall ensure that there shall be minimum disturbance should be to flora, fauna, lake, glacial or land.
- (7) Samples of live birds or eggs shall not be collected if not permitted.
- (8) Post-visit report in prescribed format shall be submitted to the Committee within three months of the completion of activity in Antarctica.
- (9) Where, Permit holder staying beyond three months in Antarctica, then after returning from Antarctica within a month post-visit report shall be submitted.

## FORM P4

(See sub-rule (1) of rule 9)



## MINISTRY OF EARTH SCIENCES, GOVERNMENT OF INDIA

Prithvi Bhawan, Lodi Road, New Delhi, 110003, India

### Committee on Antarctic Governance and Environmental Protection

## PERMIT

For Vessel and Aircraft entering into Antarctica

Permit number.....

Permit Valid from.....to.....

### This Permit is granted in favour of:

Dr./Mr./Mrs./Miss.....

Designation.....



Affiliation.....  
 Nationality.....  
 holding Aadhaar card Number ...../Passport Number.....  
 issued by .....at.....

**Vessel/Aircraft have following particulars:**

Vessel	Aircraft/Helicopter
Name: .....	Name: .....
Country/Port of Registration:.....	Country/Port of Registration:.....
Registration Number:.....	Registration Number:.....
Year of Registration:.....	Year of Registration:.....
Flag State:.....	Type: .....
Type: .....	.....
Class:.....	Make/Model:.....
Length:.....	Length:.....
Total Number and Type of Engine:.....	Total Number and Type of Engine:.....
Base of Operation:.....	Base of Operation:.....
Dry Weight/Tonnage):.....	Take off weight:.....
IMO number:.....	External markings:.....
External markings:.....	International radio call sign:.....
International radio call sign:.....	Other particulars:.....
Polar Ship Certificate number:.....	.....
Other particulars:.....	.....

Chartered by.....for entry into Antarctic/Convention area.

**Committee authorises the Permit Holder,**

Dr./Mr./Mrs./Miss..... who is the Owner/Operator of the Vessel/Aircraft and the group of expedition members/crew (as applicable and listed in Annexure A) as mentioned in the attached list to enter into Antarctica and perform following activity/activities:

1. Entering into Antarctica.....: Yes/No
2. For:
  - a. Indian Expedition .....: Yes/ No
  - b. Tourism/recreation activity.....: Yes/No
  - c. Fishing Activity.....: Yes/No

## 3. Places to enter in Antarctica.

.....  
 4. For waste disposal in Antarctica:.....Yes/No

5. For discharge into Antarctic water.....Yes/No

He/She/They, is authorised to conduct activities during austral summer/winter in Antarctica, whereas this Permit is valid from:

date.....to (date).....

The Permit holder shall hold the Permit (P4) for entering Antarctic region.

The Permit holder and associated members of the expedition shall abide by the provisions of the Indian Antarctic Act, 2022 and the rules made thereunder, and conditions mentioned in this Permit. For any kind of violation of any provision of the Indian Antarctic Act, 2022 and the rules made thereunder, the Permit shall be revoked immediately and appropriate action against the Permit holder shall be taken by the Committee.

Member Secretary of the Committee.....

Signature with Seal of the Member Secretary:

Date:.....Place.....

**Enclosures:**

Annexure A: Permitted list of expedition member/crew/passenger/tourists, to enter into Antarctica.

**Conditions**

- (1) Permit holder shall undertake proposed activities in accordance with provisions of the Indian Antarctic Act, 2022 and rules made thereunder, including the obligation of Treaty, Convention and the Protocol, MARPOL and Polar Code.
- (2) Permit holder to ensure the expedition members covered by this Permit shall be fully informed of all their environmental responsibilities, including interference to wildlife, introduction of non-native species, waste disposal, significance of historic sites and monuments and protected areas.
- (3) Permit holder shall ensure that participants of expedition shall not carry any weapon and firearms into Antarctica.
- (4) Committee may require from the applicant to submit any information, data, document apart from the information provided in the Application Form, which it may deem necessary for processing the Application From the applicant.
- (5) The Permit holder shall ensure that there shall be minimum disturbance to flora, fauna, lake, glacial or land.
- (6) Aircraft shall submit copy of logbook operation of flying time, date, coordinates of routes and landing site and duration of halt for each flight operation after completion of the expedition to the Committee.
- (7) Vessel shall provide copy of logbook of voyage details inclusive of coordinates with date and time, coordinates of anchoring, duration anchoring, any information or incidents which Operator feels necessary in terms of safety and protection of Antarctic environment.
- (8) Within three months of termination of Expedition Permit holder must submit the post-visit report to the Committee in the format as prescribed
- (9) Post-visit report in prescribed format shall be submitted to the Committee within three months of the completion of activity in Antarctica.
- (10) Where, Permit holder staying beyond three months in Antarctica, then after returning from Antarctica within a month post-visit report shall be submitted.

**Annexure A****Permitted List of Expedition Members**

Name, Aadhaar card number/ Passport Number, Affiliation/Nationality

S.No.	Name	Nationality	Aadhaar/ Passport Number	Affiliation	Duration of Permit

**FORM-R1**

(See clause € of sub-rule (1) of rule 10 and sub-rule (2) of rule 15)

**Post-Visit Report**

On Permit issued for entry, carrying out activities and stay in Antarctica

1. Title of Antarctic Expedition: \_\_\_\_\_
2. Total period of participation: \_\_\_\_\_
3. Season: Austral Summer/ Winter
4. Project Number (if relevant): \_\_\_\_\_
5. Particulars of Permit Holder:
  - a. Name of Applicant: \_\_\_\_\_
  - b. Organisation: \_\_\_\_\_
  - c. Designation: \_\_\_\_\_
  - d. Postal address: \_\_\_\_\_
  - e. Email address: \_\_\_\_\_
  - f. Telephone/Mobile number: \_\_\_\_\_
  - g. Website: \_\_\_\_\_
  - h. Nationality: \_\_\_\_\_
6. Period of Permit: \_\_\_\_\_
7. Permit issued for \_\_\_\_\_
8. Issue and expiry date of Permit: \_\_\_\_\_
9. Whether subsequently during continuation of activity to carry out activity in Antarctica, obtained any other Permit, if so, mention Permit number, date of issue and expiry date:
   
\_\_\_\_\_
   
\_\_\_\_\_
10. Purpose of visit to the Area under the current Permit:
   
\_\_\_\_\_
   
\_\_\_\_\_
   
\_\_\_\_\_

11. List of dates of entry, duration of visit, and all persons who entered the Area under the Permit number provided against serial number 6 and subsequent Permit:

Date and duration of the visit(s)	Names of persons

12. Was the activity undertaken within the mentioned permit period: Yes/No

If No, provide further information if carried out any part of the activity beyond the permit period:

---



---

13. Was the sample collected according to Permit: Yes/No

If No, add further information if samples collected other than authorised:

---



---

14. Mode of transport/approach within the Area Foot/vehicle/snow mobile/helicopter/other, mention:

---

15. Describe activities conducted in the Area, including impacts on the habitats and remedial action taken, where applicable:

---



---

16. Sampling activities conducted:

Ensure you provide sufficient detail describing the following:

- Gathering, collecting, injuring, or otherwise interfering with any native flora.
- Killing, taking, injuring, disturbing or otherwise interfering with any native birds or seals (including the collection of any dead specimens, bones or eggs).
- Taking, or impacting the habitat of any native invertebrates.
- Gathering and collecting rocks, meteorites, water, sediment, snow, soil or other samples.

Type of sample	Number /Species/ quantity of samples collected	Location where the samples were collected	Weight of the sample (grams/kg)	Volume of sample (ml/litre)	Size of the sample (LxBxH) c.m.	Other Samples

Type of sample	Number /Species/ quantity of samples collected	Location where the samples were collected	Weight of the sample (grams/kg)	Volume of sample (ml/litre)	Size of the sample (LxBxH) c.m.	Other Samples

17. Attach a copy of the map of the Area showing the location of activities performed under the first and subsequent permit (as applicable) - campsite location(s) land/sea/air movements or routes, sampling sites, installations, deliberate or accidental release of materials, any other impacts, and features of special significance not previously recorded:

---



---



---

18. Provide descriptions and locations of markers, instrumentation or equipment installed and/or removed, or any material released into the environment (noting how long these are intended to remain in the area). Include information about any unlabeled material observed that may have been left by other parties:

---



---



---

Signature of Permit Holder: \_\_\_\_\_

Name : \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_ Place: \_\_\_\_\_

If space provided in the application to submit required information is not sufficient, may attach a separate sheet

## FORM-R2

(See clause (e) of sub-rule (1) of rule 10 and sub-rule (2) of rule 15)

### Post-Visit Report

On Permit issued to enter Antarctic Specially Protected Area/ Marine Protected Area/Historic Site and Monuments

1. Title of Antarctic Expedition: \_\_\_\_\_
2. Total period of participation: \_\_\_\_\_
3. Season: Austral Summer/ Winter
4. Project Number (if relevant): \_\_\_\_\_
5. Particulars of Permit Holder:
  - a. Name of Applicant: \_\_\_\_\_
  - b. Organisation: \_\_\_\_\_
  - c. Designation: \_\_\_\_\_
  - d. Postal address: \_\_\_\_\_
  - e. Email address: \_\_\_\_\_
  - f. Telephone/Mobile number: \_\_\_\_\_
  - g. Website: \_\_\_\_\_

h. Nationality: \_\_\_\_\_

6. Period of Permit for Antarctic Specially Protected Area/Marine Protected Area :  
\_\_\_\_\_

7. Name of Protected Area for which Permit granted:  
\_\_\_\_\_

8. Period of Permit: \_\_\_\_\_

9. Purpose of visit to the Area under the current Permit:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

10. List of dates of entry, duration of visit, and all persons who entered the Area under the current Permit:

Date and duration of the visit(s)      Names of persons

Date and Duration of the visit (s)	Name of persons

11. Was the activity undertaken within the mentioned permit period: Yes/No

If No, provide further information if carried out any part of the activity beyond the permit period:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

12. Was the sample collected according to Permit: Yes/No

If No, add further information if samples collected other than authorised:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

13. Mode of transport/approach within the Area Foot/vehicle/snow mobile/helicopter/other, mention:

\_\_\_\_\_

14. Did any personnel not listed in the permit but assisting as support staff undertake the activity (or part thereof): Yes/No

15. If yes, please explain the circumstances. If support staff has been taken to ASPA along with permitted members:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

16. Whether performed activity in other restricted/prohibited Area other than permitted: Yes/No

If, yes explain the circumstances:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

17. Describe activities conducted in the Area, including impacts on the habitats and remedial action taken, where applicable:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

18. Sampling activities conducted within the Area:

Ensure you provide sufficient detail describing the following:

- a. Gathering, collecting, injuring or otherwise interfering with any native flora.
- b. Killing, taking, injuring, disturbing or otherwise interfering with any native birds or seals (including the collection of any dead specimens, bones or eggs).
- c. Taking, or impacting the habitat of any native invertebrates.
- d. Gathering and collecting rocks, meteorites, water, sediment, snow, soil samples.

Type of sample	Number /Species/ quantity of samples collected	Location (within the ASPA) where the samples were collected	Weight of the sample (grams/kg)	Volume of sample (ml/litre)	Size of the sample (LxBxH) c.m.	Other Samples

19. Describe any measures taken during this visit to ensure compliance with the Antarctic Specially Protected Area/Marine Protected Area Management Plan that was difficult or impractical. Were there any activities that did not comply with the Management Plan?

---



---

20. Attach a copy of the map of the Area showing the location of activities performed under this permit (as applicable) - campsite location(s) land/sea/air movements or routes, sampling sites, installations, deliberate or accidental release of materials, any other impacts, and features of special significance not previously recorded:

---



---

21. Provide descriptions and locations of markers, instrumentation or equipment installed and/or removed, or any material released into the environment (noting how long these are intended to remain in the area). Please include information about any unlabeled materials you observed that may have been left by other parties:

---



---



---

Signature of Permit Holder: \_\_\_\_\_

Name : \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_ Place: \_\_\_\_\_

If space provided in the application to submit required information is not sufficient, may attach a separate sheet

**FORM-R3**

(See clause (e) of sub-rule (1) of rule 10 and sub-rule (2) of rule 15)

**Post-Visit Report**

On Permit issued for Fishing/Tourism/Recreational Activity in Antarctica

(Ship/Vessel based activity)

1. Title of Antarctic Expedition: \_\_\_\_\_
2. Total period of participation: \_\_\_\_\_
3. Season: Austral Summer/ Winter: \_\_\_\_\_
4. Project Number (if relevant): \_\_\_\_\_
5. Particulars of Permit Holder:
  - a. Name of Applicant: \_\_\_\_\_
  - b. Organisation: \_\_\_\_\_
  - c. Designation: \_\_\_\_\_
  - d. Postal address: \_\_\_\_\_
  - e. Email address: \_\_\_\_\_
  - f. Telephone/Mobile number: \_\_\_\_\_
  - g. Website: \_\_\_\_\_
  - h. Nationality: \_\_\_\_\_
6. Permit Number: \_\_\_\_\_
7. Permit issued for \_\_\_\_\_
8. Issue and expiry date of Permit: \_\_\_\_\_
9. Purpose of visit to the Area under the current Permit: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

10. List of dates of entry, duration of visit, and all persons who entered the Area under the current Permit:

Date and duration of the visit(s)	Names of persons

11. Was the activity undertaken within the mentioned permit period: Yes/No

If No, provide further information if carried out any part of the activity beyond the permit period:

---



---



---



12. Mode of transport/approach within the Area Foot/vehicle/snow mobile/helicopter/other, mention:

---



---



---

Signature of Permit Holder: \_\_\_\_\_

Name : \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_ Place: \_\_\_\_\_

If space provided in the application to submit required information is not sufficient, may attach a separate sheet

### Instructions

Please download additional from the website to fill and submit on tourism and recreational activity

[https://documents.ats.aq/recatt/att710\\_e.xlsx](https://documents.ats.aq/recatt/att710_e.xlsx)

This Form is to be completed by any person, companies or organisation visiting Antarctic continent or any island or territory within the Antarctic Treaty region for the purposes of recreation or tourism. The form consists of two parts: an Expedition Record (Part 1) and a Site Visit Record (Part 2) which be completed by the Expedition leader or Captain and submitted to the Committee. The Expedition Record (Part 1) be completed for every expedition to the Antarctic region regardless of whether any landings or visits to sites were made. The Site Visit Record (Part 2) only be completed if visits or landings were made to sites in the Antarctic region. Site Visits conducted exclusively by cruise-only vessels can include waterways. This completed form will be processed electronically by a computer, to reduce errors and manual interaction. It is imperative that this document be completed thoroughly and accurately. Throughout this Form, use ONLY the following date format: dd-Mon-yy (e.g. 12-Jan-02).

If space provided in the application to submit required information is not sufficient, may attach a separate sheet

[F. No. MOES/43-Par/06/2023]

D. SENTHIL PANDIYAN, Jt. Secy.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082023-247893  
CG-DL-E-07082023-247893

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3357]  
No. 3357]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 7, 2023/श्रावण 16, 1945  
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 7, 2023/SHRAVANA 16, 1945

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2023

का.आ. 3508(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 (2022 का 13) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंटार्कटिक प्रशासन एवं पर्यावरणीय संरक्षण समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी अर्थात:-

- |      |   |               |
|------|---|---------------|
| (1)  | सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय   | अध्यक्ष पदेन; |
| (2)  | अपर सचिव, विधि कार्य विभाग  | सदस्य, पदेन;  |
| (3)  | अपर सचिव, पर्यटन मंत्रालय   | सदस्य, पदेन;  |
| (4)  | संयुक्त सचिव (संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाग), विदेश मंत्रालय  | सदस्य, पदेन;  |
| (5)  | संयुक्त सचिव (समुद्री मत्स्य पालन), मत्स्य पालन विभाग   | सदस्य, पदेन;  |
| (6)  | संयुक्त सचिव (समुद्री सुरक्षा, हिन्द-प्रशांत), राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय  | सदस्य, पदेन;  |
| (7)  | संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  | सदस्य, पदेन;  |
| (8)  | निदेशक (डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज) और वैज्ञानिक 'जी', रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय। | सदस्य, पदेन;  |
| (9)  | निदेशक, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, गोवा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय  | सदस्य, पदेन;  |
| (10) | निदेशक (समुद्री प्रशासन/पोत), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय   | सदस्य, पदेन;  |

- (11) सहायक निदेशक (राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर), अंतरिक्ष विभाग सदस्य, पदेन;
- (12) डॉ. रसिक रवींद्र, पूर्व निदेशक, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, गोवा-403804। विशेषज्ञ सदस्य ;  
608, लल्लेश्वरी अपार्टमेंट, सेक्टर 21डी, फ़रीदाबाद-121002.
- (13) डॉ. बिमल पटेल, कुलपति, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, लावड-दहेगाम, गांधीनगर-382305 विशेषज्ञ सदस्य ;
- (14) डॉ. वी.एन. संजीवन, पूर्व निदेशक, समुद्री सजीव संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र, कोच्चि। विशेषज्ञ सदस्य ;  
16सी, विंध्य वायएमजे रोड, एजीआई टीचर लेन, उत्तरी जनता रोड, पलारीवट्टोम, एर्नाकुलम-682025
- (15) कार्यक्रम प्रमुख, ध्रुवीय विज्ञान कार्यक्रम, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सदस्य सचिव, पदेन;
2. क्रम संख्या (12), क्रम संख्या (13) और क्रम संख्या (14) पर उपदर्शित विशेषज्ञ सदस्य अपना पद भार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों तक की अवधि के लिए पद पर रहेंगे।
3. विशेषज्ञ सदस्य समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए छह हजार रुपये प्रति दिन दैनिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे।
4. विशेषज्ञ सदस्य भारत सरकार के संयुक्त सचिव को देय यात्रा भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

[फा. सं. एम.ओ.इ.एस./43-पार/06/2023]

डी. सेंथिल पांडियन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF EARTH SCIENCES

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2023

**S.O. 3508(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the Indian Antarctic Act, 2022 (13 of 2022), the Central Government hereby establish a Committee on Antarctic Governance and Environmental Protection consisting of the following members, namely:-

- |      |   |                                    |
|------|---|------------------------------------|
| (1)  | Secretary, Ministry of Earth Sciences   | Chairperson<br><i>ex-officio</i> ; |
| (2)  | Additional Secretary, Department of Legal Affairs   | member, <i>ex-officio</i> ;        |
| (3)  | Additional. Secretary, Ministry of Tourism  | member, <i>ex-officio</i> ;        |
| (4)  | Joint Secretary (United Nations Economic and Social Division), Ministry of External Affairs   | member, <i>ex-officio</i> ;        |
| (5)  | Joint Secretary(Marine Fisheries), Department of Fisheries  | member, <i>ex-officio</i> ;        |
| (6)  | Joint Secretary (Maritime Security, Indo-Pacific), National Security Council Secretariat  | member, <i>ex-officio</i> ;        |
| (7)  | Joint Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change  | member, <i>ex-officio</i> ;        |
| (8)  | Director (Defence Institute of Physiology and Allied Sciences) and Scientist 'G', Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence.       | member, <i>ex-officio</i> ;        |
| (9)  | Director, National Centre for Polar and Ocean Research, Goa Ministry of Earth Sciences  | member, <i>ex-officio</i> ;        |
| (10) | Director (Maritime Administration/Shipping), Ministry of Ports, Shipping and Waterways  | member, <i>ex-officio</i> ;        |
| (11) | Associate Director(National Remote Sensing Centre), Department of Space,  | member, <i>ex-officio</i> ;        |
| (12) | Dr. Rasik Ravindra, Former Director, National Centre for Polar and Ocean Research, Goa-403804.<br>608, Lalleshwari Apartment, Sector 21D, Faridabad-121002. | expert member;                     |

- |      |  |  |
|------|--|--|
| (13) | Dr. Bimal Patel, Vice Chancellor, Rashtriya Raksha University, Lavad-Dahegam, Gandhinagar-382305   | expert member;                           |
| (14) | Dr. V.N. Sanjeevan, Former Director, Centre for Marine Living Resources and Ecology, Kochi.<br>16C, Vindhyas YMJ Road, Agi Teacher Lane, North Janata Road, Palarivattom, Ernakulam-682025 | expert member;                           |
| (15) | Program Head, Polar Science Program, Ministry of Earth Sciences  | Member Secretary,<br><i>ex-officio</i> ; |

2. The expert members indicated against serial numbers (12), (13) and (14) shall hold office for a term of three years from the date of their assuming the charge of the office.

3. The expert members shall be entitled to receive six thousand rupees per day as daily allowance for attending the meetings of the Committee.

4. The expert members shall be entitled to such travelling allowance as is admissible to the Joint Secretary to the Government of India.

[F. No. MOES/43-Par/06/2023]

D. SENTHIL PANDIYAN, Jt. Secy.